महानगर नई दिल्ली शनिवार 29 जून, 2019, रु. 5.00 (24 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर

जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी स्वीकृत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की जनता के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जब तय करेगा, सरकार वहां विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने और जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 5 और 9 के तहत आरक्षण के प्रावधान में संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद की समस्या है और वो पड़ोस के देश से आती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का आतंकवाद पाक प्रेरित आतंकवाद है। गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सांविधिक प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हम अपना मानते हैं, उन्हें अपने गले लगाना चाहते हैं। कश्मीरियत की हमारी पहल में कोई बदलाव नहीं आया है। चर्चा में कुछ विपक्षी सदस्यों ने सरकार से सवाल किया था कि जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं तो वहां विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते। शाह ने कहा कि हम इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की नीति पर चल रहे हैं। जहां तक जम्हूरियत की बात है तो जब चुनाव आयोग कहेगा तो तब शांति पूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। आज वर्षों बाद ग्राम पंचायतों का विकास चुनकर आए पंच और सरपंच कर रहे हैं...ये जम्हूरियत है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है। कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है। कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है। कश्मीरियत कश्मीर की भलाई में है। कश्मीर की संस्कृति को बचाने में है।

गृह मंत्री ने बाकी पेज 8 पर

अमित शाह ने कहा

जहां तक अनुच्छेद 370 की बात है, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है।

चुनाव आयोग जब तय करेगा, सरकार कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है।

कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियां जिम्मेदार

नेहरू ने तब के गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इस विषय पर विश्वास में नहीं लिया।

नई दिल्ली में शुक्रवार को संसद जाते गृह मंत्री अमित शाह।

पिटाई का शिकार अधिकारी आइसीयू में

इंदौर/भोपाल, 28 जून (भाषा)।

जर्जर मकान ढहाने गए इंदौर नगर निगम के दल के साथ दो दिन पहले हुए विवाद के दौरान स्थानीय भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शहरी निकाय के जिस अफसर को बल्ले से पीटा था, उसे एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आइसीयू) में भर्ती कराया गया है। पलासिया क्षेत्र स्थित इस निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नगर निगम के भवन निरीक्षक धीरेंद्र सिंह बायस (46) को गुरुवार देर शाम उच्च रक्तचाप की शिकायत पर आइसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है।

आकाश (34) भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और नवंबर 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। शहर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन ढहाने की मुहिम के दौरान बुधवार को बड़े विवाद के बाद भाजपा विधायक ने नगर निगम के भवन निरीक्षक को क्रिकेट के बल्ले से पीट दिया था। आकाश इस मामले में गिरफ्तारी के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत स्थानीय जेल में बंद हैं। पिछले दो दिन में यहां की अलग-अलग अदालतें उनकी दो जमानत अर्जियां खारिज कर चुकी हैं।

इस बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का जिक्र किए बिना परोक्ष तौर पर युवा जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी कि बल्ले को मैदान में भारत की जीत का प्रतीक बनाइए, बाकी पेज 8 पर

पीड़ित की हालत स्थिर बनी हुई है

जबलपुर जिले में निकाय कर्मचारी रहे हड़ताल पर खबर पेज 19 पर

भाजपा नेता ने नगर पंचायत के सीएमओ पर किया हमला। खबर पेज 2 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 5 पर

जी-20 सम्मेलन के दौरान मोदी व ट्रंप के बीच बैठक

रक्षा, सुरक्षा व व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में प्रौद्योगिकी की ताकत के इस्तेमाल, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार, ईरान और 5जी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जी-20 सम्मेलन के लिए जापान आए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को एक पत्र के जरिए 'भारत के प्रति अपना प्यार' जताने के लिए धन्यवाद दिया। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सप्ताह अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ के जरिए भारत भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, अमेरिका के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ईरान, 5जी, द्विपक्षीय रिश्तों और रक्षा संबंधों पर चर्चा की।

मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने प्रौद्योगिकी की शक्ति के इस्तेमाल के उपायों, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।' उन्होंने लिखा कि भारत, अमेरिका बाकी पेज 8 पर

ओसाका में त्रिपक्षीय बैठक से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

पुतिन व जिनपिंग से आतंकवाद व जलवायु संकट पर चर्चा

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यहां मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद निरोधी और जलवायु संकट समेत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा बाकी पेज 8 पर

ट्रंप, आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठक

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठकर कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार पर गहन चर्चा की। ओसाका में जी-20 सम्मेलन बाकी पेज 8 पर

व्यापार मुद्दों पर भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक जल्द

डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए '5-आइ' फार्मूला

आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा : मोदी

खबरें पेज 8 पर

बडगाम में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर

श्रीनगर, 28 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में शुक्रवार को एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक पुख्ता सूचना के आधार पर, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के क्रालपोरा चेकपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और एक तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर गोलीबारी की।

प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और मुठभेड़ बाकी पेज 8 पर

75 फीसद हिस्सेदारी के लिए कवायद

जेट एअरवेज कर्मचारी समूह व आदि ग्रुप मिलकर लगाएंगे बोली

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

जेट एअरवेज की 75 फीसद हिस्सेदारी के लिए उसके कर्मचारियों के एक समूह और आदि ग्रुप ने मिलकर बोली लगाने की शुक्रवार को घोषणा की। यह जेट एअरवेज को खरीदने की अपनी तरह की पहली ऐसी पहल है। कर्ज के बोझ से दबी जेट एअरवेज देश की पहली ऐसी विमानन कंपनी है जो एनसीएलटी की प्रक्रिया का सामना कर रही है। एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक ने 26 अन्य ऋणदाताओं की ओर से 20 जून को दिवाला व शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दायर की थी।

जेट एअरवेज पर बैंकों का करीब 8500 करोड़ रुपया बाकी पेज 8 पर

राह जेट एअरवेज को खरीदने की अपनी तरह की पहली ऐसी कोशिश है।

संयंत्र में काम के दौरान मजूदर की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

ख्याला थाना क्षेत्र के केशोपुर में स्थित दिल्ली जल बोर्ड के अवजल शोधन संयंत्र (डब्लूटीपी) में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर पानी की तेज बहाव में बह गए, जिनका देर शाम तक कोई पता नहीं चला। घटना की सूचना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर बचाव दल, दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय पुलिस ने एक मजदूर को बाहर निकाला और उसे पास के डीडीयू अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने शाहरुख (25) को मृत घोषित कर दिया। शाहरुख उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। घटना में जिन दो मजदूरों का अभी तक सुराग नहीं लगा है, उनकी पहचान अंकित (19) और देवेंद्र शर्मा (25) रूप में हुई है। अंकित बाकी पेज 8 पर

दो अन्य मजदूर तेज बहाव में बह गए

केशोपुर स्थित संयंत्र जहां हादसा हुआ।

सीवर सफाई के दौरान मौतों पर राज्यसभा में चिंता

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

सेप्टिक टैंक और सीवर में काम करते समय सफाईकर्मियों की मौत की बढ़ती घटनाओं पर शुक्रवार को राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा गंभीर चिंता जताए जाने और ऐसे मामले में पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा व सामाजिक सुरक्षा दिलवाने की मांग के बीच सरकार बाकी पेज 8 पर

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में तीन जवान शहीद

बीजापुर, 28 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। वहीं इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य लड़की घायल हुई है।

बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशकुतुल गांव के करीब जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 199वीं बटालियन के सहायक उपनिरीक्षक मधु पाटील, सहायक उपनिरीक्षक मदन पाल और हवलदार ताजू ओटी शहीद हो गए। घटना में वाहन में सवार महिला की मौत हो गई और एक लड़की घायल हुई है। मुठभेड़ के दौरान वहां एक वाहन आ गया, जिससे उसमें सवार लोग गोलीबारी में फंस गए थे।

इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य लड़की घायल हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ के दल को गश्त में रवाना किया गया था। दल जब केशकुतुल गांव के बाकी पेज 8 पर

छोटी बचत पर ब्याज दरों में 0.1 फीसद की कमी

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) समेत अन्य छोटी बचत पर सरकार ने शुक्रवार को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दर 0.1 फीसद कम कर दी। बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज दरों में आ रही कमी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल तीन बार में अपनी नीतिगत दरों में कुल मिला कर 0.75 कटौती कर चुका है। बचत खाता जमा पर ब्याज दर को छोड़कर सरकार ने अन्य सभी योजनाओं पर बाकी पेज 8 पर

दरअसल

रेलवे सुरक्षा में बढ़ेगी 'आधी दुनिया' की भागीदारी

बड़ा फैसला

रेल मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

रेलवे की 9000 भर्तियों में आधे पदों पर महिलाएं

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में महिलाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने आरपीएफ में खाली पड़े 9000 पदों पर होने वाली भर्ती में से आधे पदों पर महिलाओं को तैनात करने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि आरपीएफ में अभी महिला कांस्टेबलों की संख्या सिर्फ 2.25 फीसद हैं। उन्होंने बताया कि आरपीएफ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने अगली भर्ती में आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है।

बिहार में सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा भी महिलाओं को आरपीएफ में आरक्षण दिए जाने संबंधी पूरक प्रश्न के जवाब में गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि 8619 कांस्टेबलों और 1120 उप निरीक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई है। इनमें से 4216 कांस्टेबलों और 201 उप निरीक्षकों के पद पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी।

एक अन्य सवाल के जवाब में गोयल ने बताया कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़ी 'त्रि-नेत्र तकनीक' का सघन परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे में रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की बाधा को पहचानने में सक्षम इस बाकी पेज 8 पर

2.25 फीसद है आरपीएफ में महिला कांस्टेबलों की संख्या

8619 सिपाहियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2018 से शुरू

रविवारी
30 जून, 2019

आंदोलन की कविता

आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण की अगुआई में जो देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कवियों ने भी बड़ी भागीदारी की थी। उस दौर की कविता पर बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश।

•कहानी/ निर्देश निधि • प्रसंग/ नीरज कुमार मिश्र •योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर •शख्सियत/ सुचेता कृपलानी •दाना-पानी/ मानस मनोहर •सेहत/ रविवारी डेस्क

एकाकी जीवन का दंश
• वंदना सिंह

•कविता/ रावेंद्र कुमार रवि •कहानी/ पूरन सरमा

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Pradeep Kumar, Son of Braham Dutt, Residing at H No. 171, Pole No-91, Near Musjed, Mundka, New Delhi-110041, declare that name of mine has been wrongly written as Pardeep Kumar in my 10th class marksheet and voter id card. The actual name of mine is Pradeep Kumar, which may be amended accordingly. 0070662555-1

I,Vikas Aggarwal S/O-Shri Narender Aggarwal R/O-D-143-144,flat.no-9,2nd floor,Mahendru Enclave,Azad Pur,Delhi-110033,have changed my minor daughter name from Akshara Garg to Akshara Aggarwal. 0040501148-5

I,Uma Shankar S/O Parmanand Gautam H.No-274, Block-G2,Gali.No-18, Sangam-Vihar, New Delhi-110062 Have Changed My Name To Umashankar Gautam. 0040501078-5

I,Sunil Kumar S/o Roshan Lal Raheja, R/o-1396, Sector-14 Housing-Board Colony, Sonipat have changed my name to Sunil Raheja,for all purposes 0040501120-6

I,Shadav Khan S/o-Irshad KhanR/o-House No.-F-268/11, HauzRani,Malviya-Nagar, NewDelhi-17 have changed my name to Shadab Khan,for all future purposes. 0040501178-5

I,Rajni Devi W/o Ashok Kumar R/o-7/71 Yudhister Gali Vishwas-Nagar, Shahdara Delhi-110032 have changed my name to Rajni for all purposes 0040501120-10

I,Rajiv Jain S/o-Roshan Lal Jain R/o-plot no.16,D-Block Prashant Vihar Rohini,Delhi-110085 have changed my name to Rajeev Jain for future. 0040501148-3

I,Pawan Chauhan S/O Chander Pal Singh Chauhan R/O-U-64, Street.No-5, ShakarPur, Delhi-110092 Changed My Name To Pawan Kishor Singh Chauhan. 0040501078-7

I,Neeraj Kumar Tyagi S/o Raghubar Tyagi R/o-A-60, Pocket-8, Kalkaji-Extension, ND-19. Have changed my name to Neeraj Tyagi.for all purposes. 0040501078-3

I,Naveen Negi S/O Beer Singh Negi R/O-A-27/28, Flat.No-6, Khanpur Extn, NewDelhi-110062.Changed My Name To Naveen Singh Negi. 0040501078-2

I,Naresh S/o-Yash Pal,R/o-H-16/243,Bapa Nagar, Karol Bagh,New.Delhi-110005,have changed the name of my minor child from Fateh Singh to Dharmesh for,all purposes. 0040501148-2

I,Mukesh Parewa S/ONanak Chand Parewa, R/o-B-293, Raghubir-Nagar NewDelhi-110027, Have changed my minor Son's name,from Abhinandan Parewa to Abhinandan for all purposes. 0040501178-6

I,Jitendra Patel S/O-Pooran Singh Patel R/O-S-1/210,Sec-1,Old Mahavir-Nagar ,TILAK-Nagar Newdelhi-110018.Have Changed My Minor Daughter Name From Kritika To Kritika Patel. 0040501178-3

I,Himani Bhambani W/O Ritesh Pahuja R/O-1/9715, Gali.No-4, Pratap-Pura, West-Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-110032.Have Changed My Name To Himani Pahuja. 0040501078-6

I,Chitra D/o Shri Kedar Nath Yadav R/o-A-703 Mahalaxmi-Appartment, Sector-2 dwarka, New Delhi-110075,Have Changed My Name To Kadambari Yadav For All Future Purposes. 0040501120-8

I,Babita Tyagi W/o Neeraj Tyagi R/o-A-60, Pocket-8, Kalkaji-Extension, ND-19. Have changed my name to Babita.for all purposes. 0040501078-4

I,Anil Kumar S/O Inder Pal R/O-I/133, 3rd-Floor, Gali No-10,Garwali Mohalla, Laxmi-Nagar,Delhi-110092 Changed My Name To Anil Sikka. 0040501078-8

I,Aftab Gulhasan Shaikh S/o Gul Hasan R/o-Emraid-1, Flat-1106, Gardenia Glamour, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad have changed my name to Salman Shaikh. 0040501170-6

I, Vishaka Malhotra D/o Balvinder Singh R/o:WZ-73, Chaukhandi Chowk, Ram-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-18 Have Changed My Name to Vishaka. 0040501120-2

I, Vikas Bhardwaj S/o O.P. Sharma R/o 27/5/20, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed my minor son name from Rudraansh Bhardwaj to Paarth Bhardwaj. 0040501107-3

I,Vikas Aggarwal,S/O-Shri Narender Aggarwal,R/O-D-143-144, flat no-9,2nd-floor,Mahendru Enclave,Azad Pur,Delhi-110033,have changed my minor son name from Bhavya Garg to Bhavya Aggarwal. 0040501148-4

व्यक्तिगत

I, VEDULA ANAAHAT RAO, son of Vedula Bhaskar Rao and holder of Indian Passport No. N5927663 issued at The Hague on Nov 27, 2015, permanent resident of B2-104, PWO Housing complex Sec-43, Sushant Lok1, Gurgaon-122002, India, and presently residing at 13032 87th Pl NE , Kirkland 98034, USA, do hereby change my name from VEDULA ANAAHAT RAO to ANAAHAT MISHRA VEDULA, with immediate effect. 0040501119-1

I, Tanvi Jain d/o Anupam Jain r/o 352, Sector-28, NOIDA, Gautam Budh Nagar, UP-201301, have changed my name to ANOUSHA ANUPAM. 0040501063-1

I, Sonu kumar S/o Shri.Manoranjan Singh R/o.F-113, Khasra No.437, Near-MCD Park Teacher-Enclave Alipur Delhi-110036 changed my name to Shobhit singh. 0040501170-4

I, Sonali Agarwal W/o Mukesh Kumar R/o Flat No.911, Supertech Avant-Grade, Plot No.1, Vaishali, Sector-5, Ghaziabad, U.P. have changed my name to Sonali Chaudhary. 0040501107-2

I, Shriya Tripathi D/o Dr.Monika Shyam R/o Flat No.703, Tower-6, Sunworld Vanalika, Sector-107, Noida-201304, have changed my name to SHRIYA SHYAM for all future purposes. 0040501075-1

I, Shivani Deb Roy W/O, Himangshu Debroy R/o-Siena 112, mahagun-Mascot, Crossings Republik, ghaziabad-201016.have changed my name to Shibani Debroy. 0040501170-8

I, Shanty John @Santhi Memana Thomas @Santhi M.T. D/o Thomas W/o John Peter John R/o.H.No.95-A, Savitri-Nagar, Malviya-Nagar, NewDelhi-110017, have changed my name to Shanty John for all purposes. 0040501178-2

I, Sanjeev Kumar S/o Late Shri J. D. Dogra R/o 726, LIG Flats, DDA Flats, Hastsal, New Delhi-110059, have changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjeev Kumar Dogra for all future purpose. 0040501074-1

I, Saneha Dua D/o Late Sh.Ramesh Dua, R/o-C-141, Ground-Floor, MotiNagar, NewDelhi-110015.have changed my name to Sneha Dua. 0040501178-4

I, Rupinder W/O Harjot Singh H.No-1082 Ward No-1 Mehrauli Delhi-110030. Have Changed My Name To Rupinder Kaur. 0040501078-1

I, Ravi Shanker Srivastava S/o Kamlesh Lal Srivastava R/o 373, Radhika Appt, Pocket- 1, Sector-14 Dwarka Delhi-110078 Have Changed My Name to Ravi Srivastava. 0070662568-1

I, Ram Parkash Gupta S/o Dhoomi Mal Aggarwal R/o C-6/2 Rana Pratap Bagh Delhi-110007 Have Changed My Name to Ram Prakash. 0070662570-1

I, Rajesh Kumar Garg S/o Amar Chand Jain R/o P-224, JJ Colony, Raghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name to Rajesh Kumar Jain for all purposes. 0040501068-1

I,Amandeep Singh Gill S/O Dilbagh Singh Gill R/O-1132, Sector-2, R.K.Puram, New DELHI-110022 Have Changed My Name to Bharat Bhushan Gill. 0040501170-2

I, Rajesh Arora S/O Munshi Ram Arora, R/O 80-B, pocket-C, Siddharth Extension, Delhi-110014 have changed the name of my minor (D.O.B 21/11/2005)daughter Hemangi Arora to Himangi Arora for all purposes 0040501177-4

I, Pushpalata Singh, W/o Shri Shailesh Kumar Singh, R/o 502 D/5A, 1st floor, Govind puri, Kalkaji, New Delhi-110019, informs that before marriage i.e. July 06, 1988, my name was Pushpalata Kumari. Now, I have changed my name as Pushpalata Singh for all future purposes. 0040501098-1

I, Priyanka Nayak, W/o Ajay Kumar Pradhan, R/o M-66, 2ndfloor, Saket, ND-17, inform that in my daughter Varnika Pradhan's passport, my name has wrongly been mentioned as 'Priyanka Pradhan'. The correct name is 'Priyanka Nayak' for all purposes. 0040501170-7

I, Priyanka D/O Gurudev Singh R/O-68b, Sri Nagar-Colony, Bharat-Nagar Road, Sindhora Kalan, Delhi-52 Changed My Name To Priyanka Rai. 0040501120-7

I, Prakriti Pramodkumar Sharma D/O Pramod Kumar Sharma R/O-23/2, Windosr-Flats, Ashok-Road, Shipra Sun-City, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014.Have Changed My Name To Prakriti Sharma. 0040501170-9

I, Veena Rohtagi @ Beena Rohtagi @Beena Rastogi W/O Brijesh Rohtagi D/O Late Basheshar Nath & Shakuntala Devi,R/O 41-D , DDA Flats, Mansarovar Park, Shahdara, Delhi-32 have changed /retained my name to Veena Rohtagi for all purposes in future. 0040501087-3

I, Seemee Faraz Siddiqui W/O Nayeem Ahmad Siddiqui born on 09/08/1979 residing at 2/407 Vinamra Khand Gomti Nagar Lko, have changed my name to Seemeen Nayeem Siddiqui 0050150772-1

I, Pooja D/o Late Sh. Dataram W/o Sh. Ashwini Kumar Joshi R/o 508, CS 6 Tower, Supertech Capetown, Sector-74, Noida Sector-34, Gautam Buddha Nagar, U.P.-201307 have changed my name after marriage to Pooja Kumar Joshi for all purposes. 0040501070-1

I, Pankaj Kumar S/o Raj Kumar R/o-72B,DDA Janta Flat,Rampura, Delhi-110035,have changed my name to PANKAJ for all future purposes. 0040501087-1

I, P M Vikasen S/o Ponnrashery Velu Mani R/o 278-A, Pocket C-2, Mayur Vihar Phase-3 Delhi-110096 Have Changed My Name to Ponnrashery Mani Vikasen. 0070662566-1

I, Nitin Kumar Verma S/o Naveen Kumar Verma R/o 510/5, Doodh Wali Gali, Mehrauli, New Delhi-110030, have changed my name from Nitin Kumar Verma to Nitin Verma as per Pan Card/ Aadhar Card/ ECHS Card for future reference. 0040501060-1

I, Nidhi W/o Umesh Chandhok R/o:WZ-45, First Floor, Ram-Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-18.Have Changed My Name to Nidhi Aggarwal Chandhok for all purposes. 0040501120-1

I, Naveen Kumar Singhal S/o Vishan Dayal Singhal R/o Flat No-104, Tower -D3 Galaxy Supertech Livingston Dundahera Ghaziabad-201001 Have Changed My Name to Naveen Singhal. 0070662572-1

I, Naveen Kumar S/o HariOm Minda R/o-59-B/GF/HIG, GK-II, Indirapuram, Ghaziabad.have changed my name to Naveen Kumar Minda for all purposes. 0040501170-5

I, Naval Kumar Goyal S/O, Dinesh Goyal R/o-B-202, New Kanchanjunga Apartment, Plot No.1, Sec-23, Dwarka ND-77.have changed my name to Naval Goyal. 0040501170-10

I, Natasha W/o Pawan Chandna R/o 17 MC.Colony Sonipat, have changed my name to Natasha Chandna for all purposes. 0040501120-4

I, Montu S/o Sudershan Sharma R/o RZ-G-211, Gali.No.12, Sitapuri Part-2, New Delhi-110045, have changed my name to Monik Sharma. 0040501178-1

I, Minakshi Khanna W/o Vijay Kumar R/o-48/3 Ashok-Nagar Tilak-Nagar N.Delhi-110018.have changed my name to Meenakshi. 0040501178-10

I, Kanta W/o Mohan Sharma R/o F-63, Street No-11, Jagat Puri Delhi-110051. Have Changed My Name To Kajal Sharma. 0040501170-3

I, Kamini Sharma W/o Vinit Saini R/o-9032/B, ShiddiPura, East-Park Road, KarolBagh, Delhi-110005.have changed my name to Kamya Saini. 0040501178-7

I, Jitendra Garg S/o Late Hari Shanker R/o 1195, Gali Babu Ram, Bazar Sita Ram, Delhi-110006 have changed my name to Jitender Garg. 0040501107-1

I, Jessica John Dass, R/o Polish Embassy Staff Qtrs, 1Tilak Lane, Tilak Marg, New Delhi-110001 have changed my name to Jessica John. 0070662573-1

I, J.Sujatha W/o Srilinga Gnana Pragasam R/o Flat No.SEM-1409, Shipra Krishna Srishti, Plot No.15, Ahinsa Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014 have changed my name to Sujatha Srilinga Gnana Pragasam. 0040501118-1

I, Hem Raj S/o Shri. Devender Kumar R/o-208, Gali.No-1, Bhaghtan-Mohalla, Near.Ghonda-Chowk, Delhi-110053, have changed my name from Hem Raj to Hemraj Sharma,for all future purposes. 0040501078-9

I, Hari Shanker S/O Baldev Prasad H/No.65a Block-C Gopalnager-Extn Dhansa-Road Najafgarh New Delhi-43 Changed My Name To Hari Shankar Prasad. 0040501170-1

I, Eric Praveer Thomas S/o Manuel Thomas R/o-J-15/1,J-15/2,J-15/3 FF Front-Middle Side Rama-Park Road Mohan-Garden Uttamnagar N.Delhi-110059.changed my name to Eric Thomas. 0040501178-9

I, Bharti D/o Mahender Kumar R/o-74/5539, Reghar Pura,Karol Bagh New Delhi-110005,have changed my name to Bhawna Ratawal for all purposes. 0040501148-1

I, Bedo Devi W/O Late.Rai Singh R/O.H.No.150, Dada Shahad, Pooth-Khurd, Delhi-110039.Have Changed My Name To Bed Kaur For All Purposes. 0040501120-3

I Sanjay Kumar, Son of Jagdish Prasad Gupta R/o A-5 Shalimar ApartmentMasjid Moth South Extension 2 Near Lila Ram Market New Delhi 110049,have changed the name of my minor daughter Kartikeya aged 14 years and she shall hereafter be known as Kartikeya Gupta. 0070662558-1

I Raghav S/O Mahinder Kumar Resident B-1/145-146 Ashok Vihar Phase-II Delhi-110052 have changed my name to Raghav Arora. 0040501120-9

I, Pawan Kumar S/o Nanak Chand R/o-17 MC.Colony sonipat, have changed my name to Pawan Chandna for all purposes. 0040501120-5

व्यक्तिगत

I, Avneet Chadha D/o Satinder Singh Chhabra R/o-1,Kasturba Gandhi Marg,New Delhi-110001,have changed my name to Avneet Chhabra for all purposes. 0040501177-1

I, Aashray Tripathi S/o Dr.Monika Shyam R/o Flat No.703, Tower-6, Sunworld Vanalika, Sector-107, Noida-201304, have changed my name to AASHRAY SHYAM for all future purposes. 0040501075-2

I Mandeep Shokeen S/o Bijender Singh R/o House No-466, Jat Chowk, Nangloi Jat, Delhi-110041 have changed my name to Mandeep Singh 0070662584-1

I, Aanya Arora, D/o Rajesh Kumar notify that I have lost my mark sheet and certificate of 10th class (roll no. 8203668) issued by CBSE in 2017. 0040501148-8

I, Veronica John Dass R/o Polish Embassy Staff Quaters, 1 Tilak Lane, Tilak Marg Delhi-110001 have changed my name to Veronica S John. 0070662574-1

खोया+पाया

Lost original Perpetual Lease Deed for Property No.J-25, Udyog Nagar Industrial Area, Peeragarhi, Delhi, favouring Sarita Plastic Pvt.Ltd. Founder inform at:9999022032. 0040501065-1

I, Gaurav Makhija s/o Sh. Harish Makhija, R/o YG-20, Shiva Enclave, Paschim Vihar, Delhi-63, (Mob. 9818124825) lost my original set of possession paper of property, M-24, Sector-1, DSIIDC Bawana, Delhi-39. Finder please contact above. 0040501066-1

I, Suman Lata Gaur W/o Late Shri D. K. Gaur R/o BW-7C, Shalimar Bagh, Delhi-88 have lost our Original Property Documents, Allotment Letter, Demand, Mutation Letter, Site Possession Letter, Possession Letter, Electric & Water NOC of Flat No. H-135, DDA Flats, Phase-1, Ashok Vihar, Delhi-52. Finder Contact: 8076284905 0040501218-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of main-secondary Examination-2014-2016 and Roll No.8227368 issued by C.B.S.E has been actually lost. Name-Abhijeet Singh R/o-19/31, Dakshin Puri, NewDelhi-110062, cont-9910319844. 0040501078-10

I, Santosh Kumar Singh s/o Visheshwar prasad lost my all 10th (Roll num.0442456) , 12th (roll num.0249728) original marksheet and degree done by Board of High school and intermediate education (UP) in 2008& 2010 Finder contact -7065352998 0040501004-1

It is notified for the information that my original Marksheet examination certificate of Class Xth of Year 1993 and Class XIIth of Year 1995 issued by CBSE has been actually lost. Name: Maneesh Sengar, 102, Anuj Vihar, Shankar Vihar, Delhi Cantt-110010, Tel. 8170050546 0040501084-2

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main secondary examination year 2015, Roll No.8732288 and Senior Secondary examination year 2017, Roll No.9714155 issued by CBSE has been actually lost. Name of the Candidate: Ashish Kumar Dubey, Address: A-30, Taimoor Nagar, New Delhi-110025, Contact No.9267931286 0040501058-1

Lost my original property documents Registery Jild.No.1315 page-1029-date:22.09.2005 Area-250 sq Yds Address:-Gram-Barola, Paragana & Tehsil-Dadri,Gautam Buddha-Nagar,U.P.Finder pls-contact:-Rampal Singh S/o-Sri Rajpal Singh Mob:-9582619177. 0040501148-6

It is notified for the information that my original 10th Class Marksheet of Year 2017 and Roll No.8209430 issued by CBSE has been actually lost. Name: Madhur Bhardwaj, WZ-209, Gali No.6, Lajwanti Garden, New Delhi-110046 Tel. 9599920312 0040501084-1

Lost & Found

To be known to all that I, Mrs. Renuka Misra wife of Shri Anuj Misra Resident of T-14, Flat No. 303, Valley View Estate, Gwal Pahadi, Faridabad Road, Gurgaon-122003 purchaser of DDA SFS Flat No. 459, Category-III, B-2 Type, Pocket-C and Car Garage No. 109-C, situated at Sheikh Sarai, Phase-1, New Delhi-110017 has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold into free hold in DDA. The original Allotment-cum-Demand Lettar of said flat issued by DDA has been misplaced / lost. Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write / contact with above named person at above address / phone No. : 9811692850 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director(LAB) H or Director (H)-1, D-Block, 3rd floor, Vakas Sadan, INA, New Delhi.

Lost and found

I, Rakesh kumar tripathi R/o-802, santosh apartment, plot no.39- B, sector-6, dwarka, new delhi am the member of hamdam cghs, dwarka having membership no 345. I have lost my original share cirtificate and receipt of 110 rs. Complaint has been lodged in delhi police website. This is for general information.

Lost and found

I, Beer Vikram Singh R/o 3/1, IIIrd Floor, 3-Block Old Rajinder Nagar, Delhi -60. I am the member of hamdam CGHS dwarka having membership no. 349. I have lost my original share certificate and receipt of 110rs. Complaint has been lodged in delhi police website. This is for general information.

सार्वजनिक सूचना

सूचना दिया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] श्री [illegible] [illegible] नं. 442 [illegible] शाहदरा दुरी-1, दिल्ली- [illegible] की स्थायी निवासी है, उन्होंने अपनी पुत्र [illegible] के जायदाद सभी तरह के सम्बन्धों से त्याग कर दिया है। श्रीमति नेहा को उनकी दुर्व्यवहार के लिए उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है और उनसे जायदाद सभी तरह के सम्बन्धों से अपने आप को अलग कर लिया है। भविष्य में मेरी मुवक्किल किसी [illegible] तरह की तरह की लेन देन या कार्य की लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।

विनोद चौधरी (अधिवक्ता)
चैम्बर 600, पटियाला कोर्ट, दिल्ली-110003

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान सतीश कुमार पुत्र छोटे लाल एवं उनकी पत्नी रजनीश देवी निवासीगण-सी.-3/58, नजदीक मयूर विहार-III, नई कौण्डली, पूर्वी दिल्ली-110096 ने अपनी पुत्री सिमरन को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबन्ध विच्छेद कर लिये हैं, भविष्य में उसके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किलान जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
ब्रजेश (अधिवक्ता)
En. No. D/217/12

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान श्री कुलदीप राज पुत्र श्री बिहारी लाल एवं उनकी पत्नी वीना सैनी पता मं.नं.-631, गली नं.9, फेस-5, शिवविहार, करावल नगर, दिल्ली ने अपने पुत्र दीपक सैनी व उसकी पत्नी कोमल के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करके उनके अपने सभी पारिवारिक सामाजिक संबंध विच्छेद कर लिए है भविष्य में उनके किसी भी क्रियाकलाप के लिए मेरे मुवक्किलान व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होगे।

नन्द किशोर एडवोकेट
चैम्बर नं0-407, जी ब्लॉक, कड़कड़डूमा
जिला न्यायालय, दिल्ली

PUBLIC NOTICE

This is to inform public at large that my client Mr. Neeraj s/o Late Mr. [illegible] R/o H. No. 667, Gali No. 11, Block C, Part -1, Sunnimar Colony, Jhandewalan, Delhi-54 & his family members have severed all relations with his son Mr. Jai Prakash & his wife Priti as they have gone out of control & have been disobedient. They have been disowned & debarred by my client from all his properties (immovable & movable) & another also debarred him from conducting his business also beware among. Any person dealing with them shall be doing at his own risk & consequences. My client & his family members shall not be liable/responsible in any manner for the acts, deeds & omission of Mr. Jai Prakash & his wife Priti.

Brijesh Kumar (Advocate)
Ch. No. 104, Block-B, Delhi High Court, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to public at large that my client Musavvir Ali S/O Chunni Ali R/O Z-3 B, DDA Flat, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, S.O. Central Delhi, Delhi-110008 have disowned Dilnawaz Ali S/O Musavvir Ali R/O Z-3 B, DDA Flat, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, S.O. Central Delhi, Delhi-110008 from my all movable and immovable properties and severed all relations with him. Any person dealing with him shall be at his/her own risk and responsibility and my client shall not be responsible for any of his/her act or deed.

Sd/-
RAHUL MAURYA (Advocate)
Ch. No. 222, Civil Side,
Tis Hazari Courts Delhi - 54

PUBLIC NOTICE

This is bring to the public at large that my clients Sh. Dharamvir Singh S/O Sh. Ghordhan and his wife Smt. Jagwanti Devi Both R/O VPO Dichoun Kalan Opp. Govt. Sec. Secondary School Main Road Dichoun Kalan Najafgarh New Delhi 110043, severs their all relations from their Son, Sh. Sunil Kumar and his wife Ms. Pooja both R/O HNo. 377 VPO Dichoun Kalan Najafgarh New Delhi and herein after my clients have no relation with them and if any one has any relation/ dealing with them, he/she himself/ herself is responsible for his act and my clients have nothing to do with it. My Clients have disowned his son, Sh. Sunil Kumar and his wife Ms. Pooja from his all Movable or immovable properties and my client's son and his wife have no relation/ right on movable or immovable properties of my clients from today i.e. 27th June, 2019.

Sd/-
RAKESH K. LAKRA
Advocate
Ch. No. 703, Dwarka Court New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Ram Niwas Jindal S/o Sh. Ram Karan Dass Jindal R/o 2387, Alipur Road, Narela, Delhi -110040 have severed all kinds of relations with his daughter Preeti Jain and his son-in-law Sh. Pankaj Jain both R/o B-76, New Gupta Colony, Delhi and disowned them from his all kinds of movable and immovable assets. It is further made clear that my client will not be responsible for any kind of dealings, act or conduct of his daughter Preeti Jain and his son-in-law Sh. Pankaj Jain.

Vishwanath Kumar-Advocate
Ch. No.718, Lawyer's Chamber Block
Rohini Court, Delhi -110085

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client **Smt. Suresh** W/o Sh. Nand Lal R/o 154, Mohammad Pur Village, South West Delhi-110066 hereby severed all her relations from her daughter namely **Jyoti** D/o Late Nand Lal due to her disobeying misbehavior hereby disowned and debarred her from her all movable and immovable properties forever. Anybody dealing with her shall be doing so at his/her own risk and responsible in future my client will not be responsible for her any act & deeds.

Shiv Dutt Atri (Advocate)
[illegible], Janakpuri, New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

I, Ranjana Kumari Daughter of Ram Kishan Residing at House No 447 Gali No 8 Durga Puri Exnt. Shahdara Delhi declare that name of mine and my father has been wrongly written as Ranjana Kem and Ram Kishan Kem in my B.ED Educational documents. The actual name of mine and my father are Ranjana Kumari and Ram Kishan.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Savita Devi W/o Late Shri Om Prakesh R/o Village Nathupur District Sonipat Haryana-131029 has disowned disiherited & served releation form her son namely Naveen Kumar S/o Late Shri Om Prakash R/o Village Nathupur District Sonipat Haryana-131029 from all moveable and immoveable properties. Anybody who deals with him shall be doing against her will and my client shall not be responsible for any of acts, omissions and commissions by him.

Sd/-
Manisha Baruah (Advocate)
Ch. No. 722, Dwarka Court,
New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **MR. ASHISH JAIN S/O SH. NARESH JAIN & SMT. NEETU JAIN W/O SH. ASHISH JAIN BOTH R/O A-2/41, SECOND FLOOR, SECTOR-3, ROHINI, DELHI-110085,** have been left/debar all relations from their son namely **KARTIK JAIN,** due to his misbehaviour, from their all movable and immovable properties. Any body dealing with him in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

ADV. SURENDER KUMAR
En No-D/152/88

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Shri Ramlal Ahuja & Smt. Rajrani Ahuja** wife of **Shri Ramlal Ahuja** both residents of K-35, Arya Samaj Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have disowned/ debarred their both son namely **1 Kapil Ahuja, his wife Pooja Ahuja and their son namely Khushant Ahuja, 2. Abhishek Ahuja, his wife Gurmeet and their son namely Laksh Ahuja** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Sd/-
Mayur Chhabra & Associates
Advocates
WZ-95, FIRSTFLOOR, SCHOOL ROAD,
UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT

FREE COUNSELLING SESSION

ROHINI: Sat. 29th June 2019, Sun. 30th June 2019, 4 P.M. to 6 P.M.

TILAK NAGAR: Sat. 29th June 2019, Sun. 30th June 2019, 10 A.M. to 12 P.M.

NIRVANA IAS ACADEMY

Personalised Coaching in Small Batches

Weekend Batches Available

www.nirvanaias.com

ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.

TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.

Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005.

Kindly Register yourself for the Counselling Session

10/10 KSG

An Institute For IAS Exam...

FOUNDATION COURSE

NORTH DELHI: HUDSON LANE 9717380832 — 19th AUG

CENTRAL DELHI: RAJENDER NAGAR 9811293743 — 1st JULY

WEEKEND BATCH | DELHI: 22nd JUNE | BENGALURU: 29th JUNE

MAINS TEST SERIES | ESSAY MODULE

SPECIAL FOCUS ON ANSWER WRITING SKILLS DEVELOPMENT

FOUNDATION COURSE AT REGIONAL CENTRES

CENTRES	DATE	CONTACT
BENGALURU	29th JUNE	7619160063
JAIPUR	29th JUNE	8290008441
PATNA	12th JULY	7488988774
INDORE	12th JULY	9893772941
BHOPAL	20th JULY	7509979391

ADVANCE FOUNDATION COURSE — TWO YEARS PROGRAMME (Especially Designed for College Students) — BHOPAL 20th JULY | INDORE 12th JULY

OPTIONAL COURSES: HISTORY | GEOGRAPHY | PUBLIC ADMINISTRATION

ELP (DISTANCE LEARNING PROGRAMME ALSO AVAILABLE)

www.ksgindia.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

भाजपा नेता ने नगर पंचायत के सीएमओ पर किया हमला

सतना (मप्र), 28 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा एक निगम अधिकारी की क्रिकेट के बैट से कथित पिटाई के दो दिन बाद शुक्रवार दोपहर को जिले के रामनगर के नगर पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रामसुशील पटेल पर समर्थकों के साथ पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) और पार्षदों पर जानलेवा हमले का आरोप लगा। गंभीर रूप से घायल सीएमओ और पार्षदों को इलाज के लिए जिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, पटेल ने आरोप लगाया है कि सीएमओ ने कांग्रेस नेता के इशारे पर उनपर हमला किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

सतना के जिला पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि भाजपा नेता रामसुशील पटेल और सीएमओ देवव्रत सोनी, दोनों की चिकित्सा जांच कराई जा रही है और दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं। जांच की जा रही है। जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर रामनगर में शुक्रवार दोपहर को भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने अपने आधा दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ परिषद कार्यालय पहुंचकर सीएमओ और पार्षदों पर लाडी-डंडों से हमला बोल दिया। लहुलहान हालत में सीएमओ का रामगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिये जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सीएमओ की स्थिति को गंभीर बताया है।

तबरेज के विसरा के नमूने प्रयोगशाला भेजे

जमशेदपुर, 28 जून (भाषा)।

झारखंड में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए तबरेज अंसारी के विसरा के नमूने जांच के लिए रांची के फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं ताकि उसके मरने के वास्तविक कारण का पता लग सके। तबरेज की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों के बारे में कोई संकेत नहीं मिले हैं। राज्य के सरायकेला-खरसावां जिले के सिविल सर्जन एएन डे ने बताया कि उसकी मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि सिर्फ फोरेंसिक लैब रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है, जो करीब एक पखवाड़े में मिलने वाली है।

चोरी के संदेह में 17 जून को झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के धतकीडीह गांव में भीड़ ने अंसारी (24) को एक खंभे से बांधकर कथित तौर पर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की थी। इस संबंध में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अंसारी ने गत 21 जून को बेचैनी की शिकायत की थी जिसके बाद उसे सरायकेला जिला अस्पताल ले जाया गया। 22 जून को उसे जमशेदपुर के टाटा अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डे ने आशंका जताई कि हो सकता है अंसारी की मौत अचानक हुई हो। उन्होंने बताया कि जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में यह नजर आ रहा है कि पिटाई की घटना के अगली सुबह शौचालय से लौटने पर उसने एक कैदी से पानी मांगकर पिया था।

विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मंशा पर उठाया सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तथा राज्य में हिंसा की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाते हुए पूछा कि राज्य के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने और चुनाव कराने की दिशा में क्या पहल की जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल की शृंखलाबद्ध भूल के कारण कश्मीर की समस्या पैदा हुई और वर्तमान सरकार कश्मीरियत के भाव के साथ लोगों की भलाई में लगी हुई है।

राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि इस संवेदनशील राज्य में निर्वाचित सरकार का नहीं होना देशहित में नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब राज्य में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण

दलित चेतना का उभार

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

आर्टिकल 15

रेटिंग- ★★★

निर्देशक- अनुभव सिन्हा

कलाकार- आयुष्मान खुराना, ईशा तलवार, कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा

पिछले कई बरसों से भारतीय समाज में दलित चेतना का उभार हो रहा है और इसको रेखांकित करने वाली फिल्में भी बन रही हैं। अनुभव सिन्हा की फिल्म 'आर्टिकल 15' भी इसी कड़ी में है। भारतीय संविधान का 'आर्टिकल 15' ही आम भारतीय को ये कानूनी सुरक्षा देता है कि जाति या जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर सच में क्या भारतीय समाज में ऐसा हो पाता है? अनुभव सिन्हा की फिल्म इसी बात को सामने लाती है।

आयुष्मान खुराना इस फिल्म में अयान रंजन नाम के पुलिस अफसर बने हैं। अयान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के लालगांव में होती है। वो लालगांव पहुंच जाता है और वहां उसके सामने एक मामला आता है। वहां दलित समुदाय की तीन लड़कियां गायब हैं। उनमें दो (शालू और ममता) की लाश मिलती है। पेड़ पर लटकी

हुई। तीसरी गायब लड़की पूजा का कुछ पता नहीं। इनकी हत्या क्यों की गई? क्या हत्या के पहले उनके साथ बलात्कार हुए? किसने किया ये सब?

अयान तहकीकात के आदेश देता है। लेकिन कौन करे ये तहकीकात क्योंकि जाति संबंधी धारणाएं तो पुलिस महकमें में भी मौजूद हैं। दलितों के बीच सामाजिक कार्य करने वाली गौरा (सयाना गुप्ता) अयान को बताती है कि ये लड़कियां एक ठेकेदार के यहां काम करती थीं और अपने लिए अधिक मजदूरी की मांग कर रही थीं। इसी कारण ठेकेदार नाराज हो गया। क्या उस ठेकेदार को कानून अपनी गिरफ्त में लेगा? ये आसान नहीं है क्योंकि पुलिस विभाग के लोग ही दस्तावेज के फेरबदल में लगे हुए हैं। युवा कथाकार गौरव सोलंकी की कहानी पर आधारित यह फिल्म उत्तर प्रदेश के बदायूं कांड और गुजरात के ऊना कांड की याद दिलाती है। हालांकि यह भी कहना पड़ेगा कि फिल्म का पूर्वार्ध ढीला है। फिर निर्देशक ने कुछ गाने भी रख दिए हैं। यह फिल्म आयुष्मान खुराना के बेहतरीन अभिनय के लिए याद की जाएगी। साथ ही मनोज पाहवा का काम भी कमाल का है। मोहम्मद जीशान अयूब ने भी एक दलित एक्टिविस्ट की जो भूमिका निभाई है, वो याद रखी जाएगी।

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd
पंजी. एवं प्रधान कार्यालय: 87, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001
Regd. & Head Office: 87, M.G. Road, Fort, Mumbai- 400 001
CIN No : L66000MH1919GOI000526 , IRDA Reg No : 190
Tel: +91 22 22708263 ; Fax : +91 22 22652811
Email : cs.nia@newindia.co.in ; Website : www.newindia.co.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश के भुगतान के लिए अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए अभिलिखित तिथि 19 जुलाई, 2019 है। आगे विवरणों के लिए www.newindia.co.in, www.nseindia.com, www.bseindia.com देखें।

Notice is hereby given that the 'Record Date' for determining entitlement for payment of Dividend for Financial Year 2018-19 is 19th July , 2019.For further details visit www.newindia.co.in, www.nseindia.com , www.bseindia.com.

तिथि: 28 जून, 2019
स्थान: मुम्बई

हस्ता./-
जयश्री नैयर
कम्पनी सचिव
For The New India Assurance Co. Ltd.

राहुल संग बैठक के बाद घमासान

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 28 जून।

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की वजहों की पड़ताल व कुछ ही महीनों बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ शुक्रवार को कांग्रेसी नेताओं की बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया।

अखबारी बयानबाजी के कारण पार्टी की हो रही किरकिरी को लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के सामने ही दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको पर हमला बोल दिया। चाको ने भी उन पर जवाबी हमला बोला, लेकिन इस तीखी नोंकझोंक के बीच प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने सूबे में कांग्रेस को चाक-चौबंद करने और तमाम मतभेदों को भुलाकर सबको एकजुट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से एक महीने की मोहलत मांगी। यह और बात है कि वहां से बाहर आते ही दिल्ली के नेताओं के बीच तलवारें निकल आईं।

मुझे नहीं मालूम कि किन ब्लॉक अध्यक्षों को हटाया गया : चाको

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के निवास पर करीब 20 मिनट तक चली बैठक से बाहर आने के कुछ ही घंटों बाद प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित ने दिल्ली के सभी 280 ब्लॉक अध्यक्षों की छुट्टी कर दी। इनकी नियुक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के कार्यकाल में हुई थी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे संकेत हैं कि एक-दो दिन में दिल्ली के सभी जिलाध्यक्षों को भी पद से हटाया जा सकता है। दिलचस्प यह है कि दीक्षित ने ब्लॉक अध्यक्षों को पद से हटाते समय दिल्ली के प्रभारी चाको से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। चाको ने इस संबंध में पूछने पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित ने किन ब्लॉक अध्यक्षों को पद से हटाया है।

नेताओं को चुपचाप सुनते रहे कांग्रेस अध्यक्ष

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की वजह बताने पहुंचे दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं से कोई बातचीत नहीं की। वह सभी की बातचीत चुपचाप सुनते रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने पीसी चाको पर अखबारों में बेवजह बयानबाजी करने का आरोप लगाया। चाको ने उनके आरोप का तुरंत खंडन कर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने में असफल साबित हो रही है। पार्टी को भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित ने राहुल गांधी से दिल्ली में पार्टी को एकजुट करने के लिए एक माह का समय मांगा जबकि अग्रवाल ने कहा कि हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

राजेश ने पद से दिया इस्तीफा

प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग की जिसका बाकी सभी नेताओं ने समर्थन किया। हालांकि राहुल ने इस मांग को खारिज कर दिया। बाद में लिलोठिया ने राहुल से इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए अपने पद से इस्तीफे का एलान कर दिया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
समन्वयन (आवास) शाखा
सार्वजनिक सूचना

हाउसिंग स्कीम-2019 के ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार करने के लिए पोर्टल का खुलना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने अपनी हाउसिंग स्कीम-2019 के लिए 25.03.2019 से 10.06.2019 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये थे। इस स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन-पत्र 01.07.2019 (सोमवार) से दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर अपलोड किये जा रहे हैं। आवेदक अपना आवेदन-पत्र जमा करते समय प्रयोग की गई अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं और 01.07.2019 (प्रातः 10.00 बजे) से 05.07.2019 को सायं 6.00 बजे तक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पैन नम्बर एवं वरीयताओं को छोड़कर अन्य विवरण, यदि कोई हो, में परिवर्तन कर सकते हैं।

किसी भी चरण में, जैसी भी परिस्थिति हो, पत्राचार के किसी अन्य माध्यम से विवरणों में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया नवीनतम जानकारी के लिए दि.वि.प्रा. की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in के संपर्क में रहें।

आयुक्त (आवास)

कृपया Google play के दि.वि.प्रा. एप पर अपना फीडबैक प्रदान करें।
"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट dda.org.in देखिए या डायल करें 18001110332"

'समाचार और विचार से मिलकर अखबार पूर्ण होता है'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं यश पब्लिकेशन की साझेदारी में बल्देव भाई शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'सम्पादकीय विमर्श' व 'अखबार और विचार' का विमोचन शुक्रवार को हुआ। यश पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस किताब का लोकार्पण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पवन सिन्हा, डॉ. सच्चिदानंद जोशी और यश पब्लिकेशन के निदेशक राहुल भारद्वाज मौजूद थे। मंच का संचालन डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ ने किया।

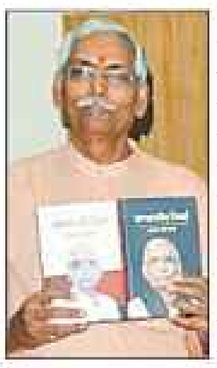

पुस्तक के लेखक व पत्रकार बल्देव भाई शर्मा ने कहा कि आज भले ही कारपोरेट स्तर पर पैसा कमाने के लिए अखबार को उत्पाद मानकर बेचने की योजनाएं बनाई जाती हैं। मेरा कहना है कि समाचार और विचार मिलकर अखबार पूर्ण होता है लेकिन विचार के बिना अखबार आत्माविहीन शरीर की तरह होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि बल्देव भाई शर्मा ने अपनी पुस्तक 'संपादकीय विमर्श' व 'अखबार और विचार' के जरिए बहुत ही अनमोल बातों का ज़िक्र किया है। बस इस पर अमल की जरूरत है।

साईं बाबा का प्रसाद बताकर बुजुर्ग से ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

कनॉट प्लेस में बदमाशों ने साईं बाबा का प्रसाद बताकर एक बुजुर्ग को प्रसाद खाने के लिए दिया, प्रसाद खाते ही बुजुर्ग बेहोश हो गए। आरोपी उनके पैसे, सोने की अंगूठी के अलावा दवाओं की पर्ची भी चुरा ले गए। चार दिन बाद बुजुर्ग को होश आया और मामले की सूचना पुलिस को पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक, हरबंश लाल देवगन (85) अपने परिवार के साथ रोहिणी में रहते हैं और वह नार्दर्न रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता-[एम.शाह.-(एन)]-II का कार्यालय
सी-12, यमुना विहार, दिल्ली-110053
एनआईटी सं. ई.ई.-[एम शाह.(एन)]-II/19-20/04 दिनांक: 28.06.2019

उपायुक्त, पू.दि.न.नि. की ओर से अधिशासी अभियंता एम-II/शाह.(एन) द्वारा नि.न.नि. के पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित किये जाते हैं:

क्र. सं.	मद/कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु.)	समापन अवधि	निविदा मूल्य	लेखा शीर्ष	निविदा संख्या
1. चौड़ा में वार्ड नं. 255/46-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर फतेह सिंह रोड (सी-637) से गौतम विहार चौक (के-322) तक सड़क का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	106850	5 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315027	
2. चौड़ा वार्ड नं. 46-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर एफ-ब्लॉक जय प्रकाश नगर में गली नं. 3 में म.सं. एच-75/13 से म.सं. एच-61/23 (पानी रोड) तक एवं उनके लिंकेज सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	54350	4 माह	500	XL-VIII-S-(v)	315028	
3. भजनपुरा वार्ड नं. 44-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के भजनपुरा मैन मार्केट रोड पर भजनपुरा पम्प हाउस से मेट्रो बैंक तक आरएमसी उपलब्ध कराना एवं बिछाना। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	170000	6 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315029	
4. भजनपुरा वार्ड नं. 44-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर 5वीं पुस्ता पुलिया (शिव मंदिर) से चौधरी अजीत चौक तक सुभाषपुरी रोड का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	154400	6 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315030	
5. वार्ड नं. 44-ई, भजनपुरा शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर गोकलपुर नाला के सामने गली सं. 1 ए-ब्लॉक भजनपुरा से 5वां पुस्ता पुलिया तक सर्विस रोड का, गोकलपुर नाला के सामने गली सं. 11 बी-ब्लॉक भजनपुरा से चौधरी मेहर सिंह हाउस तक सर्विस रोड का तथा गोकलपुर नाला के सामने 5वें पुस्ता पुलिया से चौथा पुस्ता लाल मंदिर तक दोनों तरफ सर्विस रोड का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	127350	6 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315031	
6. वार्ड नं. 46-ई, चौड़ा, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर लक्ष्मीपुरी गली सं. 1 से म.सं. 368 से बी-69 तक सड़क का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	134950	6 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315032	
7. वार्ड नं. 44-ई, भजनपुरा शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर सैनूल बैंक से पम्प हाउस (पानी रोड) तक सड़क का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	74550	4 माह	500	XL-VIII-S-(v)	315033	
8. यमुना विहार शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के वार्ड नं. 45-ई में आरएमसी उपलब्ध कराकर के-ब्लॉक गंगोत्री विहार में डिस्पेंसरी चौक से गली सं. 20 तक रबड़ फैक्टरी रोड का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	133200	6 माह	1000	XL-VIII-S-(v)	315034	
9. वार्ड नं. 46-ई, चौड़ा, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में ब्रिक वार्क उपलब्ध कराकर फतेह सिंह रोड (एल-224) से गौतम विहार चौक तक नाले का निर्माण। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	64500	4 माह	500	XL-VIII-S-(v)	315035	
10. वार्ड नं. 45-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के यमुना विहार में आरएमसी उपलब्ध कराकर बी-4 ब्लॉक में म.सं. बी-4/176 से बी-4/58 तक दोनों तरफ नाले तथा साइड वर्म का सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	60000	4 माह	500	XL-VIII-S-(v)	315036	
11. वार्ड नं. 45-ई, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में ब्रिक वार्क उपलब्ध कराकर राजेश पब्लिक पार्क का बी-5 ब्लॉक यमुना विहार तक सुधार एवं विकास। निविदा राशि: मद दर, वैधता: 6 महीने।						
	67200	4 माह	500	XL-VIII-S-(v)	314952	

निविदा दस्तावेज डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय: 10.07.2019 को 14.00 बजे तक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निम्नलिखित निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://mcdtenders.com पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदायें 12.07.2019 को ई.ई.-[एम शाह.(एन)]-II के कार्यालय में खोली जायेंगी।

आरओ नं.: 12/डीपीआई/पूर्वी/2019-20 ई.ई.-[एम शाह.(एन)]-II
पूर्वी दि. न. निगम नागरिक हेल्पलाईन नंबर - 155303

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)

नियुक्ति सूचना

संकाय पदों हेतु रोलिंग विज्ञापन

विज्ञा. सं.: जेयू/आरओ/19/57 दिनांक: 11.06.2019

भारतीय नागरिकों से स्पष्ट रिक्त पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं एसिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड I तथा एसिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड II के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। कृपया विवरण हेतु देखें: www.iiests.ac.in

कुलसचिव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम)
Union Bank of India (A Government of India Undertaking)
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

सार्वजनिक सूचना

हमारे प्रिय ग्राहकों की जानकारी के लिए
के.वाई.सी अनुपालन

अपने ग्राहक को जानें के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में, बैंक के ऐसे ग्राहक जिनका खाता दिनांक 01.04.2010 के पहले खोला गया था तथा जिन्होंने अभी तक पैन नं और फॉर्म 60 प्रस्तुत नहीं किया है, को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संबंधित शाखा में तुरंत अपना पैन नंबर या फॉर्म 60 प्रस्तुत करें. कृपया नोट करें कि दिनांक 15 जुलाई, 2019 तक पैन नंबर या फॉर्म 60 की प्रस्तुति न करने एवं आगे की आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने तक डेबिट खाते को फ्रीज कर दी जाएगी.

कृपया निम्नलिखित सूचना/आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की जानकारी दें:
- खाता धारक की नवीनतम तस्वीर (पासपोर्ट साइज)
- पहचान प्रमाण एवं मोबाइल नंबर
- नए आवासीय पते का प्रमाण

हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा ताकि हम आपको एक बेहतर सेवा प्रदान कर सकें.

प्रमुख
शाखा बैंकिंग परिचालन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

"अपने बच्चों की सुरक्षा" हेतु
आओ हाथ मिलाएं

अभिभावक! यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे की स्कूल वैन ओवरलोडेड तो नहीं है।

ड्राइवर हेतु दिशानिर्देश
- स्कूल कैब की ढोने की क्षमता उसमें बैठने की क्षमता की 1½ (डेढ़) गुना तक सीमित होनी चाहिए
- वाहन में अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक स्पीड गवर्नर, प्राथमिक उपचार पेटी और अग्निशामक लगा होना चाहिए
- स्कूल वाहन में एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें छात्रों के नाम और उनके आवश्यक विवरण अंकित हों

माता-पिता हेतु दिशानिर्देश
- ड्राइवर या परिचालक के व्यवहार के बारे में जानने हेतु अक्सर अपने बच्चे से बात करें
- अपने बच्चे से पूछें, क्या ड्राइवर वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है या वाहन को तेज गति से चलाता है
- जाँच लें कि वाहन चालक नेमप्लेट और पी.एस.वी. बैज के साथ वर्दी पहने हुए हो

DP/3118/19

सी.पी., दिल्ली को cp.anoopsapranikar@dhipolice.gov.in पर ई-मेल करें।
सी.पी., दिल्ली को पो.आ.बॉक्स नं. 171, जी.पी.ओ., नई दिल्ली पर अपनी शिकायत या कोई गोपनीय सूचना लिखें।
तत्काल पुलिस सहायता हेतु 100 नम्बर पर कॉल करें | जानकारी साझा करने हेतु 1090 नम्बर पर कॉल करें

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	41.5 डि.से.	41.5 डि.से.	41.8 डि.से.	42.8 डि.से.
न्यूनतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.3 डि.से.	27.5 डि.से.

संपत्ति विवाद में रिश्तेदार ने मारी गोली

भाजपा महिला कार्यकर्ता और उनका बेटा घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

कंझावला थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक स्थानीय महिला कार्यकर्ता और उसके बेटे पर हमलावरों ने ताबड़तोड कई राउंड गोलियां चलाईं। घटना की सूचना पुलिस को 5 बजकर 11 मिनट मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि गोली लगने से भाजपा महिला मोर्चा, बाहरी जिले की सदस्य राज रानी (60) और उसके बेटे नेत्रपाल (35) को सरोज अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत स्थिर है, जबकि बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। राज रानी को पैर में गोली लगी है, जबकि उसके बेटे को पेट और हाथ में गोली लगी। नेत्रपाल का आइसीयू में इलाज चल रहा है। फिलहाल कंझावला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एस डी मिश्रा ने कहा कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद है। मां-बेटे को हरियाणा में रहने वाले उनके ही एक रिश्तेदार ने गोली मारी।

घायल महिला

पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस से संपर्क किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, राज रानी अपने परिवार के साथ कंझावला में रहती हैं। उनका बेटा नेत्रपाल भी उनकी पार्टी के कार्यक्रमों में सहयोग करता है। उनका कहना है कि उनके पति और परिवार के अन्य लोग घर में सो रहे थे। इसी बीच सुबह करीब पांच बजे एक कार

- बदमाशों ने भाजपा कार्यकर्ता और उनके बेटे पर बरसाईं गोलियां
- कंझावला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

उनके घर के सामने आकर रुकी। मुख्य आरोपी और तीन लोग उनके घर में दाखिल हुए। इस दौरान राज रानी की बहू गाय को चारा देने के लिए पास में ही गईं थी। इसी बीच एक आरोपी ने उनके घर का दरवाजा बंद कर दिया और अन्य आरोपी गोली चलाने लगे। इस दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गईं। राज रानी को एक गोली लगी, जबकि उनके बेटे को तीन गोलियां लगी हैं। उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इसी बीच पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

अर्थला झील पर बने 543 मकान ध्वस्त किए गए

गाजियाबाद, 28 जून (जनसत्ता)।

साहिबाबाद की अर्थला झील में बने 543 मकानों को तोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया हुई और शुक्रवार की तिथि तय की गई। भारी विरोध के बीच अर्थला झील पर बने करीब एक दर्जन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पीएसी, आरएएफ और स्थानीय पुलिस बल भी तैनात किया गया। यह प्रक्रिया पिछले काफी समय से चल रही थी और एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने तैनात किया पीएसी और आरएएफ

कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को एनजीटी को रिपोर्ट देनी है। यह कार्रवाई इससे पहले भी की जा रही थी लेकिन स्थानीय लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल न्यायालय ने भी झील में बने सभी मकानों को अवैध ठहराया है। जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस मामले में लोगों का कड़ा विरोध किया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों को किसी तरह समझाकर उनका विरोध ठंडा किया।

चिराग दिल्ली : प्रेमी पर महिला की चाकू से हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

मालवीय नगर थाना क्षेत्र के चिराग दिल्ली में एक महिला की उसके प्रेमी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। इसी बीच प्रेमी आया और दोनों पक्षों में बातचीत हुई, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से घोंपकर घायल कर दिया। महिला की पहचान पिंकी (24) के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक सन्नी को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि पिंकी अपने पति और चार साल के बच्चे के साथ चिराग दिल्ली में रहती थीं। वह अपना पार्लर चलाती थीं। पति किसी निजी कंपनी में काम करते हैं। पुलिस को सुबह करीब 9:50 बजे सूचना मिली थी कि लड़ाई के दौरान एक महिला को चाकू मार दिया गया है। पुलिस को मौके पर एक महिला खून से लथपथ हालत में और युवक भी घायल हालत में पड़ा मिला। महिला के शरीर पर चाकू से कई बार वार किया गया था। वहीं, युवक की गर्दन पर भी चाकू के वार के निशान मिले। पुलिस टीम दोनों को एम्स

आरोपी ने अपनी गर्दन पर भी चाकू मार खुद को किया घायल

ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि महिला ने चार साल पहले दूसरे जाति के युवक से प्रेम विवाह किया था। इस कारण घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया था। उसके बाद से महिला किराए के मकान में रह रही थी।

पिंकी चिराग दिल्ली की ही रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि उसका पुराना प्रेमी सन्नी पिछले काफी दिनों से फिर से परेशान करने लगा था। पिंकी सन्नी से छुटकारा पाना चाहती थी। पर वह उसे परेशान कर रहा था। सन्नी आंबेडकर नगर का रहने वाला है। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों में पहले काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच आरोपी ने चाकू से पहले महिला पर कई बार वार किए। पुलिस ने वह चाकू जब्त कर लिया है, जिससे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है।

डॉक्टर और मरीज के बीच रिश्तों के लिए आइएमए की पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

जहां मरीजों को समय से समुचित इलाज मिल पाना एक बड़ी चुनौती है, वहीं चिकित्सकों पर बढ़ती हिंसा भी चिंता का सबब बना हुआ है। देश भर में चिकित्सकों पर बढ़ती हिंसा ने डॉक्टर व मरीज के बीच के विश्वास के रिश्ते को भी तार-तार किया है। इन मुसीबतों के हल के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने विश्व चिकित्सक दिवस पर देशव्यापी मुहिम चलाने का फैसला किया है।

आइएमए विश्व चिकित्सक दिवस पर चलाएगी मुहिम

आइएमए के जारी बयान में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सांतनु सेन ने कहा है कि मरीजों के हित में हिंसा के खिलाफ आइएमए अपने 1700 शाखाओं के जरिए देश भर में मुहिम चलाएगी। उन्होंने कहा है कि डॉ बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाले डॉक्टर दिवस के मौके पर हम लोगों से अपील करेंगे कि अस्पतालों में सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है इसलिए हिंसा को नकारें। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में आएएमए के मुख्यालय में की जाएगी।

आइएमए के पूर्व महासचिव व मीडिया संयोजक डॉ नरेंदर सैनी ने कहा है कि चिकित्सकों की मांग है कि केंद्र सरकार अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर तीन स्तरीय सुरक्षा इंतजाम करे, जिसमें लोगों की आवाजाही कम की जाय व अन्य इंतजाम किए जाएं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की जाए। संसाधनों की कमी के कारण ही अस्पतालों में आए दिन टकराव की नौबत आती है। उन्होंने कहा कि तमाम चिकित्सकों व मेडिकल छात्रों ने सुरक्षा इंतजामों के तहत केंद्रीय कानून बनाने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री को भेजा है। मुहिम समाधान होने तक जारी रहेगी। इसके साथ ही रक्तदान शिविर भी लागाया जाएगा, जिसमें मरीजों के लिए डॉक्टर रक्तदान भी करेंगे।

अभ्यास

दिल्ली सरकार की ओर से सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनडीआरएफ के सदस्यों ने भाग लिया।

मतदाताओं ने नकारात्मक विचारों को नकारा : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले दिनों आए लोकसभा चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता ने नकारात्मक विचारों को और झूठे वादे को नकार दिया है। तिवारी ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता एक आशा और विश्वास से हमारी ओर देख रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में रेकॉर्ड सदस्य बनाने हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार करदाताओं से वसूले गए सरकारी खजाने का दोहन अपने लाभ के लिए कर रही है। उक्त बातें मनोज तिवारी ने दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन के कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि दिल्ली में लगभग 57 फीसद मत भाजपा को मिले हैं। दिल्ली विधानसभा में चुनाव में इसे अधिक जनता का प्यार पाना है। प्रत्येक कार्यकर्ता लक्ष्य के साथ काम करे और कमजोर बूथ को मजबूत बनाने का प्रयास करें।

'केजरीवाल व सिसोदिया ने दी केंद्रीय वित्त मंत्री को भ्रामक जानकारी : विजेंद्र गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान उन्हें दिल्ली को केंद्रीय आर्थिक सहायता के बारे में जानबूझकर आधी-अधूरी, भ्रामक और अपुष्ट जानकारी देकर भ्रम की स्थिति पैदा की है। वित्त मंत्री से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली केंद्रीय करों में शेयर मात्र 325 करोड़ रुपए है। जबकि तथ्य यह है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 15,000 करोड़ रुपए देती है। यह राशि उसके बजट का 25 फीसद है। केजरीवाल व सिसोदिया यह छिपा गए कि वर्ष 2018-19 में दिल्ली का बजट 55360 करोड़ रुपए था और इसमें से 8823 करोड़ केंद्र की सहायता का था, जिसमें 6392 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार दिल्ली सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए की पेंशन राशि प्रतिवर्ष का भार वहन करती है। उपरोक्त वित्त सहायता के अतिरिक्त केंद्र सरकार दिल्ली को जीएसटी लागू करने से होने वाले राजस्व घाटे पर 5 साल के लिए 14 फीसद क्षतिपूर्ति दे रही है। वर्ष 2018-19 में यह 3500 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 3000 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर अनेक भ्रांतियां फैलाई थीं।

अब इनर सर्किल में दो दिन गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी

NDMC
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की योजना को दिल्ली यातायात पुलिस की मिली अनुमति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

कनॉट प्लेस के इनर सर्किल को वाहन मुक्त करने की नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की योजना को दिल्ली यातायात पुलिस की अनुमति मिल गई। अब कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में हफ्ते में दो दिन गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। फिलहाल रविवार और सोमवार को सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक इनर सर्किल में गाड़ियों के प्रवेश बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पर यह दो दिनों के ट्रायल के बाद ही पता चल सकेगा कि इसका क्या असर पड़ता है?

दो दिनों के ट्रायल के बाद लिया जाएगा अंतिम फैसला

बताया जा रहा है कि शनिवार को एनडीएमसी ढाई घंटे मॉक ड्रिल करके सड़क सुरक्षा को परखेगी। यह मॉक ड्रिल सुबह 7:30 से 10 बजे तक चलेगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस, एनडीएमसी के इन्फोर्समेंट के कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य उपस्थित रहेंगे। इस बाबत एनडीएमसी ने एक सर्कुलर जारी की है। एनडीएमसी के जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, इनर सर्किल को वाहन मुक्त प्लान को सफल बनाने के लिए एनडीएमसी अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में एनडीएमसी के चेयरमैन, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, नई दिल्ली रेंज के ट्रैफिक डीसीपी, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट व सिविल वार्डन के कर्मचारी मोजदू थे। इस दौरान एनडीएमसी के अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस को अपना पूरा प्लान बताया। बातचीत में रविवार और सोमवार को वाहनों के प्रवेश की समयसीमा पर बातचीत हुई। इसमें यह तय किया गया कि इस प्लान को सफल बनाने के लिए एक दिन पहले यानि शनिवार को ढाई घंटे का मॉक ड्रिल किया जाएगा। ताकि कोई भी समस्या आने पर आगे निपटा जा सके। इस बाबत एनडीएमसी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है।

बाल संस्कार शिविर का समापन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

संपूर्णा के 22 मई से चल रहे 40 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का शुक्रवार को समापन किया गया। इस बाल संस्कार शिविरों के दौरान बच्चों को विभिन्न कलाओं जैसे शिल्पए सिलाई, कढ़ाई, नृत्य नैतिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शिविर में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि आज पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और हमें अपने आस पास के क्षेत्र में सफाई हेतु यथासंभव प्रयास करने चाहिए। बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। रोहिणी के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, संपूर्णा की अध्यक्ष डॉ शोभा विजेंद्र और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष आलोक शर्मा, निगम पार्षद चित्रा अग्रवाल और निगम पार्षद अंजु अमन भी उपस्थित रहे।

आज के कार्यक्रम

समारोह

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में देवऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह, सुबह 11 बजे

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी : जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने पर जीत सिंह की पुस्तक बलिदानों की वेला का लोकार्पण एवं परिचर्चा, शाम चार बजे

खट्टर सरकार का उद्योगों के लिए राहत का एलान

फरीदाबाद, 28 जून (जनसत्ता)।

विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के लघु एवं सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र के 70 फीसद से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में विकसित एमएसएमई इकाइयों को नियमित करने का एलान किया। इसके अलावा कई दूसरी छूट और राहत देने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने यह एलान सेक्टर-12 में अखिल भारतीय विनिर्माण के समन्वय से हरियाणा चैप्टर से आयोजित हरियाणा महाउद्योग संगम-2019 में मुख्य अतिथि के तौर पर किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा औद्योगिक सर्वेक्षण 2019 करवाने की घोषणा के साथ कहा कि फरीदाबाद में नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र में 70 फीसद से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में विकसित उद्योगिक इकाइयों को नियमित किया जाएगा।

अब रेलवे अस्पतालों में भी मिलेगा इलाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

देश भर के रेलवे अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराया जा सकेगा। इस बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) व रेलवे के बीच एक करार किया गया है। इसके तहत रेलवे के अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी भी पात्रता के आधार पर इलाज करा सकेंगे।

स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया कि देश के 17 रेलवे जोन में बने कुल 91 रेलवे अस्पतालों में अब से आयुष्मान भारत के तहत अधीकृत व्यक्ति इलाज करा सकेंगे। इसके लिए रेलवे के सभी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ताकि गरीब व्यक्ति कहीं भी रेलवे अस्पताल में इस योजना के तहत इलाज करा सके। इसके लिए दिल्ली के चार बड़े रेलवे स्टेशनों पर

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत
प्रधान मंत्री जन स्वास्थ्य योजना

नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन व आनंद विहार में खास मुहिम चलाई गई। ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। इस योजना के तहत इलाज पाने के पात्र व्यक्ति को पहचानने व उसकी बेहतर अस्पतालों तक पहुंच बनाने के लिए रेलवे भी प्राधिकरण की मदद कर रहा है। रेल मंत्री पियूष गोयल का कहना है कि गरीबों के इलाज के लिए रेलवे इस योजना के तहत काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसी कड़ी में स्टेशनों पर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत रेलवे के ठेके के कर्मचारियों को भी रेलवे अस्पताल में इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि इस पीएम योजना को जनजन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जिनकी पहुंच में इलाज की सेवाएं नहीं हैं।

रेलवे की साझीदारी में ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि इस योजना से प्रभावित रेलकर्मियों ने कहा है कि इसके बारे में जागरुकता बढ़ाने व अधीकृत व्यक्तियों की पहचान के लिए लगातार मुहिम चलाने की दरकार है।

घालमेल

उत्तराखंड की राजनीति भी अजब है। ज्यादातर नेताओं की आस्था किसी एक पार्टी के प्रति नहीं है। राजनीतिक सुविधा के अनुसार नेता अपनी आस्था बदलते रहते हैं। जैसे विजय बहुगुणा ने अपने ममेरे भाई भुवन चंद्र खंडूड़ी के खिलाफ 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। खंडूड़ी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और सतपाल महाराज तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। ममेरे और फुफेरे भाई की आपसी लड़ाई में सतपाल महाराज चुनाव जीत गए थे। देवगौड़ा सरकार में मंत्री भी बन गए थे। इस बार खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और भुवन खंडूड़ी भाजपा सांसद रहते पार्टी के उम्मीदवार अपने चेले तीरथ सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। उलटे मौन साधकर बैठे रहे। जबकि खंडूड़ी की बेटी पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर सीट से भाजपा की विधायक हैं। सतपाल महाराज ने भी जब कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हुए थे तो पत्नी अमृता रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री बनी रहीं। वे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुईं। कांग्रेस से आए हरक सिंह रावत व सुबोध उनियाल भी आज बेशक भाजपा सरकार में मंत्री हैं पर उनका संपर्क मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बजाय विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश से ज्यादा दिखता है। यानी उत्तराखंड की राजनीति में घालमेल ज्यादा है। किसकी आस्था किसके प्रति है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो कल तक छुटभैये कहलाते थे, वे आज विधायक बने बैठे हैं।

बेबाक बोल

भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने पूरे विश्व को अहिंसा का मूल्य दिया था, जिस पर चलने का दावा आज तक हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं करती आ रही हैं। अहिंसा के रास्ते पर वही चल सकता है जो मजबूत है। लेकिन आज झारखंड में मौत की सजा सुनाती भीड़ और विधायक आकाश विजयवर्गीय का कार्यपालिका पर वार करने के लिए उठा बल्ला हमारी सभी संस्थाओं को एक साथ ढहा रहा है। जब व्यवस्था की ही औकात खत्म हो जाती है तो हर कोई एक-दूसरे की औकात पूछने लगता है। लोकतंत्र के ढांचे पर काबिज होती वर्चस्व की हिंसा पर बेबाक बोल।

दुख है कयामत का

मुकेश भारद्वाज

हमें आपने वोट नहीं दिया तो फिर चुनाव के बाद हमारे पास अपने काम को लेकर नहीं आइएगा...जिन्हें मरने वालों पर सवाल करना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाएं...आप जज हैं क्या? आप कौन हैं? आपकी हैसियत क्या है... ?

इन तीन बिंदुओं और ऐसे उदाहरणों का कोई अंत नहीं। हमारा लोकतंत्र उन नेताओं से ये बातें सुनने का आदी हो गया है जो संवैधानिक तौर पर जनता के लिए चुने जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पेट में पर्याप्त खाना नहीं पहुंच रहा है। एक मां के दो बच्चे थोड़ी देर के अंतराल पर बुखार की वजह से मर जाते हैं। जो बाप अपने बच्चे को अपनी खाली जेब के कारण खाना नहीं दे सका निजी एंबुलेंस वाले उससे बच्चे की लाश को ढोने के लिए चार हजार रुपए मांगते हैं। सरकारी एंबुलेंस का नंबर आते पता नहीं कितना समय लगेगा और रिश्वतखोरी वहां भी। कहते हैं कि बच्चों का जनाजा सबसे भारी होता है। लेकिन मां-बाप को उस वजन को ढोना है क्योंकि वो गरीब हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सवाल करते लोगों को नफरत की निगाहों से देखते हुए सीट बेल्ट बांध कर जल्दी से निकल जाते हैं। उनके मन में तो होगा ही कि 34 बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में मेरी जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो अब हमसे कौन सवाल पूछेगा। यूनानी विद्वान ने कहा था कि शांति काल में संतान पिता को दफन करती है लेकिन युद्ध के समय पिता संतान को दफन करता है। आज जब पिता अपने बच्चों का जनाजा उठा रहे हैं तो क्या हम बुनियादी सुविधाओं के मामले में युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं?

गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक गरीबी और जहालत की इन तस्वीरों के बीच एक विधायक जो इसलिए सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे क्योंकि उनके पिता भाजपा के कद्दावर नेता हैं, अपने बल्ले से सरकारी अधिकारी को सरेआम पीटते हैं। इस शर्मनाक हरकत के बाद अपनी शिक्षा-दीक्षा के बारे में शान से कहते हैं-'भाजपा में हमें सिखाया गया है पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन'। ऐसी शानदार शिक्षा वाले पुत्र के पिता पत्रकारों के सवालों पर पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है?

आकाश विजयवर्गीय का अधिकारियों पर चलता बल्ला हमारी सभी संस्थाओं को एक साथ ढहा रहा है। आज के दौर में सत्ता के इस अहंकार को किस तरह से देखा जाए? क्या यह एक नेता पुत्र को विरासत में मिले अहंकार का ही मसला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबके बीच जनता कहां खड़ी है?

आकाश विजयवर्गीय हिंसा और धौंस को जब जायज ठहराते हैं तो इस समस्या को सिर्फ उन तक ही केंद्रित नहीं किया जा सकता है। न ही सिर्फ उन पर अलग से बात करने का कोई फायदा है। सरकारी दस्ते की पिटाई करता आकाश का बल्ला उस बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। सार्वजनिक तौर पर वर्चस्व का विचार कमजोर को ही डंडे से हांकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक पर जूते बरसाते सांसद हों या आकाश, इन वायरल दृश्यों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब किसी को भी राजनीतिक रूप से सही दिखने की जरूरत महसूस नहीं होती है।

आधुनिक भारत में हमारे मूल्यबोध का समय स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। महात्मा गांधी की अगुआई में चले लंबे संघर्ष और आजादी के बाद हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अहिंसा का मूल्य दिया। कमजोर लोग अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। अहिंसा के रास्ते पर वही चल सकता जिसके पास ताकत है, और यह ताकत उसी के पास है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ और बरत सकता है।

अभी तक हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इसी मूल्य को लेकर चलने का दावा करती रही हैं। पुलिस के पास ताकत है तो उसे सहनशील होना चाहिए, सेना ताकतवर है तो उसे कमजोर पर वार नहीं करना है। आज भी हमारी निंदा की जद में सबसे पहले पुलिस का लाठी चलाना ही आता है। हमारे मूल्य कहते हैं कि पुलिस और सेना की ताकत उसमें अंतर्निहित है तो उसे सहनशील होना ही होगा। पुलिस की लाठी और सेना की गोली कमजोर पर चलाने के लिए नहीं कमजोर की रक्षा के लिए है। आज भी अदालत हमारा अंतिम सहारा है जहां से न्याय पाकर कमजोर से कमजोर इंसान कहता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब इन्हीं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर वर्चस्व का खतरा मंडरा रहा है।

आज जिसे भी ताकत मिल रही है वो खुद को सहनशील नहीं ताकतवर दिखाना चाह रहा है। हम सब यह जानते और मानते हैं कि ताकत अगर अनियंत्रित हो जाए तो लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेंगी। आकाश विजयर्गीय का पिटाई के लिए उठा बल्ला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता सब पर सवाल उठा रहा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के काम पर विधायिका का बल्ला चलता है और उनके पिता पत्रकारिता से पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। इन सबके बीच जनता है जिसके राजनीतिकरण का सवाल है। जनता का राजनीतिकरण किन मूल्यों पर हो रहा है। यह अगर झारखंड जैसी घटनाओं की ओर जा रहा है तो कितनी देर तक और किसके बचने की उम्मीद करें। हमने चोर को पकड़ लिया और खुद ही सजा देने बैठ गए। विधायक निगम के दस्ते पर बल्ला चलाते हैं तो कहीं किसी दूर गांव में लोगों की भीड़ फैसला कर लेती है कि वह अपनी तरह से सजा देने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। विधायक अपने स्तर पर हिंसा कर रहा है और जनता अपने स्तर पर।

किसी की जान लेने वाली झारखंड की भीड़ से लेकर हिंसा करता विधायक तक, आज राजनीतिकरण की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल है। हमने जीत लिया, हम बहुमत में हैं और हम ही मूल्य तय करेंगे। दूसरी अति यह कि आप बहुमत में हैं, सत्ता में हैं तो बुखार से मर रहे बच्चों के लिए या भीड़ की हिंसा में मर रहे लोगों के लिए हम क्यों बोलें। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लगातार दूसरी बार कोई एक ही पार्टी शासन में आई है। प्रचंड बहुमत से आए या सामान्य बहुमत से सत्ता तो सत्ता ही होती है। लेकिन हमारा विपक्ष यह इतिहास बनाने में जरूर लगा है कि बिना सत्ता हमें लोक के लिए खड़ा नहीं होना। वहीं सत्ता पक्ष का यह हाल है कि कोई अय्यर या थरूर बोलें तो तमाम भगवा कुनबा कांग्रेस नेतृत्व पर टूट पड़ता है कार्रवाई के लिए। लेकिन विजयवर्गीय को लेकर हर तरफ सन्नाटा है।

वर्चस्व और हिंसा का यह इल्जाम पूरी व्यवस्था पर है। तुम्हारी हैसियत क्या है, से पत्रकारिता के मूल्यों को खत्म मान लिया जा रहा है। हर तरफ से लोग मीडिया से उसकी औकात पूछ रहे हैं। मीडिया से उसकी औकात ऐसे पूछी जा रही है जैसे वह अन्य इकाइयों से अलग मंगल ग्रह पर स्थित कोई संस्था हो, उसका लोकतंत्र के अन्य खंभों से कोई अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है। जब बाजारीकरण समाज और जीवन का मूल्य बन जाएगा तो पत्रकारिता कैसे बची रह सकती है। जब व्यवस्था ढह रही हो तो कोई एक नेता या एक पत्रकार उसे नहीं बचा सकता है। आज जरूरत है राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों को बचाने की। जब व्यवस्था की हैसियत खत्म हो जाती है तो हर कोई एक-दूसरे की हैसियत पूछने लगता है। बिना सामूहिक शोक के हम नवनिर्माण के जोश में नहीं आ सकते। अब नहीं तो कब। आज व्यवस्था वर्चस्व की हिंसा और मुजफ्फरपुर में मरते बच्चों पर चुप रहने का आसान विकल्प तलाश सकती है। लेकिन सनद रहे...

जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज
जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

संवेदनहीन समाज

मुजफ्फरपुर की घटना ने हिलाकर रख दिया है। बहुत ही विचलित हूं। गुस्सा भी है। बात-बात पर डर लगने लगता है। एक कविता लिखी गई है। पता नहीं वह कविता है या मेरी बेचैनी और गुस्सा और कहते डर का एहसास। कैसे रह पा रहे हैं ऐसे संवेदनहीन समाज में बिना अपराध बोध के। ऐसे में आपके लिखे 'गिद्ध-गाथा' ने बहुत राहत दी है। सौ फीसद सहमत हूं। आपके लेख ने आंसू पोंछे हैं। फिलहाल इतना भर।

-दिविक रमेश।

बुनियादी सुविधाएं ठीक हों

अगर भारत सरकार ईमानदारी से कम से कम देश में बुनियादी सुविधाएं ही ठीक तरह से जनता तक पहुंचा सके तो उसे किसी भी वैश्विक मंच पर भारत की झूठी संपन्नता का ढकोसला नहीं करना पड़ेगा। और, न ही समय-समय पर ऐसी घटनाओं के कारण उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में सरकार कम से कम समय पर एंबुलेंस, अस्पताल में डॉक्टर और कुछ जरूरी दवाएं उपलब्ध करवा दे तो हो सकता है भविष्य में ऐसी घटनाओं का सामना जनता और सरकार को न करना पड़े।

-आदित्य शुक्ला, जलालाबाद, शाहजहांपुर

सरकार की खामियां

आवश्यक उपकरण का अभाव डॉक्टरों की नहीं सरकार की खामियां हैं। आज मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जनता को भ्रमित करने के लिए कई बहाने बना रहे हैं, जमीनी हकीकत को कोई नहीं देख रहा है। लोकसभा में मामला पहुंचने के बावजूद कोई सख्त कदम गंभीरतापूर्वक नहीं उठाए गए हैं। सबसे पहली जरूरत यह है कि अस्तपालों की व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए।

-मनकेश्वर कु महाराज भट्ट।

सुधार की दरकार

34 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मेरा आकलन है कि 15 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां बिहार के प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों में न्यूनतम आवश्यकताएं अभाव की भेंट चढ़ी हुई थी, चिकित्सक अपनी मर्जी से केंद्रों पर जाते थे, ऊपर का नियंत्रण धराशायी था, आज अपेक्षाकृत बहुत सुधार हुआ है जबकि अभी भी बहुत कुछ सुधारने की असीम संभावनाएं हैं। विपक्ष जिसका स्वास्थ्य खुद बिगड़ा हुआ है वह इस दुखद घटना में अपनी संवेदनाएं और उपस्थिति से शायद इसलिए मुंह मोड़े है क्योंकि कालकवलित बच्चे उनके वोट पूंजी के अंश नहीं हैं।

-डॉक्टर अशोक कुमार,पटना ।

बिहार के इतिहास पर धब्बा

'गिद्ध गाथा' पढ़ते हुए चंद्रकांत देवताले की रचना 'यमराज की दिशा' याद आई। इसमें कवि मां के बताए यमराज की दिशा केवल दक्षिण न मानकर सभी दिशाओं को यमराज की दिशा मानता है जो आलीशान भवनों में अपनी लाल-लाल आंखों के साथ विराजते हैं। बिहार की दो घटना सुधार गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार और अस्पताल में बिना रुके बच्चों का मरना ऐसी घटना है जो सत्ता के निकम्मेपन को दिखाता है और बिहार के इतिहास में वह धब्बा है जो 'सुशासन बाबू' को 'कुशासन बाबू' और सत्ता लोलुप के रूप में याद करेगा।

-सुशील कुमार शर्मा, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली।

24 साल में नहीं खोजा इलाज

एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम पर पिछले 24 साल में कोई खास शोध नहीं हुआ। यही कारण है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन खोजा नहीं जा सका। बिहार में करीब 12 जिलो में यह बीमारी फैली हुई है। कहने को हम सुरक्षा के मामले में दुनिया की चौथी महाशक्ति हैं और आर्थिक रूप से विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पर आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए।

-भूपेंद्र रंगा, पानीपत

राजपाट

झूठ दर झूठ

राजनीति में गठबंधन करना और तोड़ना कोई नई बात नहीं। इस नाते मायावती ने अगर अखिलेश यादव से अचानक सियासी नाता तोड़ा तो इसमें हैरानी कैसी। बसपा का तो इतिहास ही नए-नए प्रयोगों से भरा है। पहली बार 1993 में सपा से गठबंधन किया था। उसके नतीजे अनुकूल थे और दोनों दलों की देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार भी बन गई थी। लेकिन 1995 में बसपा ने सपा से नाता तोड़ लिया। फिर उसी भाजपा की बाहरी मदद से सरकार भी बना ली, जिसे कांशीराम मनुवादी पार्टी बताते नहीं अघाते थे। इसके बाद दूसरी मनुवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर 1996 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया। कांग्रेस को छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। फिर भाजपा की शरण ले छः-छः महीने की साझा सरकार का नया सियासी प्रयोग कर दिखाया। भाजपा की सत्ता आई तो समर्थन वापस ले लिया। मायावती समझने में चूक कर गई कि भाजपाई उनकी पार्टी को ही दोफाड़ कर देंगे। कल्याण सिंह की सरकार को बचा लेंगे। इस जख्म के बाद मायावती ने डंके की चोट पर कहा कि आइंदा भाजपा से कोई तालमेल नहीं करेगी। हालांकि पांच साल बाद 2002 में फिर भाजपा से हाथ मिला सूबे की मुख्यमंत्री बन बैठी। गठबंधन हरियाणा में इनेलोद और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी किए बसपा ने। इसलिए सियासत का ककहरा जानने वाले किसी को भी सपा से गठबंधन तोड़ने के उनके फैसले पर हैरानी नहीं हुई। हां, मायावती ने अपनी साख को बट्टा जरूर लगाया है। मसलन वे एक के बाद एक गलतबयानी करती गई। पहली तो यही कि सपा से हाथ मिलाना घाटे का सौदा रहा। हकीकत तो यही है कि सपा से तालमेल न होता तो यूपी में बसपा का 2014 वाला हश्र तय था। सपा के साथ आने से मुसलमान वोट गठबंधन के प्रति लामबंद हुए। कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। घाटे में तो अखिलेश रहे। हालांकि, इसकी बड़ी वजह कुनबे की कलह ही मानी जाएगी। मायावती ने एक झूठ और बोला कि अखिलेश मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने के पक्ष में नहीं थे। अखिलेश के भी मायावती की तरह तीन मुसलमान जीते हैं। वैसे माहौल इस बार ऐसा ही था कि गठबंधन अगर एक भी मुसलमान को उम्मीदवार न बनाता तो भी मुसलमानों का पूरा समर्थन मिलता। बिजनौर की मिसाल सामने है। बसपा के हिंदू उम्मीदवार को मुसलमानों का पूरा समर्थन मिला और वे जीत गए। कांग्रेसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जमानत भी न बचा पाए। मेरठ में अगर बसपा ने याकूब कुरेशी की जगह किसी हिंदू को उम्मीदवार बनाया होता तो भाजपा की जीत मुश्किल होती। मायावती को सच बोलना चाहिए कि उम्मीदवार के जीतने की कसौटी के बजाए पार्टी कोष में टिकट के बदले उसके योगदान को उन्होंने पैमाना बनाकर चूक की। बहरहाल अखिलेश ने परिपक्वता दिखाई है। वे एक शब्द भी मायावती के खिलाफ नहीं बोले। अन्यथा तपाक से कह देते कि मायावती ने गठबंधन किसी दबाव में तोड़ा है। सियासी सूझ-बूझ के कारण नहीं। वे कह सकते हैं कि सांप्रदायिक मानी जाने वाली भाजपा से हर बार हाथ बसपा ने मिलाया, सपा ने कभी नहीं। जो भी हो यूपी में गठबंधन के टूटने से सत्तारूढ़ भाजपा की बांछें जरूर खिल उठी हैं। ऊपर से उनकी यह भविष्यवाणी भी खरी साबित हुई है कि बुआ-भतीजे का महामिलावटी गठबंधन चलेगा नहीं।

संकट दीदी का

कटमनी शब्द हैरान कर सकता है। पर दीदी ने अपने नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया है कि वे कट-मनी पार्टी में जमा कराएं। दरअसल कट-मनी वह रकम है जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लेते आ रहे हैं। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम को बर्र के छत्ते में हाथ देना माना जा रहा है। एक तो कट-मनी लेने वाले मुंह फुलाए हैं ऊपर से विपक्ष को मुफ्त में कारगर मुद्दा मिल गया है। तभी तो हंगामा सड़क तक सीमित न रहकर विधानसभा के पटल तक जा पहुंचा है। सड़क पर वंचित लाभार्थी तृणमूल नेताओं से अपना पैसा वापस लेने के लिए चीख-पुकार कर रहे हैं। बीरभूम के पार्टी नेता अपूर्व मुखर्जी को तो दो लाख 28 हजार रुपए की रकम लौटानी पड़ी है। बर्दवान के उज्ज्वल मंडल ने भी लाभार्थियों से कट-मनी लेने की बात कबूल की थी। दबाव बढ़ा तो लिखित में वापसी का आश्वासन देना पड़ा। यहीं कुछ पंचायत सदस्यों में भी जनता के दबाव में यही भरोसा देकर अपना पीछा छुड़ाया है। कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ने तो कट-मनी प्रकरण की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग कर डाली है। बकौल मन्नान इस मुद्दे से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। विपक्ष तो इसके लिए ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही लपेट रहा है। भाजपा के सूबेदार दिलीप घोष हों या कांग्रेस के सोमेन मित्र, हर कोई ममता और उनकी पार्टी पर वार कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी उठ रही है। इसे परोक्ष रूप से हवा तो ममता ने खुद यह कहकर दी कि वे चोरों को पार्टी में नही रखना चाहती। कमीशन खोरी को कतई सहन नहीं करेंगी। किरकिरी होते देख पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी लगे मीडिया पर तोहमत लगाने। फरमाया कि दीदी ने पार्षदों को आम आदमी के हित में काम करने की नसीहत दी थी ताकि सरकारी योजनाओं के लिए आ रही रकम का सही इस्तेमाल हो। मीडिया ने गलत प्रचार कर दिया कि दीदी ने कट-मनी लौटाने की नसीहत दी थी।

जूतों में दाल

कहने को राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ है पर कलह फिर भी नहीं थम रही। थमे भी कैसे? सारी 25 सीटें 2014 की तरह ही इस बार भी लोकसभा चुनाव में हाथ से निकल गई। यानि अपनी सरकार होने का रत्ती भर फायदा नही मिला। उलटे नुकसान ही दिखा कि हार बड़े अंतर से हुई। हार के बाद पार्टी साफ तौर पर दो खेमों में बंट गई। एक खेमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और दूसरा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। लोकसभा की हार के बाद पायलट गुट का मुख्यमंत्री गुट पर हमला तेज होने से पार्टी की किरकिरी हो रही है। पार्टी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे कोई असर नहीं दिखा पा रहे। विधायकों के असंतोष से सरकार की साख पर सवाल अलग उठ रहे हैं। कुछ मंत्री भी अपने कामकाज को लेकर आरोपों के घेरे में हैं। रघु शर्मा हों या उदयलाल आंजना, रमेश मीणा हों या लाल चंद कटारिया। यहां तक कि प्रताप सिंह खाचरियावास की भी अपने विभाग पर पुख्ता पकड़ नहीं दिखती। आपसी फूट का नतीजा है कि विधानसभा के चालू बजट सत्र में अपने विधायक ही सरकार की किरकिरी करने में जुटे हैं।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

जनसत्ता

29 जून, 2019

जापान का साथ

भारत और जापान के रिश्ते यों तो सदियों पुराने हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के संबंधों में जो मजबूती आई है, वह उल्लेखनीय है। भारत के विकास में जापान जिस तरह से आर्थिक और तकनीकी मदद दे रहा है, वह दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला है। जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मसले पर जो बात की है, उससे जी-20 बैठक में इन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को लेकर दबाव बनना तय है। जापानी प्रधानमंत्री ने इस बात से सहमति जताई कि जी-20 की पिछली बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को संबंध में भारत ने जो कहा था, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और समूह बीस के देशों को भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के तहत इस पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत आर्थिक अपराध कर दूसरे देशों में भाग जाने वाले अपराधियों से निपटने में लगा है। समस्या यह है कि ऐसे अपराधियों को वापस लाना इसलिए संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कई देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। जिनके साथ है उनके अपने कानून काफी जटिल हैं और आर्थिक अपराध करने वाले इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में अगर जी-20 समूह के देश इस मामले को गंभीरता को लें तो ऐसे अपराधियों को काबू करना आसान हो सकता है।

भारत के औद्योगिक विकास में जापान आज एक प्रमुख सहयोगी है। बड़ी संख्या में जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। भारत और जापान के कई साझा उद्यम चल रहे हैं। पिछले पांच साल के दौरान दोनों देशों के बीच विकास और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जो समझौते हुए उनमें सबसे बड़ी परियोजना तो बुलेट ट्रेन है। इस परियोजना के लिए जापान ने भारत को उनासी हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। यह ट्रेन अमदाबाद से मुंबई के बीच चलनी है। इसी तरह स्मार्ट सिटी परियोजना में जापान ने भारत को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। वाराणसी में विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्र बनाने और शहर को क्योटो जैसा बनाने के लिए जापान ने भारत को दो सौ करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। भारत का वाहन उद्योग क्षेत्र आज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो जापान की है। जापान की कई कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने तक लगा रखे हैं, ताकि भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरी किया जा सके।

आर्थिक और प्रौद्योगिकी के अलावा जापान और भारत के बीच सुरक्षा, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी काम चल रहे हैं। भारत के 'मेक इन इंडिया' को भी जापान का पूरा समर्थन है। रक्षा और सामरिक मामलों में भी जापान भारत के साथ है। दो साल पहले जब जापानी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे तब नागर विमानन, कारोबार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच पंद्रह समझौते हुए थे। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। भारत आज एशिया का प्रमुख देश है। पिछले पांच साल में भारत और जापान के प्रधानमंत्री बारह से ज्यादा मुलाकात कर चुके हैं। जापान भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को बखूबी समझता है। इसलिए जापानी प्रधानमंत्री तो इस बात को कहते भी हैं कि भारत के साथ मधुर संबंध रखना जापान के हित में है।

जेल में हिंसा

लुधियाना के केंद्रीय कारागार में गुरुवार को जो हुआ, उससे एक बार फिर यही लगता है कि जिन जगहों को कैदियों को रखे जाने के लिहाज से सबसे संवेदनशील और सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां निगरानी से लेकर बाकी सभी स्तरों पर किस तरह की लापरवाही बरती जा सकती है। गौरतलब है कि जेल में दो गुटों के बीच हिंसक टकराव में एक कैदी की मौत के बाद वहां बड़ी संख्या में मौजूद कैदियों के बीच आक्रोश फैल गया और वे अराजकता और हिंसा पर उतर आए। कैदियों ने जेल की कैसी हालत बना दी थी, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने जेल में कुछ पुलिसकर्मियों को बंदी बना लिया, उनके हथियार छीन लिए और पिटाई भी की। इसके बाद पता चलने पर जेल के अधिकारी और जवान अपने साथियों को छुड़वाने पहुंचे और इस दौरान ही कैदियों ने पुलिस पर फायरिंग और पत्थरबाजी शुरू कर दी और दस बैरकों को नुकसान पहुंचाया। सवाल है कि जिन जेलों को उच्च स्तर वाली सुरक्षा प्रणाली से लैस माना जाता है, उसकी चारदीवारी के भीतर इस तरह की अराजकता का माहौल कैसे बन गया! जेल प्रशासन का कैदियों पर जैसे कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया था, इसीलिए कैदियों को उत्पात करने में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई।

विडंबना यह है कि जिन जेलों में साधारण से लेकर खूंखार कैदी तक को रखने की व्यवस्था होती है, वहां इस तरह के हंगामे से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। यही वजह है कि भारी पैमाने पर कैदियों की ओर से की गई हिंसा पर काबू पाने में जेल प्रशासन को करीब चार घंटे लग गए। हालत यह थी कि न केवल नब्बे राउंड गोलियां चलीं, बल्कि कैदियों ने समूची घटना का फेसबुक पर सीधा प्रसारण भी किया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेलगाम कैदियों के सामने जेल की सुरक्षा व्यवस्था किस कदर लाचार थी और स्थिति पर नियंत्रण में अगर थोड़ी देर होती तो आक्रोशित कैदी और क्या कर सकते थे। यह एक सामान्य तथ्य है कि जेल में बंद ज्यादातर कैदी चूंकि आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, इसलिए उनका ऐसा रुख अख्तियार कर लेना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में उन्हें कोई बहाना मिल जाए तो इसके लिए किसकी जवाबदेही बनती है? आखिर जिस कैदी की मौत पर कैदियों के बीच आक्रोश फैला, वह स्थिति क्यों पैदा हुई और क्या उससे बचा नहीं जा सकता था?

जेलों में बंद कैदी सजा काट रहे हों या विचाराधीन हों, उन्हें एक अनुशासन में रखना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सुरक्षा-व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम हों और उसमें कोई ढील नहीं हो। लेकिन जेलों में अव्यवस्था से लेकर ऐसी खबरें आम हैं कि जेलों के भीतर भी कैदियों को मोबाइल रखने या दूसरी कई तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। बिना जेलकर्मियों की मिलीभगत के या फिर घोर लापरवाही के ऐसा होना संभव नहीं होता। लेकिन इस क्रम में जिस तरह की अराजकता फैलती है, उससे सजा की प्रकृत्ति या जेल में रहने के नियम-कायदे एक तरह से बेमानी हो जाते हैं। लुधियाना जेल में अराजकता और हिंसा जैसे हालात पैदा होते हैं तो उसके लिए आखिर किसकी जवाबदेही बनती है? जेलों में सुरक्षा-व्यवस्था का पूरी तरह चौकस रहना केवल कैदियों पर नियंत्रण के लिहाज से नहीं, बल्कि कानून की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। इसमें कोताही से समूची व्यवस्था पर सवाल उठता है।

कल्पमेधा

लगन उलटी दिशा में मनुष्य को नहीं दौड़ा सकती, जिस प्रकार तेज बहती नदी अपने प्रवाह के विरुद्ध नौका नहीं बहा सकती।

– फील्डिंग

राष्ट्रवाद के रास्ते

आलोक पांडेय

राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आज सामान्यजन में प्रचलित है वह छिछले राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करती है। एक राष्ट्र को आगे दिखाने के लिए उसके बरक्स एक और राष्ट्र को रखना होगा, और न केवल रखना होगा अपितु उसे कमजोर भी दिखाना होगा ताकि उनका अपना राष्ट्र मजबूत दिख सके। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद नहीं है।

भारत में हाल में आम चुनाव होकर चुके हैं। जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे पक्ष और विपक्ष की ओर से रखे गए। सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने लाया गया। इस मुद्दे पर काफी बहस भी चली। सब अपने-अपने विवेक से राष्ट्रवाद को परिभाषित करते रहे। लेकिन राष्ट्रवाद असल में है क्या? इसके सही स्वरूप को समझने की जरूरत है। दरअसल, राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है जो पूरे विश्व में आधुनिक चेतना आने के बाद सामने आई। राष्ट्र एक तरह से काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने ही समूह के सदस्यों के सामूहिक विश्वास, इतिहास, आशा-आकांक्षा, कल्पना एवं राजनीतिक समझ जैसी मान्यताओं पर आधारित होता है। इन मान्यताओं को लोग उस समूचे समुदाय के लिए गढ़ते हैं ताकि वे अपनी वही पहचान कायम रख सकें। राष्ट्र निर्माण के इन तत्त्वों पर विचार करें तो राष्ट्र की अवधारणा को आसानी से समझा जा सकता है।

कोई भी राष्ट्र बिना विश्वास के निर्मित नहीं हो सकता। विश्वास एक अमूर्त संकल्पना है। यही अमूर्त विश्वास ही राष्ट्र को बांधे रखने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि लोगों में यह विश्वास बना रहे कि वे एक-दूसरे के साथ हैं। राष्ट्र का एक जरूरी हिस्सा है उसका अतीत। बहुत से समुदाय अपने को एक राष्ट्र के रूप में मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। स्थायी पहचान को प्रदर्शित करने के लिए वे साझी स्मृतियों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और कथा-कहानियों के माध्यम से अपने एक साझे इतिहास-बोध को निर्मित करते हैं। इस प्रकार वे यह बता पाने में सक्षम होते हैं कि उनका एक राष्ट्र के रूप में अटूट व लंबा इतिहास रहा है और उसका ठोस आधार व प्रमाण उनके पास मौजूद है। इस प्रकार वे सभ्यतामूलक नैरंतर्य व विरासत को परिपुष्ट करते हैं। इसी तरह एक अन्य आधार जिस पर राष्ट्र की नींव खड़ी होती है, साझी राजनीतिक पहचान व सामाजिक समझ है कि हमें किस तरह का राज्य चाहिए? हमारे समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैविध्य भरपूर है। ऐसे में क्या हम एकांगी दृष्टिकोण वाली राजनीतिक समझ को लेकर चलें जो संकीर्ण हो या फिर ऐसे समन्वयकारी दृष्टिकोण को लेकर चलें जो सभी के हितों को साथ लेकर चलने वाली हो? चूंकि हमारा समाज वैविध्यपूर्ण है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि किसी के हित को हम न छोड़ते हुए समेकित रूप से आगे बढ़ें।

अगर भारत के उदाहरण से समझें तो हम पाएंगे कि यहां अनेक धर्म, भाषा, जाति, रीति-रिवाज के लोग रहते हैं। एक राष्ट्र के रूप में यदि सबको समेटते हुए आगे बढ़ना है तो सबके हितों का खयाल भी रखना होगा। सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि कोई किसी के क्षेत्र के अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा और भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है। यही कारण है कि लोग इस एक विश्वास पर एक साथ रह रहे हैं। हमने एक राष्ट्र के रूप में, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत कुछ साझे राजनीतिक आदर्शों का निर्माण भी किया है एवं वर्तमान में लोकतंत्र का आदर्श हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने राष्ट्र के इन आधारों को समझा, इन सबको मिला कर जो एक अमूर्त समुदाय के रूप में जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं कि हमारा राष्ट्र ऐसा हो जाए, हम दुनिया के सिरमौर बनें, सच्चे अर्थों में वही राष्ट्रवाद है। सभ्यतामूलक नैरंतर्य, विरासत, विश्वास, आशा-आकांक्षा और राजनीतिक समझ को लेकर राष्ट्र के प्रति साझी व बलवती भावना ही राष्ट्रवाद है।

हम अपने अतीत के आधार पर स्वयं को विश्व गुरु मानते रहे हैं। परंतु वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में स्थितियां ठीक वैसी ही नहीं हैं। हमने गुलामी के लंबे दौर को देखा और उसके कटु अनुभव भी महसूस किए। और इन सबके के बीच धीरे-धीरे हमारी एक साझी विरासत तैयार होती रही। दासता का सबसे बुरा रूप है ग्लानि की दासता, क्योंकि तब लोग अपने में विश्वास खोकर निराशा की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। हमें बार-बार बताया गया है कि एशिया अपने अतीत में जीवित रहता है। एशिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह प्रगति के पथ पर कभी

अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़ रखा है। हमने न केवल इस दोषारोपण को स्वीकार कर लिया, अपितु अब इसमें यकीन भी करने लगे हैं। भारत की प्रवृत्ति भी बहुत हद तक एशिया में रहने के कारण वैसी ही रही। आज भी हम अपने साझे इतिहास, विश्वास व परंपरा को देख सकते हैं, दंभ भर सकते हैं, लेकिन क्या इसी से वर्तमान राष्ट्र की भावना मजबूत होगी? क्या अतीत के गौरवगान से हम फिर से विश्व गुरु का तमगा हासिल कर पाने में सफल होंगे?आज अवधारणा भी बदल गई है, विश्व गुरु नहीं आज सबको विश्वशक्ति होना है। या आवश्यकता है कि समूचे स्तर पर वैसे कार्य किए जाएं कि अपने राष्ट्र को फिर से बेहतर स्थिति में ला सकें। अगर आज भी हम अतीत के गौरव पर वर्तमान को तौल रहे हैं, तो सच मानिए हम अपने आप को पंगु बना रहे हैं। जबकि वास्तव में हमने मजबूत बनना है।

जहां आज पश्चिमी राष्ट्रवाद का बोलबाला है, वहीं इतिहास के कल्पित अर्धसत्य एवं असत्य द्वारा, अन्य नस्लों और संस्कृतियों के बारे में किए गए झूठे प्रचार द्वारा, पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति निरंतर द्वेष के द्वारा और सामान्यतया झूठी घटनाओं के स्मृति समारोह द्वारा लोगों को घृणा तथा हर प्रकार की महत्त्वाकांक्षा का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। इन प्रवृत्तियों को यथासंभव शीघ्रता से भुला देने में ही मानवता की भलाई है। यदि हम भी पश्चिमी राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाएंगे तो हम भी राजनीतिक दबाव के आगे सामाजिक आदर्शों को घुटने टेकते हुए देखेंगे। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आज सामान्यजन में प्रचलित है वह छिछले राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करती है। एक राष्ट्र को आगे दिखाने के लिए उसके बरक्स एक और राष्ट्र को रखना होगा, और न केवल रखना होगा अपितु उसे कमजोर भी दिखाना होगा ताकि उनका अपना राष्ट्र मजबूत दिख सके। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद नहीं है।

पश्चिम के राष्ट्रवादी स्वरूप में अर्थ और राजनीति के मेल के फलस्वरूप अमानवीय बना देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन हमें ऐसे राष्ट्रवाद की भी आवश्यकता नहीं है जो केवल अर्थ के चलते पूरी दुनिया में एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाए और विश्व को अशांत करने में योगदान दे। भारत जिस वजह से विश्व गुरु बना था, आज उसी सिद्धांत को फिर से प्रसारित करने की जरूरत है। भारत के दर्शन में स्वयं अनेक विचारधाराएं हैं। हमने सामंजस्य को सर्वाधिक महत्त्व दिया है और यही हमारी खूबी रही है। समन्वय की नैतिक भावना ही हमें महान बनाती है और हमारे कला, विश्वज्ञान व धर्म का विकास इसी आधार पर हुआ। हमने सभ्यता के शुरुआती दौर में इस बात का खयाल रखा कि लोग एक दूसरे के निकट आएं। हमें ऐसे राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाना है जो पश्चिमी अर्थ व राजनीति के नियमों से संचालित न हो जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, बल्कि उसमें भारतीय दर्शन के तत्व मौजूद होने चाहिए, ताकि हम शांतिपूर्वक भौतिकता व आध्यात्मिकता के साथ संतुलन बना कर मानवीयता के पक्षधर बन कर विश्व में मिसाल कायम कर सकें।

वंचना की मार

सैयद परवेज

दुनिया मेरे आगे

दिल्ली के एक पॉश माने जाने वाले इलाके के चौराहे पर अक्सर मैं कुछ छोटी लड़कियों को देखता हूं, जिनके हाथों में गुलाब के फूल और गुब्बारे होते हैं। वे चौराहे पर लालबत्ती होते ही वहां रुकने वाली कारों और ऑटो में बैठी सवारियों से फूल बेचती हैं। कहती हैं- 'बाबूजी ले लीजिए, केवल दस रुपए का ही है।' मैंने भी एक-दो बार उनसे फूल लिए हैं। अब सोचता हूं कि इन फूलों का करूंगा क्या, इसलिए वैसे ही पैसे दे दूं।' खैर, लोदी रोड में ही शिरडी वाले सांई बाबा का मंदिर है। इस क्षेत्र में कई बड़े संस्थान और कई मंदिर हैं। शिरडी सांई मंदिर के पास जो फूल बेचे जाते हैं, वहां पर भी चमकीले कागज में लपेटा गया एक गुलाब का फूल दस रुपए का नहीं मिलता।

जब कभी मुझे उधर जाना होता है तब यह सब देखता हूं। उन लड़कियों के साथ एक-दो और महिलाएं होती हैं, जो पहनावे से हरियाणवी या राजस्थानी दिखती हैं। उन सभी के कपड़े मैले और फटेहाल होते हैं। वे सभी चौराहे के बीचोंबीच ही गुलाब के फूल को चमकीले कागज में लपेटती रहती हैं। इनके साथ में कुछ पुरुष, छोटे बच्चे भी होते हैं। उनमें से एक शख्स चलने में असमर्थ थे। उनकी कमर धनुष की तरह झुकी हुई थी। ज्यादातर समय वे जमीन पर लेटे रहते हैं। उनके साथ एक औरत, एक शिशु और दो-तीन पांच-सात वर्ष तक के बच्चे दिखते हैं। वे बच्चे और महिला भी चौराहे पर रुकने वाली सवारियों को गुब्बारा बेचते हैं। उनमें से कुछ बच्चे भीख भी मांगते हैं। सोचता हूं कि क्या इनका जीवन बस इतना ही है!

कुछ समय पहले उसी जगह मैंने देखा कि एक तीन-चार वर्ष का बच्चा धूप में ही फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। पास ही छाया में एक अधेड़ उम्र की महिला और कुछ अन्य बच्चे थे। वे सभी गुलाब के फूल को पैक कर रहे थे। मैंने उस बच्चे को धूप में पड़े देख कर कहा- 'यह किसका बच्चा है?' उन सभी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मन नहीं मान रहा था, इसलिए फिर पीछे मुड़ कर देखा। इस बच्चे को यों ही छोड़ कर मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं! मैंने दोबारा उनसे कहा- 'उठाते क्यों नहीं हो बच्चे को।' उनमें से कोई नहीं हिला। इसके बाद मैंने जरा ऊंची आवाज में बच्चे को उठाने के लिए कहा तब उनके बीच से एक व्यक्ति आया और बच्चे को गोद में उठा लिया।

ऊपर से दिखने में यह संवेदनहीनता का मसला लगता है। लेकिन मेरे खयाल से यहां भी मुख्य प्रश्न है वंचित वर्ग की भूख और इस सामाजिक व्यवस्था का ढांचा। दरअसल, वंचित वर्ग भूख के अलावा इस सामाजिक व्यवस्था से भी लड़ता है। चौराहे पर भी यही प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानी 'कफन' में में घीसू और माधव होते हैं। इसमें यही दिखाया गया है कि घीसू और माधव के भीतर भूख की अति ने उनकी संवेदनशीलता को या तो बुरी तरह प्रभावित किया था या फिर अभाव की दुनिया के संघर्ष में उनके भीतर सोचने-समझने की सहजता बाधित हुई थी।

दरअसल, स्वाभिमान या आत्मसम्मान से बड़ी चीज तब भूख हो जाती है, जब व्यक्ति के सामने जीवन और भूख से मौत में से किसी एक को चुनने की मजबूरी पैदा हो जाती है। भूख को मिटाना व्यक्ति की पहली जरूरत बन जाती है। कई बार इस क्रम में हुए अवांछित व्यवहारों को समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सच यह है कि व्यक्ति की इस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है।

'कफन' में मौजूद अभाव की तस्वीर का दौर आज भी दिल्ली जैसे शहरों के चौक-चौराहों पर दिख जाता है तो यह हमारे सोचने का वक्त है कि आजादी के इतने सालों बाद हमने क्या हासिल किया है। जब एक भूखा आदमी माया-मोह के बंधन से मुक्ति पाने की बात कह दे तब यह हमें बड़ा असहज लगता है। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि वह भूख और अभाव के बीच जीता है? यही बात कोई ऐसा व्यक्ति बोले जिसकी आत्मा तृप्त हो और भूख उसके लिए कभी समस्या रही ही नहीं हो, तब हमें यह अहसज क्यों नहीं लगता? घर-परिवार छोड़ कर संन्यास की ओर निकल गया व्यक्ति अगर माया-मोह से मुक्त होने की बात करता है तब भी हमें स्वाभाविक लगता है।

क्या यह हमारी दृष्टि का विरोधाभास नहीं है? फुटपाथ पर फूल बेच कर गुजारा करने वाले परिवार के बच्चे या धूप में लिटा कर रखा गया बच्चा, उनके मैले-कुचैले कपड़े- सब उनके लिए एक स्वाभाविक स्थिति है। वजह साफ है कि वे सभी साधनों से वंचित हैं। उस दो वक्त की रोटी की पहुंच से दूर हैं, जिसे जुटाने में सुबह से शाम हो जाती है। दूसरी ओर, हमारी व्यवस्था देश की कुल कमाई का तीन-चौथाई हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

जिम्मेदार कौन

पिछले दिनों झारखंड में एक अल्पसंख्यक नौजवान को जिस तरह पीट-पीट कर मारा डाला गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा- केंद्र सरकार या झारखंड सरकार या फिर वह भीड़ जो सीधा मौत का फैसला अपने हाथ से किसी के लिए भी लिख देती है? जमशेदपुर से अपने गांव जा रहे इस युवक तबरेज के साथ जो हुआ वह किसी के साथ कहीं भी, कभी भी हो सकता हैं। इस तरह की घटनाओं से तो यही लगता है कि लोगों में कानून का भय खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भीड़ लारा हत्या पर कानून भी बनाया। लेकिन क्या हुआ? तबरेज ने कोई गुनाह किया या नहीं किया, यह तो मामला ही नहीं रहा। अब तो बड़ा सवाल यह है कि उसके साथ जो हुआ, क्या वह सही है? झारखंड पुलिस ने जिस तरह की लाचारी दिखाई और झारखंड के एक मंत्री का जो बयान आया, उससे तो नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं भविष्य में रुकेंगी। हत्यारों की भीड़ उस समय कहां चली जाती है जब समाज में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है? सवाल है आखिर हम सब कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं?

● *दिनेश चौधरी, सुरजापुर, सुपौल*

हिंसा और सवाल

पिछले एक साल में भीड़ लारा की जाने वाली हत्याओं, छेड़खानी, झगड़े-फसाद जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऐसी घटनाओं के वीडियो आए दिन टीवी चैनलों पर या अन्यत्र देखने को मिलते रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के वीडियो बनाता कौन है? क्या ऐसा करने वालों को पता रहता है कि अमुक जगह पर ऐसा होने वाला है। कहीं इस तरह की घटनाएं किसी सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम तो नहीं हैं? माना कि आजकल सब के पास मोबाइल रहता है और व्यक्ति मौकाए-वारदात पर वीडियो ले सकता है। सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या यह व्यक्ति इसी काम के लिए वहां पर खड़ा था कि झगड़ा-फसाद-हत्या हो और वह वीडियो ले। बीच में पड़ने की, मामला सुलटाने की या फिर मोबाइल से ही पुलिस को सूचना देने की उसकी कोई नैतिक जिम्मदारी नहीं बनती? संभव है आक्रोशित-तनावपूर्ण माहौल या फिर किसी और कारण से पुलिस-प्रसाशन तक सूचना न पहुंचा पाना उसकी विवशता रहती हो, मगर मोबाइल से बनाए गए क्लिप को वायरल करना भी कोई समझदारी तो नहीं कहलाएगी। इससे तो देश और समाज का अहित ही होता है और समाज में कटुता और रंजिश का भाव जोर पकड़ता है। ऐसे वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वे लोकप्रिय या प्रभावशाली टीवी चैनल ही क्यों न हों!

● *शिबन कृष्ण रैणा, अलवर*

लापरवाही की इंतहा

यह विडंबना ही है कि कानून के रखवालों को उनके कर्तव्य और दायित्व समय-समय पर याद दिलाने पड़ते हैं। ताजा उदाहरण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है जहां चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या डेढ़ सौ के पार चली गई, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदा रहा। मजबूरन लोगों को विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया। अगर प्रशासन पहले ही चेत जाता तो शायद इतने बच्चे नहीं मरते। न जाने रोजाना ऐसे कितने उदहारण देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश की कानून-व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, सरकारी तंत्र कितना लापरवाह है जिसके चलते आम जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता है। यही हाल अपराधियों का है। पुलिस की लापरवाही से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उनमें कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है। सवाल है कि आखिर कब सरकारें और प्रशासन चेतेंगे?

● *संजू कुमार, हनुमानगढ़, राजस्थान*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अनूठी पहल

केंद्र सरकार देश में एक सराहनीय पहल है कि एक देश, एक राशन कार्ड की योजना शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करेगी। हाल में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस योजना के तहत राशन कार्डों के लिए देश भर में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की जाएगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी उपभोक्ता खासकर प्रवासी लोगों को देश में कहीं भी राशन मिल सके। इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी। इसमें राशन कार्ड का डाटा होगा। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में होकर किसी भी राशन की दुकान पर सबसिडी वाला अनाज ले सकेंगे। इससे काफी बड़े स्तर पर लोगों को फायदा मिलेगा।

● *मेघा सिंघल, आइआइएमटी, ग्रेटर नोएडा*

प्लास्टिक पर प्रतिबंध

भारत में प्लास्टिक उद्योग आज सवा दो लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस उद्योग में पचास लाख से ज्यादा लोग लगे हैं। हाल ही में प्लास्टिक उद्योग की तरफ से बयान आया है कि प्लास्टिक उद्योग को दुगना करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार बड़े। लेकिन इस उद्योग पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक की वस्तुओं के कारण एक साल में किसी भी मनुष्ये के शरीर में प्लास्टिक के हजारों कण चले जाते हैं, लेकिन केवल प्लास्टिक में खाने-पीने से ही नहीं, बल्कि ये प्लास्टिक के कपड़ों, ट्यूब-टायरों, मोबाइल, पेन-पेंसिल आदि के जरिए भी मानव शरीर में जाते हैं जो कैंसर का एक बड़ा कारण बनता है। प्लास्टिक के जलने से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं जिससे उनकी मोत हो जाती है। प्लास्टिक के कचरे से जमीन और हवा भी प्रदूषित हो रही है। दुनिया के चालीस से जायदा देशो में प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत में कुछ ही राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी इन राज्यों में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, क्योकि नियम तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे व्यापारियों, ठेले वालो के चालान काट दिए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक उद्योग के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

● *राघव जैन, जालंधर*

मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

बाराबंकी, 28 जून (भाषा)।

जिले में मोहम्मदपुर खाला थानाक्षेत्र के सूरतगंज कस्बे में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में सीतापुर जिले के दो पेशेवर बदमाश ढेर हो गए।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मुठभेड़ में पुलिस के एक निरीक्षक और एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों अपराधी गुरुवार एक बाइक चोरी करके भागे थे और बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया गया। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला सीतापुर के दो पेशेवर अपराधी जुबेर और लोमस थाना रामनगर में एक बाइक लूट कर भागे हैं।

साहनी ने बताया कि पुलिस ने जब बाइक से जा रहे दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस दल पर गोलीबारी की दी। जवाबी गोलीबारी में दोनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए और जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में निरीक्षक बड्डूपुर सुमित श्रीवास्तव के साथ इसी थाने में तैनात कांस्टेबल शम्सुल हसन को भी गोली लग गई और दोनों पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारे गए दोनों अपराधियों पर तीन-तीन दर्जन से अधिक आपराधिक अभियोग दर्ज थे।

सीबीआइ अधिकारी बन पहुंचे थे छापेमारी करने, 16 गिरफ्तार

संभल, 28 जून (भाषा)।

जिले में असमोली थानाक्षेत्र की डीसीएम चीनी मिल में सीबीआइ के फर्जी अधिकारी बन कर छापेमारी करने पहुंचे 19 लोगों में से 16 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी यमुना प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि 19 लोग फर्जी सीबीआइ अधिकारी बन कर गुरुवार को मिल पहुंचे थे। वे मिल की जांच करने लगे। साथ ही उन्होंने प्रदूषण सहित कई कमियां बताते हुए पंद्रह-बीस लाख रुपए की मांग की। प्रसाद ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

नोटिस-सह-सार्वजनिक सूचना

(कंपनी (निगमित) नियम 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

जी के एक्जीक्यूटिव्स प्राइवेट लिमिटेड

CIN U74999DL1982PTC013362

2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुपालन में कंपनी की संपत्ति अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनी के प्रस्ताव को

www.mca.gov.in

हस्ताक्षर

विनोद अग्रवाल

निदेशक

DIN-02712406

पता: 117 बी.22, 24 गलियां पटपड़गंज, कनकपुर, पूर्वी दिल्ली-110092

सेवा में,

सभी सदस्य, डिबेंचरधारक, लेनदार, निक्षेपागार और प्रतिभूति धारक

कंपनी (निगमित) नियम 2014 के नियम 34 (2) (बी) के अनुसार

विरुपति उद्योग लिमिटेड

CIN: U28113DL2005PLC171487

पंजीकृत कार्यालय: डी 14, दूसरा फ्लोर, सीनियर ब्लॉक, दिल्ली - 110092

ईमेल: tirupati.udyog00@gmail.com

विनोद अग्रवाल

निदेशक

DIN-02712406

पता: 117 बी.22, 24 गलियां पटपड़गंज, कनकपुर, पूर्वी दिल्ली-110092

सेवा में,

सभी सदस्य, डिबेंचरधारक, लेनदार, निक्षेपागार और प्रतिभूति धारक

कंपनी (निगमित) नियम 2014 के नियम 30 के अनुपालन में

विरुपति उद्योग लिमिटेड

CIN: U28113DL2005PLC171487

पंजीकृत कार्यालय: डी 14, दूसरा फ्लोर, सीनियर ब्लॉक, दिल्ली - 110092

ईमेल: tirupati.udyog00@gmail.com

सूचना

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय: डी 14, दूसरा फ्लोर, सीनियर ब्लॉक, दिल्ली - 110092

विरुपति उद्योग लिमिटेड

हस्ता/-

संजीव सिंह

निदेशक

DIN: 08001641

दिनांक: 29.06.2019

स्थान: दिल्ली

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. This is not a prospectus announcement. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated June 13, 2019, filed with the stock exchanges, namely BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**).

TATA SPONGE

TATA

TATA SPONGE IRON LIMITED

Tata Sponge Iron Limited was incorporated on July 31, 1982, as a public limited company, under the provisions of the Companies Act, 1956, registered with the Registrar of Companies, Odisha at Cuttack. For details regarding change in the name of our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 44 of the Letter of Offer.

Registered and Corporate Office: P.O. Joda, District Keonjhar, Odisha - 758 034; **Tel:** +91 67 6727 8122; **Contact Person:** Sanjay Kasture, Chief Risk & Compliance Officer and Company Secretary; **Tel:** +91 67 6727 8178; **E-mail:** investorcell@tatasponge.com; **Website:** www.tatasponge.com; **Corporate Identity Number:** L27102OR1982PLC001091

PROMOTER OF OUR COMPANY: TATA STEEL LIMITED

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF TATA SPONGE IRON LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 3,30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs. 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") NOT EXCEEDING Rs. 1,65,000 LAKHS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF Rs. 500 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF Rs. 490 PER RIGHTS EQUITY SHARE) IN THE RATIO OF 15 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY SEVEN EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON JUNE 25, 2019 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* BEGINNING ON PAGE 234 OF THE LETTER OF OFFER.

ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR RECEIVING REQUEST FOR SPLIT APPLICATION FORMS	ISSUE CLOSES ON
JULY 2, 2019	JULY 9, 2019	JULY 16, 2019

ASBA* — **Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!**

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

PLEASE NOTE THAT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 76 OF THE SEBI ICDR REGULATIONS READ WITH THE PROVISIONS OF THE SEBI CIRCULAR CIR/CFD/DIL/1/2011 DATED APRIL 29, 2011 (THE "2011 ASBA CIRCULAR") AND THE SEBI CIRCULAR SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 DATED DECEMBER 30, 2009 (THE "2009 ASBA CIRCULAR"), ALL APPLICANTS / INVESTORS OTHER THAN RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS COMPLYING WITH THE CONDITIONS MENTIONED THEREIN, MUST MANDATORILY INVEST IN THE ISSUE THROUGH THE ASBA PROCESS, UNLESS OTHERWISE PERMITTED BY REGULATORY AUTHORITIES OR UNDER APPLICABLE LAW. ALL RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS COMPLYING WITH SUCH ELIGIBILITY CONDITIONS HAVE THE OPTION TO APPLY THROUGH THE ASBA PROCESS OR THE NON-ASBA PROCESS. ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HAVE RENOUNCED THEIR RIGHTS ENTITLEMENT IN PART, RENOUNCEES AND ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM ARE NOT ELIGIBLE ASBA INVESTORS AND MUST APPLY FOR RIGHTS EQUITY SHARES ONLY THROUGH THE NON-ASBA PROCESS, IRRESPECTIVE OF THE APPLICATION AMOUNTS / APPLICANT CATEGORY. ASBA INVESTORS SHOULD NOTE THAT THE ASBA PROCESS INVOLVES APPLICATION PROCEDURES THAT MAY BE DIFFERENT FROM THE PROCEDURE APPLICABLE TO NON-ASBA PROCESS. ASBA INVESTORS SHOULD CAREFULLY READ THE PROVISIONS APPLICABLE TO SUCH APPLICATIONS BEFORE MAKING THEIR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS. FOR DETAILS, SEE *"TERMS OF THE ISSUE - PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS"* BEGINNING ON PAGE 240 OF THE LETTER OF OFFER. ALL RETAIL INVESTORS ARE ENCOURAGED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY WHEREVER SUCH FACILITY IS AVAILABLE. ASBA PROCESS IS ONLY AVAILABLE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE AND WHO: 1. HOLD THE EQUITY SHARES IN DEMATERIALISED FORM AS ON THE RECORD DATE AND ARE APPLYING TOWARDS THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS OR ADDITIONAL RIGHTS EQUITY SHARES IN THE ISSUE IN DEMATERIALISED FORM; 2. HAVE NOT RENOUNCED ANY PORTION OF THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS; 3. ARE NOT A RENOUNCEE; 4. ARE APPLYING THROUGH A BANK ACCOUNT MAINTAINED WITH AN SCSB; AND 5. ARE ELIGIBLE UNDER APPLICABLE SECURITIES LAWS TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS ENTITLEMENT AND THE RIGHTS EQUITY SHARES IN THE ISSUE. ALL INVESTORS OTHER THAN RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS COMPLYING WITH THE ABOVE CONDITIONS MUST PARTICIPATE IN THIS ISSUE THROUGH THE ASBA PROCESS ONLY.

SUBJECT TO SCSBS COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/DIL/13/2012 DATED SEPTEMBER 25, 2012 WITHIN THE PERIODS STIPULATED THEREIN, ASBA APPLICATIONS MAY BE SUBMITTED AT ALL DESIGNATED BRANCHES OF THE SCSBS.

Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making applications SCSBs on their own account using ASBA facility, SCSBs should have a separate account in their own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for ASBA applications.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): ASBA Investors may accept the Issue and apply for the Rights Equity Shares either in full or in part, by filing up Part A of the respective Composite Application Form (**"CAF"**) sent by the Registrar, selecting the ASBA payment mechanism in Part A of the CAF. Application in electronic mode will only be available with such SCSBs who provide such facility. ASBA Investors shall submit the CAF to the Designated Branch of the SCSB before the close of the banking hours on or before the Issue Closing Date or such extended time as may be specified by our Board in this regard for authorising such SCSB to block an amount equivalent to the amount payable on the application in their ASBA Account. More than one ASBA Investor may apply using the same ASBA Account, provided that the SCSBs will not accept a total of more than five Applications (including CAFs and plain paper) with respect to any single ASBA account. The Investor applying under the ASBA process agrees to block the entire amount payable on application with the submission of the CAF, by authorizing the SCSB to block an amount, equivalent to the amount payable on Application, in the Investor's ASBA Account. After verifying that sufficient funds are available in the ASBA Account details of which are provided in the CAF, the SCSB shall block an amount equivalent to the Application Money mentioned in the CAF until the Transfer Date. On the Transfer Date, upon receipt of intimation from the Lead Managers and the Registrar, of the receipt of minimum subscription and pursuant to the finalization of the Basis of Allotment as approved by the Designated Stock Exchange, the SCSBs shall transfer such amount as per the Lead Managers, our Company and the Registrar's instruction from the ASBA Account into the allotment account which shall be a separate bank account maintained by our Company, other than the bank account referred to in sub-section (3) of Section 40 of the Companies Act. The balance amount remaining after the finalisation of the Basis of Allotment on the Transfer Date shall be unblocked by the SCSBs on the basis of the instructions issued in this regard by the Registrar, our Company and the Lead Managers to the respective SCSB. The SCSB may reject the application at the time of acceptance of CAF if the ASBA Account, details of which have been provided by the investor in the CAF does not have sufficient funds equivalent to the amount payable on application mentioned in the CAF. Subsequent to the acceptance of the Application by the SCSB, our Company would have a right to reject the Application only on technical grounds as set forth in the Letter of Offer. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in the Abridged Letter of Offer (**"ALOF"**) and also please refer to the section entitled *"Terms of the Issue - Procedure for Application through the ASBA Process"* on page 240 of the Letter of Offer.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES IN THE ISSUE WILL ONLY BE ALLOTTED IN DEMATERIALIZED FORM. ASBA INVESTORS ARE REQUESTED TO NOTE THAT ALLOTMENT TO THEM WILL BE MADE TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA INVESTOR ON THE RECORD DATE.

DISPATCH OF CAF AND ALOF : The dispatch of the CAF along with ALOF has been completed by the Registrar to the Issue, viz. Link Intime India Private Limited through Speed Post on June 28, 2019 to the Eligible Equity Shareholders on the record date (i.e. June 25, 2019) who have provided an Indian address to our Company.

In case of non-ASBA Investors, the CAF together with the cheque or demand draft should be sent to the Bankers to the Issue or the Registrar to the Issue, and all cheques / demand drafts accompanying the CAF should be drawn in favour of **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE-R"** crossed 'A/c Payee only' in case of Resident Investors and should be submitted on or before the Issue Closing Date. Only Resident non-ASBA Investors residing at places other than places where the bank collection centres have been opened by our Company for collecting applications, are requested to send their CAFs together with an account payee cheque drawn on a bank payable at par / at Mumbai, pay order / demand draft for the full application amount, net of bank and postal charges drawn in favour of **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE-R"**, crossed 'A/c Payee only' directly to the Registrar to the Issue by registered post so as to reach them on or before the Issue Closing Date. The envelope should be superscribed **"TATA SPONGE IRON LIMITED– RIGHTS ISSUE"**. Our Company or the Registrar to the Issue will not be responsible for postal delays or loss of applications in transit, if any. The CAF along with the application money must not be sent to our Company or the Lead Managers. If any portion of the CAF is/are detached or separated, such application is liable to be rejected. Applications where separate cheques / demand drafts are not attached for amounts to be paid for Rights Equity Shares are liable to be rejected. Applications accompanied by cash, postal order or stock invest are liable to be rejected. Only non-resident non-ASBA Investors applying from places other than places where the bank collection centres have been opened by our Company for collecting applications, are requested to send their CAFs together with an account payee cheque drawn on a bank payable at par / at Mumbai, pay order / demand draft for the full application amount, net of bank and postal charges drawn in favour of **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE-R"**, crossed 'A/c Payee only' in case of non-resident shareholder applying on non-repatriation basis and in favour of **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE-NR"**, crossed 'A/c Payee only' in case of non-resident shareholder applying on repatriation basis, directly to the Registrar to the Issue by registered post so as to reach them on or before the Issue Closing Date. The envelope should be superscribed **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE"**. Our Company or the Registrar to the Issue will not be responsible for postal delays or loss of applications in transit, if any. The CAF along with the application money must not be sent to our Company or the Lead Managers. For more details on the Non-ASBA process, please refer to the details given in the Abridged Letter of Offer (**"ALOF"**) and also please refer to the section entitled *"Terms of the Issue - Procedure for Application through Non-ASBA Process"* beginning on page 251 of the Letter of Offer.

AVAILABILITY OF DUPLICATE CAF: In case the original CAF is not received, or is misplaced by the Eligible Equity Shareholder, the Registrar will issue a duplicate CAF on the request of the investor who should furnish the registered folio number or DP and Client ID number and his / her full name and Indian address to the Registrar. However, if the Registrar receives any request for issue of duplicate CAF from Eligible Equity Shareholders having return addresses situated in the United States, the Registrar shall duly forward the requests to our Company and shall not be responsible for dispatch of duplicate CAF to such Eligible Equity Shareholders. Please note that the request for duplicate CAF should reach the Registrar at least seven days prior to the Issue Closing Date. Please note that those who are making the application in the duplicate form should not utilize the original CAF for any purpose including renunciation, even if it is received or found, as the case may be, subsequently. If the investor violates such requirements, he / she shall face the risk of rejection of both the Applications. Our Company or the Registrar to the Issue or the Lead Managers will not be responsible for postal delays or loss of duplicate CAF in transit, if any.

APPLICATION ON PLAIN PAPER:

Under Non-ASBA Process

An Eligible Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF may make an application to subscribe to the Issue on plain paper, along with an account payee cheque / demand draft payable at Mumbai, at par net of bank and postal charges and the investor should send the same by registered post directly to the Registrar to the Issue. Applications on plain paper from any address outside India will not be accepted. For details of the mode of payment, see *"Terms of the Issue - Modes of Payment"* beginning on page 259 of the Letter of Offer. The envelope should be superscribed **"TATA SPONGE IRON LIMITED - RIGHTS ISSUE"** and should be postmarked in India. The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depositories, must reach the office of the Registrar before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: 1. Name of our Company, being Tata Sponge Iron Limited; 2. Name and Indian address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders; 3. Registered Folio Number / DP and Client ID No.; 4. Share certificate numbers and distinctive numbers of Equity Shares, if held in physical form; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option preferred - only demat form (including DP ID and Client ID); 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlement; 9. Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any; 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of Rs. 500 per Rights Equity Share; 12. Particulars of cheque / demand draft; 13. Savings or current account number and name and address of the bank where the Eligible Equity Shareholder will be depositing the refund order. In case of Equity Shares held in dematerialized form, the Registrar shall obtain the bank account details from the information available with the Depositories; 14. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to the Issue; 15. If the payment is made by a draft purchased from NRE / FCNR / NRO account, as the case may be, an account debit certificate from the bank issuing the draft confirming that the draft has been issued by debiting the NRE / FCNR / NRO account; 16. Signature of the Applicant (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of our Company / Depositories); and 17. Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the *"Purchaser Representations and Transfer Restrictions by Persons in the United States and by U.S. Persons"* beginning on page 256 of the Letter of Offer and *"Other Purchaser Representations and Transfer Restrictions"* beginning on page 257 of the Letter of Offer.

Under ASBA Process

An Eligible Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF and who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper and the Eligible Equity Shareholders should submit the same with the SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India. The envelope should be superscribed **"TATA SPONGE IRON LIMITED - RIGHTS ISSUE"** and should be postmarked in India. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depositories, must reach the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: 1. Name of our Company, being Tata Sponge Iron Limited; 2. Name and Indian address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders; 3. Registered DP and Client ID No.; 4. Number of Equity Shares held as on Record Date in dematerialised form only; 5. Allotment option – only dematerialised form; 6. Number of Rights Equity Shares entitled to; 7. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlement; 8. Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any; 9. Total number of Rights Equity Shares applied for; 10. Total amount paid at the rate of Rs. 500 per Rights Equity Share; 11. Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 12. In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application from an Indian address, details of the NRE / FCNR / NRO Account such as the account; 13. Except for applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Applicant (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of our Company or the Depositories); and 16. Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the *"Purchaser Representations and Transfer Restrictions by Persons in the United States and by U.S. Persons"* beginning on page 243 of the Letter of Offer and *"Other Purchaser Representations and Transfer Restrictions"* beginning on page 244 of the Letter of Offer.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and Rights Equity Share have not been registered with the United States Securities and Exchange Commission, any state securities commission in the United States or any other United States regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering or the accuracy or adequacy of this advertisement or the Letter of Offer. Any representation to the contrary is a criminal offense in the United States.

Neither our Company, nor any person acting on behalf of our Company, will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company, or any person acting on behalf of our Company, has reason to believe is, in the United States of America when the buy order is made. Envelopes containing a CAF should not be postmarked in the United States of America or otherwise dispatched from the United States of America or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer under the Letter of Offer. Our Company is making the Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Letter of Offer or Abridged Letter of Offer and CAF only to Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Any person who makes an application to acquire rights and / or the Rights Equity Shares and / or acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares offered in this Issue, will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed, by accepting the delivery of this Letter of Offer, that (i) it is not a "U.S. Person" as defined in Regulation S under the Securities Act, (ii) it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States of America when the buy order is made, and (iii) it is authorized to acquire the Rights Entitlement and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

MULTIPLE APPLICATIONS : A separate Application can be made in respect of each scheme of a Mutual Fund registered with SEBI and such Applications shall not be treated as multiple applications. In cases where multiple CAFs are submitted, including cases where an investor submits CAFs along with a plain paper Application or multiple plain paper Applications, such Applications shall be treated as multiple applications and are liable to be rejected.

Last Date for Application: The last date for submission of the duly filled in CAF or a plain paper Application is July 16, 2019, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application together with the amount payable is either (i) not blocked with an SCSB, or (ii) not received by the Bankers to the Issue or the Registrar on or before the close of banking hours on the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under the section *"Terms of the Issue - Basis of Allotment"* on page 266 of the Letter of Offer.

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the option to receive the Rights Equity Shares in physical form was available only for a period of six months from the date of coming into force of the SEBI ICDR Regulations, i.e., until May 10, 2019. Since Allotment in this Issue will occur subsequent to May 10, 2019, the entitlement of Rights Equity Shares to be Allotted to the Applicants who have applied for Allotment of the Rights Equity Shares in physical form will be kept in abeyance in electronic mode by our Company until the Applicants provide details of their demat account particulars to the Registrar.

Our Company, in consultation with the Lead Managers, reserves the right to treat as invalid any CAF which: (i) appears to our Company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States of America; (ii) does not include the relevant certification set out in the CAF headed "Overseas Shareholders" to the effect that the person accepting and / or renouncing the CAF does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States of America, and such person is not a "U.S. Person" as defined in Regulation S under the Securities Act and is complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, among others; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes acceptance of such CAF may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such CAF.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

LISTING: The Equity Shares of our Company are listed on BSE and NSE (together with BSE, the **"Stock Exchanges"**). Our Company has received "in-principle" approvals from BSE and NSE for listing the Rights Equity Shares to be Allotted pursuant to the Issue through their letters each dated June 10, 2019. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of the BSE"* on page 230 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the letter of offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 227 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE : It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The Investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of the NSE"* beginning on page 230 of the Letter of Offer.

BANKERS TO THE ISSUE/ESCROW COLLECTION BANKS : Axis Bank Limited, HDFC Bank Limited and ICICI Bank Limited.

REFUND BANKER : Axis Bank Limited.

PLEASE REFER TO THE REVERSE OF THE CAF FOR THE DETAILS OF THE ESCROW COLLECTION BANKS AND ITS COLLECTION CENTRES.

INVESTORS ARE ADVISED TO REFER THE LETTER OF OFFER AND ALOF, AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE.

AVAILABILITY OF THE LETTER OF OFFER: The Letter of Offer is available on the website of the Lead Managers to the Issue, i.e. www.centrum.co.in, www.axiscapital.co.in and www.sbicaps.com and the websites of the stock exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and on SEBI's website at www.sebi.gov.in and a copy of the same can be downloaded from these websites.

NOTICE TO SHAREHOLDERS : With reference to "Mode of payment for Non-Resident Investors" in the section titled "Terms of the Issue" on pages 260 and 261 of the LOF, please note that cheques / demand drafts should be drawn in favour of **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE–NR"** in case of Non Resident Investors applying on repatriation basis and **"TATA SPONGE IRON LIMITED–RIGHTS ISSUE–R"**, in case of Non-Resident Investors applying on non-repatriation basis. In addition, the second paragraph in the sections titled "The Issue – Fractional Entitlement" and "Terms of the Issue – Fractional Entitlements" on pages 39 and 236 of the LoF, respectively, stands deleted and accordingly the words "and Eligible Equity Shareholders with Zero entitlement" appearing in point number 2. on page 266 of the LOF in the section titled "Terms of the Issue – Basis of Allotment" stands deleted. This should be read in conjunction with the LOF, ALOF and the CAF and to the extent, such documents stand modified.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE			REGISTRAR TO THE ISSUE	CHIEF RISK & COMPLIANCE OFFICER AND COMPANY SECRETARY
CENTRUM **Centrum Capital Limited** Centrum House C.S.T. Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East) Mumbai - 400 098 **Tel:** +91 22 4215 9000; **Fax:** +91 22 4215 9444 **E-mail:** tsl.rights@centrum.co.in **Investor Grievance Email:** igmbd@centrum.co.in **Website:** www.centrum.co.in **Contact Person:** Sugandha Kaushik **SEBI Registration Number:** INM000010445	AXIS CAPITAL **Axis Capital Limited** 1st Floor, Axis House, C 2 Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 025 **Tel:** +91 22 4325 2183; **Fax:** +91 22 4325 3000 **E-mail:** tatasponge.rights@axiscap.in **Investor Grievance E-mail:** complaints@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Contact Person:** Sagar Jatakiya **SEBI Registration Number:** INM000012029	SBI Capital Markets Limited **SBI Capital Markets Limited** 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade, Mumbai 400 005 **Tel:** +91 22 2217 8300; **Fax:** +91 22 2217 8332 **E-mail:** tatasponge.rights@sbicaps.com **Investor grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact person:** Aditya Deshpande/Karan Savardekar **SEBI Registration Number:** INM000003531	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 **Tel:** +91 22 4918 6200; **Fax:** +91 22 4918 6195 **E-mail:** tatasponge.rights@linkintime.co.in **Investor Grievance Email:** tatasponge.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration Number:** INR000004058	**Sanjay Kasture** P.O. Joda, District Keonjhar, Odisha 758 034 **Tel:** +91 67 6727 8178 **E-mail:** skasture@tatasponge.com Investors may contact the Chief Risk & Compliance Officer and Company Secretary at the above mentioned address and / or the Registrar to the Issue at the mentioned address in case of any pre-Issue/post-Issue related matters such as non-receipt of allotment advice/share certificates/ demat credit/refund orders etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar with a copy to the respective SCSBs.

For TATA SPONGE IRON LIMITED
Sd/-
Sanjay Kasture
Chief Risk & Compliance Officer and Company Secretary

Place : Odisha
Date : June 28, 2019

TATA SPONGE IRON LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, a rights issue of its equity shares and has filed the Letter of Offer with SEBI and with Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the websites of the Stock Exchanges where the equity shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the websites of the Lead Managers at www.centrum.co.in; www.axiscapital.co.in and www.sbicaps.com. Investors should read the Letter of Offer carefully, including the section titled "Risk Factors" beginning on page 15 of the Letter of Offer before making any investment decision. The securities offered via the Letter of Offer are not being offered to investors outside of India and recipients of the Letter of Offer should refer to the offering restrictions noted therein.

इतिहास ज्ञान पर मंथन करें गृह मंत्री : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कश्मीर समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि शाह को इतिहास के अपने ज्ञान पर मंथन करना चाहिए।

पार्टी के सांसद व प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यह दावा भी किया कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने और जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 5 और 9 के तहत आरक्षण के प्रावधान में संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया और सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश की।

तिवारी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा-जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन काल बढ़ाने पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने की जगह गृह मंत्री ने बात को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने जानना चाहा कि अगर जम्मू-कश्मीर में सबकुछ ठीक है तो फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि क्यों बढ़ाई जा जा रही है? क्या जम्मू-कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति के लिए भाजपा-पीडीपी गठबंधन और दोनों की सरकार जिम्मेदार नहीं है? तिवारी ने दावा किया-भाजपा नेताओं की यह आदत है कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए वो इतिहास में अपने अलावा दूसरे सभी को दोषी ठहराते हैं। अब तो मनगढ़ंत और तथ्यों से परे घटनाक्रम बताने की कोशिश बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री को इतिहास के अपने ज्ञान पर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने भारत के विभाजन का जिक्र किया और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पूर्वजों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रत्ती भर भी भूमिका नहीं निभाई। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई से खुद को अलग कर लिया था। कांग्रेस नेता ने कहा- सरकार सदन के भीतर और बाहर पिछले 70 साल के घटनाक्रम पर कहीं भी बहस करना चाहे तो हम तैयार हैं।

गृह मंत्री ने लोकसभा में शुक्रवार को कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने पंडित (नेहरू) तब के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इस विषय पर विश्वास में नहीं लिया।

व्यापार मुद्दों पर भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक जल्द

- मोदी-ट्रंप मुलाकात के दौरान बनी सहमति
- द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों के साथ 5जी तकनीक और डेटा संरक्षण को लेकर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई अहम चर्चा

ओसाका , 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े विवादों पर शुक्रवार को अपनी चिंता व्यक्त की और मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की बैठक जल्द आयोजित करने पर सहमति जताई।

ट्रंप ने अभी एक दिन पहले भारत से दलहन, बादाम और अखरोट सहित कुछ अमेरिकी उत्पादों पर हाल में लगाए गए ऊंचे शुल्क वापस लेने की मांग की थी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार एक अहम पहलू है आर यह तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बीते महीनों में बाजार खोलने पर विवाद और प्रशुल्क बढ़ाने के कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराने की आशंका पैदा हो गई है। विदेश सचिव विजय गोखले ने मोदी-ट्रंप के बीच हुई मुलाकात को लेकर बताया कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।

उन्होंने कहा, 'दोनों नेताओं ने व्यापार पर बातचीत की। इस दौरान दोनों ने अपनी-अपनी चिंता जाहिर की और एक-दूसरे के हितों पर बात की। इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री जल्द से जल्द बैठक करेंगे और व्यापार मोर्चे पर चल रहे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।' गोखले ने कहा, 'बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जिक्र किया कि व्यापार की तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) से भारत को अलग किए जाने के बाद ही हमने अमेरिका के खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई की है। अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए।' विदेश सचिव ने कहा कि ट्रंप ने इस विचार का स्वागत किया है।

इस बीच, भारत ने शुक्रवार को कहा कि डेटा नए प्रकार का धन है और इसके लिए विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों में खरीद-फरोख्त और भुगतान का देश का डेटा देश के अंदर ही संग्रहीत करने और डिजिटल व्यापार पर शर्तें लगाने की नीतियों को विरोध किया है। गूगल, मास्टरकार्ड, वीजा और अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत समेत दुनियाभर में डेटा के स्थानीयकरण के खिलाफ लॉबीइंग कर रही है। विदेश सचिव ने कहा कि 'डेटा के मामले में विकासशील देशों की जरूरत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह एक नए प्रकार की संपत्ति है।'

मोदी-ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 5जी प्रौद्योगिकी में सहयोग के मुद्दे पर भी बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जबकि अमेरिका ने 5जी नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर चीन की दूरसंचार प्रौद्योगिकी कंपनी हुवावेई पर खुद पाबंदी लगाने के साथ साथ भारत सहित अन्य देशों पर भी वैसा ही करने का दबाव डाल रहा है। गोखले ने कहा कि जिस रास्ते हिंदुस्तान चलेगा या जो चुनाव वह करेगा निश्चित तौर पर इससे वैश्विक रुख भी तय होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह महत्त्वपूर्ण है कि हम आपस में सहयोग करें।' ऐसे में भारत और अमेरिका को देखना है कि वे एक अरब भारतीय उपयोक्ताओं, स्टार्टअप या डिजाइन के प्रौद्योगिकी विकास में भारत की क्षमता और 5जी प्रौद्योगिकी के विकास में इसकी भूमिका का साझा लाभ कैसे उठा सकते हैं। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विचार का स्वागत किया।

मोदी की मरकेल से मुलाकात, रिश्तों को प्रगाढ़ करने पर जोर

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और कृत्रिम मेधा एवं साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर जापान के इस शहर में बैठक की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'अच्छी दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर जर्मनी की चांसलर मर्केल से मुलाकात की। 'कृत्रिम मेधा, ई-परिवहन, साइबर सुरक्षा, रेलवे के आधुनिकीकरण एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।'

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि चांसलर मर्केल ने चुनावों में हालिया जीत को लेकर मोदी को बधाई दी। जर्मनी 28 देशों के यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। वित्त वर्ष 2016-17 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.76 अरब डॉलर का था। इसमें भारत का निर्यात 7.18 अरब डालर तथा जर्मनी से आयात 11.58 अरब डॉलर का था।

आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा : मोदी

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो न सिर्फ बेगुनाहों की हत्या करता है बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। जापान के ओसाका शहर में ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का किसी भी जरिए से समर्थन बंद करने की जरूरत है। उन्होंने ब्राजील का राष्ट्रपति चुने जाने पर जेयर बोल्सोनारो को बधाई दी और ब्रिक्स परिवार में उनका स्वागत किया।

ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) नेताओं की मुलाकात के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुने जाने पर सिरिल रामफोसा को भी बधाई दी। अपनी टिप्पणी में मोदी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मजबूत बनाने, संरक्षणवाद से लड़ने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'आज, मैं तीन प्रमुख चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। पहली है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और गिरावट। नियम आधारित बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार प्रणाली पर एकपक्षवाद और प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रभाव है।'

मोदी ने कहा कि संसाधनों की कमी, आधारभूत ढांचे में निवेश में लगभग 1.3 खरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की कमी है। दूसरी है, विकास को सतत और समावेशी बनाना। डिजिटलाइजेशन जैसी तेजी से बदलती तकनीकें और जलवायु परिवर्तन मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब यह असमानता घटाए और सशक्तिकरण में योगदान दे।

मोदी-ट्रंप वार्ता : ऊर्जा सुरक्षा व फारस की खाड़ी पर चर्चा

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और फारस की खाड़ी क्षेत्र में शांति को लेकर भारत की चिंताओं को उठाया। जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी-ट्रंप की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। पिछले सप्ताह अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को गिरा दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ईरान उन चार प्रमुख मुद्दों में शामिल है, जिस पर वह ट्रंप से चर्चा करेंगे।

मोदी-ट्रंप की बातचीत के बारे में विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं को बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्थिरता हमें कई मोर्चे पर प्रभावित करती है, न सिर्फ ऊर्जा की जरूरतों के मामले में बल्कि खाड़ी में हमारे समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, 80 लाख भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और आर्थिक हित भी जुड़े हैं।

गोखले के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों के अधिकारी क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हमारी ऊर्जा संबंधी चिंताओं के साथ-साथ क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल ऊर्जा जरूरत में ईरान 11 फीसद की आपूर्ति करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद ईरान से तेल के आयात में कमी की गई है।

गोखले के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी एवं होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत ने क्षेत्र में कुछ नौसैनिक जहाजों की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इस बात की बहुत अधिक सराहना की।

ट्रंप ने उम्मीद जताई कि तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी। उन्होंने तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए खाड़ी देशों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की।

रेलवे की 9000 भर्तियों में आधे पदों पर महिलाएं

पेज 1 का बाकी

तकनीक का परीक्षण पूरा कर, इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के माकूल पाए जाने तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने के लिये छोटे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाए जाएंगे।

कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर

पेज 1 का बाकी

कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने (नेहरू) तब के गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इस विषय पर विश्वास में नहीं लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित पार्टी के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया। शाह ने कहा कि तब 630 रियासतों के साथ संधि हुई थी लेकिन अनुच्छेद 370 कहीं नहीं है। एक रियासत जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू देख रहे थे और स्थिति सबके सामने है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच एक खाई पैदा की गई। क्योंकि पहले से ही भरोसा बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। जहां तक अनुच्छेद 370 है, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की आवाम के मन डर नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार आने के बाद आतंकवादियों से कड़ाई से निबटा गया।

उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी आज देश के विभाजन पर सवाल उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन किसने किया था? आज कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के पास नहीं है, ऐसा किसके कारण हुआ? उन्होंने कहा कि 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का, परमिट प्रथा का और देश में दो प्रधानमंत्री होने की व्यवस्था का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाक प्रेरित आतंकवाद है, उससे लड़ने के लिए सीआरपीएफ की कुछ विशिष्ट मांगें थी जिनमें अत्याधुनिक तकनीक और हथियार शामिल थे और उनकी सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में विपक्ष की आशंकाओं का दूर करते हुए शाह ने कहा कि हमने तो विशिष्ट परिस्थितियों के चलते जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया। उन्होंने कहा कि आज से पहले 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। 132 में से 93 बार कांग्रेस ने इसका उपयोग किया है और अब वो हमें सिखाएंगे कि 356 का उपयोग कैसे करना है?

पिटाई का शिकार अधिकारी आइसीयू में

पेज 1 का बाकी

सड़कों पर प्रजातंत्र की हार का नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'युवा जनप्रतिनिधियों, आप पर दायित्व है सदन में कानून बनाने का, सड़कों पर कानून हाथ में लेने का नहीं। आप अपनी बात दृढ़ता और मुखरता से रखें, लेकिन मर्यादा को लांघ कर नहीं।' कमलनाथ की ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी एक बयान में यह बात कही गई। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं।

बडगाम में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर

पेज 1 का बाकी

स्थल से शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और उसके संगठन का पता लगाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा बलों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में तीन जवान शहीद

पेज 1 का बाकी

करीब जंगल में था, तब नक्सलियों ने सीआरपीएफ के दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में सीआरपीएफ के दो पुलिसकर्मी- सहायक उपनिरीक्षक मधु पाटील और हवलदार ताजू ओटी शहीद हो गए। वहीं सहायक उपनिरीक्षक मदन पाल घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान एक महिला की भी मौत हो गई और एक लड़की घायल हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए अतिरिक्त बल रवाना किया गया। घायलों को भैरमगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब घायल एएसआइ मदन पाल को जगदलपुर रवाना किया जा रहा था तब रास्ते में उनकी भी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों से एक एके-47 राइफल, चार मैग्जिन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक वायरलेस सेट भी लूट लिया।

संयंत्र में काम के दौरान मजूदर की मौत

पेज 1 का बाकी

उत्तर प्रदेश के हरदाई और देवेंद्र शर्मा एटा के रहने वाले हैं। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में काम कर रहे ठेकदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि दिल्ली जल बोर्ड ने एमएस प्रतिभा इंड्रस्ट्रीज को यह काम ठेके पर दिया था। कंपनी को सीमेंट की दीवार खड़ी करने का ठेका दिया गया था। पुलिस ने बताया कि देर रात तक घटनास्थल पर नाले में डूबने वाले दो अन्य मजदूरों की तलाश में बचाव दल के कर्मचारी जुटे रहे। पर मजदूरों को कोई सुराग नहीं मिला। उपायुक्त ने बताया कि घटना के समय सात अन्य मजदूर भी वहां काम कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर नाले के चैंबर में उतर कर जाली का नाप लेने गए थे। घटनास्थल पर मौजूद एक मजदूर ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहां पर काम चल रहा था। गुरुवार को तीन मजदूर नाले में मरम्मत करने के लिए उतरे थे।

सीवर सफाई के दौरान मौतों पर राज्यसभा में चिंता

पेज 1 का बाकी

ने कहा कि वह ऐसे परिवारों के साथ सम्पूर्ण न्याय को लेकर संकल्पबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा द्वारा इस संबंध में लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में 613 लोगों की मौत हुई जिसमें से 438 लोगों के परिवारों को दस लाख रुपए तक का मुआवजा दिलाया गया है।

ट्रंप, आबे के साथ त्रिपक्षीय बैठक

पेज 1 का बाकी

शुरू होने से पहले तीनों नेताओं के बीच यह बातचीत हुई। जापान-अमेरिका-भारत (जय) त्रिपक्षीय समूह के बीच यह दूसरी बैठक है। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि चर्चा का प्रमुख विषय हिंद-प्रशांत रहा, कि कैसे तीनों देश पहुंच, संरचनात्मक विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस नई अवधारणा को बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

मोदी ने बाद में ट्वीट किया, 'आज 'जय' त्रिपक्षीय बैठक फलदायी रही। हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार पर गहन चर्चा की। आभारी हूं कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विचार साझा किए।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया- प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर दूसरी 'जय' त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे तीनों देश एक खुले, स्थिर और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए '5-आइ' फार्मूला

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआइ) का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देते हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में '5-आइ' फार्मूला पेश किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट में कहा, 'एजंडे को आकार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 में डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं कृत्रिम मेधा विषय पर सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का विचार पेश किया। ये पांच 'आइ' सूत्र- समावेश, स्वदेशीकरण, नवाचार, आधारभूत संरचना में निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हैं।'

जेट एअरवेज कर्मचारी समूह व आदि ग्रुप मिलकर लगाएंगे बोली

पेज 1 का बाकी

और वेंडरों, पट्टा देने वालों और कर्मचारियों इत्यादि का 25,000 करोड़ रुपया बकाया है। कर्मचारियों के समूह और आदि ग्रुप ने एक बयान के माध्यम से इस साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक नए सवेरे की शुरुआत है। यह पहली बार होगा जब किसी विमानन कंपनी का हरेक कर्मचारी उसका मालिक होगा और उसका परिचालन भी कर रहा होगा। यह प्रधानतंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के जैसा है।

पुतिन व जिनपिंग से आतंकवाद व जलवायु संकट पर चर्चा

पेज 1 का बाकी

लेने के लिए जापान के ओसाका में हैं। मोदी ने यहां आरआइसी (रूस-भारत-चीन) की अनौपचारिक बैठक के लिए दोनों नेताओं की मेजबानी की।

तीनों देशों ने रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक के बाद साझा बयान में सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी। लंबे समय के बाद तीनों नेता पिछले साल अर्जेंटीना में शिखर बैठक में मिले थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में यहां कहा कि ओसाका में त्रिपक्षीय बैठक बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय का उपयोगी माध्यम है।

दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के लिए हमारे बीच विचारों का आदान-प्रदान महत्त्वपूर्ण है। हमारी (शुक्रवार को) हुई त्रिपक्षीय बैठक बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय का उपयोगी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि चीन में फरवरी में हुई हमारे विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

इसमें आरआइसी के तहत आतंकवाद निरोध, हिंसा एवं खतरे के अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं, बहुपक्षवाद में सुधार, जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर सहयोग शामिल है।

मोदी-ट्रंप की बैठक में नहीं हुई एस-400 मिसाइल सौदे पर चर्चा

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत में रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के भारत के फैसले पर चर्चा नहीं हुई। भारत के मुताबिक दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। एस-400 रूस की सबसे आधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। रूस से 2014 में यह प्रणाली खरीदने वाला चीन सबसे पहला देश था। भारत और रूस ने पिछले साल अक्तूबर में पांच अरब डॉलर के एस-400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे पर हस्ताक्षर किए थे।

जापान-अमेरिका-भारत की त्रिपक्षीय बैठक के तुरंत बाद मोदी ने ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भाजपा के हाल ही में संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मोदी की ट्रंप से यह पहली मुलाकात है। मोदी-ट्रंप की बैठक इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी उत्पादों पर 'अत्यधिक उच्च' शुल्क लगाने के भारत के निर्णय की अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर आलोचना करते रहे हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं की बीच बातचीत में रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

छोटी बचत पर ब्याज दरों में 0.1 फीसद की कमी

पेज 1 का बाकी

ब्याज दर में 0.1 फीसद की कमी की है। बचत जमा खाते पर ब्याज दर चार फीसद वार्षिक ही बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए संशोधित ब्याज दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। 'सरकार के निर्णय के आधार पर लघु बचत योजनाओं के लिए तिमाही आधार पर ब्याज दरें अधिसूचित की जाती है। इस कटौती के बाद अब पीपीएफ व एनएससी पर वार्षिक ब्याज दर 7.9 फीसद होगी जो अभी आठ फीसद है। वहीं 113 महीने की परपक्वता वाले किसान विकास पत्र (केवीपी) पर 7.6 फीसद का ब्याज मिलेगा। अभी यह 112 महीने की परिपक्वता पर 7.7 फीसद है। सुकन्या समृद्धि खाते पर अब 8.4 फीसद ब्याज मिलेगा जो फिलहाल 8.5 फीसद है।

रक्षा, सुरक्षा व व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

पेज 1 का बाकी

के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने चुनाव में जीत को लेकर मोदी को बधाई दी और कहा कि दोनों देश सैन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में साथ काम करेंगे।

ट्रंप ने कहा, 'वह शानदार जीत थी, आप इसके हकदार थे, आपने शानदार काम किया है। हमें बहुत अहम चीजों की घोषणा करनी है। व्यापार के संदर्भ में, विनिर्माण के संदर्भ में, हम 5जी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बधाई देता हूं और बातचीत को लेकर सकारात्मक हूं।' उन्होंने कहा, 'हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमारे देश कभी इतने करीब नहीं रहे हैं। मैं इसे आश्वस्त होकर कहता हूं। हम सैन्य सहित अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। हम आज व्यापार पर चर्चा करेंगे।' ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत समय है। कोई जल्दबाजी नहीं है, वे समय ले सकते हैं। समय को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।'

जापान-अमेरिका-भारत (जय) के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के समाप्त होने के तुरंत बाद मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक की। मोदी-ट्रंप की बैठक इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी उत्पादों पर 'अत्यधिक उच्च' शुल्क लगाने के भारत के निर्णय की अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर आलोचना करते रहे हैं।

संयुक्त सार्वजनिक सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि मै. संचेतना फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (''कम्पनी'') जिसका पंजीकरण संख्या U65910DL1995PTC074281 है, एक नान बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है तथा उसके पास एनबीएफआई का व्यवसाय करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बी-14.00025 तिथि 14 मई, 2009 के माध्यम से पंजीकरण का एक वैध प्रमाणपत्र है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी नान सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट नान-डिपोजिट टैकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 के चैप्टर IX (अर्थात् एप्लिकेबल एनवीएफसीज के अधिग्रहण/नियंत्रण) के निर्देश सं. 59 से 62 के प्रावधान के अनुपालन में कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के परिवर्तन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आवेदन जमा किया था। उक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति सं. डी.एन.बी.एस. (एन.डी.) नं. 5999/सीएमएस-VIII/05.19.432/2018-19 तिथि 21 जून, 2019 के माध्यम से कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के परिवर्तन की स्वीकृति को अपनी मंजूरी दी है।

तदनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद कम्पनी का नियंत्रण तथा प्रबंधन जो वर्तमान में श्री नीरज प्रतीक तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के हाथ में है, श्री विनोद कुमार राई, सुश्री बिन्दु राई, श्री नंद कुमार तुका राम, मै. मा भगवती सैल्स तथा अन्यों के नाम में संयुक्त रूप से निहित हो जायेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया जायेगा तथा कम्पनी के वर्तमान निदेशकों, नाम श्री नीरज प्रतीक त्याग-पत्र देंगे तथा शेष निदेशकों नाम श्री विनोद कुमार राई तथा गौरव कुमार राई कम्पनी के निदेशकों के रूप में बने रहेंगे।

चूंकि, प्रस्तावित नये प्रबंधन के पास बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा दक्षता है तथा कम्पनी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के उक्त परिवर्तन के कारण नये प्रबंधन की अनुभव तथा दक्षता से कम्पनी के व्यावसायिक क्रियाकलापों में उन्नति होगी तथा सभी स्टेकधारकों की मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी होगी।

क्रेडीटर सहित किसी भी व्यक्ति को यदि कम्पनी के नियंत्रण एवं प्रबंधन में इस प्रस्तावित परिवर्तन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 3 नं. 3 टाइप एस-2, सेक. 1, लैंडमार्क सीएसी नं. 05 अवन्तिका, रोहिणी, नई दिल्ली डीएल 110085 भारत में एवं महा प्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षक विभाग (डीएनबीएस), भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली-110001 को लिखें।

यह सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनीज नान सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट नान-डिपॉजिट टैकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2016 के निर्देश सं. 62 के अनुपालन में अंतरक(कों), अंतरिती(तियों) तथा कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से दी जा रही है।

द्वारा संयुक्त रूप से जारी
मै. संचेतना फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
ऊपर वर्णित अंतरकों
ऊपर वर्णित अंतरितियों
तिथि: 29.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में आपका पारिवारिक बैंक

पंजी. एवं प्रधान कार्यालय: पी. बी. नं. 599, महाबीरा सर्किल, कंकानेडी, मंगलुरु-575002
फोन: 0824-2228103 से 107, फैक्स: 0824-2228142; ईमेल: legal.recovery@ktkbank.com,
वेबसाईट: www.karnatakabank.com, CIN:L85110KA1924PLC001128

विधिक एवं वसूली विभाग

मै. न्यू वर्ल्ड एण्टरप्राईजेज
प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्स:
i) श्री मोह. समी
ii) श्री मोह. सल्लाउद्दीन
एच. नं. डी-21/9, गली नं. 5, विजय कॉलोनी,
न्यू उस्मानपुर, दिल्ली-110053

2) श्री मोह. सल्लाउद्दीन
पुत्र स्व. फूल हुसैन,
33ए, ए4 ब्लॉक, गली-9,
चाणक्या प्लेस, पार्ट 1,
उत्तम नगर, दिल्ली-110059

महोदय/महोदया,
नई दिल्ली-अशोक विहार शाखा से रु. 2,00,00,000.00 के लिये पीएस ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 5617000600003101 तिथि 29.05.2017 उपभोग की गई। आप सं. 1) मै न्यू वर्ल्ड एण्टरप्राईजेज, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनरों, आप सं. 2) श्री मोह. समी, आप सं. 3) श्री मोह. सल्लाउद्दीन की खाता को 28.8.2018 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा संबंधित पार्टियों को 23.11.2018 को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) एवं (3) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचना जारी कर सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त मांग सूचना अभिस्वीकृतियों के साथ उपरोक्त पते पर स्पीड डाक से भेजी गई जो अन्डेलिवर्ड वापस लौट आई। अतएव, हमने सरफैसी अधिनियम 2002 में निहित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर इस सूचना के द्वारा मांग सूचना के विषय-वस्तु को प्रकाशित किया है। दिनांक 22.11.2018 को कुल शेष रु. 2,23,03,631.50 के साथ 1.11.2018 से मासिक रूप से मिश्रित 10.80% की दर से आगे का ब्याज देय है। आपको निर्देश दिया जाता है समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसका भुगतान करें।

गिरवी सम्पत्तियों (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण)

1. 'डाबरी एक्स्टेंशन' के नाम से विदित कॉलोनी, सीतापुरी के निकट, नई दिल्ली-110045 के डाबरी गाँव की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 26/19 में आवासीय सम्पत्ति सं. आरजेड-ए-87, माप 200 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।
2. चाणक्य प्लेस के नाम से विदित कॉलोनी, प्लेस-1, ब्लॉक ए-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 की आबादी में ग्राम असालतपुर की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 19/5/1 में आवासीय सम्पत्ति सं. 33ए, माप 128 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

कृपया ध्यान रहे, मैं, प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक का प्राधिकृत अधिकारी यदि आप इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति से पूर्व अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तो उस स्थिति में उपरोक्त प्रतिभूत को प्रवर्त्तित करने के लिये इच्छुक हूँ।

स्थान: मंगलुरु **हस्ता./- मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 28.06.2019 **कर्णाटका बैंक लि.**

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(CIN: L92100DL1994PLC059093)
पंजीकृत कार्यालय: 37वाँ, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ई-मेल: cbnl.delhi@gmail.com,
फोन: 011-23552627, **फैक्स नं.:** 91-11-23524610
31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

भाग-1 (रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण (नीचे टिप्पणी देखें)	समाप्त तिमाही/समाप्त चालू वर्ष (31.03.2019) (अंकेक्षित)	तिथि तक वर्ष/समाप्त पूर्व वर्ष के आँकड़े (31.03.2019) अंकेक्षित	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (31.03.2018) (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	1683.78	5540.74	2121.67
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)*	98.86	192.20	56.12
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)*	98.86	192.20	56.12
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	69.89	139.89	32.87
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	69.89	139.89	32.87
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1002.65	1002.65	1002.65
7.	आरक्षित (पुर्नमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	346.65	346.65	208.92
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)			
1.	मूल	0.70	1.40	0.33
2.	तरल	0.70	1.40	0.33

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन एवं अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट तथा सूचीयन सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. लेखा नीतियों में परिवर्तनों के कारण शुद्ध लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर उसका प्रभाव को फुट नोट के द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।
3. # असाधारण एवं / अथवा विशिष्ट मदों को जो भी लागू हो, इंड-एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार लाभ तथा हानि के विवरणों में समायोजित किया जायेगा।
4. निदेशक मंडल ने रु. 0.02 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./- नाम: तजिन्दर कौर
पदनाम: प्रबंध निदेशक
DIN: 06799570
तिथि: 28.05.2019

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(CIN: L92100DL1994PLC059093)
पंजीकृत कार्यालय: 37वाँ, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ई-मेल: cbnl.delhi@gmail.com, **वेबसाईट:** www.sadhnabroadcast.com
फोन: 011-23552627, **फैक्स नं.:** 91-11-23524610
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्टैंडएलॉन विवरण

(राशि लाखों में)

		चालू वर्ष (31.3.2019) के अंत में	पूर्व वर्ष (31.3.2018) के अंत में
क)	परिसम्पत्तियाँ		
1.	**गैर- चालू परिसम्पत्तियाँ**		
क)	निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	206.31	44.00
ख)	कंसोलिडेशन पर गुडविल*	-	
ग)	गैर- चालू निवेश	-	
घ)	अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)	-	
ड.)	दीर्घ कालिक ऋण तथा अग्रिम	-	
च)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	294.57	121.25
छ)	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	88.10	11.10
	उप-योग- गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	**588.98**	**176.35**
2.	**चालू परिसम्पत्तियाँ**		
क)	चालू निवेश	85.00	85.00
ख)	इन्वेन्टरीज	69.16	64.70
ग)	ट्रेड रिसीवैबल्स	1991.91	1335.35
घ)	नगद एवं नगद के समकक्ष	11.51	105.37
ड.)	संक्षिप्त कालिक ऋण तथा अग्रिम	1130.96	755.56
च)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	-	98.51
छ)	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		312.47
	उप-योग- चालू परिसम्पत्तियाँ	**3384.50**	**2756.96**
	कुल परिसम्पत्तियाँ	**3973.48**	**2933.31**
ख)	इक्विटी एवं देयताएँ		
1.	शेयरधाराकों की निधि		
क)	शेयर पूंजी	1002.65	1002.65
ख)	आरक्षित एवं अधिशेष	346.39	208.92
ग)	शेयर वारन्ट्स के लिए प्राप्त धन	-	-
	उप-योग- शेयर धारकों की निधि	**1349.04**	**1211.57**
2.	**आवंटन लम्बित रहने की स्थिति में शेयर अनुप्रयोग राशि**	-	
3.	**माइनारिटी इन्टरेस्ट***	-	-
4.	**गैर-चालू देयताएँ**		
क)	दीर्घ कालिक उधार	-	-
ख)	आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	4.89	4.50
ग)	अन्य दीर्घ-कालिक देयताएँ	-	-
घ)	दीर्घ-कालिक प्रोवीजन्स	-	-
	उप-योग- गैर-चालू देयताएं	**4.89**	**4.50**
5.	**चालू देयताएं**		
क)	संक्षिप्त-कालिक उधार	610.61	405.64
ख)	ट्रेड पेयेबल्स	1818.07	1179.70
ग)	अन्य चालू देयताएँ	188.14	101.74
घ)	संक्षिप्त कालिक प्रॉवीजन्स	-	-
ड.)	अन्य वित्तीय देयताऐं	2.30	25.06
च)	चालू कर देयता	0.42	5.10
	उप-योग- चालू देयताएं	**2619.55**	**1717.24**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं	**3973.48**	**2933.31**

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नाम: तजिन्दर कौर
पदनाम: निदेशक
DIN: 86799570
तिथि: 28.05.2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर दिल्ली
(पार्श्व-पैसर) 6/1, बहुत कॉमर्स सेंट, कमु ई ए कनॉट का, नई दिल्ली-110000 फोन: 40045717, 40045742,
ई-मेल: rrl 7820@obc.co.in

सूचि-पत्र

दिनांक 20.06.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति फैक्ट्री भूमि एवं भवन, रोड ए-सी, औद्योगिक क्षेत्र, क्षेत्रफल 1 एकड़, कठुआ, जम्मू में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स केटीएमकार मैटल्स के नाम पर है, मूल बिक्री सूचना की विषय सूची के अतिरिक्त, इस संदर्भ के तहत आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति लीज पर है और लीज की वैधता 23 मई 2006 से प्रारंभ होकर 20 वर्ष के लिए होगी। लीजहोल्ड अधिकारों के हस्तांतरण के लिए पट्टेदार द्वारा दावा किए गए किसी भी खर्च / बकाया का भुगतान खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

बीओ: परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट ''ई'' कामर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110091
ईमेल: bo8075@pnb.co.in, फोन नं.: 011-22779758, 22785289

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशक ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशक को ''जान-बूझकर चूककर्ता'' घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशकों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

श्री विजय मदान
पार्टनर: एसएलएन इंडस्ट्रीज

श्री मनीश तनेजा
पार्टनर: एसएलएन इंडस्ट्रीज

खाता का नाम: एसएलएन इंडस्ट्रीज
एनपीए तिथि: 31.12.2012, बकाया राशि: रु. 53.09 लाख तथा 31.12.2012 से ब्याज

तिथि: 28.06.19, **स्थान:** नई दिल्ली **शाखा इन्कम्बेन्ट**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

शाखा कार्यालय: एनआईटी-5, फरीदाबाद (नीलम सिनेमा हॉल के पीछे), टेली.: 0129-2415880, ईमेल: bo0167@pnb.co.in

मांग सूचना

प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जैसा कि, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: एनआईटी-5 फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/कों तथा गारन्टर/रों को मांग सूचना जारी किया था। उक्त सूचना डाक द्वारा भेजे जाने तथा ऋणधारक/गारन्टर के पते से उसके अन्डेलिवर्ड वापस लौट आने के उपरांत एतद्द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का पुनर्भुगतान करें, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक चल तथा अचल सम्पत्तियों का कब्जा करेगा तथा प्रक्रिया के अनुसार उसकी बिक्री करेगा।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: एनआईटी-5, फरीदाबाद के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि
ऋणधारक: श्री विजय गुप्ता एच.नं. 748, सेक्टर, 55, फरीदाबाद	श्री विजय गुप्ता के नाम में उप-रजिस्ट्रार बल्लभगढ़ के कार्यालय में पंजी. बही नं., जिल्द नं. 3, पेज नं. 126, क्रम सं. 2932 तिथि 16.6.2011 में पंजीकृत अर्बण इस्टेट, सेक्टर 55, फरीदाबाद में स्थित सम्पत्ति/मकान सं. 748, माप 85.25 वर्ग मी. चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: मकान सं. 733, पूर्व: मकान सं. 747, पश्चिम: मकान सं. 749	31.3.2018 को रु. 16,47,376.66 (रुपये सोलह लाख सैंतालिस हजार तीन सौ छियत्तर एवं पैसे छियासठ मात्र) तथा 31.3.2018 से आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज।	1.5.2018

तिथि: 29.6.2019, **स्थान:** फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

नीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
(CIN: L31102DL1957PLC193003)
पंजीकृत कार्यालय: ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020
फोन नं.: 91-11-4161 0660
वेबसाईट: http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

63वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग सूचना एवं बहियां बन्द करने से संबंधित सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की वार्षिक आम सभा का आयोजन कृपया, दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्रातः 9.30 बजे एयरकोर्ट ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में होगा, जिसमें उक्त वार्षिक आम सभा के लिए जारी की गई सूचना में उल्लिखित सभापत्र पर विशेष कार्यसूची पर चर्चा होगी।

सदस्यों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 63वीं वार्षिक आम सभा की सूचना की इलैक्ट्रानिक कॉपी के साथ तथा उपस्थिति स्लिप और प्रोक्सी फार्म एवं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, उन सदस्यों के अलावा जिन्होंने हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध किया है, उन सदस्यों को अग्रेषण के उद्देश्य से भिजवा दी गई है, जिनके ईमेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत है। जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उन्हें हमारी प्रतिनिधि अनुरक्षण एजेंसी से उनके पंजीकृत पते पर भिजवाई जा रही है। वार्षिक आम सभा की सूचना का प्रेषण 20 जून, 2019 तक पूरा कर लिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के सहपठित कम्पनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी एतद्द्वारा अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में विचार के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले संकल्पों के लिए इलैक्ट्रानिक साधन से अपना मतदान करने तथा ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से व्यवसाय संचालन करने की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक आम सभा के स्थल से कहीं अन्यत्र स्थान से इलैक्ट्रानिक साधन विधि द्वारा मतदान करने की सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके नियमावली के साथ संशोधित नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय का संव्यवहार इलैक्ट्रानिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जा सकेगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 21 जुलाई, 2019 को प्रातः 9 बजे (भारतीय मानक समय) प्रारंभ होगी।
3. रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 23 जुलाई, 2019 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय) बंद होगी।
4. दिनांक 23 जुलाई, 2019 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय) के पश्चात इलैक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी।
5. इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा वार्षिक आम सभा में मतदान करने की पात्रता का निर्धारण 17 जुलाई, 2019 तक किया जा सकेगा।
6. यदि किसी व्यक्ति ने कम्पनी के शेयर प्राप्त किए हैं तथा वह बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि के पश्चात सदस्य बना है और उसके पास निर्धारित तिथि अर्थात 17 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता है तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा श्री सुजीत सेनगुप्ता, मैसर्स सी. बी. मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीबीएमएल), टेलीफोन नम्बर (033)4011-6724, ईमेल: rta@cbmsl.com द्वारा सम्पर्क स्थापित करके अपनी लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई सदस्य एन.एस.डी.एल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपनी विद्यमान यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग रिमोट ई-वोटिंग के लिए भी कर सकेगा।
7. बैलेट पेपर अथवा ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं किया है, वे कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई बैलेट पेपर अथवा ई-वोटिंग की सुविधा से मतदान कर सकेंगे।
8. वे सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं जिन सदस्यों ने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम कर दिया है परन्तु उन्हें फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. केवल वही व्यक्ति ई-वोटिंग अथवा वार्षिक आम सभा के दौरान बैलेट पेपर के माध्यम से अथवा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के पात्र होंगे, जिनके नाम सदस्यों की पंजी में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजी में निधि तिथि अर्थात 17 जुलाई, 2019 की स्थिति तक रिकार्ड किए गए होंगे।
10. वार्षिक आम सभा की सूचना वेबसाइट http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited तथा एन.एस.डी.एल की वेबसाइट website https://www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित की गई है।
11. सदस्य किसी प्रकार की पूछताछ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) से एवं ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल से सहायता प्राप्त किए जा सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" खंड में उपलब्ध है अथवा वे टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न / शिकायत श्री सुजीत सेनगुप्ता, मैसर्स सी. बी. मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सी-22, बोडेल रोड, कोलकाता - 700 019, ई-मेल: rta@cbmsl.com टेलीफोन नम्बर (033) 4011 - 6724 पर भेजी जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 तथा उसके अधीन जारी नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग के दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां बुधवार दिनांक 18 जुलाई, 2019 से बुधवार दिनांक 24 जुलाई, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) के दौरान 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभांश के भुगतान एवं वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
मनोज प्रसाद सिंह
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
जून 28, 2019

DhanlaxmiBank
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, शनमुघम रोड शाखा, प्रथम तल, धनलक्ष्मी बिल्डिंग, मैरिन ड्राइव, कोचि- 682031

अंचल कार्यालय: अर्णाकुलम **कार्पोरेट कार्यालय: त्रिस्सुर**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, की 1) मै. रीअल विडियो इम्पैक्ट प्रा.लि., नं. एच-78, 7वां तल, हिमालय हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001, प्रति. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक, 2) मै. इंडिया मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क प्रा.लि., केसीसीआई बिल्डिंग, शनमुघम रोड, कोचि-628031, प्रति. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक, 3) मै. रीअल वीडियो इम्पैक्ट प्रा.लि., 10वां तल, वनकारथ टावर, एनएच बाई पास, पडिवट्टम, कोचि-628024, प्रति. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक, 4) मै. जेमिनी सॉल्वेन्ट्स, प्रा.लि. एक्सएल/ 35067-ए, क्रिस्टल कॉम्प्लैक्स, बनर्जी रोड, कोचि-682031, प्रति. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक 5) मै. जयहिन्द ट्रैवल्स प्रा.लि., सोनी सेन्टर के पीछे, 39/4187, एमजी रोड, रविपुरम, कोचि-682016, प्रति. द्वारा उसके प्रबंध निदेशक, 6) श्री भगथ चन्द्रशेखर, वटियाटिल हाउस, 34/418ए, पडिवट्टम, एडापल्ली पीओ, कोचि-682024,अब निवासी: 2ए2, सनराइज अपार्टमेन्ट्स, थ्रिक्काकारा, कोचि-682021, 7) श्री के.एन. मरजूक, रत्नापुरी, ईआरजी रोड, कोचि-682014, अब निवासी: ''फ्लोरा'', साबरमती रोड, जनथा, पलारिवट्टम, कोचि-0682025, 8) श्री ई.पी. जार्ज, एडाथुरुथिकरण हाउस, जजेज एवैन्यू, कलूर, कोचि-682017, 9) श्री बीजू चेरियन, पुरुकल, जी-95, पनपपिल्ली नगर, कोचि-682036, 10) श्री मैथ्यू जार्ज पुरुविथाडम हाउस, पेरमपलूर पी.ओ.- मुवाट्टुपूझा, अर्णाकुलम जिला-686673, 11) श्रीमती एन जार्ज, राडाथुरुथिकरण हाउस, जजेज एवैन्यू, कलूर, कोचि-682017, 12) श्रीमती मरिअम्मा मैथ्यू, कुरुविथाडम हाउस,पेरमपलूर पीओ, मुवट्टुपूझा, अर्णाकुलम जिला-686673, 13) श्रीमती के.एन. नफीसा, रत्नापुरी, ईआरजी रोड, कोचि-682014, अब निवासी: ''फ्लोरा'', साबरमती रोड, जनथा, पलारिवट्टम, कोचि-0682025 से धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, शनमुघम रोड, शाखा के बकाये 15.6.2019 को रु. 17,87,99,149.52 (रुपये सत्तरह करोड़ सतासी

रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं : गोयल

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों के निजीकरण की बात को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, 'राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

रेलवे के निजीकरण की कोई योजना ही नहीं है।' गोयल से सपा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर ने पूछा था कि क्या सरकार राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की योजना बना रही है।

गोयल ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार का लंबी दूरी की सभी ट्रेनों के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय रेल गाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पहले चरण के दौरान इन गाड़ियों के 7020 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, '31 जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन के बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे क्रासिंग को समाप्त कर दिया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार, मीटर लाइन और छोटी लाइन पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को अमान परिवर्तन के दौरान समाप्त कर दिया जाएगा।

गोयल ने अन्य एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि त्योहारों, गर्मी की छुट्टियों, अन्य अवकाशों जैसी भीड़ वाली अवधि के दौरान मांग उपलब्धता से अधिक हो जाती है तब यात्री सीटों की आरक्षण प्रणाली के दुरूपयोग के मामले भी होते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों में वर्ष 2018 के दौरान 2391 दलालों को गिरफ्तार किया गया और 78001 ई-टिकट पकड़े गए। इसी तरह वर्ष 2019 में मई तक 613 दलालों को गिरफ्तार किया गया और 18784 ई-टिकट पकड़े गए।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

क्लस्टर मध्यमान मंडली और जिंदे गुरुग्राम, भूतल, प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, गुरुग्राम (हरियाणा)

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि बाबत नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में अन्यतार्थ निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार बाबत बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार)	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रु. में)
1	मैसर्स विज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (निदेशक श्री वरीश गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता और श्री सुशील गुप्ता के माध्यम से) और गारंटर	26-04-2018 24-06-2019	साम्पिक बंधक (प्रभार निलम्बित) सम्पत्ति मकान नं. 1470, सैक्टर-14, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति नीता देवी और श्रीमती रमेश गुप्ता के नाम पर है।	₹ 4,50,61,207.35 दिनांक 31.05.2019 तक और होने वाला ब्याज
2	मैसर्स [illegible] इन्फ्राकॉन प्रा. लि. (निदेशकों श्री नरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती कृष्णा देवी खनिजाल, श्री बलबीर सिंह, श्री राजेश खन्ना, श्री अनिल कुमार टेकचंदानी, श्रीमती मंजू मेहता, श्री किरण कोचर, श्रीमती सुनीता चोपड़ा, श्रीमती शिवानी छाबड़ा, श्रीमती गुंजन खन्ना, श्रीमती निधि मेहता, श्री अश्वनी कुमार, श्रीमती अनिता रानी के माध्यम से) और गारंटर सह ऋणकर्ता	03-04-2019 26-06-2019	(1) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. 224, जी.एफ., एलएफएस डीडीए फ्लैट, डेंटोनियो-एफआईजी डॉ. मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-09 में स्थित, क्षेत्रफल 115 वर्ग मी. बाईड सेल डीड नं. 1882 दिनांकित 05.03.2009, यह सम्पत्ति श्री पंकित छाबड़ा पुत्र श्री एन एल छाबड़ा के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – रोड मार्किंग, पश्चिम में – प्लॉट / फ्लैट नं. 226, उत्तर में – फ्लैट नं. 223, दक्षिण में – सीढ़ियां / फ्लैट नं. 217 (2) साम्पिक बंधक मकान नं. 1660, (प्रथम और द्वितीय तल) क्षेत्रफल 160 वर्ग गज, जोकि सेवा सुटिर और जुबिलियन्ट कोर्ट आवासीय लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में स्थित, बाईड सेल डीड नं. 21288, दिनांकित 17.06.2005, यह सम्पत्ति श्रीमती सुषमा खन्ना पत्नी श्री राजेश खन्ना के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – मकान नं.1640, पश्चिम में – मकान नं. 1661, उत्तर में – रोड और पार्क, दक्षिण में – सर्विस लेन (3) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. 1618, फेज-V, एलएसआईआईडीसी, औद्योगिक इस्टेट रुई, जिला सोनीपत, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 450 वर्ग मी., बाईड सेलिंग डीड नं. 8029, दिनांकित 28.10.2005, यह सम्पत्ति दीनता इंटरप्राइजेज के नाम पर है (प्रोप. श्री चंदर प्रकाश अरोड़ा पुत्र स्व. श्री नियामत राई अरोड़ा) के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – सम्पत्ति नं. 1618, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 1620, उत्तर में – सम्पत्ति नं. 1630, दक्षिण में – 15मी. चौड़ी रोड (4) साम्पिक बंधक डिहायमी मकान फ्लैट नं. 452, तृतीय तल (लाल में छत के अधिकार के), इन्दिरा विहार, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009 में स्थित, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, बाईड सेल डीड नं. 16822, दिनांकित 12.11.2010, यह सम्पत्ति श्रीमती उमा देवी के नाम पर है, चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. 451, पश्चिम में – मकान नं. 453, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – सर्विस लेन (5) डिलापिडेटेड प्रभार डीडीए एलएफएस फ्लैट नं. 217, जी.एफ., एमआईजी, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 में स्थित, क्षेत्रफल 125 वर्ग मी. बाईड सेल डीड नं. 19826, दिनांकित 20.11.2013, यह सम्पत्ति श्री कपिल छाबड़ा, श्रीमती स्नेहा छाबड़ा और श्री नरेश कुमार छाबड़ा के नाम पर है। प्राथमिक प्रभारित हाउसिंग लोन खाता नं. 00716015004838, चौहद्दी : पूरब में – रोड सम्पत्ति, पश्चिम में – सम्पत्ति मालिक, उत्तर में – फ्लैट नं. 229, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (6) साम्पिक बंधक मकान प्लॉट नं. 111, पॉकेट – एम, सैक्टर-1, उद्योग विहार, फेज-I, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. बाईड सेल डीड नं. 473, दिनांकित 07.02.2006, यह सम्पत्ति श्री रणजीत सिंह ओबरोय पुत्र के एस निर्मल, चौहद्दी : पूरब में – अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (7) साम्पिक बंधक प्लॉट नं. 90, आर एस खैतान नं. 1339, के.एस. नं. 90, गधवाली, इंदिरा बाजार, महरौली, पैकट बेगपुर, क्षेत्रफल 16.30 बिसीमल बाईड सेल डीड नं. 4870, दिनांकित 22.04.1991, यह सम्पत्ति श्री अनिल कुमार टेकचंदानी पुत्र गोविन्दा राम टेकचंदानी के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – खाली भूमि, पश्चिम में – एन एस 34, उत्तर में – उत्तम पैराज, दक्षिण में खाली भूमि (8) डिलापिडेटेड प्रभार 412ए, मालवीय नगर, आईएनएटी ट्रेड सेन्टर, सफदरजंग रोड, मुहाना में स्थित, क्षेत्रफल 112.07वर्ग मी. सेल डीड नं. 22111 दिनांकित 09.12.2014, यह सम्पत्ति श्रीमती सुधा देवी मल्लिकार्जुन के नाम पर है, प्राथमिक प्रभारित खाता नं. 00717015004424 जो पहले से ही दिनांक 31.01.2019 को एनपीए में बदल गया है, चौहद्दी : पूरब में – गैलाक्सिग वॉल, पश्चिम में – प्रवेश और रास्ता, उत्तर में – आम सीढ़ियां, दक्षिण में – यूनिट नं. 414	₹ 6,24,72,152.91 दिनांक 31.03.2019 तक भार दिनांक 01.04.2019 से बैंक द्वारा ब्याज और आकस्मिक खर्चे

दिनांक : 28.06.2019, स्थान : गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

Resolution Recovery & Law क्लस्टर (दक्षिण और पूर्व) 92/ई1, आर के मार्केट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067,
फोन : 26108539, 26109531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 31.07.2019 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://bankauctions.in के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30-07-2019 को शाम 5.00 बजे तक है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम (सांकेतिक / भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख / समय	बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	1) मैसर्स एंकर ओवरसीज और मैसर्स अकॉर्ड फर्निशिंग प्रा. लि. 2) श्री अश्वनी दीक्षित 3) श्रीमती नीरजा दीक्षित 4) श्री रजत कुमार अरोड़ा	(1) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. जी-08सी, भूतल, टॉवर नं. 08, मैपल वुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1410 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित और श्री अश्वनी दीक्षित के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 47.50 लाख ₹ 4.75 लाख ₹ 0.50 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 9,72,74,650.67/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्पिक बंधक मकान नं. 08, मैपल वुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1410 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित और श्री अश्वनी दीक्षित के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 54.00 लाख ₹ 5.40 लाख ₹ 0.50 लाख			
		(3) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. 108-सी, प्रथम तल, टॉवर नं. 08, मैपल वुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1510 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित और श्री अश्वनी दीक्षित के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 48.50 लाख ₹ 4.85 लाख ₹ 0.50 लाख			
		(4) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. जी-1, भूतल, बैक साईड, बिना छत के अधिकार के, टाईप – एमआईजी, प्लॉट नं. 10ए / 111, पॉकेट सैक्टर-10-ए, वसुंधरा, गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 1399.32 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित और श्री अश्वनी दीक्षित के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 65.00 लाख ₹ 6.50 लाख ₹ 0.50 लाख			
		(5) साम्पिक बंधक फ्लैट नं. जी-2, भूतल, फ्रंट साईड, बिना छत के अधिकार के, टाईप – एमआईजी, प्लॉट नं. 10ए / 111, पॉकेट सैक्टर-10-ए, वसुंधरा, गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 1399.32 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित पत्नी श्री अश्वनी दीक्षित के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 63.00 लाख ₹ 6.30 लाख ₹ 0.50 लाख			
2	1) मैसर्स भावी क्रिएशन 2) श्री प्रीत पाल सिंह 3) श्रीमती सीमा शर्मा	(1) साम्पिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति पोकि भूतल (बिना छत के अधिकार के), ई-9, हौज खास, दिल्ली-110016 में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री प्रीत पाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 384.00 लाख ₹ 38.40 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 6,03,95,291/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्पिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति पोकि प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), ई-9, हौज खास, दिल्ली-110016 में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री प्रीत पाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 240.00 लाख ₹ 24.00 लाख ₹ 1.00 लाख			
3	1) मैसर्स जेपीएस एग्रोटेक और फार्मस् और मैसर्स जगदंबा एंड कंपनी 2) श्री सत्य प्रकाश सिंघल 3) श्री प्रतीक सिंघल 4) श्रीमती उर्मिला सिंघल 5) श्रीमती सरला सिंघल	(1) साम्पिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति / प्लॉट नं. 318, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, विनोद विहार, नई दिल्ली-110095 में स्थित, क्षेत्रफल 220 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला सिंघल के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 195.50 लाख ₹ 19.55 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 6,63,22,786.62 दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्पिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति / प्लॉट नं. 318, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, विनोद विहार, नई दिल्ली-110095 में स्थित, क्षेत्रफल 220 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला सिंघल के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 126.00 लाख ₹ 12.60 लाख ₹ 1.00 लाख			
4	1) मैसर्स नीमू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. 2) श्री नीरज शर्मा 3) श्री धीरज गुप्ता 4) श्री कुलवीर सिंह 5) शुभी रैनु 6) श्री राजकुमार रानी	(1) साम्पिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति एस-9, ज्ञान खंड-II, प्रथम तल, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1221 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स नीमू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 97.60 लाख ₹ 9.76 लाख ₹ 0.50 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,76,83,375.03/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्पिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति पोकि जी-175, गली नं. 5, मजनूपुरा, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 66 वर्ग गज, यह सम्पत्ति ऋषि कुमार शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 83.00 लाख ₹ 8.30 लाख ₹ 0.50 लाख			
5	1) मैसर्स प्योर प्ले सर्वेईस 2) श्री विष्णु भगत 3) श्री सतप पाल सैनी 4) श्री अनिल धोपड़ा 5) श्रीमती मीना सोनी 6) श्रीमती शोभू कुकरेजा	1. साम्पिक बंधक फ्लैट नं. 58, ब्लॉक -डी, गांव कादीपुर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 324 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विष्णु भगत के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 371.00 लाख ₹ 37.10 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 11,36,26,052.94/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. साम्पिक बंधक जीजेए सीजीएफएस सोसायटी, फ्लैट बी-224, 10वां तल, सैक्टर-13 / 17, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री अनिल धोपड़ा के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 121.00 लाख ₹ 12.10 लाख ₹ 0.70 लाख			
		3. साम्पिक बंधक सम्पत्ति नं. 9, रोड नं. एस-20, I और II तल, फेज-III, सीएलएफ सुपर एनक्लेव कान्धलेवस गांव नाथपुर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 264 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती शोभू कुकरेजा के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 282.00 लाख ₹ 28.20 लाख ₹ 1.00 लाख			
6	1) मैसर्स रवीना कमर्शियल प्रा. लि. 2) श्री ललित निधा 3) श्री बी.पी. बरनवाल 4) श्रीमती उर्मिला नंगपर	साम्पिक बंधक व्यवसायिक दुकान नं. 5, सीएससी, सैक्टर-डी, पॉकेट-7 और 8, वसंत कुंज, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 108.28 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला नंगपर के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 55.00 लाख ₹ 5.50 लाख ₹ 0.50 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,75,02,333/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
7	1) मैसर्स आर.डी एंड संस कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. एवं मैसर्स शिव कृष्णा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. 2) श्री दान बहादुर सिंह 3) श्रीमती रीना सिंह	(1) साम्पिक बंधक की होल्ड रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. आर जेड-एफ-1 / 3ए, गांव नासीरपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली, आबादी जिसे महावीर एन्क्लेव कहते है, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (खसरा नं. 462 में से) यह सम्पत्ति श्री दान बहादुर सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 104.79 लाख ₹ 10.48 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 3,50,42,522.30/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्पिक बंधक की होल्ड रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. आर जेड-एफ-1 / 3बी, (फ्रंट के अधिकार के), गांव नासीरपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली, आबादी जिसे महावीर एन्क्लेव कहते है, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (खसरा नं. 462 में से) यह सम्पत्ति रीना सिंह पुत्र श्री दान बहादुर सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 101.24 लाख ₹ 10.12 लाख ₹ 1.00 लाख			
8	1) मैसर्स वंदिका सेल्स 2) श्री पवन मोंगा 3) श्रीमती रजनी रानी मोंगा	साम्पिक बंधक सम्पत्ति नं. डब्ल्यू जेड – 912, खसरा नं. 1791 और 1791 / 2, मेन रोड, गाँव नराणा, दिल्ली – 110028 में स्थित, क्षेत्रफल 101 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती रजनी रानी मोंगा के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 277.53 लाख ₹ 27.75 लाख ₹ 1.00 लाख	31-07-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,44,79,795.97/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)

नियम एवं शर्तें

1. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.07.2019 को सांय 5.00 बजे तक है।
2. प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे / अधिकार / बकाए के संबंध में विज्ञ जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी / जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सम्पत्ति(यों) का निरीक्षण दिनांक 01.07.2019 को पूर्वा. 11.00 से अपरा. 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए मैसर्स 4क्लोजर, श्री विकास, मो. +91-8142000809, 8076427383, 9650387768, फोन – 040-23836405, वेबसाईट: https://bankauctions.in एवं ई-मेल – vikash@bankauction.in से सम्पर्क कर सकते है और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी: श्री गजेन्द्र सिंह बिष्ट, मो. नं. 8171626615, 011-26106530 / 31, ईमेल: rrl_7670@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
5. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित)।
6. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले जमा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद या ज्यादा से ज्यादा अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को बकाया चलने पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मानी होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति / राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार मान्य नहीं होगा।
7. बैंक को लागू स्टाम्प ड्यूटी / अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी / अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण के पेय सांविधिक / गैर-सांविधिक देयताओं, कर, दर, आकलनी, प्रभारी, शुल्क इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
8. उधारकर्ता बंधक सम्पत्तियों को कि ई-नीलामी में बेची है की नीलामी अवैध होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट: https://www.obcindia.co.in and https://ibapi.in देखें)

9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द कर सकता है।

दिनांक 29.06.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेशन एनेक्स रिकवरी शाखा

द्वितीय फ्लोर, अजीत कॉम्पलेक्स, सहारनपुर रोड, देहरादून–248001

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित भार / अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दुष्टिबंधक / प्रभारित है, का प्रतीकात्मक / वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बकाया राशि एवं अन्य खर्चों व लागत सहित जो नीचे दी गई है के अनुसार नीचे लिखी तिथि को नीलाम की जायेगी, प्रत्येक सम्पत्ति के लिए रिजर्व मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है। नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट www.sbi.co.in देखें

ऋणी / गारन्टर के नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि 13(2) के अनुसार जो बिक्री वेची जाएगी	अ. रिजर्व मूल्य ब. ईएमडी (राशि में) स. बोली वृद्धि राशि
श्री नव दुर्गा फैब्रिकेशन, भोगपुर रोड, निकट शकुन्तला मार्केट, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) श्री परवीन गर्ग (प्रो0)	आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 13 एम, ग्राम–चुकड़ा बहार मजदूर, मुजफ्फरनगर, क्षेत्रफल 245.66 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री नवीन कुमार गर्ग।	रू0 16,86,957.69 + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 12.07.2017	अ. रू0 24.30 ब. रू0 2.44 स. 0.50

ई-नीलामी की तिथि व समय : 06

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

ग्रेड ग्रुप 'ए' ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम 25 (2009) के तहत स्थापित)
महेंद्रगढ़ –123031 (हरियाणा)

अल्पावधि निविदा सूचना

विश्वविद्यालय के "स्मार्ट क्लास रूमों" में कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की स्थापना हेतु दो-बिड सिस्टम में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पूर्णतः भरी हुई निविदाएं दिनांक 22.07.2019 को अपराह्न 2 बजे तक सिस्टम एनालिस्ट, शैक्षणिक भवन–1, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के पते पर पहुंच जानी चाहिए। निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in देखें।

दिनांक 28.06.2019 — कुलसचिव

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

सुधि पत्र

दिनांक 22.12.2018 को जनसत्ता, लखनऊ संस्करण में प्रकाशित कब्जा सूचना में क्रम सं. 4 पर वर्णित उस नाम मेसर्स कमला इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के स्थान पर मेसर्स कमला इन्फ्राटेक इन्जीनियरिंग प्रा0 लि0 एवं भाग ई-3457, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017 पढ़ा जाये एवं सम्पत्ति के विवरण में क्रम सं. 1 पर मकान सं. एफ-3652 के स्थान पर ई-3652 एवं क्रम सं. 3 पर मकान सं. एफ-3457 के स्थान पर ई-3457 पढ़ा जाये। अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

गुरु नानक पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
फोन: 011-25221621, ई-मेल: 0666@psb.co.in

शाखा कार्यालय की शिफ्टिंग के लिए सार्वजनिक सूचना

हमें अपने ग्राहकों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाबी बाग में बैंक की शाखा को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बड़े नये परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। लॉकरों को 30 जून, 2019 को शिफ्ट किया जाएगा एवं लॉकर सेवाएं नये परिसर से 1 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होंगी।

TV TODAY NETWORK

टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड

सी.आई.एन.: L92200DL1999PLC103001, वेबसाइट: www.aajtak.intoday.in
पंजीकृत कार्यालय: F-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
फोन: 0120–4807100, फैक्स: 0120 4807172
ईमेल: investors@aajtak.com

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के संचालक मंडल की सभा शुक्रवार दिनांक 9 अगस्त, 2019 को होनी निर्धारित हुई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त होने वाली तिमाही के स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

दिनांक: 28 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

कृत टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
आशीष समरवाल
ग्रुप हेड सेक्रेटेरियल एवं कंपनी सचिव
सदस्यता नंबर: F4991

यह सूचना कंपनी वेबसाइट www.aajtak.intoday.in एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी
जल सदन : लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024
एनआईटी सं0 05/एस एंड पी/(2019–20)
प्रेस निविदा

क्रम सं0	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड तथा आरटीजीएस की अंतिम तिथि/ समय
1.	दिल्ली के विभिन्न भागों में फ्लोटिंग राफ्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 8 नग वाटर बॉडीज का जीर्णोद्धार (फेज–I)	वस्तु दर	2019_DJB_175169_1 27.6.2019 से	29.7.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./–
विज्ञापन सं0 जे.एस.वी. 2019–20/119 — कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी

Form No. INC 26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government Northern Region

In the matter of Sub Section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
And
In the matter of Grohe India Private Limited ("Company"), having it's Registered Office at E-28, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, South Delhi, New Delhi-110016 —Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") held on **22nd March, 2019** to enable the Company to change its registered office from **"National Capital Territory (NCT) of Delhi"** to the **"State of Haryana"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director, Northern Region at B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below:
"E-28, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, South Delhi, New Delhi-110016"

For and on behalf of the Board of Grohe India Private Limited
Sd/-
Bobby Joseph
Director
DIN: 00032641

Date : 25th April, 2019
Place : Gurgaon

जरूरी सूचना सभी के लिए

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए आवेदन पत्र के प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में

और

ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड (लिस्टेड) कंपनी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. एन-3, फ्लैट नं. 10 सेक्टर-3, रोहिणी, गाजियाबाद यूपी 201010, जिसे है, के मामले में

याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन पत्र का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक 22 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संबंध में कंपनी के ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक क्षेत्रीय प्रथम कोइल मार्ग पुष्पविहार–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का स्वरूप और उसके विरोध का कारण एवं विवरण दिया हो के साथ अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर डी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सूचना दर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेंगे।

ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
CIN : U70100UP2014PTC064143
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. एन–3, फ्लैट नं. 10 सेक्टर–3, रोहिणी गाजियाबाद यूपी 201010.

कमल कुमार सिंघल
डीआईएन : 06875752
निदेशक
पता : डी–2/2, मयूर विहार फेज प्रथम दिल्ली
दिल्ली–110091

कमल/–
सुनीता मोहनानी
डीआईएन : 07652364
निदेशक
पता : 3/21, आसफ अली रोड नई दिल्ली–110002

दिनांक : 17.06.2019
स्थान : रोहिणी, गाजियाबाद

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)

कौशाम्बी शाखा: 17–18, ऊपरी भूतल, शिप्रा कृष्णा एज्युर
कौशाम्बी जिला गाजियाबाद–201010, फोन: 0120–2771971, 01204123568,
फैक्स: 0120–4123568, ई–मेल: kaumor@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) अंतर्गत

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.04.2019 जारी कर ऋणधारक श्री राजनीकान्त शर्मा तथा श्रीमती जया शर्मा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ब्याज तथा आगे के ब्याज, अन्य खर्चे सहित 31.3.2019 तक रु. 3222843/– वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 27 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय भुगतान की तिथि तक उस पर ब्याज तथा आगे के ब्याज, अन्य खर्चे सहित 31.3.2019 तक रु. 3222843/– की राशि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

उप–रजिस्ट्रार–3 तथा जिला–गाजियाबाद के भीतर पंजीकृत फ्लैट नं.–807 बी, 8वाँ तल, टावर–7, पाइन वुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित श्री राजनीकान्त शर्मा तथा श्रीमती जया शर्मा के नाम में सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार माप 1761.51 वर्ग मीटर) का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी इस प्रकार है:
पूर्वः फ्लैट नं. 806 सी — पश्चिमः फ्लैट नं.–807 सी
उत्तरः खुला स्थान तथा फ्लैट नं.–807ए, — दक्षिणः भू तल पर 6 मीटर चौड़ी सड़क

तिथि: 27.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: कौशाम्बी, गाजियाबाद — बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय व्यवसाय अति वसूली शाखा,
चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 011–25819564, 25781316 ई–मेल: sardii@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.4.2018 जारी कर ऋणधारक मै. तमन्ना क्रिएशन्स (प्रॉप. श्रीमती तमन्ना बत्रा, पत्नी श्री गुलशन कुमार बत्रा) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.3.2018 को रु. 34,03,217.25 (रुपये चौंतीस लाख तीन हजार दो सौ सत्तरह एवं पैसे पच्चीस मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज, लागत चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 34,03,217.25 (रुपये चौंतीस लाख तीन हजार दो सौ सत्तरह एवं पैसे पच्चीस मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज, लागत चार्जेज तथा खर्चे बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती संतोष बत्रा, पत्नी श्री एम.एल. बत्रा (श्रीमती संतोष बत्रा गारन्टर हैं) के नाम में बी–192/डब्ल्यूजेड–318, भूतल, शिवाजी विहार, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में स्थित आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः उत्तर– पार्क, दक्षिण–बी–125, पूर्व–बी–191, पश्चिम–बी–193

तिथि: 21.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — बैंक ऑफ बड़ौदा

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

पंजी. कार्यालय: बी–9 एवं 10, लक्ष्मी टावर्स, एल.एस.सी., ब्लॉक–सी, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034, फोन: 27011428, फैक्स: 27023256
CIN No.: L24232DL1996PLC227773

27वीं, (वार्षिक साधारण सभा) एजीएम, पुस्तक बंद होने तथा ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 27वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में एच–1–51, बुध विहार, फेज–I, दिल्ली–110086 में आयोजित की जायेगी जिसमें सूचना तिथि 29 अप्रैल, 2019 में निर्दिष्ट व्यवसाय(यों) को निष्पादित किया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट के साथ उक्त सूचना शुक्रवार, 28 जून, 2019 को उनके पंजीकृत पते पर अथवा ई–मेल द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है। एजीएम की सूचना लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि., रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 23 जुलाई, 2019 से सोमवार, 29 जुलाई, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी की एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत स्वीकृत रूप में वर्ष 2019 के वार्षिक रिपोर्ट 28 जून, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पते लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. (कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट) के पास दर्ज कराये हैं।

अन्य सभी मामलों (जहां ई–मेल आईडी दर्ज नहीं कराये गये हैं) में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण, निदेशक के रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट तथा उक्त अवधि के लिये लेखा–परीक्षक के रिपोर्ट के साथ उसमें निष्पादित होने वाले व्यवसाय से युक्त वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उनके पंजीकृत पते पर सदस्यों को भेजी गई है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार:

क) यह कम्पनी 27वें एजीएम की सूचना तिथि 29 अप्रैल, 2019 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों के लिये रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।
ख) रिमोट ई–वोटिंग की शुरुआतः शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 (09.00 बजे पूर्वा.)
ग) रिमोट ई–वोटिंग की समाप्तिः रविवार, 28 जुलाई, 2019 (5.00 बजे अप. में)
घ) कट–ऑफ तिथिः सोमवार, 22 जुलाई, 2019
ङ) रविवार, 28 जुलाई, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी।

ई–वोटिंग/एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा 31 जुलाई, 2019 को या उससे पूर्व की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा उसकी सूचना उन स्टॉक एक्सचैंजों को दी जायेगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के लिये
हस्ता./–
तिथि: 28.06.2019 — सुधीर चन्द्रा
स्थान: दिल्ली — (प्रबंध निदेशक)

आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L74899DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय: 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
कार्पोरेट कार्यालय : बी/ओ उत्तम टोयोटा, ए–11, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद–201003 (उ.प्र.)
फोन नंबर : 0120 – 4193799, 4152766
ई–मेल : adharshilacapital@gmail.com वेबसाइट : www.adharshilacapital.in

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई–मतदान तथा बही बंदी की सूचना

एजीएम की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के निष्पादन के लिए शुक्रवार 26 जुलाई, 2019 को किया जाएगा।

26वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की प्रतियां उन समस्त सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से पहले ही प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की वास्तविक प्रतियां उन समस्त अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर प्रेषित की जा चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है। कंपनी वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के साथ–साथ सदस्यों को ई–मेल से वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का कार्य भी शुक्रवार, 28 जून, 2019 को पूर्ण कर चुकी है। 26वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.adharshilacapital.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई–मतदान

कंपनी अपने सदस्यों को, अधिनियम सांविधिनानुसार कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के रूप में सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना हर्षित है। ई–मतदान अवधि का प्रारंभ मंगलवार 23 जुलाई, 2019 को प्रातः 9.00 बजे तथा समापन गुरुवार 25 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे होगा। ई–मतदान मॉड्यूल गुरुवार 25 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे के उपरान्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए योग्य है। ऐसे व्यक्ति जो कि सूचना के प्रेषण के उपरान्त कंपनी के सदस्य बनते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admin@skyline.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार 25 जुलाई, 2019 को सायं 5 बजे के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्यगण जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने ई–मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे मतपत्र के माध्यम से एजीएम में अपना मतदान करने हेतु योग्य होंगे। ऐसे सदस्यगण जो कि ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि, शुक्रवार 19 जुलाई, 2019 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, वह ई–मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ–साथ एजीएम में मतदान करने के लिए हकदार होगा। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दी गई ई–मतदान की निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करें। ई–मतदान से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आप www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई–मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका तथा सदस्यों हेतु फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा श्री राजिन्द्र कुमार खन्ना, निदेशक, 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, दूरभाष सं. 0120–4193799 से अथवा ई–मेल adharshilacapital@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बही बंदी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण पुस्तिकाएं इस एजीएम के उद्देश्य हेतु शनिवार 20 जुलाई, 2019 से शुक्रवार 26 जुलाई, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./–
(राजिन्द्र कुमार खन्ना)
निदेशक

दिनांक : 29 जून, 2019
स्थान : नई दिल्ली

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चाण्डिल।

ई0निविदा विज्ञप्ति सं0- WRD/IGC/SCD/IFB-02/2019-20 — दिनांक 26.06.2019

ई0 प्रोक्यूरमेंट सूचना

क्र.	सूची	विवरणी
1	कार्य का नाम	खरकई दाँया मुख्य नहर के कि0मी0 17.220 से निःसृत जादूगोड़ा वितरणी के कि0मी0 0.000 से 18.500 तक बीच गेट पर जलधारा सड़क (W.B.M. Road) बनाने का कार्य।
2	निविदा की राशि	रूपये 7,32,75,897/– (रूपये सात करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ सत्तानवे) मात्र।
3	निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि	रूपये 10,000/– एवं रूपये 7,32,800/–
4	कार्य पूर्ण करने का समय	360 दिन
5	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	15.07.2019 शाम 5.00 बजे
6	निविदा अभिलेख डाउनलोड करने की तिथि	15.07.2019 को शाम 5.00 बजे से 30.07.2019 को शाम 5.00 बजे तक
7	निविदा प्राप्त करने की तिथि तथा समय	15.07.2019 को शाम 5.00 बजे से 30.07.2019 को शाम 5.00 बजे तक
8	निविदा खोलने की तिथि	02.08.2019 अपराह्न 1.00 बजे
9	निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	श्री कुमार अरविन्द, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चाण्डिल मो0 नं0–9431186643 ई मेल–eesed.chandil@gmail.com
10	ई0 प्रोक्यूरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं0	0657–2383169

नोटः– 1) सिर्फ ई–निविदा स्वीकार होगी।
2) उक्त उल्लेखित निविदा की राशि में किंचित बदलाव संभावित है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट https://jharkhandtenders.gov.in. देखें।

कार्यपालक अभियंता
सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चाण्डिल।

PR 210301 (Water Resource) 19-20 (D)

PERSISTENT SYSTEMS LIMITED

CIN:L72300PN1990PLC056696
Registered Office: Bhageerath, 402 Senapati Bapat Road, Pune 411 016, Maharashtra, India
Tel.: +91 20 6703 0000; Fax: +91 20 6703 0009; Website: https://www.persistent.com/
Contact Person: Mr. Amit Atre, Company Secretary and Compliance Officer;
E-mail: companysecretary@persistent.com

POST BUYBACK ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF PERSISTENT SYSTEMS LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with the Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated January 29, 2019 ("**Public Announcement**"), issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

1. THE BUYBACK

1.1. Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, of the Companies Act, 2013, as amended ("**Act**") and applicable rules thereunder, the provisions of the Buyback Regulations and Article 13 of the Articles of Association of Persistent Systems Limited (the "**Company**"), the Board of Directors of the Company (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "**Board**" or the "**Board of Directors**") at their meeting which commenced on January 27, 2019 and concluded on January 28, 2019 (the "**Board Meeting**"), approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of INR 10 each (the "**Equity Shares**") from its shareholders/beneficial owners, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (collectively, "**Stock Exchanges**"), for a total amount not exceeding INR 2,250 Million (Rupees Two Thousand Two Hundred and Fifty Million only), excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to SEBI, advisors' fees, stock exchange fees, brokerage, applicable taxes such as Securities Transaction Tax, Goods and Services Tax, stamp duty, etc., public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses ("**Transaction Costs**") (the "**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding INR 750 (Rupees Seven Hundred and Fifty only) per Equity Share (the "**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "**Buyback**").

1.2 The Buyback commenced on February 8, 2019 and closed on June 27, 2019. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.93% of Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with an unutilized balance amount of INR 1,566,574.25.

1.3 The Company decided to close the Buyback with effect from June 27, 2019. The intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on June 26, 2019.

1.4 The total number of shares bought back under the Buyback is 3,575,000 Equity Shares.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

2.1 The Company bought back an aggregate of 3,575,000 Equity Shares, utilising a total of INR 2,248,413,425.75 (Rupees Two Billion Two Hundred and Forty Eight Million Four Hundred and Thirteen Thousand Four Hundred and Twenty Five and Paise Seventy Five Only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.93% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges. The highest price at which the Equity Shares were bought back was INR 695.00 per Equity Share while the lowest price was INR 573.50 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of INR 628.93 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by M/s. Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited ("**Company's Broker**") and exclude Transaction Costs.

2.2 The pay-out formalities shall be completed as per settlement with the Stock Exchanges. The Company has extinguished 3,025,113 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 549,887 Equity Shares bought back.

2.3 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. No physical shares were accepted or bought back in the Buyback. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and post completion of the Buyback is set forth below:

| Particulars | As on the date of the Public

केनरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

प्रधान कार्यालय: संख्या 112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

(₹000's)

यथा 31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र

	Schedule	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	753 24 48	733 24 48
अवंटित निधियां और अधिशेष	2	35423 98 71	34871 59 21
जमा	3	5996653 27 48	5247771 86 03
उधार	4	40992 29 44	38808 51 17
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	185103 88 84	177700 89 59
कुल		**6659758 99 05**	**6100886 18 48**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और बैंक बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन	6	298110 31 68	221100 03 81
निवेश	7	38233 67 28	27812 29 48
अग्रिम	8	1529865 29 60	1440653 67 04
अचल आस्तियां	9	427727 26 84	381702 98 64
अन्य आस्तियां	10	84110 23 36	83186 64 32
कुल	11	3864781 30 37	3328896 47 27
TOTAL		**6659758 99 05**	**6100886 18 48**
आकस्मिक देयताएं	12	3598658 72 29	2937726 87 00
लेखों के लिए बिल		28647 01 53	26782 07 00

(₹000's)

यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता

	Schedule	For the Year ended 31.03.2019	For the Year ended 31.03.2018
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	4681034 18	4125203 36
अन्य आय	14	857409 83	604285 24
कुल		**5538429 83**	**4729488 60**
II. व्यय			
ब्याज दिए गए धन	15	3233272 81	2903826 25
परिचालन व्यय	16	1840220 75	1655783 54
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		1848365 56	1270107 61
कुल		**6921859 32**	**5829717 36**
III. वर्ष के दौरान निवल लाभ / (हानि)		**347 01 51**	**(4222 23 76)**
IV. विनियोजन			
निम्नांकित को अंतरण			
सांविधिक आरक्षित निधियां		86 75 80	-
पूंजी आरक्षित निधियां		233 10 80	-
निवेश उतार-चढ़ाव निधि खाता		-	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		27 25 51	-
लाभांश समीकरण निधि		-	-
विशेष आरक्षित निधि		-	-
आस्थगित लाभांश		-	-
लाभांश		-	-
लाभ कर		-	-
कुल		**347 01 51**	**(4222 23 76)**
प्रति शेयर अर्जन		4.21	(70.47)

अरविंद कुमार	अमित सिन्हा	एम सत्यनिधनम	एम जी मनिल	टी रामचंद्रु	ए श्रीनिवासन
महाप्रबंधक	महाप्रबंधक एवं प्रभारी	महाप्रबंधक एवं प्रभारी	महाप्रबंधक एवं प्रभारी	महाप्रबंधक एवं प्रभारी	कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी	एम वी राव	अवध बिहारी श्रीवास्तव	टी एन मनोहरन
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रभारी निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष

सुधीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एस
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्णन अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स डालमिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन 000671 एस

कृते लोढ़ा एण्ड सोनी एसोसीएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.001412E/W100200034

कृते बी के अग्रवाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन 301413E

कृते एम एस के एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन 105175W

टी कनकराज गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 014444

टी रामचन्द्रन
साझेदार
सदस्य सं. 228246

नीरज के मुनमुनवाला
साझेदार
सदस्य सं. 057170

अमित टी रामचन्द्रन
साझेदार
सदस्य सं. 119972

यथा 31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ

(₹000's)

अनुसूची 1 – पूंजी	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
I. अधिकृत पूंजी (प्रति शेयर ₹10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**3000 00 00**	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :		
i) निर्गत वर्ष के प्रति ₹ 10/- के 53,19,44,775 इक्विटी शेयर सेट समतुल्य कुल अंकित मूल्य ₹ 10/- के 38,69,90,155 इक्विटी शेयर	**531 94 48**	531 94 48
ii) अन्य द्वारा धारित प्रति शेयर ₹ 10/- के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर / निर्गत वर्ष के अन्य द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 20,13,00,000 शेयर	**201 30 00**	201 30 00
	733 24 48	733 24 48

(₹000's)

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ		
(बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि)		
प्रारंभिक	**8204 00 00**	8204 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**86 75 00**	-
कुल	**8290 75 00**	8204 00 00
II पूंजी आरक्षित निधियाँ		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक	**6524 72 80**	6303 14 56
वर्ष के दौरान परिवर्धन		1272 43 02
	6524 72 80	6845 57 58
घटाएं : लाभ व हानि खाते आरक्षित खाते को अंतरण	**76 55 43**	120 85 18
कुल	**6448 17 37**	6524 72 80
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक	223 24 46	155 21 59
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6 33 25	68 02 89
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	16 83 25	-
कुल	**213 74 47**	**223 24 46**
ग. अन्य		
प्रारंभिक	2259 67 07	2259 67 07
वर्ष के दौरान परिवर्धन	233 00 00	-
कुल	**2492 67 07**	**2259 67 07**
III. लाभ हानि खाता		
प्रारंभिक	**11471 36 67**	6742 22 14
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**537 28 00**	4729 04 53
कुल	**12008 64 67**	11471 36 67
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ		
क. राजस्व आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक	**8601 94 25**	8481 09 06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**76 55 42**	120 85 19
	8678 49 67	8601 94 25
घटाएं: प्रारंभ के दौरान समायोजित		-
कुल	**8678 49 67**	8601 94 25
ख. विशेष आरक्षित निधियाँ		
(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार)		
प्रारंभिक	**4000 00 00**	4000 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
कुल	**4000 00 00**	4000 00 00
ग. निवेश आरक्षित निधि खाता		
प्रारंभिक	**565 00 00**	565 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	565 00 00	565 00 00
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
कुल	**565 00 00**	565 00 00
घ. लाभ व हानि खाते में शेष		
प्रारंभिक	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष 2018-19 के लिए निवेशित प्रावधान	-	-
कुल	322 43 00	-
घटाएं	**(322 43 00)**	-
ङ. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक	-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	27 25 51	-
	27 25 51	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
कुल	27 25 51	-
च. लाभ व हानि खाते में शेष		
प्रारंभिक	**(7035 00 05)**	(2748 90 00)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	(4227 23 76)
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित	-	03 02 21
कुल	(7035 00 05)	(7035 00 05)
कुल	**35423 98 71**	34871 59 21

(₹000's)

अनुसूची 3 – जमा	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
क.I. मांग जमा		
i. बैंक को	337 20 02	264 31 16
ii. अन्य को	22936 86 50	24719 54 83
कुल	**23273 92 60**	**24983 85 21**
II. बचत बैंक जमा	**151534 87 37**	**142051 82 86**
कुल	**151534 87 37**	**142051 82 86**
III. सावधि जमा		
i. बैंक को	30487 23 73	34838 85 20
ii. अन्य को	393727 21 78	323886 32 94
कुल	**424214 47 51**	**357726 87 83**
कुल	**599933 27 48**	**524771 86 03**
ख. शाखाओं के जमा		
(i) भारत में	560017 00 12	485083 85 74
(ii) भारत के बाहर	39916 27 36	38777 87 29
कुल	**599933 27 48**	**524771 86 03**

(₹000's)

अनुसूची 4 – उधार	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
I. भारत में उधार		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	1850 00 00	1153 00 00
ii. अन्य बैंक	-	1064 94
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	10993 00 00	277 11 25
iv. अतिरिक्त प्राथमिक बांड	12749 30 00	13314 00 00
(अतिरिक्त टियर II बांड सहित)		
कुल	**25592 30 00**	**25841 16 19**
II. भारत के बाहर उधार		
i. अन्य बैंक	15023 30 44	13167 32 98
ii. अतिरिक्त प्राथमिक बांड	-	-
(टीयर II सहित)		
कुल	**15023 30 44**	**13167 32 98**
कुल	**40592 29 44**	**38808 51 17**

(₹000's)

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
i. देय बिल	1019 37 84	1296 32 81
ii. प्रावधान कराधान (निवल)	2284 74 18	1871 86 23
iii. प्रावधित ब्याज	2197 38 94	2013 07 96
iv. अन्य (प्रावधान सहित)	12478 39 98	12520 08 49
कुल	**18963 88 94**	**17700 89 59**

(₹000's)

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
i. (विदेशी मुद्रा नोट सहित) हाथ में नकदी	3203 56 07	3649 16 05
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में – जमा खाते में	20713 33 03 -	19450 87 76 -
कुल	**20713 33 03**	**19450 87 76**
कुल	**23916 89 10**	**23100 03 81**

(₹000's)

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष तथा मांग और अल्पसूचना पर धन	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
I. भारत में		
i. बैंकों में धन		
क. चालू खातों में	15 90 60	77 87 48
ख. अन्य जमा खातों में	-	-
कुल	**15 90 60**	**77 87 48**
ii. मांग और अन्य सूचना पर धन		
क. बैंकों में	-	208 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में	2500 00 00	1000 00 00
कुल	**2500 00 00**	**1208 00 00**
कुल	**2515 90 60**	**1285 87 48**
II. भारत से बाहर		
i. चालू खातों में	11029 28 15	4771 47 93
ii. अन्य जमा खातों में	13851 66 52	17342 18 00
iii. मांग और अन्य सूचना पर धन	8239 73 02	4520 77 31
कुल	**33117 68 69**	**26634 41 92**
कुल	**35633 67 29**	**27312 29 40**

(₹000's)

अनुसूची 8 – निवेश	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को	
I. भारत में निवेश : सकल		1531 34 39 07		1481 01 45 48
घटाएं: मूल्यह्रास व एन पी आई के लिए प्रावधान		2874 34 99		2338 12 26
भारत में निवल निवेश		**1528460 04 08**		**1428753 32 10**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ		1353376 27 86		1276612 21 83
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		1 49 87		1 09 87
iii. शेयर		1837 23 15		3540 36 15
iv. डिबेंचर और बांड		9915 01 01		9170 72 85
v. अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यम		746 21 41		746 21 41
vi. अन्य		2578 79 08		2636 27 89
कुल		**1528460 04 08**		**1427533 32 10**
परिचालन के लिए धारित	88026 87 83		100305 98 40	
बिक्री के लिए उपलब्ध	61811 64 88		42493 06 50	
परिपक्व के लिए धारित	221 72 37		254 27 20	
कुल	**150460 04 08**		**142753 32 10**	
II. भारत के बाहर निवेश- सकल		**2538 95 43**		**1311 55 65**
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		13 91		11 01 01
भारत के बाहर निवल निवेश		**2525 25 52**		**1300 34 64**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय मुद्रा सहित)		1408 34 03		343 49 16
ii. अनुषंगियों और/ या संयुक्त उद्यम		166 30 73		166 30 73
iii. अन्य निवेश		850 28 96		790 55 02
कुल		**2525 25 52**		**1300 34 64**
परिचालन के लिए धारित	252 54 78		259 77 87	
बिक्री के उपलब्ध	2272 70 74		1040 57 07	
परिपक्व के लिए धारित	-		-	
कुल	**2525 25 52**		**1300 34 64**
कुल		**1532985 29 60**		**1444053 67 04**

(₹000's)

अनुसूची 9 – अग्रिम	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
क.i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गए बिल	**15363 78 78**	**15363 46 74**
ii. रियायत ब्याज, अदेय बुकिंग और अन्य मद घटाए गए पुनर्खरीद	1786808 20 19	1037123 12 26
iii. मांगपर ऋण	2303364 11 87	2021116 39 64
कुल	**4277727 26 84**	**3381702 98 64**
ख.i. मूर्त आस्तियों द्वारा सांपार्श्व (यथा ऋणों सहित)	3487964 60 58	3036862 38 63
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रत्याभूत	10089 78 50	12078 67 39
iii. अप्रतिभूत	779673 87 76	633763 94 72
कुल	**4277727 26 84**	**3381702 98 64**
ग.i. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता क्षेत्र	1794027 76 19	1579898 94 20
ii. सरकारी क्षेत्र	33179 54 85	18181 28 76
iii. बैंक	4050 50 57	1454 45 64
iv. अन्य	1945924 83 19	1790002 42 45
कुल	**4027687 44 80**	**3352518 02 58**
II. भारत से बाहर अग्रिम (अन्य बैंकों से देय)		
i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गए बिल	17009 55 65	9584 08 43
ii. सरकारी/संयुक्त ऋण	8639 66 59	6233 05 53
iii. अन्य	4532 18 01	13508 21 65
कुल	**250039 82 25**	**29183 95 66**
कुल	**4277727 26 84**	**3381702 98 64**

(₹000's)

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को	
I. परिसर				
लागत मय/मूल्यांकन पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8035 83 48		6758 27 30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	139 58 91		5 22 32	
	8175 42 39		6763 49 62	
वर्ष के दौरान किया गया मूल्यांकन	-		1272 43 02	
	8175 42 39		8035 92 64	
वर्ष के दौरान समायोजित	7 42		9 16	
	8175 34 97		8026 83 48	
लागत तिथि तक मूल्यह्रास	926 70 03		828 08 24	
		7248 64 94		7198 75 24
II. अन्य अचल आस्तियाँ				
(फर्नीचर और फिक्चर सहित)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	3786 00 38		3511 19 50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	383 96 05		326 18 52	
	4169 96 43		3837 38 02	
वर्ष के दौरान आस्तियाँ	154 68 19		51 35 64	
	4015 28 24		3786 00 38	
लागत तिथि तक मूल्यह्रास	2855 88 82		2666 38 38	
		1159 39 42		1119 79 04
III. मूर्त आस्तियाँ				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान आस्तियाँ	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
लागत तिथि तक मूल्यह्रास	68 24 28		68 03 18	
	3 53 01		3 84 11	
लागत मय मूल्य प्रावधित लाभांश पहला	34 01		65 11	
		2 19 00		2 19 00
कुल		**8410 23 36**		**8318 64 32**

(₹000's)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को
I. अर्जित ब्याज	5693 14 50	4717 56 51
II. अग्रिम रूप से भुगतान कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)	13637 57 12	7281 20 47
III. लेखन सामग्री व स्टाम्प	4 03 00	2 17 40
IV. पूर्व की तारीख में प्राप्त की गई या देय लेकिन अप्राप्त आस्तियाँ	75 85 55	13 45 55
V. अन्य	15207 39 11	15112 76 93
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ	3335 03 00	3771 20 00
कुल	**38001 20 37**	**32898 47 27**

(₹000's)

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		1 39 27 74 25		7804 83 34
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं		36 00		75 06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		2752352 55 18		2192287 58 69
IV. गारंटियों की ओर से दी गई गारंटियाँ				
क. भारत में	38629 01 69		39664 99 03	

केनरा बैंक

यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता

ङ.	ब्याज के रूप	159 01 23		198 06 03
			38789 42 92		39583 65 36
V.	गतिविधियाँ, पूंजीगत और अन्य आस्तियाँ		28919 42 55		24349 95 77
VI.	कर पूर्व किसी दिए गए वर्ष के लाभ/हानि का ब्यौरा है				
क.	पूर्व वर्षों से निवल हित के लाभ/हानि का	-		-	
ख.	ब्याज	2169 61 38		1902 10 78	
			2169 61 38		**1902 10 78**
	कुल		**35983 22 29**		**29723 89 00**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ

(₹000's)

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	वर्ष 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	34318 28 25	25030 44 14
II. निवेशों पर ब्याज	10807 56 66	10412 09 68
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अल्प अवधि बैंकों में जमाराशि पर ब्याज	828 61 07	645 90 03
IV. अन्य	725 54 28	1036 50 35
कुल	**46681 34 18**	**41252 08 76**

(₹000's)

अनुसूची 14 – अन्य आय	वर्ष 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1171 53 21	1159 82 23
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	492 36 04	1922 89 73
III. निवेशों के मूल्यांकन पर हानि	(79 56)	-
IV. भूमि/भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	(2 86 07)	(4 53 81)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ – निवल	632 60 53	537 92 98
VI. निवेश/ भारत में समाविष्ट अनुषंगियों/सहयोगियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय	53 16 90	53 32 41
VII. विविध आय	4021 95 32	3233 49 84
कुल	**6574 95 60**	**6942 85 24**

(₹000's)

अनुसूची 15 – ब्याज दिया गया धारण	वर्ष 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I. जमा पर ब्याज	30098 45 20	27136 30 13
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य बैंक उधारों पर ब्याज	1051 98 76	720 48 75
III. अन्य (टियर I व टियर II बांड ब्याज सहित)	1181 78 90	1232 11 37
कुल	**32332 22 81**	**29088 79 25**

(₹000's)

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	वर्ष 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	5675 11 42	5444 10 53
II. किराया, कर, रोशनी	966 95 85	821 85 59
III. मुद्रण व लेखन सामग्री	52 35 86	55 70 31
IV. विज्ञापन व प्रचार	33 70 72	36 42 55
V. बैंक की संपत्ति का मूल्यह्रास	416 83 73	446 04 50
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय	48 87	62 38
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (व्यय लेखापरीक्षकों सहित)	67 36 30	77 96 28
VIII. विधि प्रभार	58 78 17	53 06 53
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि	56 65 86	50 33 13
X. मरम्मत और अनुरक्षण	314 77 35	279 83 07
XI. बीमा	494 36 11	445 33 31
XII. अन्य व्यय	2304 82 34	1743 78 48
कुल	**10462 20 75**	**9557 83 54**

अनुसूची – 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(1) (क) लेखांकन की परंपरा :
परिचालित लागत परंपरा के अनुसार लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये लागत पद्धति की उपार्जन आधारित लेखाकार्य के सिद्धान्त अनुसार हैं, ये भारत में प्रचलित मान्यताएं तथा सांविधिक लेखा विनियम (विनियम) के अनुरूप हैं, जिसमें बैंकिंग कंपनियों के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा कंपनियों के लेखांकन प्रावधान, भारतीय सनदी लेखापालों संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शन नोट निर्धारित मानदंड/दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित अन्य व्यवहार हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, स्थानीय देशों में प्रचलित उपयोगों और प्रथाओं का अनुसरण किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग :
वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन द्वारा की आपत्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाले अनुमानों तथा के संबंध में वित्तीय विवरणों की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को करने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं तथा, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन का परिणाम तथा भविष्य में संशोधन की जाएगी।

(2) विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहार दर्ज की आरंभिक तारीख पर या प्रचलित दरों पर अभिलिखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का विदेशी विनिमय विभाग द्वारा प्रकाशित विदेशी मुद्रा संदर्भ दरों के आधार पर प्रचलित दरों पर मूल्यांकित किया गया है। मुद्रा स्तर में लाभ/हानियों विनिमय अंतरों को विनिमय दरों के लाभ-हानि खाते में समायोजित किया गया है।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदारों या देनदारों को अंतिम विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष मदों को बैंक द्वारा निश्चित अवधि पर मूल्यांकित किया गया है।
परिचालनों पर देनदारों (जैसे मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अवशेष विदेशी विनिमय दरों पर तथा गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (अचल मौद्रिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों) के अंतर्गत विदेशी विनिमय दरों पर लेखांकित किया गया है। विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतर्गत

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

(जारी...)

[9] अचिह्नित का समायोजन :
प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी अचिह्नित की समायोजन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो अमूर्त मौल राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपेक्षा अवसान है तो, प्रावधान किया जाता है। और इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

[10] निवेशों का वर्गीकरण :
क) निवेश को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है
क1) सांविधिक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनिवार्य अधिग्रहण तथा अनिवार्य निवेशों पर लाभांश की गणना की गई है।
ख) अनिवार्य बिल, सर्टिफिकेट (सावधि जमाओं के अलावा), डिबेंचर, इक्विटी तथा अन्य विकल्प का लाभ की गणना स्थगित की गई है।
ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसकी घोषणा की जाने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
घ) मुनाफा रहित बिल या लाभ के संबंध में संबंधित विभिन्न लाभ लाभ खाते को तोड़-मोड़ खाते में प्रभारित किया जाता तथा अमूर्त का उसकी गणना लाभ के रूप में की जाएगी।

[11] कर्मचारी लाभ :
11.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं:
परिभाषित अंशदान योजनाएं जिसमें बैंक परिभाषित निधि / बिना निधि की लाभ के रूप में गणना किया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
ऐसे नए कर्मचार कुल अधिकारी / कर्मचारी जो सेवानुसार बैंक योजना से सम्बद्ध करने के पात्र नहीं हैं, बैंक 01-08-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए सभी सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई बैंक योजना (एनपीएस) प्रस्तावित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है। इस योजना के अनुसार, बैंक द्वारा नए कर्मचारी अपने कुल वेतन के 10% अंशदान करते हैं बैंक से मिल रहे योगदान के साथ पालना में योगदान करते हैं बैंक द्वारा लाभ के वर्तमान उपहार को उस वर्ष के लाभ के रूप में मान्यता देता है जिसमें वे सम्बद्ध हैं।

11.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं :
क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का नियोजन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन उपदान न्यास द्वारा किया जाता है जो नियमितियों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के उपर बैंक की कर्मचारियों के अनिवार्य मूल्य की गणना बीमांकिक आधार पर तथा प्रत्येक रिपोर्ट तारीख के अंतिम कुल की गिनन प्रदान का कर्मचारियों को भुगतान देने के लिए संबंधित कर्मचारियों के लाभ किया गया है।
ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का नियोजन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के लाभ बैंक के कर्मचारियों के वर्तमान मूल्य की गणना प्रत्येक तारीख के अंतिम कुल की गिनन प्रदान का कर्मचारियों को भुगतान देने के लिए संबंधित कर्मचारियों के लाभ किया गया है।

11.3 निर्धारित मूल्य की प्रतिबद्धता लाभ योजना के अंतर्गत कुल मूल्य की गणना प्रत्येक तारीख के अंतिम कुल की गिनन प्रदान के आधार पर की जाती है।
11.4 परिभाषित लाभ के लाभ प्रतिबद्धित लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक मूल्य वर्ष की तारीख में किए गये बैंक प्रतिबद्धित मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। प्रतिबद्धित लाभ / हानि को तुलन आय और हानि खाते में पहचान प्रदान है और उसे तदनुसार भरी किया जाता है।

[12] कराधान के लिए प्रावधान :
क) कराधान लाभ बैंक द्वारा किए गए अनुमान कर और स्थगित कर की कुल राशि है। अनुमान कर लाभ और लाभांशों का कर उपकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और प्रावधान धारा 115 – "आय कर कर के लिए प्रावधान" के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। अन्य विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर, संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर नियमों के अनुसार तय, की गणना में गणते हुए किए जाते हैं।
ख) स्थगित आयकर के परिणाम के कर में समायोजन, निर्धारण कर अवधियों और टाइमिंग तो कि कर की अवधियों के दौरान प्रावधान होता है तथा अवधियों में कर की दरों में लागू परिवर्तन का प्रभाव लाभ खाते में प्रभारित किया जाता है। स्थगित कर परिसंपत्ति को तुलन पत्र में पहचान प्रदान की जाती है जहां पर भविष्य में लाभ के विरुद्ध समायोजन की पूर्ण संभावना है।

[13] आकस्मिक देयताओं का वित्तीय विवरणियों में प्रावधान नहीं दी गयी है।

12.2 निधन लाभ :
लाभ-हानि खाते में निधन लाभ निम्नलिखित के लाभ है :
क) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
ख) कर्मचारी के लिए प्रावधान
ग) कराधान के लिए प्रावधान
घ) आकस्मिक अचिह्नित के लिए प्रावधान
ङ) मानक अचिह्नित के लिए प्रावधान
च) आकस्मिक निधियों हेतु प्रावधान
छ) अन्य कर्मचारी व आकस्मिक प्रावधान

[13] प्रति शेयर आय :
बैंक, अपनी सभी ए अपनी कुल जारी किए गए नियमावली मानक 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना लाभ निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

अनुसूची 18– लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 निवेश :
वर्ष 31.03.2019 को परिसंपत्ति के लिए वर्तमान वर्ष के पहले निवेश का परिमाण भारतीय लाभांश अनुसार (एक एक आय) बैंक की लाभ और परिसंपत्ति टिकाऊ का 14.24% था (पिछले वर्ष 13.01%), जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुपात सीमा के भीतर है।

2 बकाया - लेखा समायोजन :
बकाया-लेखा/लेखापरीक्षा समाधान के मद्दे अधिकारों का निपटान व अंतिम लेखा समायोजन खातों के माध्यम से समूह बैंक हेतु बाह्य अंतिमलेखा (अंतिमता) के अलावा का अन्तरों द्वारा के लिए किया गया है।

3 पारिश्रमिक :
पारिश्रमिक में ₹ 20.93 करोड़ की भारी मूल्य वापसी (पिछले वर्ष ₹ 40.07 करोड़) हुआ अतिरिक्त शामिल है, जिसके मद्दे निवेशों का निपटान आदि भी अंतिम होने के कारण हुई उल्लेख किया गया है।

4 भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण :

4.1 पूंजी : : (₹ करोड़ में)

	मदें	कार्यरत पी	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	सी.ई.टी 1 पूंजी अनुपात (%)	9.31	9.51
(ii)	टी.ई.टी 1 पूंजी अनुपात (%)	9.04	10.30
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.88	2.92
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	11.92	13.22
(v)	बैंक में बकाया सरकार के सहायता का प्रतिशत	73.62	72.55
(vi)	कुल एड हॉल्डिंग पूंजी की राशि (रोकर प्रीमियम सहित)	557.28	4865.00
(vii)	कुल एड अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें कि,	NIL	NIL
	सरकार पेर-सहायी अधिकारी शेयर (पीएनसीपीएस)	NIL	NIL
	सरकार बांड निवेश (पीएनडी)	NIL	NIL
(viii)	कुल एड टीयर 2 पूंजी की राशि, जिसमें कि,	NIL	NIL
	बांड पूंजी निवेश	NIL	NIL
	अधिकारी लेयर पूंजी निवेश : सरकार सहायी अधिकारी शेयर (पीएनसीपीएस) / परिपक्व गैर सहायी अधिकारी लेयर (अपसीपीएस) / परिपक्व सहायी अधिकारी शेयर (अपसीपीएस)	NIL	NIL

4.2 निवेश :
(i) निवेशों का मूल्य : (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
I.	निवेश का सकल मूल्य	155865.34	148413.01
क.	भारत में	153134.39	141101.45
ख.	भारत से बाहर	2530.95	7311.56
II.	मूल्यह्रास, एफवीएचएल के लिए प्रावधान	2960.05	2359.34
क.	भारत में	2874.33	2348.13
ख.	भारत से बाहर	5.72	11.21
III.	निवेशों का निवल मूल्य	152905.29	146053.67
क.	भारत में	150260.04	139753.32
ख.	भारत से बाहर	2525.25	1300.35

(ii) निवेश पर मूल्यह्रास व एफवीएचएल के लिए किये गये प्रावधानों में उतार-चढ़ाव : (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
I.	प्रारंभिक शेष	2359.34	498.60
II.	वर्ष / वर्ष के दौरान बढ़ाये गए प्रावधान	1084.59	2359.71
III.	घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1343.88	498.97
IV.	कुल शेष	2960.05	2359.34

4.2.1 रिपो लेनदेन
(i) रेपो लेनदेन – (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया शेष, 31.03.2019
रेपो के तहत बिक्री प्रतिभूतियां				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	15.00	12597.75	1624.97	NIL
(ii) निजी ऋण प्रतिभूतियां	NIL	262.30	8.42	NIL
(iii) कुल प्रतिभूतियां				
रीपो रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	5.03	3800.82	77.33	NIL
(ii) निजी ऋण प्रतिभूतियां	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii) कुल प्रतिभूतियां				

ii. रेपो लेनदेन – (अंकित मूल्य) भारतीय रिजर्व बैंक रेपो व प्रति रेपो (₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया शेष, 31.03.2019
रेपो के तहत बिक्री प्रतिभूतियां				
(i) निजी ऋण प्रतिभूतियां	95.31	11918.74	529.64	3303.80
(ii) निजी ऋण प्रतिभूतियां	NIL	NIL	NIL	NIL
रीपो रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
(i) निजी ऋण प्रतिभूतियां	191.01	0112.10	565.46	2404.02
(ii) निजी ऋण प्रतिभूतियां	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक जमानतियों अनुपात निवेश परिसंपत्ति :
(i) गैर-सांविधिक जमानतियों अनुपात निवेश की जारीकर्ता विवरण : (₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान निजीकरण सीमा	कम निवेश श्रेणी प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-गैरेड" प्रतिभूतियों की सीमा	अनुधारित प्रतिभूतियों की सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3081.28	315.47	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	4321.13	3000.58	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	1407.72	874.38	0.00	34.56	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	6009.57	1356.03	21.40	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	012.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	2053.88	240.06	0.00	0.00	0.00
(vii)	बांड / सूचीबद्ध ऋण लगानियों के लिए प्रावधान	1007.55	0.00			0.00
	कुल	17607.52	6600.07	21.40	34.56	0.00

कॉलम 4.6.0, के 7 के तहत निवेश की वह राशियां गणना अन्तर नहीं है।

(ii) अन्यत्र गैर-सांविधिक जमानतियों अनुपात निवेश : (₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
सांविधिक पीए	2253.03	528.03
1 जनवरी 2010 के बाद वर्ष के दौरान स्थापित	8.74	1743.89
अनुषंगि उपक्रमों के दौरान स्थापित	208.11	23.90
स्थगनीय अभिलेखन	(1.10)	4.07
कुल योग	2015.13	2253.59
अतिरिक्त कुल प्रावधान	1851.80	1362.32

4.2.3 परिसंपत्ति तक अंकित (एसएनपी) वर्ष को / से बिक्री और अंतरण
रिजर्व वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एसएनपी श्रेणी की कुल बैंक के 5% से अधिक में एसएनपी श्रेणी के कर्मचारियों बेचे। (पिछले वर्ष भी बिक्री एसएनपी श्रेणी के 5% से अधिक ही रही)।

4.3 ऋणनी :
4.3.1 बकाया ऋण बकाया / बकाया ऋण विभिन्न : (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
I.	विभिन्न बकाया का अंकित मूल्यांकन	8315.58	7109.25
II.	बकाया के संबंध बकायों को छोड़ पर दूसरा मूल्य नहीं किये जाने पर कुल राशि	76.29	55.40
III.	विभिन्न में प्रावधान का बैंक द्वारा संचालित की अवधारणा	0.00	0.00
IV.	विभिन्न में होनेवाली बकाया अंकित का समायोजन	0.00	0.00
V.	विभिन्न बही का अंकित मूल्य	76.29	55.40

4.3.2 विभिन्न बकाया खाता ऋण ऋणनी (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	राशि
(i)	वर्ष के दौरान रिपोर्ट वर्ष विभिन्न बकाया खाता ऋण ऋणनी के अंकित मूल्यांकन की राशि (लिखा-जमा)	0.00
(ii)	वर्ष 31 मार्च 2018 को विभिन्न बकायों खाता ऋण ऋणनी की अंकित मूल्यांकन राशि (लिखा-जमा)	0.00
(iii)	विभिन्न बकायों खाता ऋण ऋणनी बकाया की अंकित मूल्यांकन राशि तथा उसका प्रभावी राशि (लिखा-जमा)	0.00
(iv)	विभिन्न बकायों खाता ऋण ऋणनी बकाया का दीर्घ बकाया मूल्य तथा उसका प्रभावी राशि (लिखा-जमा)	0.00

4.3.3 ऋणनी में अंकित एसएनएल का प्रकटीकरण
I. गुणात्मक प्रकटीकरण
बकाया / बकाया के रोड़ ऋणनी उपकरण के उपयोग का, विवरण सहित कुल अनुमोदित क्रेडिट अंकित जमाना नीति स्थापित है।
II. बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में निहित मात्रा का, मुख्य कुल और सार्वजनिक बाजार दरों जैसी विशेषताओं सहित गणित होती है और बाजार दर के अंकित के अनुरूप होती है। बैंक ने टीएन 1 और टीएन 2 बीच जारी किए है और यह पूरी बाजार बैंक जिसी निवेश विभाग के निर्देश पर ये है। नीति दैनिक का बाजार दर के अंकित को भी मापन करने की अनुमति देती है।
बैंक की एसएनएल और अनुषंगियों का उपयोग करने की अनुमति है और बैंकर यदि वैधिक उपयोग की अनुमति है। इन उपकरणों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में बाजार दर के अंकित को प्रभावशील से लिए बल्कि बाजार करने के लिए भी किया जाता है।
वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के तहत अनुमानित में ऋणनी बाजार नहीं किए है।
वर्ष के दौरान कोई ट्रेडिंग लॉस / एसएनएल नहीं किया गया था।
बैंक की निजी पूंजी एसएनएल का बाजार के उद्देश्य से बैंक अनुमानित और एसएनएल नीति प्रोसीजर्स के अनुसार चल रहा है।
विवरण और मापन प्रक्रिया के नए में गणना प्रावधान पर भी किए जाते हैं।
III. आंतरिक प्रावधान नीतियों और प्रमुख विवरण सहित नीति पोर्टफोलियो, कार्यप्रणाली एसएनएल सीमाएं, प्रोसी 01। इसमें विवरण सहित कुल अनुमोदित है। इन आंतरिक नीतियों को निगरानी और नियंत्रित रूप से समीक्षा की जाती है। एसएनएल / निवेश बाजार-दरों पर आंतरिक प्रावधान पोर्टफोलियो पर लागू की जाती है। बकाया ऋणनी की प्रावधानित की निजी अंतर्निहित परिसंपत्ति / देनदार की साख्यों के आधार पर की जाती है।
IV. लेखांकन नीति :
मापन की नीतियां :
• बाजार मूल्य / अंतर्निहित मूल्य के आधार पर मापन की गयी / आय के रूप में लेखांकित न मापा किया जाता।
• बकाया ऋणनी बांड की निजाती अंतर-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बकाया लाभांश मापदंडों के कुल की जाती है। बैंक एसएनएल/एसएनएल मूल्यांकन उद्देश्य अथवा जो एसएनएल प्रयोजन तथा अंतर्निहित मौल की अवधारणा पर अंतर-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बकाया प्रावधानकारी नहीं होता है तो बकाया अंतर-बदली को द्वारा अंतर-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिसंपत्ति के कुछ भाग को बकाया रूप दिया जाता है तो एक भारित लाभ एवं दो एक हानि / लाभ और उपकरणों का मापन एक भाग (अंतर-बदली) (अंतर-बदली) एवं मूल्यांकन की मूल / देयता भाग के उचित लेखांकन किया जाता है।

मूल्य की नीतियां :
• बकाया बकायों में टीएन और बांड का बकाया एक अंकित किया जाता है और अन्य निवेशों में परिसंपत्ति को निवेश किया जाता है।
• बाजार दर का लाभ / लाभ दर नीति (अंतर और एक) का अन्य की गणना / अन्य मान जाता है।
• बांड की लागतों का लाभ के प्रति को ऐसे बैंकिंग के साथ लाभांश बाद का लाभ के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

V. परिचालनात्मक प्रकटीकरण : (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	ऋणनी (अंकित मूल्यांकन राशि)				
	– बाजार जोखिम	1557.72	NIL	4315.584	7109.25
	– ब्रेकेज	5788.55*	2741.51*	NIL	NIL
2	बाजार निवेशों की अंकित				
	– अवधियों (+)	20.19	NIL	NIL	NIL
	– ऋणनी (–)	(4.21)	(5.73)	42.14	183.95
3	लाभ परिवर्तन	NIL	NIL	76.20	55.40
		मांग		समयावधि	
		मूल्य ऋणनी	बाजार दर ऋणनी	मूल्य ऋणनी	बाजार दर ऋणनी
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
4	बाजार दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का समायोजन प्रभाव 100*निवेश)–								
	– बकाया बाजार ऋणनियों पर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	2.93	1.95
	– इक्विटी ऋणनियों पर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	वर्ष के दौरान चरम एवं अधिकतम न्यूनतम 100*निवेश)								
	– बकाया बाजार ऋणनियों पर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	– इक्विटी ऋणनियों पर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	बकाया मांग / एसएनएल के अलावा बकाया ऋणनियों का मूल्य (पिछले वर्ष : ₹ 11.08 करोड़ का लाभ)								

*एसएनएल बैंकरों और एसएनएल से मुक्त परिणाम

अंकित विवरणी सूचकांक रोकर की बकाया राशि रु. 14.08 करोड़ केवल बकाया हेतु

4.4 अंकित पुनर्गठन :
4.4.1 अनजाने आस्तियां : (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
(i)	निवल अंकित पर निवल एनपीए (%)	5.37	7.46
(ii)	एनपीए का आरंभ– बढ़ाव (मात्रात्मक)		
क.	प्रारंभिक शेष	47408.47	34702.84
ख.	वर्ष के दौरान बढ़ाव	15400.16	24760.76
ग.	वर्ष के दौरान कमी / उपलब्धि अतिरिक्त	23704.51	11494.53
घ.	कुल शेष	39224.12	47408.47
(iii)	निवल एनपीए का कुल–बढ़ाव		
क.	प्रारंभिक शेष	28542.40	21648.86
ख.	वर्ष के दौरान बढ़ाव	1003.47	18387.73
ग.	वर्ष के दौरान कमी / उपलब्धि अतिरिक्त	7400.76	11494.33
घ.	कुल शेष	22005.11	28542.40
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का बढ़ाव–बढ़ाव (प्रावधान अलावा स्थगित प्रावधान को छोड़कर)		
क.	प्रारंभिक शेष	18765.71	12718.93
ख.	विनियत प्रावधान–बढ़ाव एसएनएल अतिरिक्त तथा अन्य का समायोजन	96.09	6.69
ग.	वर्ष के दौरान बिक्त तथा राइटअप	13321.94	14684.62
घ.	बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	16200.71	8346.66
ङ.	कुल शेष	16047.77	15763.71

*पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

4.4.2 पुनः संरचित ऋणों का विवरण : (₹ करोड़ में)
वर्ष 31.03.2019 को पुनर्संरचित ऋणों का विवरण

क्रमांक	मदें		सीडीआर					एसएमई					अन्य					कुल				
			मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वर्ष दिनांक वर्ष के 01 अप्रैल को पुनर्संरचित ऋणों (प्रारंभिक आधार)	लाभार्थियों की संख्या	1	0	37	5	43	148	142	1167	251	1708	175	262	1645	309	2391	325	404	2849	565	4143
		बकाया राशि	152.37	0.00	5390.03	741.85	6295.15	27.59	35.27	726.70	149.09	938.64	1058.42	15.58	4386.37	710.34	6169.61	1238.38	50.85	10473.08	1011.17	13354.38
		न्यूनतमी प्रावधान	5.33	0.00	4524.29	733.40	5263.02	0.11	3.68	450.69	123.93	627.19	35.67	27.37	3066.65	712.36	3844.26	41.55	33.05	8043.64	1575.69	9734.43
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	लाभार्थियों की संख्या	0	0	0	0	0	36956	543	12	3	37516	602	130	23	3	758	37760	673	35	6	38474
		बकाया राशि	0.00	0.00	80.71	0.00	80.71	1092.95	20.83	7.89	0.10	1121.78	273.17	7.54	16.81	0.33	297.85	1366.12	28.47	105.32	0.43	1497.34
		न्यूनतमी प्रावधान	0.00	0.00	357.37	0.00	357.32	17.50	21.81	93.42	0.10	132.83	9.19	04.27	754.50	0.75	828.74	26.69	86.08	1400.32	0.80	1513.89
3	वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान पूर्व संरचित ऋणों में समायोजन	लाभार्थियों की संख्या	1	0	-1	0	0	49	-37	-13	0	0	38	-26	-11	-0	0	90	-63	-25	-2	0
		बकाया राशि	311.20	0.00	-311.20	0.00	0.00	4.58	-2.18	-2.80	0.00	0.00	301.56	-31.82	-255.93	-13.81	0.00	617.74	-34.00	-369.93	-13.81	0.00
		न्यूनतमी प्रावधान	10.89	0.00	-10.89	0.00	0.00	0.11	-0.03	-0.08	0.00	0.00	10.55	-1.11	4.27	-13.71	0.00	21.55	-1.14	-6.70	-13.71	0.00
4	वर्ष के दौरान वर्ष के अवधि समाप्तिकाल तथा / या प्रतिरिक्त जोखिम तथा अतिरिक्त प्रावधानों का पुनर्संरचित मानक ऋणों जो अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक ऋणों के रूप में पिछले की अवधारणा नहीं है	लाभार्थियों की संख्या	1	0	0	0	1	81	0	0	0	81	39	0	0	0	39	121	0	0	0	121
		बकाया राशि	152.37	0.00	0.00	0.00	152.37	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	181.64	0.00	0.00	0.00	181.64
		न्यूनतमी प्रावधान	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
5	वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान पुनः संरचित ऋणों का अवधारण	लाभार्थियों की संख्या	0	0	-4	4	0	-1	-86	47	40	0	0	-150	98	52	0	-1	-236	141	90	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	-833.08	833.08	0.00	-0.03	-20.28	13.90	16.41	0.00	0.00	-179.27	-81.65	260.92	0.00	-0.03	-209.05	-709.77	910.45	0.00
		न्यूनतमी प्रावधान	0.00	0.00	-833.08	833.08	0.00	0.00	-20.13	7.39	15.80	0.00	0.00	-94.00	-170.78	260.84	0.00	0.00	-113.31	-796.54	909.75	0.00
6	वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान कोई ऋण पुनः संरचित नहीं	लाभार्थियों की संख्या	0	0	3	1	4	0	59	258	78	425	4	172	304	99	579	12	231	607	178	1028
		बकाया राशि	0.00	0.00	781.54	117.60	899.14	0.00	1.34	96.03	25.31	124.68	131.30	22.91	590.30	45.41	790.02	131.95	24.25	1473.72	188.32	1818.24
		न्यूनतमी प्रावधान	0.00	0.00	512.54	109.04	621.58	0.01	0.49	64.11	25.25	89.86	4.11	6.95	445.00	45.41	496.50	4.12	7.44	1018.68	179.66	1207.88
7	वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित ऋणों (प्रारंभ अवधि)	लाभार्थियों की संख्या	1	0	29	8	38	37057	513	553	216	38719	973	44	1431	263	2711	38031	557	2893	487	41468
		बकाया राशि	311.20	0.00	3715.72	1257.43	5284.35	1116.75	22.30	848.83	141.22	1923.10	1403.48	-210.68	3470.25	671.27	5344.32	2065.63	-188.38	7034.80	2119.92	12051.77
		न्यूनतमी प्रावधान	10.89	0.00	3000.14	1257.43	5168.46	17.75	4.14	527.33	123.03	668.75	50.86	-6.46	3210.82	814.78	4178.97	79.50	-2.56	7064.00	2202.84	10334.28

4.4.3. अंकित पुनः संरचना के लिए अपनी प्रतिभूतिकरण / अपनी पुनः संरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण :
क. बिक्री का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
(i)	खातों की संख्या	5	7
(ii)	एआरसी / अन्यों को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल अंकित)	17.94	6.36
(iii)	समग्र प्रतिफल	79.85	228.87
(iv)	पूर्व के वर्षों में अंकित खातों के संबंध में बाकी बिक्री गयी अतिरिक्त प्रतिफल	Nil	Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर लाभ / हानि	61.91	222.51

ख. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
(i)	अनर्जित्त की बैंक द्वारा बिक्री व एआरसी द्वारा स्वीकृत	1949.34	1973.27
(ii)	अनर्जित्त का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बिक्री व एआरसी द्वारा स्वीकृत	Nil	Nil
	कुल	1949.34	1973.27

ग. प्रतिभूति रसीद पर बैंक ₹ 955.42 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित नहीं हुए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 955.63 करोड़)

घ. प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण (₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 साल में जारी प्रावधान	पिछले 5 साल में 5 साल में जारी प्रावधान	5 साल से अधिक के लिए जारी प्रावधान
I.	अनर्जित्त बैंक द्वारा बेचे गए एसएनए द्वारा स्वीकृत प्रावधान का बही मूल्य	952.00	901.15	5.23*
	(i) के लिए प्रावधान	508.37	391.82	5.23
II.	अन्य बेचे / वित्तीय द्वारा बेचे गए एसएनए द्वारा स्वीकृत एआरसी प्रावधान का बही मूल्य अनर्जित्त प्रावधान / गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां	–	–	–
	(ii) के लिए प्रावधान	–	–	–
	कुल (I) + (II)	952.00	901.15	5.23

* विशेष परिसंपत्ति योजना प्रावधान में

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जित वित्तीय आस्तियों का विवरण
क. खरीदी गई अनर्जित वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	Nil	Nil
	(ख) समग्र प्रतिफल	Nil	Nil
2	(क) पूर्व के वर्ष के दौरान पुनर्संरचनाकृत खातों की संख्या	Nil	Nil
	(ख) समग्र बकाया	Nil	Nil

ख. बेची गई अनर्जित वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2019	31.03.2018
1.	बेचे गए खातों की संख्या	5	7
2.	समग्र बकाया	215.04	607.30
3.	समग्र विक्रय हेतु मूल्य	79.85	228.87

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान : (₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1820.65	1392.83

4.4.6. अंकित वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन
भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया में लेखे में अंकित वित्तीय विवरणियों के गहन के पश्चात, जहाँ कहीं भिन्न विवेच

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can

(जारी...)

(i) ऐसी जमाराशि परिपक्वताओं (उप (ii) के अनुसार) का समायोजित मूल्य	2679.40	2664.75

4.6 विविध :

4.6.1 वर्ष के दौरान आयात हेतु किये गये भुगतानों की राशि : (₹ करोड़ में)

मद	31.03.2019	31.03.2018
आयात हेतु भुगतान (आगमित माल सहित)	(2674.42)	(2338.62)

4.6.2 भारतीय द्वारा अमान्य मा.दे.का. का प्रकटीकरण

दिनांक 08.11.2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) के तहत परिचालन निदेश दे संबंधित लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में आरबीआई के निर्देश के ये अनुपालन के लिए हमारे बैंक का 2.00 करोड़ रुपये (केवल दो करोड़ रुपये) का संचित भुगतान लंबित। बैंक ने 14.03.2019 को भुगतान का भुगतान किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबईदेश विभाग निरीक्षण में बैंक मुंबईदेश विभाग (सीबीयू) को जारी हुआ संचित संचित के आधार पर सीबीयू ₹696.100 (लगभग) दिनांक 06.04.2018 को सीबीयू ₹96.100 का भुगतान लंबित की किया है।

5. लेखांकन मानक :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखे पर दिनांक लेखांकन मानकों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के साथ में समायोजित लेखे बैंक द्वारा जारी लेखे का लिखनेवेदों के अनुपालन में, निम्नलिखित मुख्य का प्रकटीकरण किया जाता है।

5.1 लेखांकन मानक 5 – निवेश अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मद नहीं है।

5.2 लेखा मानक 18 – कर्मचारी लाभ

कर्मियों के कर्मचार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपार्जन, पेंशन और चिकित्सीय सुविधा के संबंध में सामयिक मानकाओं और बैंक के योगदान के लिए विभिन्न मानकों को तय किया गया है।

- लेखांकन मानक में अंतर्निहित मूलभूतियों, धारणा, प्रासंगिकता और अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए विलंब छुट्टी अर्जनीयताओं द्वारा लागू 15 (संशोधित)।
- निवेश अनुपात और अर्जित परिणाम के अनुपात के संदर्भ में दुर्घटना या और मृत्यु के अलावा अवकाश सहित कोई प्रकार के अवकाश सहित हैं।
- कार्यालय छुट्टी के अलावा का.पाए गये कोई भी अवकाश छुट्टी का प्रावधान किया गया है।

मूलभूत बीमांकिक अनुमान

मदें	उपदान	पेंशन	अर्जित छुट्टी
डिस्काउंट दर	7.70%	7.22%	7.70%
छुट्टी पर अपेक्षित रिटर्न	8.50%	8.50%	–
वेतन में बढ़ोतरी	5.50%	5.50%	5.50%
पेंशन में बढ़ोतरी	–	2.00%	–
मृत्यु दर	आई.ए.एल.एम. (2006–08)	आई.ए.एल.एम. (2006–08)	आई.ए.एल.एम. (2006–08)

इकाइयों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन (₹ करोड़ में)

क परिभाषाकृत दायित्व लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)

	विवरण	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1989.81	1786.30	11969.61	10001.48	1070.65	972.56
2	ब्याज लागत	115.16	112.70	922.30	901.40	83.28	54.38
3	वर्तमान लागत	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	88.01
4	विगत सेवा लागत	–	145.30	–	–	–	–
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	43.27	44.96	177.04	308.17	165.89	219.49
6	लाभ भुगतान	336.75	235.61	1073.23	1065.47	237.92	232.79
7	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1950.68	1988.81	12817.69	11969.61	1135.17	1070.65

ख आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

1	वर्ष की शुरुआत में योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	1810.62	1715.43	12007.19	10001.48	–	–
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	136.90	137.31	1020.61	872.12	–	–
3	एक्चुएरियल अंतरों अंतरण	543.10	–	1051.08	1076.82	–	–
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	36.03	(7.51)	(110.16)	222.24	–	–
5	लाभ भुगतान	336.75	235.61	1073.23	1065.47	–	–
6	वर्ष के अंत में योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	2089.90	1810.62	12806.40	12007.19	–	–

वर्ष 31 मार्च, 2019 को तुलनपत्र में परिलक्षित निवल आस्ति / देयता (₹ करोड़ में)

	विवरण	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	परिभाषित लाभ दायित्व का उचित मूल्य	1950.68	1988.81	12817.69	11969.61	–	–
2	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	2089.90	1810.62	12806.40	12007.19	–	–
3	निवल निधि (आस्ति / (देयता)	139.31	(178.19)	76.70	41.58	–	–
4	तुलनपत्र में परिलक्षित निवल आस्ति / (देयता)	(139.31)	(178.19)	76.70	41.58	–	–

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशित लाभ उपार्जन (₹ करोड़ में)

	विवरण	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	उपार्जन लाभ लागत (पूर्वावधि बीमांकन हानियों के उपरांत अर्जित लाभित)	115.16	112.70	922.30	901.40	83.28	54.38
2	ब्याज लागत	140.17	134.53	825.17	788.02	73.27	88.01
3	योजनाबद्ध आस्तियों से प्रत्याशित रिटर्न	136.90	137.31	1020.61	872.12	–	–
4	विगत सेवा लागत	–	145.30	–	–	–	–
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	7.24	52.47	288.50	157.93	165.89	219.49
6	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल निवेशित लाभ	126.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88

कोई भुगतान न होने के कारण, बैंक ने निवेशमूल्य उपदान का अपेक्षाकृत छुट्टी पर ₹27.25 करोड़ उपार्जन लगाया है।

वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2019 हेतु तुलनपत्र में परिलक्षित निवल आस्तियाँ / देयताओं का समाधान (₹ करोड़ में)

	मदें	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	आरंभ के उपार्जन का निवल आस्ति / (देयता)	378.19	70.50	(41.58)	0.00	1070.65	972.56
2	निवेशित व्यय	126.69	307.69	1014.86	1035.24	302.44	330.88
3	निवेशित योगदान	543.10	–	1051.08	1076.82	–	–
4	प्रदत्त लाभ	–	–	–	–	237.92	232.79
5	अधिग्रहण / व्यापार मूल्य	–	–	–	–	–	–
6	आस्ति के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	(139.31)	378.19	(76.70)	(41.58)	1135.17	1070.65

नई पेंशन योजना योगदान

1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी कर्मियों के अधिकारियों के लिए बैंक की एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास किया जाता है। समूह अंशदायी निवेशमूल्य योजनाओं का एकत्रीकरण के लिए केंद्रीय रिकार्ड संधारण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ₹ 163.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 126.02 करोड़) का योगदान दिया है।

5.3 लेखांकन मानक- 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग अ – प्राथमिक खंड (₹ करोड़ में)

प्राथमिक खंड	वर्ष समाप्त	
	31.03.2019	31.03.2018
(1) खंड राजस्व		
क ब्याजेतर परिचालन	11992.80	12078.12
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	19623.91	17782.12
ग थोक बैंकिंग परिचालन	31260.96	10481.04
घ गैर आवंटित	597.60	1056.06
कुल	63385.30	40194.94
घटाएं : आय पर राजस्व	0.00	0.00
परिचालन से आय	63385.30	40194.94
(2) खंड परिणाम		
क ब्याजेतर परिचालन	3593.41	4303.58
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	3190.91	3661.81
ग थोक बैंकिंग परिचालन	3803.06	928.78
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
कुल	10586.40	8892.18
गैर आवंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	(13623.81)	(15053.04)
कर से पहले कुल लाभ	(3037.41)	(6160.86)
आय कर	(2674.42)	(2338.62)
निवल लाभ	347.00	(4222.24)

(₹ करोड़ में)

(3) खंड संपत्ति	31.03.2019	31.03.2018
क ब्याजेतर परिचालन	170693.30	161593.29
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	196809.39	179009.24
ग थोक बैंकिंग परिचालन	275267.06	244066.78
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आवंटित	41470.94	36019.79
कुल संपत्ति	684240.69	619688.10
(4) खंड देयताएँ		
क ब्याजेतर परिचालन	170893.30	151133.43
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	189014.36	159258.33
ग थोक बैंकिंग परिचालन	259472.40	240011.28
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आवंटित देयताएँ	34193.26	30984.23
कुल देयताएँ	653573.32	581387.27
(5) निवेशित पूंजी	31.03.2019	31.03.2018
क ब्याजेतर परिचालन	623.95	10654.69
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	8555.03	18743.91
ग थोक बैंकिंग परिचालन	10714.57	655.52
घ अन्य बैंकिंग	0.00	0.00
ङ गैर आवंटित	7203.60	5151.58
निवेशित कुल पूंजी	35117.35	35004.83

भाग ब: भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

भौगोलिक खंड	वर्ष समाप्त	
	31.03.2019	31.03.2018
(1) राजस्व		
क देशी	52003.52	40388.63
ख विदेशी	1381.78	1306.41
कुल	53385.30	40194.94
(2) आस्तियाँ		
क देशी	630010.55	560817.56
ख विदेशी	50705.14	58870.54
कुल	680715.69	619688.10

इसे भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.8/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

5.4 लेखांकन मानदंड- 18– संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

i) श्री सुनील कुमार, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2018 तक)
ii) श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)
iii) श्री एल वी राव, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री देवाशीष पुजारी, कार्यपालक निदेशक
v) श्री ए. मणिमेखलाई, कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 तक)

5.4.2 प्रधान –

i) केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगिकी –

i) केनरा म्यूचुअलफंड आर्टिकल लि
ii) केनरा रोबेको फैक्टरिंग लिमि लि
iii) केनरा फैक्टर्स लि
iv) केनरा रोबेको आर्थिक, प्रबंधन सेवाएँ लि.
v) केनरा बैंकएश्योरेंस लि.
vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले सिंडिकेट सेक्यूरिटीज लिमिटेड लि. था)
vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि
viii) प्रायोजक बैंक (सहयोगियाँ) नहीं

5.4.4 संयुक्त उद्यम

i) कार्पोरेशन ट्रस्ट बैंक एजेंसीज, मॉरीशस (पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया एजेंसीज, मॉरीशस)

5.4.5 सहायक संस्थाएं

i) केनरा बैंक लिमिटेड
ii) कॉर्पोरेशन ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
a) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (मुख्यालय प्रगति ग्रामीण बैंक)
b) केरल ग्रामीण बैंक (मुख्यालय मलप्पुरम, केरल ग्रामीण बैंक)

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा):

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय (मानवसंसाधन), भारत सरकार ने देश के आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटीज, आईआईएसईआर, एनआईडी आदि जैसे संस्थान जिन्हें स्वतंत्र उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण के लिए और अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष प्रयोजन के माध्यम से एक नया प्रयास करने हेतु हमारी स्थापना की है।

इसके आधार पर एनएचएआई ने रु. 2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिदान पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) की स्थापना की प्रस्ताव रखा: एनएचएआई ने रु. 1,200 करोड़ का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने रु. 100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, एनएचएआई ने इस इकाई को और के माध्यम से आवश्यकता और विकासशील आवश्यकता की पीठ को बढ़ाया: अधिदान पूंजी को बढ़ाकर रु. 10,000 करोड़ कर दिया गया है। रु. 6,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी उधार करेगा और केनरा बैंक रु. 500 करोड़ का योगदान देगा। 31.03.2019 तक, एनएचएआई ने रु. 2,512.50 करोड़ की पूंजी का प्रदान की है और केनरा बैंक ने क्रमशः रु. 251.25 करोड़ का योगदान दिया है। 31.03.2019 तक, कंपनी ने रु. 2,534.47 करोड़ के संचालन के साथ सकारात्मक लाभ की रीतिया बनाया हुए रु. 17.340 करोड़ का मुनाफा दर्ज है।

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

i) कुल प्रबंधन कार्मिक का परिश्रमिक निम्नानुसार है

क्रम	मदें	2018-19	2017-18
a) वेतन तथा	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2018 तक)	17.17,423.80	30,27,202.00
b) भत्ते तथा अन्य	कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)	26,14,949.13	35,18,434.00
c) भत्ता बैंक का	कार्यपालक निदेशक	26,51,820.78	11,73,709.67 (from 03.10.2017)
d) निवेशित पूंजी	कार्यपालक निदेशक	20,33,182.36	2,75,934.29 (from 13.02.2018)
e) पूर्व कर्मचारियों	कार्यपालक निदेशक (31.02.2019 तक)	3,54,387.70	-
f) की प्रतिपत पूंजी	कार्यपालक निदेशक (31.05.2017 तक)	-	5,50,851.40
g) की पेंशन अंशदान	कार्यपालक निदेशक (31.05.2017 तक)	-	4,94,703.05
	कुल	101,71,713.57	83,47,264.39

लेखांकन मानक 18 की पैरा 9 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके रिश्तेदारों के लेन-देन संबंधित बैंक-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.7 अनुषंगियों, सहायक संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है : (₹ करोड़ में)

मदें	अनुषंगियाँ	सहायक संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	रिश्तेदारों के संबंधी	कुल
प्रदान –	0.03	75.96	–	–	75.99
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.03	75.96			75.99
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(6.14)	(275.00)			(275.14)
जमाएं –	90.47	617.67	–	–	718.14
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(97.34)	(17.39)			(114.73)
	100.47	617.67			718.14
	(97.34)	(17.39)			(114.73)
जमाओं का निर्माण –	13.90	NIL	–	–	13.90
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(NIL)	(NIL)			(NIL)
	18.20	NIL			18.20
	(NIL)	(NIL)			(NIL)
अग्रिम –	396.00	3453.17	–	–	3851.17
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(308.02)	(2780.81)			(3087.83)
	425.00	4035.47			4460.47
	(310.50)	(3189.78)			(3500.28)
अग्रिम संपत्ति की खरीद	-0.02	NIL	–	–	-0.02
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(NIL)	(NIL)			(NIL)
	-0.02	NIL			-0.02
	(NIL)	(NIL)			(NIL)
बाहर खाता में शेष –	2.50	52.60	–	–	55.25
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(8.69)	(20.87)			(21.56)
	4.78	157.76			162.54
	(6.93)	(22.06)			(22.99)
आय प्राप्त –	0.03	NIL	–	–	0.03
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(45.00)	(22.28)			(67.28)
	0.03	NIL			0.03
	(45.00)	(22.28)			(67.28)
अन्य बैंक अधिकारिता संव्यवहार – जारी किए गए –	NIL	3.80	–	–	3.80
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(NIL)	(140.97)			(140.97)
	NIL	3.80			3.80
	(NIL)	(140.97)			(140.97)
समेकित प्राप्य –	13.31	0.07	–	–	13.38
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(6.12)	(0.09)			(6.21)
	13.31	0.07			13.38
	(6.12)	(0.09)			(6.21)
अन्य देय –	NIL	NIL	–	–	NIL
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	(NIL)	(NIL)			(NIL)
	NIL	NIL			NIL
	(NIL)	(NIL)			(NIL)
प्रदत्त ब्याज	0.03	10.97	–	–	11.12
	(1.42)	(2.42)			(3.85)
प्राप्त ब्याज	34.30	209.91	–	–	233.21
	(5.09)	(119.78)			(124.77)
प्राप्त लाभांश	10.71	7.00	–	–	17.70
	(12.14)	(7.00)			(19.14)
प्रदत्त डीमैटिरियल	232.02	NIL	–	–	232.02
	(211.57)	(NIL)			(211.57)
सेवा उपलब्ध कराया	271.21	3.03	–	–	274.24
	(176.49)	(31.41)			(207.90)
सेवाओं से प्राप्त	13.36	NIL	–	–	13.36
	(21.28)	(NIL)			(21.28)
बीएसई को जारी गारंटुल के संबंध में गारंटी	NIL	NIL	–	–	NIL
	(NIL)	(NIL)			(NIL)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष का आंकड़े दिए गए हैं)

5.4.8 वर्तमान – संयुक्त उद्यमिता (₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष 2018-19 के लिए	वर्ष 2017-18 के लिए
अंशित संयुक्त उद्यमिता के लिए कुल राशि	3882.22	3233.29
उपलब्ध –20 प्रतिशत-संयुक्त उद्यमिता की कुल राशि	3882.22	3233.29
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम पर बैंक के कुल अंशित में अंशत संयुक्त उद्यमिता का परिमाण	0.49%	0.40%
अंशत-संयुक्त उद्यमिता पर संभव का संयुक्त उद्यम लेनदेनकर्ता कार्यवाही, यदि कोई हो तो	NIL	NIL

5.5 लेखा मानक- 20- प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है

	मदें	2018-19	2017-18
क	इक्विटी शेयरधारकों के लाभ वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ में)	347.02	(4222.24)
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	73.32	73.32
ग	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	73.32	59.32
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क / ग) (₹)	4.71	(70.47)
ङ	प्रति शेयर नामांकित मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक- 22- आय पर कर का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारित किया है और वर्ष 31.03.2019 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है

आस्थगित कर आस्तियाँ व आस्थगित कर देयताओं के समूह द्वारा निम्नानुसार है (₹ करोड़ों में)

मदें	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	358.40	372.23	-	-
निवेश आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-	(17.54)	23.68
निवेश पर मूल्यह्रास	-	-	1721.06	1705.19
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	4414.27	4458.37	-	-
डिफेंड आस्थगित निवेशों पर	-	-	1397.78	1384.32
कर योग्य हानियां	1505.84	-	-	-
अन्य	48.81	53.72	-	-
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	6327.32	4884.32	3101.30	3113.19

वर्ष 31 मार्च, 2019 को निवल आस्थगित कर आस्तियां : ₹3226.02 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर आस्तियाँ ₹1771.22 करोड़)

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने डीटीए को पहचान ने कर योग्य हानि की उपलब्धता की उपयोगी निश्चितता के आधार पर रु. 1505.84 करोड़ तक राशि कर योग्य अवशेष (कारु वर्ष के लिए) में संबंधित परिवर्तन किया है, जिसके परिणाम डीटीए को समायोजित किया जा सकता है।

5.7 अनुषंगियों, संयोजन के मुनिमलाभ के लिए समेकित पहल के एक भाग के रूप में, जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार थी है, बैंक ने कुछ परिभाषित सेवाओं से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने लगभग, बहरीन और लक्जेमबर्ग, मूल में अपना परिचालन बंद कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने लंदन (यूके) और जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में अपने परिचालन को बंद करने की सुविधा दी है।

5.8 लेखांकन मानक- 27– संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग

निवेश में कार्पोरेशन बैंक और इंडिया एक्स.एस.बी. (भूतपूर्व सिंडिकेट) 173.22 करोड़ अंशित है (इन-पर की संयुक्त की दिनांक 30 पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

कार्पोरेशन बैंक यूनिट इंडिया एस.एस.बी. – परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, आय तथा व्यय का ब्योरा

मदें	31.03.2019 को समाप्त वर्ष*	31.03.2019 को समाप्त वर्ष*	बैंक का शेयर 40%	31.03.2018 को समाप्त वर्ष*	31.03.2018 को समाप्त वर्ष*	बैंक का शेयर 40%
	अमेरिकी डॉलर में करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर में करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूंजी व अर्जित निधियां	23.710.00	205.45	82.18	35814.00	232.35	93.34
कुल देयताएं	42.412.00	293.33	117.32	80556.00	560.21	224.08
कुल आस्तियाँ	72.122.00	498.78	199.50	126302.00	825.56	329.42
कुल आय	6.530.00	40.10	16.04	8092.00	52.04	21.02
कुल व्यय	6.054.00	60.00	24.00	1620.00	10.50	4.20
लाभ	(1.518.00)	(10.01)	(5.12)	(5385.00)	(35.00)	(14.00)

लाभांश के लिए की गई विनियम दर

- रुपये और डॉलर (1 यूएसडी = 69.1540)
- डॉलर और पाउंड (1 यूएसडी = 70.4750)

5.9 लेखांकन मानक- 29– आस्तियों की क्षति :

बैंक की राय का परिनिर्धारित परिमाण के अनुसार 29 जो कि आस्तियों के महत्व मानों की अनुसूची नई हैं लागों है इस वर्ष के लेखांकन पर क्षति हेतु आस्तियों की समीक्षा की जाएगी। अर्जित व अनुमत होने वाले आस्तियों के अनुसूची की संकेतक आस्तियों के महत्व राशि से अधिक कुल प्रावधान संचालित समूहन निवल मूल्य-उपयोग मानक द्वारा की मूल्यांकन करने के कुल की जा रही है। यदि ऐसी आस्तियों की क्षति पाने से उस क्षति की तारीख व प्रकटित उस राशि कुल किया जाएगा जो आस्तियों के अनुसूची, जैसा कि ये अंकित आस्तियों का महत्व रखते हैं। पहले, बैंक प्रबंधन की राय में पिछले वर्ष में लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति समूह के उस वर्ष के दौरान किसी भी लागतों का प्रावधान नहीं है।

5.10 लेखांकन मानक- 29– प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ : (₹ करोड़ों में)

विवरण	01.04.2018 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	समाप्त / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2019 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का गठन	904.86	286.76	287.20	1104.42

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्योरा : (₹ करोड़ों में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
निवेश मूल्यह्रास / एन पी आई के लिए प्रावधान	369.55	1801.81
अन्यान्य आस्तियों के लिए प्रावधान	12722.82	14882.73
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान	403.58	4.74
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर देयता सहित)	(2674.42)	(2338.62)
प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए प्रावधान	(155.10)	(516.35)
मानकीकरण और संबंधित हानियों के लिए प्रावधान	8.00	7.07
बैंक ऋण संबंधित के लिए प्रावधान	(4.33)	(23.72)
अन्य आकस्मिकताओं तथा एक बार की मदों के लिए प्रावधान	(410.20)	(140.14)
कुल	10243.85	13770.46

6.2 के तुलनपत्र प्रावधान : (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	NIL	NIL
वर्ष के दौरान प्रावधान	NIL	NIL
वर्ष के दौरान आहरण राशि	NIL	NIL
शुद्ध शेष	NIL	NIL

6.2 ख आकस्मिक निधियों से आहरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 18.04.2016 के क्रम में, मोरेटोरियम खातों के लिए अन्य आकस्मिक निधियों में से 322.40 करोड़ के आकस्मिक प्रावधान को रोक कर दिया गया है।

6.3 रिजर्वताएं / बैंकिंग लेनदेनों के निर्माण के लिए कार्यान्वयन का प्रकटीकरण

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम संबंधित शिकायतों सहित):

क्रम सं.	मदें	31.03.2019	31.03.2018
(a)	वर्ष के आरंभ में अंशित शिकायतों की संख्या	3254	3185
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	93103*	93270
(c)	वर्ष के दौरान निपटाए शिकायतों की संख्या	94017	93187
(d)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1742	3254

इसमें वर्ष के अन्त बैंक के दायित्व में अपने कारण का दायित्व से संबंधित शिकायतों की संख्या – 46220

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्रम सं.	मदें	31.03.2019	31.03.2018
(a)	वर्ष के आरंभ में देय –अनिर्णित निर्णयों की संख्या	NIL	NIL
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	12	01
(c)	वर्ष के दौरान निपटाए निर्णयों की संख्या	12	NIL
(d)	वर्ष के अंत तक लंबित अनिर्णित निर्णयों की संख्या	NIL	NIL

6.4 पुनर्गठित आस्तियों का जारी करना

बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी प्रकार के पुनर्गठित आस्तियों का / संरचना का जारी नहीं किया है। तथा किसी कोई पुनर्गठित आस्तियों का / संरचना नहीं है।

समूहकरण:

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान मेरकेन्टाइल ट्रेड के साथ में कोई भी पुनर्गठित आस्तियाँ का जारी नहीं हुआ है।

बट्टे खाते किए गए पुनर्गठित आस्तियाँ का / संख्या / राशि :

- सीन बैंकिंग मेन्यूफेक्चरिंग कंपनियाँ, सीन (कोई संख्या की और नहीं) – 19 अप्रैल 2006 को जारी
- यू ए ई का संयुक्त बैंक (हमारे अतिरिक्त संस्थान, सहायक की और से) – 03 अगस्त 2006 को जारी
- बहरीन का संयुक्त बैंक (हमारे सहायक संस्था, बहरीन की और से) – 7 जून 2010 को जारी
- मुंबाका अमेरिकी संयुक्त बैंक (सहायक, दक्षिण अमेरिका की ओर से) – 18 मार्च 2011 को जारी

निवेश प्रकार:

बैंक ने अपनी अनुषंगियों का संयुक्त उद्यमों की ओर संयुक्त उद्यम नहीं किया है, अतः बैंक द्वारा एसोसीएट/संयुक्त उद्यम के अधिकार का कोई निवेश प्रकार नहीं है।

सहायकों के संबंध में म्यूचुअलफंड सहायकों की आस्तियों व देयताओं का विलय पहले परिचालन के साथ का किया गया है तथा बैंक के लिए एक संयोजित पुनर्गठन बनाया गया है। म्यूचुअलफंड सहायकों की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक पुनर्गठन की देयताओं का एक हिस्सा है।

अन्य सहायकों की ओर से चालू संस्था वर्ष के कोई आस्थित निवेश प्रकार नहीं है। प्रतिनिध

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

(आगे...)

6.11.2 आय डिबेंचर नोट (सीडीएन) : शून्य

6.12 लाभकारी निकट के लाभकारक निधि की संपत्ति (डीईएफ निधि) (₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2019	31.03.2018
डीईएफ को अर्जित राशि का अवशिष्ट शेष	1382.31	1160.80
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएफ को अर्जित राशि	297.33	241.43
घटाए : दावों के निपटान के लिए डीईएफ द्वारा क्षतिपूर्ति की गई राशि	20.88	20.01
डीईएफ को अर्जित राशि का अंतिम शेष	1658.76	1382.31

6.13 लाभांश वितरण बैंक ने इसकी लाभुकता लगातार प्रोत्साहित करने संबंधी दिनांक 05/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को सलाह दिया है कि अवधारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के साथ निवेशों से बैंक के एक्सपोजर से सकारात्मक लेनदेन वृद्धि के पूंजी प्रदान करें। तदनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, बैंक ने अवधारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए ₹ 23.11 करोड़ (₹ 25.56 करोड़) का विशेष वृद्धि प्रावधान किया है जबकि, जो 31.03.2019 को बैंक के कुल अवधारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरस्स (₹ 150.86 करोड़ (₹ 1127.67 करोड़) की पूर्ति है।

अवधारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में जोखिम लोचित मुद्रा रोकित जोखिम लोचित के प्रावधान के लिए नीतियां

लाभकारी निवेशों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, बैंक द्वारा अवधारित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (मुद्राओं), स्थान का वर्तमान जोखिम व मूल्यांकन (इंडीकेटरों), लाभांश अर्जितता का उपयोग करते हुए मुद्रानीति–आधारभूत सिद्धांतों, दर में परिवर्तन के कारण में अनुमानित होने की संभव को रखते हैं। निवेशक दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को इंडीकेटरों के परिणाम करि अनुमानित हानि/इंडीकेटरी परिणाम के रूप में संचित करता है। निवेशमूलों जोखिम के लिए पर, बैंक द्वारा ऐसे निवेशों की निर्धारित्ता का एक कुल मान परिणाम पर विशेष वृद्धि पूंजी व विशेष वृद्धि प्रावधानिकता (अर्जित पात्र आदि प्रावधानिकता के अतिरिक्त) किया जाता है।

6.14 प्रतिभूति कारोबार अनुपात : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियां (एचएक्यूएलए)		91712.99		82248.55
नकद बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमा, जिनमें से	311670.85	26083.40	269969.62	24014.78
(i)	स्थिर जमा	81715.82	4586.91	87643.62	6382.18
(ii)	कम स्थिर जमा	210993.53	21597.48	202326.01	20232.60
3	गैर प्रतिभूतिकृत थोक वित्तपोषण, जिनमें से	132145.23	77219.83	111281.44	64382.92
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिरूप)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिरूप)	130935.33	75581.64	111281.44	64382.92
(iii)	गैर-प्रतिभूतिकृत ऋणपत्र	1210.90	1638.19	0.00	0.00
4	प्रतिभूतिकृत सुरक्षित वित्तपोषण	4935.70	125.37	6366.32	274.11
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	33231.61	4516.45	29421.94	3512.45
(i)	मुद्रानीति व्युत्पन्नियों व अन्य व्यापारिक आवश्यकताओं से संबंधित अतिरेक	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	उच्चतर जोखिम पर निवेशित हानि संबंधी अतिरेकता	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व संविदागत सुविधाएं	33231.61	4516.45	29421.94	3512.45
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण बाध्यताएं	511.31	511.19	588.82	588.82
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण बाध्यताएं	100071.11	5009.49	115740.86	4344.33
8	कुल नकद बहिर्प्रवाह	582479.77	113505.73	533368.28	97797.41
9	प्रतिभूतिकृत ऋणी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	513.94	0.00	101.84	0.00
10	समूह कार्यान्वयनकृत एक्सपोजर के अतिरेक	29948.91	19523.56	30883.49	21411.33
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	636.44	340.70	720.67	421.02
12	कुल नकद अंतर्प्रवाह	31099.29	19864.24	31705.00	21832.41
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए स्टॉक		91712.99		82248.55
14	कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		93701.38		75964.00
15	एलएसआर अनुपात (%)		107.49%		108.27%

एलएसआर के संबंध गुणात्मक प्रकटन

एलएसआर अनुपात (एलएसआर) एकल का अंतर्गत न्यूनतम 30 दिनों की अवधारण अवधि हेतु बैंक की कार्यरत्ति नकदियों की तनु अवधि समाधान के प्रबंधन के लिए है। एलएसआर, दबाव तीव्र का सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे तत्काल नकदियों की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एलएसआर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है :

उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियों का स्टॉक (एचएक्यूएलए)

एलएसआर = ——————————————————————————

अगले 30 कैलेंडर दिनों में प्रत्याशित कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह

कैलेंडर वर्ष 2018 हेतु न्यूनतम एलएसआर अपेक्षाकृत 90% था जो दिनांक वर्ष 2019 हेतु यह बढ़कर 100% हो गया है।

एचक्यूएलए में स्तर 1 (0% हेयरकट), स्तर 2ए (15% हेयरकट) व स्तर 2बी (50% हेयरकट) शामिल है। स्तर 1 आस्तियों में नकद, अंकित रीजर्वबैंक, अंकित एसएलआर प्रतिभूति, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कोषता में बैंक के एसएलएर का 2% के तहत का रि.बै. द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूति और कार्यरत्ति कारोबार अनुपात हेतु कार्यरत्ति बैंक द्वारा की गई पूंजीता (एमएसएफपीए) 31.03.2019 को कार्यरत में बैंक के एसएलएर का 13% सम्मिलित है।

स्तर 2ए आस्तियों में अंकित एसएलएर निवेश-योग्य प्रतिभूति, निवेश संघटन के अलावा अन्य कुल जारी ऋण-ए अंकित की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉंड व वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्तियों में एसएलएर गैरनिष्पादन निवेशों और/या एक व से कोरोबार संबंधक पुस्तकाकार में शामिल कारकार इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है।

एचएर के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्प्रवाह अगले 30 दिनों में बहिर्प्रवाह के शामिल राशि से अवधारण के मानने का अनुमान होगा। पूंजीत व अंकित कार्यरत्ति संबंधी के निवेशन में बैंक निवेशन की पूंजीता में निवल रा-अंकित बंधन शामिल है।

एलएसआर के प्रमुख इकाई बैंक द्वारा चालित अंतिमित एसएलआर के स्तर को पूंजीत व बैंक निवेशन बोर्ड के अनुसार है।

बैंक के पास वर्ष 1 आस्तियों में जमा कुल एचक्यूएलए का 86% शामिल है व शेष 4% स्तर2ए व स्तर 2बी आस्तियों में शामिल है। अंकित एसएलआर आस्तियों में (स्तर 1 आस्तियों का रूप) कुल एचक्यूएलए का लगभग 18% शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का एसएलआर सभी आवश्यक अवधियों पर न्यूनतम अपेक्षाकृत से अधिक बना रहा है। 108.27% (वि.व.2017-18) के अंतराल से बढ़ता हुए वर्ष पर वर्ष बढ़कर एसएलआर 107.47% (वि.व.2018-19) हो गया है।

तिमाही दर तिमाही, बैंक का एसएलआर (3 माह का औसत) 109.69% (दिसं. 18) से 110.84% (सितंबर, 18) और फिर 106.93% (दिसंबर, 18) तक बढ़ा है। मार्च 19, जो वर्तमान तिमाही के लिए बैंक की एसएलआर 108.93% थी।

6.15 **परिपक्वता प्रोफाइल के संबंधित प्रावधान**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को परिपक्वता का उन्नत लगाने की तारीख से शुरू होने वाले चार समय-सीमाओं के परिपक्वता के मानकों के क्रमबद्ध को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है और यह लचकदार दी अलग-अलग निर्धारित वर्षों में किया गया है, वहां से अंकित राशि को अपरिपक्व परिपक्व प्रोफाइल के रूपों वाली 32/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार बाकायदा निर्धारित व प्रावधान वर्ष के क्रम तक प्रकाशित किया जाता है।

31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (मानकों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए (मानकों की संख्या)	31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (राशि)	31.03.2019 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए (राशि)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान जिए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अन्त में "एकमुश्त प्रावधान निधि" के लिए अतिरिक्त लिए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा (राशि)
1238	23	5655.22	722.02	5653.22	322.40

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान, 23 मानकों में से, केवल 704.02 करोड़ ₹ की राशि मूल के चौथाई के उस समय निकले बैंक को 423.87 करोड़ ₹ वसूल करने की आवश्यकता है, 279.18 करोड़ ₹ के प्रावधान पहले से ही 31-12-2018 तक प्रदान किए गए हैं। तिमाही के दौरान प्रदान की गई कुल राशि 107.47 करोड़ रुपये है, जो प्रावधान का 33% है। इसके अलावा, कोई अतिरिक्त प्रावधान राशि को अन्य आस्तियों निधि के लिए रोकेट कर दिया जाता है, जिसे अगले तिमाही वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान परिवर्तित किया जाएगा।

6.16 **क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के निर्गत पोर्टफोलियो**

6.16.1 क्रेडिट कार्ड के संबंध में बकाया निर्गत पोर्टफोलियो और प्रावधान की स्थिति

मदें	वर्ष 01.03.2019 को	वर्ष 01.03.2018 को
कुल क्रेडिट निर्गत पोर्टफोलियो बकाया	3880170B4	3504708B9
कुल पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान (रिकवरी के) *	9.20	8.76

* प्रावधान निर्गत पोर्टफोलियो का कुल क्रेडिट कार्ड के लिए 0.25 % है।

6.16.2 बकाया निर्गत पोर्टफोलियो की स्थिति और परिपक्वता निर्गत पोर्टफोलियो–डेबिट कार्डों के बारे में प्रावधान :

मदें	वर्ष 01.03.2019 को	वर्ष 01.03.2018 को
कुल परिपक्वता निर्गत पोर्टफोलियो	Nil	Nil
निर्गत पोर्टफोलियो के विरुद्ध प्रावधान (रिकवरी के)	Nil	Nil

6.17 वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए 100 / - रुपये की लेवर (10.33%) की छूट के साथ कर्मचारी लेवर योजना के तहत इक्विटी शेयरों की दो शर्तों की संख्या की घोषणा की है। शेयरों का आवंटन 6 नवम्बर 2018 को किया गया था। 165.23 करोड़ रुपये की कुल छूट राशि और कुल्ले खर्चे में प्रावधित किया गया।

6.18 एनपीए के पूर्वानुमान प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, नए सिलेंडर की नीति और संशोधित प्रावधान आवश्यकताओं के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के लिए एनपीए के लिए पीछूता अतिरिक्त प्रावधान 31.03.2018 को 58.04 से 31.03.2019 के अनुसार 68.13% पीसीआर में सुधार के उद्देश्य स्तरों के लिए कालू वर्ष के प्रावधान का प्रावधान किया जाता है।

6.19 इसने बैंक ने वर्ष 2019 तक कृषि और लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी के तहत 20,474 करोड़ रुपये की प्राथमिकता क्षेत्र लेनदेन पार कर लिया (पीएसएल) के तहत 82,606 प्रावधान बनाये हैं।

6.20 प्रावधानों ने बैंकों को अपने परिपक्व डेरिवेटिव, दो दिनों सीरी 115/21.04.048 / 2017-18 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा एकत्रित और एकमुश्त करने में 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए स्थगित के मुकाबले को विस्तृत करने के लिए, उस तिमाही में शुरू होने वाली चार तिमाहियों में आंशिक, जिसमें मुकाबला हुआ है, की अनुमति दी थी। बैंक ने 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान 603.04 करोड़ रुपये के मुकाबला हुआ था और जून तथा सितम्बर 2018 तिमाही में शेष राशि के 1/4 की मात्रा हुए प्रावधान और किए परिवर्तित शेष राशि के लिए अनुमत लाभ ₹ 301.52 करोड़ था।

6.21 लाभ बनाम –10 प्रतिशत घाटा एक हेडिंग के अनुसार है, वर्ष के दौरान 119.15 करोड़ रुपये का मूल्यांकन, अलग स्थगितों के पुनर्संरचित किया गया लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। अलग नोटों को मूल्यांकन आवंटित निधि में शामिल है, आवंटित निधि अलग-अलग तय किया गया है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत / पुनर्गठित किया गया।

अरविंद कुमार एवं प्रबंधक	अमित सिंघल सहायक महा प्रबंधक	एम रामनारायण सहायक महा प्रबंधक
एम जी पंडित सहायक महा प्रबंधक		वी वासुदेव महा प्रबंधक
ए श्रीनिवासराई कार्यपालक निदेशक	देवाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	एम वी राव कार्यपालक निदेशक
आर ए शंकर नारायणन प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		टी एस मनोहरन अध्यक्ष
सुनीन्द्र सिंघा निदेशक	कृष्णमूर्ति एस निदेशक	वेंकटाचलम रामकृष्णन अय्यर निदेशक

समायोजक निधि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सेशार्स डालमिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 000671 एस	कृते कोसंधु एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफ आर एन 001420एन/एस200034
पी मनोहर कुमार साझेदार सदस्य सं. 016444	टी मनोहरनाथ साझेदार सदस्य सं. 226246
कृते टी के चंदर एंड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 001413सी	कृते एस एन के एंड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 109178डब्लयू
नीरज के कुलकुलवाला साझेदार सदस्य सं. 057170	अंकित डी दानवाला साझेदार सदस्य सं. 119572

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरणी		(₹ करोड़ में)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	31.03.2019	31.03.2018
कर के बाद शुद्ध लाभ	347.02	(4,222.24)
समायोजन :		
कर के लिए प्रावधान	(2,674.42)	(2,335.82)
मूल्यह्रास	418.83	445.95
निवेश के मूल्यह्रासन का हानि	0.00	0.00
अर्जित शुल्क और देयताओं में कमी के लिए प्रावधान	12,588.00	14,388.34
घटाएं: अन्य आवधिक निधियों से अर्जित राशि	(322.40)	0.00
प्रावधित निधियों मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	403.04	(2.32)
निवेश I और निवेश II बॉण्ड पर ब्याज	1,179.57	1,231.69
आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान	(90.97)	(146.54)
अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	2.87	4.53
अनुसूचित, संघटक जमाएं आदि में निवेश से आय	(50.17)	(53.32)
निवेश मूल्यह्रास/(मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान	365.53	1,051.81
उप-कुल	**11,024.36**	**15,208.42**
समायोजन :		
निवेश में (वृद्धि) / कमी	(9,331.97)	4,230.41
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(38,630.44)	(53,892.54)
जमाएं में (वृद्धि) / कमी	2,749.03	4.95
ऋण में (वृद्धि) / कमी	74,261.41	29,486.62
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(5,392.73)	(6,142.80)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	3,195.36	5,153.47
	4,910.70	**(21,160.80)**
घटाएं : प्रदत्त आयकर कर	1,202.00	1,550.00
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क)	**17,688.88**	**(11,502.84)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अनुसूचित और/या संघटक जमाएं से निवेश से आय	50.17	53.32
संघटक जमाएं, अनुसूचित इमारतों में निवेश	0.00	(0.00)
अचल संपत्तियों के क्रय / विक्रय से शुद्ध नकदी / बर्हिवाह	(511.20)	(327.46)
	(461.12)	**(274.15)**
निवेश गतिविधियों से शुद्धित नकदी (ख)		
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
पूंजी का नया निर्गम	23.02	125.95
गैरेंटर जमाओं के द्वारा प्रतिभूति	537.28	4,729.95
प्रदत्त लाभांश और डीडीटी	0.00	(66.44)
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान	(1,176.50)	(1,231.69)
अतिरिक्त कोषों सहित बॉण्डों का पट्टा निर्गम/परिपक्व	(565.30)	(700.00)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्धित नकदी (ग)	**(1,181.60)**	**2,884.87**
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	**16,240.36**	**(8,912.13)**
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य	**49,912.33**	**58,825.46**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य	**66,152.69**	**49,912.33**

नोट :

रोकड़ शेष, बाकियों व अन्य बैंकों में शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर देय शामिल नकदी एवं नकद तुल्य

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक	31.03.2019	31.03.2018
नकदी में नकदी एवं शेष	29,913.02	22,183.04
बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि	36,239.67	27,812.29
कुल	**66,152.69**	**49,912.33**

अरविंद कुमार एवं प्रबंधक	अमित सिंघल सहायक महा प्रबंधक	एम रामनारायण सहायक महा प्रबंधक
एम जी पंडित सहायक महा प्रबंधक		वी वासुदेव महा प्रबंधक
ए श्रीनिवासराई कार्यपालक निदेशक	देवाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	एम वी राव कार्यपालक निदेशक
आर ए शंकर नारायणन प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		टी एस मनोहरन अध्यक्ष
सुनीन्द्र सिंघा निदेशक	कृष्णमूर्ति एस निदेशक	वेंकटाचलम रामकृष्णन अय्यर निदेशक

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

कृते सेशार्स डालमिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 000671 एस	कृते कोसंधु एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफ आर एन 001420एन/एस200034
पी मनोहर कुमार साझेदार सदस्य सं. 016444	टी मनोहरनाथ साझेदार सदस्य सं. 226246
कृते टी के चंदर एंड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 001413सी	कृते एस एन के एंड कं. सनदी लेखाकार एफ आर एन 109178डब्लयू
नीरज के कुलकुलवाला साझेदार सदस्य सं. 057170	अंकित डी दानवाला साझेदार सदस्य सं. 119572

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. हमने केनरा बैंक ("बैंक") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारी जानकारियाँ सहित वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3857 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मानदंडों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखापरीक्षा नहीं की गई 2439 शाखाओं की विवरणियों से तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण शामिल किया गया है। इन लेखा परीक्षित नहीं की गई शाखाओं में 4.81 प्रतिशत ऋण, 14.93 प्रतिशत जमा, 3.80 प्रतिशत ब्याज आय और 15.11 प्रतिशत ब्याज खर्च है।

2. हमारी मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टकारी जानकारी के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए आवश्यक ढंग से और अपनाये गए भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

a. तुलन पत्र के मामले में, तथा 31 मार्च, 2019 पर बैंक के मामलों की स्थिति;

b. लाभ और हानि खाते के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन, तथा

c. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

विचार के लिए आधार

3. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा सम्पादित की। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व आगे वर्णित किया गया है। हम भारत में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक दायित्वों के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरण पर हमारा विचार प्राप्त करने के लिए हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. **प्रमुख लेखा परीक्षा मामले**

लेखा परीक्षा में मुख्य मामले वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हों। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में लिया गया था, और इन मामलों पर हम हमारे अलग विचार नहीं रखते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

क्रमां.	लेखा परीक्षा प्रमुख मामले	लेखा परीक्षा प्रमुख मामलों पर प्रतिक्रिया
1	**अग्रिमों के संबंध में मानीकरण और प्रावधानों की पर्याप्तता।** आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को निष्पादित और गैर- निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के पास कार्यपालिकाओं निर्देशिकाओं के अनुसार एनपीए के रूप में अग्रिमों के रूपा –वर्गीकरण की एक प्रणाली है। तथापि इस तरह के अग्रिमों पर एनपीए की पहचान और प्रावधान के विषय में प्रावधानों के निष्पादन, प्रतिभूति मूल्य का निर्धारण, पुनर्गठन के स्रोत, नियामक शर्तों का अनुपालन आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय भी शामिल है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान निर्णय की भरोसेमंदी होने के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष की भौतिकता पर केंद्रित थी।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारे लेखा परीक्षा में आवश्यक नियंत्रण और मूल परीक्षण की बनावट और संचालन प्रभावशीलता की जांच शामिल है • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और उसमें प्रावधान करने के लिए प्रमुख आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों की समीक्षा, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता को शामिल किया। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए के लिए पहचान और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की जांच की जिसमें आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में मैन्युअल प्रक्रिया और मैन्युअल नियंत्रण शामिल है। • एनपीए की पहचान के लिए भारतीय के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान की पर्याप्तता और प्रावधान के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए शाखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार किया गया। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अवसरों को रेखांकित सूचना गया है।
2	**बैंक द्वारा कराये लाभ से घाटापूर्ति करने पर पहचानकृत आस्थगित कर संपत्तियों का आकलन।** अर्थात मूल्यकृत पर अपने लाभ से घाटा पूर्ति करने वाली आस्थगित कर आस्तियों को केवल तब स्वीकार किया जाना चाहिए जब कोई पुष्टता साक्ष्य द्वारा समर्थित वसूल। निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूल किया जा सकता है। वसूली निश्चितता का निर्धारण, होने वाले के आधार पर निर्णय का मामला है। भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय की उपलब्धि निश्चितता निर्धारित करने में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय की भारीपन को ध्यान में रखते हुए इस मामले को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के पैरा 6.6 का संदर्भ लें।	**निर्धारित प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** • बैंक के कर योग्य लाभ और पूर्व में मुहाल किए गए कर्मों को ध्यान में रखते हुए, आयकर के तहत आगे ले जाने वाली हानि का विवरण प्राप्त करना और भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विकल्प, पूंजी का अंतर्वाह, पुनर्गठन के बिना और उन परिसंपत्तियों से अर्जित वसूली पर विचार किए बिना कोई समायोजन की कार्यवाही भत्ते की है। • उस अवधि की लाभ करना जिस पर भविष्य में कर योग्य आय के सापेक्ष ऐसी अर्जित हानि पर आस्थगित कर संपत्ति वसूल की जाएगी। • भविष्य की कर योग्य आय का आकलन करने में प्रबंधन की आनिश्चित मान्यताओं की जांच करना, जिसके सापेक्ष इस तरह की आस्थगित हानि वसूल की जाएगी। • हमने पिछले आकलन मूल्यांकन आदेशों, अंकेक्षित कर बुद्धि और मुकदमेबाजी के तहत उनकी स्थिति की समीक्षा की है, जो सिमाद के मुद्दों के संभावित परिणाम पर हमारी समझ के आधार पर और संबंधित राशि का आगे लाभ से घाटापूर्ति करते हैं।
3	**वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित)** बैंक के परिचालनात्मक और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संव्यवहार के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर समायोजित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमने एक मूल्यांकन किया तथा प्रमुख आईटी अनुप्रयोग, डाटा बेस और परिचालन प्रणाली प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित हैं और प्रासंगिक तौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित रीकॉर्ड और फ्लेक्स क्यूब ईआरपी सिस्टम की पहचान की है। हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता शामिल है जो निम्नानुसार है: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों को समझा है। • अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। • आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • नमूने के आधार पर लेखा परीक्षा से संबंधित विशेषज्ञ प्रमाणपत्र रिपोर्ट के लिए चुनाव व्यवस्थित और कार्यान्वयन चक्र नियंत्रण और तर्क की जांच की।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल सात्यता प्रकटीकरण) के तहत स्वतंत्र खुलासे के प्रकटीकरण शामिल हैं (अंकित इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट, जो हमने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement.)

anand RAYONS LTD.

ANAND RAYONS LIMITED

Corporate Identification Number: U51909GJ2018PLC104200

Our Company was originally formed and registered as a partnership firm under the Partnership Act, 1932 ("Partnership Act") in the name and style of "**M/s Anand Enterprise**", pursuant to a deed of partnership dated July 01,1987. Subsequently, the partnership firm was reconstituted on April 3,1992, October 8, 1999 and March 09, 2018. Thereafter, the partnership firm was converted in to a public limited company on September 20, 2018 under Part I chapter XXI of the Companies Act, 2013 in the name and style of "**M/s. Anand Rayons Limited**" and received a certificate of incorporation dated October 02, 2018 from the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Center, Ministry of Corporate Affairs. The Corporate Identification Number of our Company is CIN: U51909GJ2018PLC104200.

Registered Office : 305-306, Jay Sagar Complex, Opp. Sub Jail, Khatodra, Surat-395002 Gujarat.
Tel No: - 0261-2635521; **Website:** www.anandrayons.com; **E-Mail:** anandrayonsltd@gmail.com;

Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Rahul Makwana

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. ANAND BAKSHI

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 46,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF ANAND RAYONS LIMITED ("ARL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1265.76 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH WILL FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 64.80 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 44,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1200.96 LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.29% AND 29.68 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 128 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS 27 EACH.

THE ISSUE PRICE IS 2.7 TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARE.

ISSUE OPENED ON: JUNE 18, 2019 (TUESDAY), ISSUE CLOSED ON: JUNE 24, 2019 (MONDAY)

The Equity Shares of the company offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Ltd ("BSE") in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018. Our Company has received an in-principle approval from BSE for listing our shares pursuant to letter dated March 26, 2019 from BSE for using its name in the offer document for listing of our shares on SME Platform of BSE. For the purpose of the issue BSE Limited will be the Designated Stock Exchange. The issue is being made through the Fixed Price Issue process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made as per Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time, wherein a minimum 50% of the net issue of shares to retail individual investors and (b) remaining to: (i) individual applicants other than retail individual investors, and (ii) other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of number of specified securities applied for; Provided that the unsubscribed portion in either of categories specified in clauses (a) or (b) may be allocated to applicants in the other category. All investors have participated in this offer through ASBA process. Applicants are mandatorily to participate in the Issue through APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing the details of the respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs"). For details in this regard, specific attention is invited to chapter "Issue Procedure" on page 135 of the Prospectus.

SUBSCRIPTION DETAILS

Details of the application

The Issue has received 317 applications (before rejections and Bids not Banked) for 52,08,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 2,40,000 Equity Shares) resulting 1.110 times subscription. The details of the applications received in the Issue (before technical rejections but after Bids not banked) are as follows:

Details of valid Applications Received (Before Technical Rejection and before bids not banked) :

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares	Subscription Ratio
Market Maker	1	2,40,000	1.000
Other than Retail Individual Investor's	48	38,56,000	1.751
Retail Individual Investor's	268	10,72,000	0.482
TOTAL	**317**	**52,08,000**	**1.110**

Total 7 applications received in Retail Individual Investors Category (28,000 Equity Shares) and 1 applications received in Other than Retail Individual Investor's Category (8,000 Equity Shares) was rejected on technical grounds.

Details of bids not banked are detailed below :

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares
Other than Retail Individual Investor's	-	-
Retail Individual Investor's	9	36,000
TOTAL	**9**	**36,000**

Details of applications rejected by the Registrar on technical grounds are detailed below :

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares
Market Maker	-	-
Other than Retail Individual Investor's	1	8,000
Retail Individual Investor's	7	28,000
TOTAL	**8**	**36,000**

Details of valid Applications Received (After Technical Rejection) :

Category	Number of Applications	Number of Equity Shares	Subscription	Revise Subscription
Market Maker	1	2,40,000	1.000	1.000
Other than Retail Individual Investor's	47	38,88,000	1.748	1.130*
Retail Individual Investor's	252	10,08,000	0.453	0.453#
TOTAL	**300**	**51,36,000**	**1.100**	**1.100**

**Includes original reservation of 22,24,000 Equity Shares and spill over from Retail Investors Category of 12,16,000 Equity Shares.*

#The under subscribed portion of 12,16,000 Equity Shares from Retail Investors Category have been spilled over to Non Retail Individual Investors Category.

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE Limited ("SME Platform of BSE") on June 27, 2019.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections) : The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of Rs.27/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 2,40,000 Equity shares in full out of reserved portion of 2,40,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections) : The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of Rs.27/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 0.453 times. Total number of shares allotted in this category is 10,08,000.

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (before Rounding Off)	Allocation per Applicant (after Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicants	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus /Deficit
4,000	252	100.00	10,08,000	100.00	22,24,000	4000	4000	1:1	10,08,000	-12,16,000
Total	**252**	**100.00**	**10,08,000**	**100.00**	**22,24,000**	**4000**	**4000**	**1:1**	**10,08,000**	**-12,16,000**

C. Allocation to Non- Retail Investors (After Technical Rejections) : The Basis of Allotment to the Non Retail Investors, at the issue price of Rs.27/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.130 times. Total number of shares allotted in this category is 34,40,000.

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (before Rounding Off)	Allocation per Applicant (after Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicants	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus /Deficit
8,000	11	23.40	88,000	2.26	77,860	7,078.18	4,000	1:1	44,000	-33,860
		0.00		0.00			4,000	8:11	32,000	32,000
12,000	7	14.89	84,000	2.16	74,321	10,617.29	8,000	1:1	56,000	-18,321
		0.00		0.00			4,000	5:7	20,000	20,000
16,000	12	25.53	1,92,000	4.94	1,69,877	14,156.42	12,000	1:1	1,44,000	-25,877
		0.00		0.00			4,000	1:2	24,000	24,000
20,000	4	8.51	80,000	2.06	70,782	17,695.50	16,000	1:1	64,000	-6,782
		0.00		0.00			4,000	1:2	8,000	8,000
28,000	1	2.13	28,000	0.72	24,774	24,774.00	24,000	1:1	24,000	-774
32,000	1	2.13	32,000	0.82	28,313	28,313.00	28,000	1:1	28,000	-313
36,000	1	2.13	36,000	0.93	31,852	31,852.00	32,000	1:1	32,000	148
60,000	2	4.26	1,20,000	3.09	1,06,173	53,086.50	52,000	1:1	1,04,000	-2,173
		0.00		0.00			4,000	1:2	4,000	4,000
1,00,000	2	4.26	2,00,000	5.14	1,76,955	88,477.50	88,000	1:1	1,76,000	-955
1,80,000	2	4.26	3,60,000	9.26	3,18,519	1,59,259.50	1,60,000	1:1	3,20,000	1,481
2,60,000	1	2.13	2,60,000	6.69	2,30,041	2,30,041.00	2,28,000	1:1	2,28,000	-2041
5,52,000	1	2.13	5,52,000	14.20	4,88,395	4,88,395.00	4,88,000	1:1	4,88,000	-395
9,28,000	2	4.26	18,56,000	47.74	16,42,138	8,21,070.00	8,20,000	1:1	16,40,000	-2138
		0.00		0.00			4,000	1:2	4,000	4,000
Total	**47**	**100.00**	**38,88,000**	**100.00**	**34,40,000**				**34,40,000**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on June 27, 2019 has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares in dematerialised form to various successful applicants.

The CAN-cum-Refund Orders and allotment advice and/or notices are being dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories / as filed in the application form on or before July 01, 2019. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks being processed on or prior to July 01, 2019 for unblocking fund. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Ltd within Six working days from the date of the closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on or before July 02, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Ltd ("SME Platform of BSE").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below.

REGISTRAR OF THE ISSUE
BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Floor, Bharat Tin works Building, Opp Vasant Oasis, Makwana Road,Marol, Andheri East, Mumbai-400059. **Tel :** 022-62638200, **Fax :** 022-62638299, **Website:** www.bigshareonline.com
E-Mail: ipo@bigshareonline.com, **SEBI Reg. No.:** INR000001385, **Contact Person :** Ashish Bhope

Place : Surat
Date : 28/06/2019

For, **ANAND RAYONS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anand Bakshi
Managing Director
DIN: 01942639

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ANAND RAYONS LIMITED.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the SME Platform of BSE on page 122 of the Prospectus.

Garima Advt

राजकोषीय घाटा दो माह में बजट अनुमान के 52 फीसद पर पहुंचा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

सरकार का राजकोषीय घाटा 2019-20 के पहले दो महीनों में पूरे साल के बजट अनुमान का 52 फीसद पहुंच गया है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के जारी आंकड़े के अनुसार निरपेक्ष रूप से राजकोषीय घाटा 3,66,157 करोड़ रुपए रहा। इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य का 55.3 फीसद था। सरकार ने फरवरी में 2019-20 के लिए पेश अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 7.03 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया था।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसद पर रखने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष के बराबर है। आंकड़ों के अनुसार सरकार की राजस्व प्राप्ति 2019-20 के अप्रैल-मई में बजटीय अनुमान का 7.3 फीसद रही। एक साल पहले इसी अवधि में राजस्व प्राप्ति इतनी ही थी। हालांकि पूंजी व्यय आलोच्य अवधि बजटीय अनुमान का केवल 14.2 फीसद रहा। जो एक साल पहले इसी दौरान 21.3 फीसद था। सरकार का कुल व्यय अप्रैल-मई 2019 के दौरान 5.12 लाख करोड़ रुपए रहा। जो बजटीय अनुमान का 18.4 फीसद है। एक साल पहले इसी अवधि में यह 19.4 फीसद था।

एअरटेल ने कोलकाता में बंद की 3-जी सेवा

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 जी सेवा बंद करने की घोषणा की। यह कदम देश में तीसरी पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकी को 4 जी से बदलने के लिए उठाया गया है।

भारती एअरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों ने बयान में कहा- हमारी योजना देशभर में सभी 3- जी स्पेक्ट्रम को बदलने की है और उनकी जगह पर चरणबद्ध तरीके से 4 जी प्रौद्योगिकी लगाई जा रही है। कोलकाता में एअरटेल 4 जी सेवा के लिए 900 मेगाहट्र्ज आवृति के बैंड का इस्तेमाल करेगी। इसका इस्तेमाल पहले 3-जी के लिए होता था। उन्होंने कहा- एअरटेल ने अपने 4 जी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3 जी में उपयोग हो रहे 900 मेगाहट्र्ज का पुर्निवतरण किया है। कंपनी 900 मेगाहट्र्ज बैंड में अत्याधुनिक एल 900 प्रौद्योगिकी को लगा रही है। यह 2300 मेगाहट्र्ज और 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 4-जी सेवा के पूरक है। एअरटेल का दावा है कि एल 900 प्रौद्योगिकी के साथ उसके स्मार्टफोन ग्राहक बेहतर 4-जी सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

सूचकांक 192 अंक टूटा, पर साप्ताहिक आधार पर मजबूत

मुंबई, 28 जून (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच सेबी और आरबीआइ के कदम से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को गिरावट का रुख रहा और बीएसई सूचकांक 192 अंक टूटकर बंद हुआ। कारोबारियों के अनुसार सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों को कड़ा किए जाने और आरबीआइ की गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों को लेकर अधिक सतर्क रहने की सिफारिश के बाद घरेलू कारोबारी धारणा पर असर पड़ा। वहीं जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 191.77 अंक यानी 0.48 फीसद की गिरावट के साथ 39,394.64 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह नीचे में 39,361.92 तथा ऊंचे में 39,675.25 अंक पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक,आइसीआइसीआइ बैंक और टीसीएस के शेयरों में नुकसान के साथ यह गिरावट आई।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 52.70 अंक अर्थात 0.45 फीसद की गिरावट के साथ 11,788.85 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक नीचे में 11,775.50 तथा ऊंचे में 11,871.70 अंक तक गया। हालांकि सप्ताहिक आधार पर दोनों सूचकांक लाभ में रहे। सप्ताह के दौरान सूचकांक 200.15 यानी 0.51 फीसद जबकि निफ्टी 64.75 अंक यानी 0.55 फीसद मजबूत हुए।

सूचकांक में नुकसान में रहने वाले शेयरों में यस बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, बजाज आटो, वेदांता, टाटा स्टील, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक शामिल हैं। इनमें 3.29 फीसद तक की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, मारुति, एचयूएल और टेक महिंद्रा 1.05 फीसद तक मजबूत हुए।

कारोबारियों के अनुसार एशिया के अन्य बाजारों में कमजोर रुख का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। इसका कारण निवेशकों की जापान के ओसाका में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में व्यापार संबंधित गतिविधियों पर नजर है। इसके अलावा निवेशकों की भारत-अमेरिका चिता को लेकर बैठक पर भी निगाह है।

साथ ही सेबी के गुरुवार को म्यूचुअल फंड नियमों को कड़ा किए जाने से भी घरेलू कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। इसमें लिक्विड फंड योजनाएं बेचने वाले म्यूचुअल फंडों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल जैसी नकदी समतुल्य तरल संपत्तियों में अपने धन का कम से कम 20 फीसद निवेश अनिवार्य करना और शेयर गिरवी रख कर धन लेने वाली कंपनियों के साथ यथास्थिति बनाए रखने का कोई करार करने पर पाबंदी शामिल हैं।

इस बीच, अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को लेकर सतर्क रहने की सिफारिश की है। सैंकटम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि आइटी (सूचना प्रौद्योगिकी) की मांग को लेकर चिंता से आइटी कंपनियों पर असर पड़ा। इससे सूचकांक नीचे आए। उन्होंने कहा कि जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो तरफा बातचीत हुई है। निवेशक जी-20 शिखर सम्मेलन से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। क्षेत्रवार बीएसई एनर्जी, धातु, दूरसंचार, तेल व गेस, मूल सामग्री, बैंक और वाहन सूचकांकों में 1.52 फीसद की गिरावट आई। हालांकि रीयल्टी, उपभोक्ता टिकाऊ, रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कंपनियों के शेयर 0.58 फीसद मजबूत हुए।

बीएसई ने किया हल्दी में जिंस डेरिवेटिव की शुरुआत का एलान

सांगली (महाराष्ट्र), 28 जून (भाषा)।

बीएसई ने हल्दी में कमोडिटी डेरिवेटिव कारोबार शुरू करने की घोषणा की। इसका लॉट 10 टन का होगा। बीएसई के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने शुक्रवार को एक बयान में कहा- हल्दी में कारोबार शुरू करना बीएसई के मंच पर विभिन्न कृषि और गैर-कृषि कमोडिटी को पेश करने के हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुकूल है। बयान में कहा गया कि हल्दी वायदा को सांगली में पेश किया गया। सांगली को महाराष्ट्र का हल्दी शहर भी कहा जाता है।

चौहान ने कहा- हमारा मानना है कि कमोडिटी बाजार में वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। हम सभी भारतीय हितधारकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन ढांचा का इस्तेमाल करते हुए जोखिम कम करने के प्रभावी समाधान मुहैया कराने और अधिक कृषि कमोडिटी को पेश करने के लिए तैयार हैं। हल्दी के अनुबंधों के लिए मूल आपूर्ति केंद्र निजामाबाद को बनाया गया है। इसके साथ सांगली, इरोड और बासमती में अतिरिक्त आपूर्ति केंद्र बनाए गए हैं।

ईडी ने धनशोधन कानून के तहत कुर्क की 209 करोड़ की संपत्ति

बेंगलुरू/ नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी घोटाले से जुड़े एक मामले में 209 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला कर्नाटक के आइएमए समूह से संबंधित है। केंद्रीय एजंसी ने कहा कि उसके बेंगलुरू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत 197 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और बैंक खातों में जमा 12 करोड़ रुपए को कुर्क करने का अस्थायी आदेश दिया है। उसने कहा कि कुल 209 करोड़ रुपए की राशि कुर्क की गई है।

एजंसी ने हाल में आइएमए समूह की कंपनियों और उसके फरार मुख्य प्रवर्तक व प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है- आरोपी कंपनियां व उसके निदेशक पोंजी योजनाओं के जरिए आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धनशोधन के अपराध में लिप्त रहे हैं और इस अपराध से प्राप्त धन से चल-अचल संपत्तियां बनाई। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है।

मांग में कमी से सोने, चांदी में नरमी

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता से पहले वैश्विक बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के बावजूद स्थानीय आभूषण कारोबारियों की ओर से मांग में कमी के कारण शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 65 रुपए की गिरावट के साथ 34,285 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोना न्यूयार्क में बढ़त के साथ 1,416.84 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

दक्षिण मध्य रेलवे और एससीसीएल में करार

हैदराबाद, 28 जून (भाषा)।

दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सिंगरेणी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के साथ माल लदाई के समय इंजन के रैक में लगे रहने की (इंजन ऑन लोड यानी ईओएल) योजना पर करार किया। इसके तहत माल लदाई के दौरान ट्रेन का इंजन रैक के साथ लगा रहेगा। आमतौर पर लदाई के दौरान इंजन रैक से अलग होकर चला जाता है।

दक्षिण मध्य रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक, यह योजना माल लदाई का काम पूरा होने के बाद तुरंत ट्रेन को रवाना करने की मंजूरी देने में सक्षम होगी।

दक्षिण मध्य रेलवे एक जुलाई से एससीसीएल के पांच स्थानों (साइड) पर यह योजना लागू करेगी। इनमें से रामागुंडम में दो, कोठागुडम, आसिफाबाद और मनुगुरु में एक - एक जगह हैं। यहां से प्रतिदिन एक लाख टन कोयला ले जाया जाता है। इस योजना से मालगाड़ी के डिब्बों की रुकावट कम होगी, रोलिंग स्टॉक के इष्टतम उपयोग की सुविधा मिलेगी और माल लदाई में वृद्धि होगी।

ओएनजीसी को तेल-गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए भागीदार की तलाश

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने अपने छोटे और दूरदराज के 64 फील्डों से तेल व गैस उत्पादन बढ़ाने को लेकर भागीदारी को इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इन 64 फील्ड का ठेका देने के लिए इन्हें 17 स्थलीय अनुबंध क्षेत्र में रखा गया है। इसमें कुल मिलाकर 30 करोड़ टन तेल व तेल समतुल्य प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान है। ओएनजीसी ऐसे भागीदार चाहती है जो पहले से तय एक न्यूनतम सीमा से अधिक तेल/गैस की निकाली कर सकें। कंपनी बढ़े हुए उत्पादन की आय में उनको हिस्सा देगी।

बयान के अनुसार- ओएनजीसी की पेशकश में तेल व गैस की बिक्री के विपणन और कीमत में पूरी आजादी की बात शामिल है। इसमें प्रतिस्पर्धी आधार पर बाजार के हिसाब से कीमत तय करने की छूट देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अनुबंधकर्ता का चयन आय साझेदारी आधार पर किया जाएगा। सामान्य व्यापार परिदृश्य में आय का बंटवारा निर्धारित आधार सीमा से अधिक उत्पादन होने पर किया जाएगा।

अनुबंध अवधि 15 साल के लिए होगी। इसमें पांच साल की समयसीमा बढ़ाने का विकल्प होगा। ओएनजीसी ने उत्पादन वृद्धि अनुबंध (पीईसी) के तहत इसमें रुचि रखने वाली उन कंपनियों से बोली आमंत्रित की है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी ला सकते हैं। कंपनी 17 सितंबर को बोली पूर्व बैठक करेगी और बोली 20 दिसंबर 2019 को बंद होगी। बोली पूर्व बैठक ओएनजीसी के नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय में होगा। जो बोलीदाता आंकड़ों में रखते हैं, वे फील्ड से जुड़ी सूचना खरीद सकते हैं।

जीएसटी के दो साल पूरा होने पर समारोह का आयोजन करेगी सरकार

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

सरकार माल व सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक जुलाई को समारोह का आयोजन करेगी। समारोह को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके कनिष्ठ अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय व राज्यों के कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें जीएसटी के दो साल और इसके भविष्य को लेकर एक प्रस्तुतिकरण होगा। जीएसटी रिटर्न दायर करने की नई व्यवस्था की भी शुरुआत एक जुलाई से होने वाली है। सूचना में कहा गया कि जीएसटी ने 50 हजार रुपए से अधिक के माल की ढुलाई पर ई-वे बिल अनिवार्य बनाकर कर चोरी रोकने में मदद की है। इसमें कहा गया कि जीएसटी ने देश को 'एक राष्ट्र, एक कर' व्यवस्था की ओर अग्रसर किया है और देश को एक आर्थिक संघ के तौर पर बांधा है।

सऊदी अरब ने हज कोटा बढ़ाया, अब दो लाख लोग कर सकेंगे यात्रा

ओसाका, 28 जून (भाषा)।

सऊदी अरब ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि की है। इसके साथ ही अब 1,70,000 की जगह दो लाख लोग हर साल तीर्थ स्थल मक्का जा सकेंगे। कोटे में 30 हजार की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली अहद (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंच मोदी ने अपने 'रणनीतिक साझेदार' के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी गहन चर्चा की। विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं से कहा कि वली अहद ने प्रधानमंत्री मोदी से वादा किया है कि भारत का हज कोटा 1,70,000 से बढ़ा कर दो लाख कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'यह महत्त्वपूर्ण है और यह कर लिया गया है।' गोखले ने कहा कि दो लाख भारतीयों को अब हज जाने का मौका मिलेगा, जो

जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंच मोदी ने अपने 'रणनीतिक साझेदार' के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी गहन चर्चा की। विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं से कहा कि वली अहद ने प्रधानमंत्री मोदी से वादा किया है कि भारत का हज कोटा 1,70,000 से बढ़ा कर दो लाख कर दिया जाएगा।

(हज यात्रा) जल्द ही शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने पर्यटन, विमान सेवाएं बढ़ाने पर भी चर्चा की और दोनों दोबारा मुलाकात करने को भी राजी हुए।

विदेश सचिव ने बताया कि सऊदी के वली अहद ने प्रधानमंत्री को इस साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथियों में से एक बनने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने पिछले साल महिलाओं को बिना 'मेहरम' या पुरुष साथी के हज जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद करीब 1,300 महिलाएं अकेली हज यात्रा पर गई थी। उन्हें 'लॉटरी सिस्टम' से भी छूट दी गई थी। सऊदी अरब ने पिछले साल हज कोटे में पांच हजार की बढ़ोतरी की थी। वहीं 2017 में 35,000 की वृद्धि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2012 में दिए फैसले के बाद पिछले साल सरकार द्वारा दी जाने वाली हज सहायता को हटा दिया गया था।

बगदाद में बहरीनी दूतावास में घुसे प्रदर्शनकारी

बगदाद, 28 जून (एपी)।

अरब और इजराइल के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में आयोजित एक सम्मेलन के खिलाफ विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी वार रात बगदाद में बहरीनी दूतावास के परिसर में घुस आए और इमारत के ऊपर से वहां का राष्ट्रीय झंडा हटा दिया और वहां एक फलस्तीनी बैनर लगा दिया।

एक घंटे से अधिक समय तक चले इस गतिरोध में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और देर रात इराकी सुरक्षा बलों ने इलाके पर नियंत्रण कर लिया।

इराक के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी मुख्य दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसे लेकिन कार्यालय या इमारत के अंदर जाने के बजाय परिसर के बगीचे में रुके। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई और बगदाद के पश्चिम मनसौर में जहां दूतावास है वहां अतिरिक्त सैन्य बल भेजे गए।

करीब एक घंटे बाद, इराकी और फलस्तनी झंडा लिए करीब 200 प्रदर्शनकारियों वहां से हट गए। अधिकारियों ने कहा कि मिशन को धमकी मिलने के बाद बहरीनी कूटनीतिज्ञों को परिसर से हटा कर बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन में भेज दिया गया था।

प्रिया सेराव बनी 'मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019'

मेलबर्न, 28 जून (भाषा)। भारतीय मूल की प्रिया सेराव ने 'मिस यूनिवर्स आस्ट्रेलिया 2019' का खिताब अपने नाम किया। सेराव के माता-पिता पश्चिम एशिया से आस्ट्रेलिया आ गए थे।

मेलबर्न में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में सेराव ने 26 प्रतियोगियों को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया।

ड्रीमलैण्ड रिअल्टर प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक का पता: 105-107, वर्धमान प्रीमियम माल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
सम्पर्क: +91-9310278000, **ईमेल आईडी:** liquidator.dlrpl@gmail.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://www.auctiontiger.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	सोमवार, 29.7.2019 को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	23.7.2019 को 5.00 बजे सायं से पूर्व
निरीक्षण की तिथि एवं समय	15.7.2019 एवं 19.7.2019 को 12 बजे अप. से 5.00 बजे सायं तक। निरीक्षण के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम श्री राकेश भाटिया, सम्पर्क नं. 931027800, 9810378000 है।

लॉट नं.	विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (रु.) (लाखों में)
1.	सम्पत्ति का पता: 103-107 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (सिंगल यूनिट) (सुपर एरिया 1810 वर्ग फीट)	240.00	24.00
2.	सम्पत्ति का पता: कार्यालय सं. 103-104, एफएम मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (सुपर एरिया 724 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा।	98.00	9.80
3.	सम्पत्ति का पता: कार्यालय सं. 105-106, एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (सुपर एरिया 724 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा।	98.00	9.80
4.	सम्पत्ति का पता: कार्यालय सं. 107 एफएफ मंगलम पैराडाइज, प्लॉट नं. 8, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (सुपर एरिया 362 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा।	49.00	4.90

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 23.7.2019 को या उससे पूर्व "ड्रीमलैंड रीअल्टर प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)" की खाता, खाता नं. 5422000100135201 तथा आईएफएससी कोड KARB00000542 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री तिलक मराठा (एम: 6351896834), tilak@auctiontiger.net या परिसमापक से उनके ई-मेल liquidator.dlrpl@gmail.com पर सम्पर्क करें।

हस्ता./-
राकेश भाटिया
मै. ड्रीमलैंड रीअल्टर प्राईवेट लिमिटेड
(परिसमापन में) के परिसमापक
आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 28.6.2019

ट्रंप ने पुतिन से मजाकिया अंदाज में कहा, 'चुनाव में हस्तक्षेप मत करना'

ओसाका, 28 जून (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-20 शिखर सम्मेलन में लंबे समय बाद अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते समय कुछ मजाकिया अंदाज में नजर आए।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्यापक रूसी हस्तक्षेप के ठोस सबूत मिलने के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात है। रूस को अगले चुनाव में हस्तक्षेप न करने को लेकर आगाह करने के सवाल पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'कृपया, चुनाव में हस्तक्षेप मत करना।' हेल्सिकी में करीब एक साल पहले दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात हुई थी।

दोनों नेता संवाददाताओं को उन मुद्दों पर संक्षिप्त जानकारी दे रहे थे जिस पर वह चर्चा करने जा रहे हैं, तभी एक पत्रकार ने तेज आवाज में पूछा क्या राष्ट्रपति (ट्रंप), पुतिन से 2020 चुनाव में 'हस्तक्षेप नहीं करने को कहेंगे।' राष्ट्रपति ने इसके जवाब में कहा, 'बिल्कुल मैं कहूंगा।'

अपहरण करने पर भारतीय मूल के उबर चालक को तीन साल की सजा

न्यूयार्क, 28 जून (भाषा)।

अमेरिका में भारतीय मूल के उबर कार चालक को महिला यात्री के अपहरण और उसे सुनसान जगह पर छोड़ने के लिए तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसे 3000 से भी अधिक डॉलर का जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है।

न्यूयार्क के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी ज्यॉफ्री बरमैन ने कहा कि न्यूयार्क में रहने वाले हरबीर परमार (25) को इस साल मार्च में अमेरिका के जिला न्यायाधीश विन्सेंट ब्रिसेटी के समक्ष दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने उसे अपहरण और धोखाधड़ी के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी।

हरबीर को जेल की सजा के अलावा, रिहा होने के बाद तीन साल तक निगरानी में रहना होगा। उसे 3,642 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देने का आदेश भी दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान बयानों के अनुसार उबर के लिए काम करने वाले

हरबीर को जेल की सजा के अलावा, रिहा होने के बाद तीन साल तक निगरानी में रहना होगा। उसे 3,642 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देने का आदेश भी दिया गया है।

वाहन चालक हरबीर ने न्यूयार्क में एक महिला यात्री को अपने वाहन में बैठाया जो न्यूयार्क शहर के उपनगर व्हाइट प्लेन्स जाना चाहती थी।

ऐसे में जब महिला यात्री वाहन की पीछे की सीट पर सो गई तो हरबीर ने उबर मोबाइल ऐप में यात्री का गंतव्य स्थान बदल कर मैसाच्यूसेट्स के बोस्टन में एक जगह कर दिया और उसी स्थान की ओर बढ़ने लगा।

महिला जब जागी तो वाहन कनेक्टीकट में था। महिला ने वाइट प्लेन्स या पुलिस थाने जाने का अनुरोध किया, लेकिन हरबीर नहीं माना। इसके बजाय वह महिला को कनेक्टीकट में एक राजमार्ग के किनारे छोड़ गया। इसके बाद वह नजदीकी सुविधा केंद्र पहुंची और मदद मांगी।

फिलस्तीनी हमलावर को यरुशलम में गोली मारी गई

यरुशलम, 28 जून (एएफपी)।

इजराइली पुलिस ने कहा है कि पूर्वी यरुशलम में गुरुवार को आग्नेयास्त्र से अधिकारियों पर हमला करने वाले एक फिलस्तीनी को गोली मार दी गई। फिलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई।

पुलिस प्रवक्ता मिकी रोसेनफेल्ड ने बताया कि नजदीक के इस्साविया में 'पुलिस अभियानों' के दौरान एक संदिग्ध ने अधिकारियों पर आग्नेनास्त्र से हमला किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों पर हमला करने के कारण उसे गोली मार दी गई जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।' फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मोहम्मद ओबैद (20) ने घायल होने के कारण दम तोड़ दिया।

मंत्रालय ने कहा है, 'इस्साविया के पड़ोस में गोली लगने के बाद एक नागरिक की मौत हो गई।'

शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा 'टाइटन' पर ड्रोन भेजने की योजना

वाशिंगटन, 28 जून (एपी)।

नासा ने गुरुवार को कहा कि वह शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा 'टाइटन' पर ड्रैगनफ्लाई नाम का एक ड्रोन भेज रहा है।

यह परमाणु संचालित मिशन नासा के प्रतिस्पर्धी 'न्यू फ्रंटियर्स' कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसने 'न्यू होराइजंस' अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था, जो सबसे पहले बौने ग्रह यम पर जाने वाला यान था।

नासा के ग्रह विज्ञान विभाग की निदेशक लॉरी ग्लेज ने कहा, 'इस अभियान को लेकर जो बात मुझे सबसे अधिक उत्साहित करती है वह है कि 'टाइटन' पर जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद हैं।' ड्रोन को 2026 में प्रक्षेपित करने और 2034 में 'टाइटन' पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके पहले 'टाइटन' के कुछ टीलों पर और बाद में एक गड्ढे पर उतरने की योजना है।

एयर इंडिया
AIR INDIA
A STAR ALLIANCE MEMBER

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सं.	कार्य का नाम	जमा करने की अंतिम तिथि
एएएसी/33/एमएफ/01 दिनांक 28.06.2019	संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेट फारवर्डर की नियुक्ति के लिए निविदा: सीओएमएटी के लिए पूर्व-मुंबई और दो कांसिका।	29.07.2019 1400 बजे

निविदा दस्तावेजों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट http://www.airindia.in देखें

कार्य सं. आईएनवी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

समा सशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

हायमा डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में जिसका नाम डीएलएफ होम्स कॉमपेट प्राईवेट लिमिटेड) (45201डीएल2006पीटीसी147571) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, आर्मेडाजान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055 ने ही के मामले में

(आवेदक / याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी की सहमति प्राप्त करने हेतु 12 जून, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "तेलंगाना राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/हित के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते हायमा डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह०/-
शानी थॉमस
निदेशक
डीआईएन: 08073057

27 जून, 2019
नई दिल्ली

Government of India
Central Hindi Directorate

Purchase of Hindi Books & Magazines under Free Hindi Books Distribution Scheme

1. **Attention - Authors/Publishers/Magazine Editor**

   Central Hindi Directorate distributes Hindi Books and magazines free of cost to Educational Institutions and Voluntary Hindi Organisations situated in non-Hindi speaking region across the country. For this purpose, Directorate has decided to purchase Hindi books and magazines for financial year 2019-20 for which latest catalogues are invited from Hindi writers/publishers (private & government)/ magazine editors in prescribed format through email.

2. **Attention - Educational Institutions and Voluntary Hindi Organisations situated in non-Hindi speaking region across the country-** Institutions/ organisations interested in receiving free hindi books for their libraries may provide subjects and genre of their interest in prescribed format to us through email.

   Latest Catalogues from writers/publishers/magazine editors and subject interest from Institutions/ organisations prepared in Unicode should be sent to our email address **chd.distributiondelhi@gmail.com** within **15 days** from the date of publication of this advertisement. Catalogue/subject interest received after last date shall not be entertained.

   For further details, please visit our website www.chdpublication.mhrd.gov.in.

davp 21252/11/0003/1920

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT DATED OCTOBER 9, 2018, PUBLISHED ON OCTOBER 10, 2018 FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F-79 & 80, Okhla Phase - I, New Delhi South Delhi 110020. Tel: +91 11 4905 7597 Fax: + 91 12 4429 2840

This corrigendum announcement ("**Corrigendum**") to the Detailed Public Statement ("**DPS**") is being issued by CKP Financial Services Private Limited, the manager to the offer ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer and PAC. This Corrigendum is in continuation of and should be read in conjunction with the open offer public announcement dated April 16, 2018 ("PA") in relation to this Offer filed by the Tenneco Inc. ("**Acquirer**"), detailed public statement published dated October 9, 2018 ("DPS"), public announcement and the draft letter of offer dated October 16, 2018 ("DLOF"). Capitalized terms not defined herein shall have the meaning assigned to them in the PA, the DPS, the DLOF, as the case may be.

The Open Offer is being made under Regulation 3, Regulation 4 read with Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in light of the indirect acquisition of voting rights in and control by the Acquirer (a New York Stock Exchange listed entity) over the Target Company in terms of the definitive agreement dated April 10, 2018 between the Acquirer, Icahn Enterprises L.P. ("**IEP**") American Entertainment Properties Corp. ("**AEP**") and Federal-Mogul LLC ("**Federal-Mogul**") to acquire the ownership of Federal-Mogul.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OPEN OFFER:

1. **In point II of sub-point D point I, following paragraph shall be added:**

   The Acquirer has come to an agreement with IEP and AEP on March 28, 2019, whereby IEP and AEP will collectively or individually acquire the shares of the Target Company tendered in the Open Offer as 'persons acting in concert' with the Acquirer in the Open Offer. Such acquisition of shares, by the persons acting in concert, may be undertaken either directly or through one or more wholly-owned subsidiaries of IEP or AEP, including IEH FMGI Holdings LLC ("**IEH**"), a wholly-owned subsidiary of AEP.

2. **Point I & sub-point A of Point I of the Detailed Public Statement should be read as follows:**

I. **THE ACQUIRER, PACs** (*individually known as* **" PAC 1", "PAC 2" and "PAC 3"**), **TARGET COMPANY AND THE OFFER**

II. **Information about the Acquirer and PACs**

3. **Before sub-point B and after sub-point A1 of the Detailed Public Statement, the following paragraphs shall be added:**

A2. Icahn Enterprises L.P. ("IEP" or "PAC 1")

1. PAC 1, is a publicly traded master limited partnership in the United States, formed on February 17, 1987 the name of American Real Estate Partners LP having its Registered Office at 100 South Bedford Road, Mt. Kisco, NY 10549. On September 17, 2007, it changed its name to Icahn Enterprises LP. Currently, its Registered Office is located at 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America. Its telephone number is 212-702-4300 and fax number is 646-367-4550. PAC 1 can also be contacted by Email at IR@ELP.com.
2. PAC 1 is a diversified holding company currently engaged in the following businesses: Investment, Energy, Automotive, Food Packaging, Metals, Real Estate, Home Fashion and Mining.
3. Based on information contained in filings made with the United States Securities and Exchange Commission on May 1, 2019, regarding the ownership of PAC 1's common stock, as of March 31, 2019, PAC 1 is majority owned by Carl Icahn and his affiliates, owning approximately 91.7% of the shares as of May 1, 2019 and does not belong to any group. Icahn Enterprises LP owns 5,651,177 Class A shares and 23,793,669 Class B shares of the Acquirer as of May 1, 2019.
4. PAC 1 has not directly held any shares in the Target Company and has not acquired any Equity Shares of the Target Company directly. Accordingly, the Acquirer has not been required to make disclosures related to acquisition under the provisions of Chapter II of the Takeover Regulations 1997 and Chapter V of the SEBI (SAST) Regulations.
5. Based on the information contained in Icahn Enterprises LP's Quarterly Report on Form 10-Q for the March 31, 2019, filed with the United States Securities and Exchange Commission on May 1, 2019, the equity for limited partners is US$ 6.643 mn and the depository units outstanding as of March 31, 2019 are 191,376,753. The Market Capitalisation of Icahn Enterprises LP was US$14.8 Billion as May 1, 2019 based up a share price of $75.64 on May 1, 2019.
6. PAC 1 is a public company whose shares are traded on the NASDAQ. As such, shareholding of PAC 1 changes frequently. The top five shareholders forming part of the shareholding pattern of the PAC 1 as on March 31, 2019, based on the information contained in the filings made with the United States Securities and Exchange Commission as of May 1, 2019, regarding the ownership of the PAC 1's common stock, is given below-

Sl. No.	Shareholder	Number of shares held	Percentage
1.	Carl Icahn and his Affiliates	175,441,588	91.7%
2.	Citigroup Inc	6,073,153	3.2%
3.	Horizon Kinetics LLC	2,997,358	1.6%
4.	Morgan Stanley	290,923	0.2%
5.	UBS AG	149,183	0.1%

7. PAC 1 has not entered into any related party transactions in the course of its business, with the Target Company, according to the Annual Report of the Target Company for the year ended March 31, 2018.
8. As on the date of this submission, none of the directors of PAC 1 are directors on the Board of Directors of the Target Company.
9. As on date of this Corrigendum, the Directors and key managerial personnel of PAC 1 do not hold any interest/ relationship/ ownership/ shares in the Target Company.
10. As on the date of the submission, PAC 1 does not directly own any Equity Shares of the Target Company. Icahn Enterprises LP owns 5,651,177 Class A shares and 23,793,669 Class B shares of the Acquirer as of May 1, 2019, and pursuant to the closing of the Primary Transaction, the Target Company has become an indirect subsidiary of the Acquirer.
11. The PAC 1 has not been prohibited by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") from dealing in securities, in terms of Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended ("**SEBI Act**") or under any of the regulations made under the SEBI Act.
12. The key financial information of Icahn Enterprises LP, as derived from its audited consolidated financial statements for the 12-months period ended 31 December 2016, 31 December 2017 and 31 December 2018 is as follows. The said financials have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles.

Particulars	For the 12-month period ending December 31					
	2016		2017		2018	
	US$ mn	INR mn	US$ mn	INR mn	US$ mn	INR mn
Total Revenue	7,379	5,10,786	12,619	8,73,507	11,777	8,15,223
Net Income (Loss) Attrib. to IEP	(1,128)	(78,082)	2,430	1,68,208	1,507	1,04,317
Basic Earnings Per Share (EPS)	(8.07)	(559)	14.80	1,024	11.46	793
Net Worth/ Shareholder' Fund (Excluding Minority Interest)	2,154	1,49,103	5,106	3,53,445	6,529	4,51,948

Notes:

a. All US$ amounts except EPS are in millions.

b. The financial information for the financial years ending December 31, 2016, 2017 and 2018 set forth have been extracted from the audited consolidated financial statements of Icahn Enterprises LPas at and for the financial years ending December 2016, 2017 and 2018 and have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles.

These financial statements have been audited by Grant Thornton, the independent auditor of Icahn Enterprises LP and is included as Part I of Icahn Enterprises LP's Report on Form 10-K filed with the United States Securities and Exchange Commission on February 28, 2019.

The above figures have been converted into INR using the exchange rate of 1 Dollar = INR 69.2215 as on June 27, 2019 one day before the date of this submission. (Source: www.fbil.org.in)

i. Total Revenue includes net sales, operating revenues and other income.
ii. Net Income is excluding income attributable to non-controlling interest.
iii. Net worth includes common stock and accumulated other comprehensive loss, retained earnings (accumulated deficit).

13. There is no contingent liability provided for in the latest available audited consolidated financial statements of PAC 1 for the financial year ended December 31, 2018.

A3. American Entertainment Properties Corp. ("AEP" or "PAC 2")

1. PAC 2, is a limited liability corporation incorporated in the United States as a Delaware corporation, formed on December 29, 2003. Its Registered Office is located at 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America. Its telephone number is 212-702-4300, fax number is 646-367-4550 and Email is IR@ELP.com.
2. PAC 2 is a diversified holding company currently engaged in the following businesses: Investment, Energy, Automotive, Metals, Real Estate and Home Fashion.
3. PAC 2 is a wholly owned subsidiary of Icahn Enterprises LP (PAC 1) through various other entities which include Icahn Enterprises Holdings LP and Icahn Building LLC.
4. The total equity of PAC 2 as per the draft/unaudited consolidated financials as at and for the year ended December 31, 2018 is US$ 11,227 mn and as per the audited consolidated financials as at and for the year ended December 31, 2017 is US$9,848.
5. PAC 2 owns 3,075,663 Class B shares of the Acquirer as of May 1, 2019.
6. PAC 2 has not directly held any shares in the Target Company and has not acquired any Equity Shares of the Target Company directly. Accordingly, PAC 2 has not been required to make disclosures related to acquisition under the provisions of Chapter II of the Takeover Regulations 1997 and Chapter V of the SEBI (SAST) Regulations.
7. PAC 2 has not entered into any related party transactions in the course of its business, with the Target Company, according to the Annual Report of the Target Company for the year ended March 31, 2018.
8. As on the date of this submission, none of the directors of PAC 2 are directors on the Board of Directors of the Target Company.
9. As on date of this Corrigendum, the Directors and key managerial personnel of PAC 2 do not hold any interest/ relationship/ ownership/ shares in the Target Company.
10. As on the date of this submission, PAC 2 does not directly own any Equity Shares of the Target Company. PAC 2 owns 3,075,663 Class B shares of the Acquirer as of May 1, 2019 and pursuant to the closing of the Primary Transaction, the Target Company has become an indirect subsidiary of the Acquirer.
11. The PAC 2 has not been prohibited by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") from dealing in securities, in terms of Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended ("**SEBI Act**") or under any of the regulations made under the SEBI Act.
12. The key financial information of American Entertainment Properties Corp., as derived from its audited consolidated financial statements for the 12-months period ended 31 December 2016, 31 December 2017 and draft/unaudited financial statements for the 12-months period ended 31 December 2018 is as follows. The said financials have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles.

Particulars	For the 12-month period ending December 31					
	2016		2017		2018	
	US$ mn	INR mn	US$ mn	INR mn	US$ mn	INR mn
Total Revenue	16,954	11,73,583	20,934	14,49,085	11,095	7,68,014
Net Income (Loss) Attrib. to AEP	(517)	(35,788)	2,162	1,49,657	1,896	1,31,244
Basic Earnings Per Share (EPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Net Worth/ Shareholder' Fund (Excluding Minority Interest)	4,286	2,96,684	6,646	4,60,047	8,614	5,96,275

Notes:

a. All US$ amounts except EPS are in millions.

b. The financial information for the financial years ending December 31, 2016, 2017 and 2018 set forth have been extracted from the audited consolidated financial statements of American Entertainment Properties Corp. as at and for the financial years ending December 2016, 2017 and draft/unaudited financial statements as at and for the financial year ending December2018 and have been prepared in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles.

These financial statements have been audited by Grant Thornton, the independent auditor of American Entertainment Properties Corp. Financial information presented above for the period ended December 31, 2018, is unaudited and has been reviewed by American Entertainment Properties Corp.'s independent auditor.

The above figures have been converted into INR using the exchange rate of 1 Dollar = INR 69.2215 as on June 27, 2019 one day before the date of this submission. (Source: www.fbil.org.in)

i. Total Revenue includes net sales, operating revenues and other income.
ii. Net Income is excluding income attributable to non-controlling interest.
iii. Net worth includes common stock and accumulated other comprehensive loss, retained earnings (accumulated deficit).

13. There is no contingent liability provided for in the latest available draft/unaudited consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2018 as well as the audited consolidated financial statements of PAC 2 for the financial year ended December 31, 2017.

A4. IEH FMGI Holdings LLC ("IEH" or "PAC 3")

1. PAC 3, is a is a limited liability company, as a Delaware Corporation in the United States, formed on May 14, 2019. Its Registered Office is located at 767 5th Avenue, New York, NY 10153. Its telephone number is 212-702-4300 fax number is 646-367-4550 and Email is IR@ELP.com.
2. PAC 3 has been incorporated as an investment vehicle to specifically acquire the shares of the Target Company under this Offer and fulfil all the Offer related obligations.
3. PAC 3 is a wholly owned subsidiary of American Entertainment Properties Corp. ("**AEP**").
4. PAC 3 has not directly held any shares in the Target Company and has not acquired any Equity Shares of the Target Company directly. Accordingly, the Acquirer has not been required to make disclosures related to acquisition under the provisions of Chapter II of the Takeover Regulations 1997 and Chapter V of the SEBI (SAST) Regulations.
5. The membership interest in PAC 3 is 100% beneficially owned by AEP.
6. As on the date of this submission, none of the directors of PAC 3 are directors on the Board of Directors of the Target Company.
7. As on date of this Corrigendum, the Directors and key managerial personnel of PAC 3 do not hold any interest/ relationship/ ownership/ shares in the Target Company.
8. Being a newly incorporated entity, IEH FMGI Holdings LLC has not prepared any financials for a recent financial year.
9. The PAC 3 has not been prohibited by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") from dealing in securities, in terms of Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended ("**SEBI Act**") or under any of the regulations made under the SEBI Act.

4. **In the DPS, wherever "Acquirer" or "Tenneco Inc." is specified will be read as "Acquirer alongwith PACs".**

   Except in the following which shall be subsequently updated and disclosed:

   Point I sub-point D Point III- Shareholding and Acquisition Details, Point IV- Offer Price and Point V- Financial Arrangements and Point VII- Tentative Schedule of Activity.

5. **In sub-point D of point I, in paragraph 6 and before paragraph 7; and point VI "Statutory and Other Approvals", of the Detailed Public Statement; the following matter shall be added:**

   The PACs are in the process of making a suitable application to the Competition Commission of India ("CCI") to seek an approval under applicable regulations ("CCI Approval").

   This Corrigendum to the DPS is being issued on behalf of the Acquirer and PACs, by the Manager to the Offer i.e. CKP Financial Services Private Limited.

   If the Public Shareholders have any queries, they should consult the Manager to the Offer (details appearing below).

   A copy of this Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in.

MANAGER TO THE OFFER

CKP FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
Detsol, 1st floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road, Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India
Tel: +91-9322997964, E-mail: fmg.openoffer@ckpfinancialservices.com
Contact Person: Mr. Brijesh Parekh

केनरा बैंक
Canara Bank
(A Govt. of India undertaking)

Circle Office, Ansal Tower, 38, Nehru Place, New Delhi - 110019
Ph.: 011-26419921, 26292604 | Email - reccodel@canarabank.com

E-AUCTION/ SALE NOTICE 30.07.2019

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES THROUGH E-AUCTION UNDER RULES 8(6) & (9) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.

The under mentioned properties which are in possession of the Authorized Officer of the Bank will be sold on "AS IS WHERE IS & WHATEVER IS THERE BASIS" including encumbrances i.e., Government Dues, if any, by public e-auction sale for recovery of our secured debts plus interest and cost. The auction will be "Online E-auctioning" through website: www.bankeauctions.com

Sl No.	Branch Name / Name & Address of the Borrower(s) /Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified date	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.) and Last Date of Submission of EMD	Details of account number & IFSC Code where Earnest money can be deposited
1.	**Asset Recovery Management (ARM) Branch, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005** **Borrower:** **1. M/s. Delite Industries** (Partnership Firm), Shop no-999, Eastern side, Ground floor, Pan Mandi, Sadar Bazar, Delhi-110006 **2. Sh Rakesh Jain** (Partner/Guarantor), S/o Sh Padam Chand Jain, R/o A-31, Second Floor, Anand Vihar, Delhi-110092 **3. Sh Girish Jain** (Partner/Guarantor), S/o Sh Rakesh Jain, R/o A-31, Second Floor, Anand Vihar, Delhi-110092 **4. Smt. Sadhna Jain** (Partner/Guarantor), W/o Sh Rakesh Jain, R/o A-31, Second Floor, Anand Vihar, Delhi-110092	Shop No. 999, Ground Floor (without roof rights),Eastern side situated at Ward No. XIV, Pan Mandi, Sadar Bazar, Delhi-110006 measuring area 553 sq. Ft. In the name of Sh Rakesh Jain. (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 08.05.2019: Rs. 6,62,45,093.00 (Six Crores Sixty Two Lakh Forty Five Thousands Ninty Three only) which include interest up to 02.09.2014 plus further interest at applicable rate from 03.09.2014 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 218.70 Lakhs** (Rupess Two Crore Eighteen Lakhs and Seventeen Thousand only)	**Rs. 21.87 Lakhs** (Rupess Twenty One Lakhs Eighty Seven Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 2365296000001 IFSC Code: CNRB0002365 **Date & Time of the Property Inspection: 24.07.2019 and 25.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
2.	**Asset Recovery Management (ARM) Branch, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005** **Borrower:** **1. M/S Ishvakoo India Pvt Ltd,** Regd. Office:- C-681,New Friends colony, New Delhi-110065, **Also At :-** H-105, Connaught, Circus, New Delhi-110001. **2. Mr. Kamal Radhu,** C-681,New Friends colony, New Delhi-110065, **Also At:-** House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048, **Also At:-** H-105, Connaught, Circus, New Delhi-110001 **3. Ishvakoo Radhu,** C-681,New Friends colony, New Delhi-110065, **Also At:-** House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048, **Also At:-** H-105,Connaught, Circus, New Delhi-110001 **4. Mr.Vivek Radhu,** C-681,New Friends colony, New Delhi-110065, **Also At:-** House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048, **Also At:-** H-105,Connaught, Circus, New Delhi-110001 **5. Ms Anjana Radhu,** C-681,New Friends colony, New Delhi-110065 **Also At :-** House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048 **Also At :-** H-105,Connaught, Circus,New Delhi-110001 **6. Mr. Akhil Radhu,** C-681,New Friends colony, New Delhi-110065, **Also At :-** House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048, **Also At :-** H-105,Connaught, Circus, New Delhi-110001	Property No. C-681, New Friends Colony, New Delhi - 110065, Measuring - 475 Sq yard.	Total liabilities as on 08.05.2019: Rs. 21,75,90,966.13 (Twenty one Crore Seventy Five Lakhs Ninety Thousand nine hundred Sixty Six and thirteen paisa only) plus applicable interest along with other costs, charges, expenses and other incidental expenses there on.	**Rs. 1650.00 Lakhs** (Rupees Sixteen Crore Fifty Lakhs only)	**Rs. 165.00 Lakhs** (One Crore Sixty Five Lakhs only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 2365296000001 IFSC Code: CNRB0002365 **Date & Time of the Property Inspection: 24.07.2019 and 25.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
	Sl. No. 1 & 2: For Further Details contact: Shri Manoj Kumar Pandey, (Mobile No 8755128475) Senior Manager or/and Sh. Shikhar Srivastava, Officer (Mobile No 8076911794), Land Line No. 011-28751723					
3.	**Paharganj Branch, New Delhi-110055** **Borrower:** **1. Mrs Ruchi Singh** w/o Mahipal Singh and Mahipal Singh s/o Sh Raje Ram, R/O 163 1st and 2nd Floor, Block and Pocket C-02, Sector-16, Rohini, Delhi-110087 **Guarantors:** **Mr. Ram Sharan** S/o Shri Darshan Lal R/o N-1/1, Budh Vihar, Phase- I, Delhi-110041.	Property consisting of Property at 163, Second Floor with roof rights, Block and Pocket- C-2, Sector-16, Rohini, Delhi-110087, measuring 25.90 Sq.Mtr. standing in the name of Smt Ruchi Singh and Sh Mahipal Singh **Director/Guarantor /Mortgagor:-** Mr. Ram Sharan S/o Shri Darshan Lal Bounded: **On the North:** By Road, **On the South:** By Plot No 164, **On the East:** By Entry, **On the West:** By Service Lane	Total liabilities as on : 31/12/2018 – Rs 27,51,001.98 (Rupees Twenty seven lakh fifty one thousand one and paise ninety eight only) plus further interest from 01.01.2019 @18.15% p.a .with monthly interest and court expenses and other expenses & outstanding dues of local self government (Property Tax, Water Tax, Electricity Bills etc.)= Not known to bank.	**Rs. 25.00 Lakhs** (Rupees Twenty Five Lakhs only)	**Rs. 2.50 Lakhs** (Rupees Two Lakhs Fifty Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Account No 2021295000001, IFSC Code CNRB0002021 **Date & Time of the Property Inspection: 24.07.2019 and 25.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
	Sl. No. 3: For Further Details contact: Mr. A Chatterjee (Sr. Manager) , Canara Bank, Paharganj Branch, New Delhi 110055 (Ph. No. 011-23588772, 9650077021) e-mail id cb2021@canarabank.com					
4.	**Asset Recovery Management (ARM) II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.** **Borrower:** **1. M/s. AKSHEY ENTERPRISES (Proprietorship Firm),** IX/5892, 3rd floor, Abadi of Geeta Gali, Subhash, Mohalla, Dharampura, Gandhi Nagar, Illaqua-Shahdara, Delhi-110031 **2. Sh Akshey Khanna (Prop)** S/o Sh Rakesh Khanna, R/o House No–5, Ganesh Park, Rashid Market, Street–2, Krishna Nagar, Delhi-110051. **3. Smt. Sarita Khanna** w/o Sh. Rakesh Khanna, (Guarantor) R/o House No–5, Ganesh Park, Rashid Market Street–2, Krishna Nagar, Delhi-110051	EMT of entire 3rd floor with 2/3rd roof rights of property bearing no.IX/5892 part of khasra no.111 measuring 125 sq yds (104.52 sq mtrs) situated at abadi of Geeta Gali, Subhash Mohalla, Dharampura, area of Village – Seelampur, Illaqua-Shahdara, Now known as Gandhi Nagar, Delhi standing in the name of Smt. Sarita Khanna w/o Sh. Rakesh Khanna (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 31.12.2017 : Rs. 91,01,516.27p (Rupees Ninty One Lacs One Thousand Five Hundred Sixteen and paisa Twenty Seven only) which include interest up to 31.12.2017 plus further interest at applicable rate from 01.01.2018 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 62.25 Lakhs** (Rupees Sixty Two Lakhs Twenty Five Thousand only)	**Rs. 6.23 Lakhs** (Rupees Six Lakhs Twenty Three Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 3038295000001 IFSC Code: CNRB0003038 **Date & Time of the Property Inspection: 19.07.2019 and 20.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
5.	**Asset Recovery Management (ARM) II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.** **Borrower:** **1. M/s. CHAWLA ENTERPRISES** (Proprietorship Firm), Property No 347/1, Plot No.26, Part of Khasra No. 107/1, Pradhan Wali Gali, Old Abadi Lal Dora of Village-Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-110059. **2. Sh Raman Kumar Chawla** S/o Shri Shori Lal Chawla (Proprietor), R/o DG-1/2A, LIG Flats, Vikas Puri, New Delhi-110018. **3. Shri Yogesh Arora** S/o Shri Hari Ram (Guarantor) R/o A-19/5, Vijeta Vihar, Delhi Police Society, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. **4. Shri Gurdeep Singh** S/o Lt.Shri Hardayal Singh, (Guarantor) R/o WZ 283/60, First Floor, Maddi Wali Gali No.3, Vishnu Garden, New Delhi-110018	EMT of Residential property no 347/1, (Plot No 26) out of khasra no 107/1, Pradhan Wali Gali situated in Old Abadi of Laldora of Village - Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Measuring 144 Sq. Yds. Owned by Sh. Raman Kumar Chawla s/o Shori Lal Chawla (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 31.10.2016 Rs. 39,74,539,52 (Rupees Thirty Nine Lacs Seventy Four Thousand Five Hundred Thirty Nine and Paisa Fifty Two Only) which include interest up to 31.10.2016 plus further interest at applicable rate from 01.11.2016 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 35.47 Lakhs** (Rupees Thirty Five Lakhs Forty Seven Thousand only)	**Rs. 3.55 Lakhs** (Rupees Three Lakhs Fifty Five Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 3038295000001 IFSC Code: CNRB0003038 **Date & Time of the Property Inspection: 19.07.2019 and 20.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
6.	**Asset Recovery Management (ARM) II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.** **Borrower:** **1. M/s. IAA CONSTRUCTION** (Proprietorship Firm), E-85, Ramesh Nagar, New Delhi-110015, **also at**: Plot No-46-D, Block–D, Part of Khasra No-929, Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 **2. Sh. Roy Sharma** s/o Lt. V P Sharma (Proprietor), R/o E-94, Ramesh Nagar, New Delhi-110015. also at- Plot No-46-D, Block–D, Part of Khasra No–929, Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 3. Smt. Shalini Sharma w/o Sh. Roy Sharma (Guarantor) R/o E-94, Ramesh Nagar, New Delhi–110015, also at- Plot No-46-D, Block – D, Part of Khasra No–929, Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059	EMT of entire first floor without roof rights Situated at Plot No.46-D, Block – D, part of Khasra No-929, area of Village-Nawada, residential colony known as Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 (measuring 100 sq yds. Out of total measuring 200 sq yds) standing in the name of Sh. Roy Sharma s/o Late Sh. V P Sharma (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 31.01.2016 : Rs.24,55,933.78p (Rupees Twenty Four Lacs Fifty Five Thousand Nine Hundred Thirty Three and paisa Seventy Eight only) which include interest up to 31.01.2016 plus further interest at applicable rate from 01.02.2016 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 36.00 Lakhs** (Rupees Thirty Six Lakhs only)	**Rs. 3.60 Lakhs** (Rupees Three Lakhs Sixty Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 3038295000001 IFSC Code: CNRB0003038 **Date & Time of the Property Inspection: 19.07.2019 and 20.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
7.	**Asset Recovery Management (ARM) II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.** **Borrower:** **1. M/s. MANNAT ISPAT PVT. LIMITED,** Property at Khasra No. 31, 39, 40, 41 & 42, Alipur, Jijmana, Hapur – Meerut Road, District – Meerut. (UP) **Also at:** 20-Jassipura, Ghaziabad-201001 (UP) **2. Sh. Naeem Mohammad S/o Mohd. Ahsan Ali** (Director and Guarantor) R/o 20-Jassipura, Ghaziabad-201001.(UP). **Also at:** Shop No.6, Block-K, Ground Floor, GDA Market, Nehru Nagar III Ghaziabad – 201001.(UP) **3. Sh. Sameer Qureshi** S/o Mohd. Ahsan Ali (Director and Guarantor) R/o 101, Mohalla Dwarkapuri, Jassipura, Ghaziabad – 201001.(UP) **Also at:** 75-Mohalla Dwarkapuri, Jassipura, Ghaziabad-201001.(UP) **4. Sh.Mohammed Shahjad** S/o Mohd. Ahsan Ali (Guarantor) R/o 101-Mohalla Dwarkapuri, Jassipura, Ghaziabad-201001.(UP) **Also at:** Plot at Khasra No.33,34K & 35A, One Colony, Village-Budhera jahidpur, Pargana – Tehsil and District-Meerut, (UP) **5. Smt. Iqbal Jahan** W/o Mohd. Ahsan Ali (Guarantor) R/o House No. 101-1/4, Ward No.74, Mohalla Dwarkapuri, Jassipura, Ghaziabad– 201001. (UP) **Also at:** Smt Iqbal Jahan W/o Mohd. Ahsan Ali (Guarantor) R/o R/o 75-Mohalla Dwarkapuri, Jassipura, Ghaziabad-201001.(UP)	EMT of Commercial Shop No.6, Block-K, Ground Floor, GDA Market, Nehru Nagar III, Ghaziabad-201001 (measuring 9.10 Sq. Mtr.) standing in the name of Sh. Naeem Mohammed S/o Mohd. Ahsan Ali (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 30.11.2016 Rs.5,93,20,529/- (Rupees Five Crore Ninty Three Lacs Twenty Thousand Five Hundred Twenty Nine Only) which include interest up to 30.11.2016 plus further interest at applicable rate from 01.12.2016 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 11.00 Lakhs** (Rupees Eleven Lakhs only)	**Rs. 1.10 Lakhs** (Rupees One Lakh Ten Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 3038295000001 IFSC Code: CNRB0003038 **Date & Time of the Property Inspection: 19.07.2019 and 20.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
8.	**Asset Recovery Management (ARM) II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.** **Borrower:** **1. M/s. SONAL ENTERPRISES** (Proprietorship Firm) IX/5892, 2ND floor, Abadi of Geeta Gali, Subhash Mohalla, Dharampura,Gandhi Nagar, Illaqua- Shahdara, Delhi-110031 **2. Sh Anmol Khanna (Prop)** S/o Sh Rakesh Khanna, R/o House No–5, Ganesh Park, Rashid Market, Street–2, Krishna Nagar, Delhi-110051. **3. Smt. Rajani Khanna** w/o Sh. Satish Khanna (Guarantor) R/o House No–5, Ganesh Park, Rashid Market Street–2, Krishna Nagar, Delhi-110051	EMT of entire 2nd floor of property bearing no.IX/5892 part of khasra no.111 measuring 125 sq yds (104.52 sq mtrs) situated at abadi of Geeta Gali, Subhash Mohalla, Dharampura, area of Village – Seelampur, Illaqua-Shahdara, Now known as Gandhi Nagar, Delhi standing in the name of Smt. Rajni Khanna w/o Sh. Satish Khanna (This property is in physical possession of the Bank)	Total liabilities as on 30.11.2016 Rs.5,93,20,529/- (Rupees Five Crore Ninty Three Lacs Twenty Thousand Five Hundred Twenty Nine Only) which include interest up to 30.11.2016 plus further interest at applicable rate from 01.12.2016 along with expenses, other charges, etc.	**Rs. 53.50 Lakhs** (Rupees Fifty Three Lakhs Fifty Thousand only)	**Rs. 5.35 Lakhs** (Rupees Five Lakhs Thirty Five Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 3038295000001 IFSC Code: CNRB0003038 **Date & Time of the Property Inspection: 19.07.2019 and 20.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
	Sl. No. 4 to 8: For Further Details contact: Sh. Ranjeet Kumar, Mobile No 9773670093 Chief Manager, and/or, Sh. Anil Kumar Sharma, Officer, Mobile No 9414052050, e-mail id-cb3038@canarabank.com					
9.	**Sadar Bazar New Delhi, Branch** **Borrower:** **M/s Perfect Clean Services, Prop. Mr. Sarvesh Kumar** R/o Flat no. 90 Ground Floor Rohini Delhi 110089 **Also at:** Property No 103, Gali No.13 Badli Extn. Delhi 110042 **Also at:** Shop No. 25 Aggarwal Chamber, LakshmiNagar Delhi-110092 **(I) Mr. Sarvesh Kumar (Proprietor)** **(II) Smt. Rajan Devi w/o Sarvesh Kumar** (Guarantor & Mortgator)	EMT of Commercial Property No. Flat No. 90 Pocket F 17 Sector 15 Rohini Delhi 110089 area measuring 18 Sq. Mtrs owned by Mrs Rajan Devi W/o Sarvesh Kumar, **East:** Open Space, **West:** Service Lane, **North:** Flat No. 89, **South:** Flat No 93	Total liabilities as on: 31/05/2019 – Rs.28,79,032.80 (Rupees Twenty Eight Lakh Seventy Nine Thousand Thirty Two and Paisa Eighty Only)Plus further interest wef 01.06.2019 and other charges, Plus outstanding dues of local self government (Property Tax, Water Tax, Electricity Bills etc.) = Not known to bank	**Rs. 13.66 Lakhs** (Rupees Thirteen Lakhs Sixty Six Thousand only)	**Rs 1.37 Lakhs** (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	A/c No 0271295000001 IFSC Code CNRB0000271 **Date & Time of the Property Inspection: 24.07.2019 and 25.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
	Sl. No. 9: For Further Details contact: Mr Harish M (Chief Manager) , Canara Bank, Sadar Bazar Branch, New Delhi 110006 (Ph. No. 011-23523805, 23524516, 7899195741) e-mail id cb0271@canarabank.com					
10.	**Okhla Sme Branch, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, New Delhi-110020** **Borrower:** **1. M/s SHUBH JEWEL,** Regd. Office at: B-3,10 D, Pocket B, Ashok Vihar Phase III, New Delhi-110052, **Also at:** Plot no. A-23, Upper Groud Floor, Satyawati Nagar,Ashok Vihar Phase III, New Delhi-110052 **2. Sh. Sandeep Agrawal (Prop M/s Shubh Jewel)** S/o Late S.C. Agrawal, B-3,10 C, Pocket B, Ashok Vihar Phase III, New Delhi-110052, **Also at:** Plot no. A-23, Upper Ground Floor, Satyawati Nagar, Ashok Vihar, Phase III, New Delhi-110052	Plot No.A-23,Upper Ground Floor,Satyawati Nagar,Sidhora Kalan,Ashok Vihar Phase III,New Delhi-110052.	Total liabilities as on 29.08.2018 : Rs.1,70,83,993 (One Crore Seventy lakh Eighty Three Thousand Nine Hundred Ninety Three Rupees only) as on 29.08.2018 plus unapplied Interest and Other Expenses w.e.f 29.08.2018 @11.95 p.a compounded monthly inclusive of penal interest @ 2% simple towards OCC/ODBD and along with other costs, charges, expenses and other incidental expenses there on due to the Okhla SME Branch of Canara Bank from M/s Shubh Jewel.	**Rs. 132.00 Lakhs** (Rupees One Crore Thirty Two Thousand only)	**Rs. 13.20 Lakhs** (Rupees Thirteen Lakhs Twenty Thousand only) **26.07.2019 upto 05.00 pm**	Current A/c No 5021296000001 IFSC Code: CNRB0005021 **Date & Time of the Property Inspection: 24.07.2019 and 25.07.2019 between 02.00 pm to 05.00 pm**
	Sl. No. 10: For Further Details contact: Shri Satish Gupta, (Mobile No 9205350982) Divisional Manager, Regional Office South Delhi, Canara Bank, Land Line No. 011-26292402					

Date and time of E-Auction 30.07.2019 between 12.30 P.M. and 1.30 P.M.
(With auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing)

Last Date of Submission of Documents: 29.07.2019 upto 05.00 pm

The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following conditions:-

E-Auction Terms and conditions:

1) The property will be sold in "as is where is and as is what is" basis including encumbrances, if any. There is no encumbrance to the knowledge of the bank. 2) Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website www.bankeauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms and part in the E-auction sale proceedings. 3) The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorised Officer, Canara Bank, respective branches as per Branch details stated above in column no.7 above. 4) The property will not be sold below the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process. 5) EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft or shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of Canara Bank in favour of Authorized Officer, Canara Bank, respective branches as per Branch details stated above in column no. 6 above. 6) Intending bidders shall hold a valid digital signature certificate and e-mail address. For details with regard to digital signature please contact the service provider C1 India Pvt. Ltd |(Mr. Vinod Chauhan, Mob-09813887931) Tel 124-4302000 (Ext. 200) Plot # 301, 1st Floor, Udyog Vihar PH - II, Gurgaon, Haryana, 122001 email id: support@ bankeauctions.com, delhi@c1india.com.com Website: https://www.bankeauctions.com. Immediately on the same date of payment of the EMD amount the bidders shall approach the said service provider for obtaining digital signature (if not holding a valid digital signature). 7) After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before 29.07.2019 up to 5:00 PM to Canara Bank, Respective Branch as above (1) Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No.(2) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount. (3) Bidders Name, Contact No., Address, E Mail Id.(4) Bidder's A/c details for online refund of EMD. 8) The intending bidders should register their names at portal www.bankeauctions.com.and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction. from the service provider M/s C1 India Pvt. Ltd |(Mr. Vinod Chauhan, Mob-09813887931) Tel 124-4302000 (Ext. 200) Plot # 301, 1st Floor, Udyog Vihar PH - II, Gurgaon, Haryana, 122001 support@ bankeauctions.com, delhi@c1india.com.com Website: https://www.bankeauctions.com. 9) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them within 2 days of finalization of sale. The EMD shall not carry any interest. 10) Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 10,000. The bidder who submits the highest bid (not below the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor. 11) The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price within the period stated above, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again. 12) All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. 13) Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof. 14) In case there are bidders who do not have access to the internet but interested in participating in the e-auction, they can approach concerned Circle office or ARM-I Branch, Karol Bagh, Arya Samaj Road, Delhi-110005 / Paharganj Branch, New Delhi – 110055/ ARM II Branch, Parliament Street, New Delhi-110001/ Sadar Bazar Branch, New Delhi – 110006 / Okhla Sme Branch, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, New Delhi-110020, who as a facilitating centre shall make necessary arrangements. 15) Bidder have to make due diligence & physical verification of property with regard to title, extent, area dues, etc. No claim subsequent to submission of bid shall be entertain by the Bank. 16) For Sale proceeds above Rs.50.00 lacs TDS shall be payable at the rate 1% of the sale amount, which shall be payable separately by the successful buyer. 17) For further details contact of Authorized Officer, Canara Bank, respective branches as per Branch details stated above OR the service provider M/s C1 India Pvt. Ltd |(Mr. Vinod Chauhan, Mob-09813887931) Tel 124-4302000 (Ext. 200) Plot # 301, 1st Floor, Udyog Vihar PH - II, Gurgaon, Haryana, 122001 email id: support@ bankeauctions.com, delhi@c1india.com.com Website: https://www.bankeauctions.com.

SPECIAL INSTRUCTION/CAUTION

Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back –up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Date: 29.07.2019, Place: New Delhi **Authorized Officer, Canara Bank**

सड़क हादसे में सात लोगों की मौत

आगरा, 28 जून, (भाषा)।

आगरा– लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार सुबह पांच बजे ट्रक और बस की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। बस में करीब 40 लोग सवार थे।

थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चार लोगों और एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई थी। बाकी दो लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई।

दोपहर में थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार ने बताया कि मृतकों में चार पुरुष और एक बच्ची शामिल है। उन्होंने बताया कि एक मृतक की शिनाख्त हरी यादव पुत्र राजगोपाल निवासी धर्मपुर,थाना पुपड़ी सीतामढ़ी बिहार के रूप में हुई है।

पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

पटना, 28 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख रामविलास पासवान शुक्रवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।

बिहार विधानसभा के सचिव और रिटर्निंग ऑफिसर बटेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और इस आशय का प्रमाण उन्हें सौंप दिया गया। रामविलास को प्रमाण पत्र उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राजग के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सौंपा गया।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ऊपरी सदन की इस सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था। 1960 के दशक में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले रामविलास दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।

नाईजीरिया में दो महीने से अगवा नाविक मुक्त

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

नाईजीरिया में एक जहाज से अगवा कर लिए गए पांच भारतीय नाविकों को दो महीने बाद मुक्त करा लिया गया है। नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को बताया कि 19 अप्रैल को एमटी एपेक्स जहाज के नाविकों को नाईजीरिया के बोनी द्वीप के समीप अगवा कर लिया गया था।

उन्होंने एक बयान में कहा कि समुद्र में भारतीय चालक दल वाले व्यापारिक जहाजों को अगवा करने से उत्पन्न संभावित समुद्री सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने नौवहन मंत्रालय के अंतर्गत अधिकारियों का एक अंतर मंत्रालयी समूह बनाया है। बयान के अनुसार नाईजीरिया के अबुजा में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की जानकारी नाईजीरियाई प्रशासन को दी। उसके बाद नाईजीरिया सेना पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। नाईजीरिया के रीजनल मैरीटाइम रिस्क एंड कोर्डिनेशन सेंटन ने भी इस मामले में सहयोग किया। मंडाविया ने कहा कि मैं यह बताते हुए खुश हूं किअगवा भारतीय नाविकों को सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया गया और वे 27 जून को अधिकारियों की सुरक्षित हिरासत में पहुंच गए।

दुबई में चार महिला कामगारों को मुक्त कराया

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने शुक्रवार को बताया कि चार भारतीय महिला कामगारों को दुबई में ड्रके नियोक्ता की कैद से मुक्त करा लिया गया है और अब उन्हें स्वदेश लाया जा रहा है। मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के संग बचाव अभियान चलाया था।

उन्होंने कहा कि एक अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए इन्हें मुक्त कराया गया लिया। ये सभी तमिलनाडु की हैं।

एक देश एक राशन कार्ड लाने की तैयारी : पासवान

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में एक ही राशन कार्ड को लागू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से 'कैशलेस' बनाए जाने के साथ ही सरकार की योजना 'वन नेशन वन राशन' कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराने की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

पासवान ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 2030 तक देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में लाए जाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश की दो तिहाई आबादी को पीडीएस के दायरे में लाते हुए दो रुपए प्रति किग्रा की दर से गेंहू और तीन रुपए प्रति किग्रा की दर से चावल मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने पीडीएस में वितरण संबंधी किसी तरह की खामी से इनकार करते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस होने के बाद इसमें हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पासवान ने स्पष्ट किया कि पीडीएस के दायरे में आने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं है।

आइएमए समूह पोंजी घोटाला

ईडी ने कर्नाटक के मंत्री को पेश होने का नोटिस दिया

बंगलुरु, 28 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) आइएमए समूह पोंजी घोटाले में कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान को उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

एजंसी के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने जमीर अहमद खान को नोटिस दिया है। हमने उन्हें हमारे सामने पेश होने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है।' प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में आइएमए समूह की कंपनियों और इसके फरार प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। इस तरह की खबरें हैं कि मंसूर खान 40,000 निवेशकों का करोड़ों रुपया लेकर भूमिगत हो गया है।

खान ने माना कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें नोटिस दिया है और पांच जुलाई तक मोहम्मद मंसूर खान को संपत्ति बेचने का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। मंत्री ने कहा, 'जी हां, ईडी के अधिकारियों ने समन जारी किया है। उन्होंने मुझे विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। दो लोग आए थे।' मंत्री ने कहा, 'उन्होंने मुझसे पांच जुलाई तक उस संपत्ति के बारे में विवरण देने को कहा है, जो मैंने (मंसूर खान को) को बेची थी।'

आप के बागी विधायक की याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत पाने में विफल रहे। अदालत ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत को दल बदल कानून के तहत दी गई नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। सचिवालय ने सहरावत के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें यह नोटिस दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह मामला विधायक को अयोग्यता के लिए दिए गए नोटिस के बारे में है जो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है और सहरावत उनके समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। पीठ ने सहरावत के वकील से कहा–यह मामला अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है। हम इसमें हस्तक्षेप क्यों करें? अध्यक्ष के पास जाइए। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद सहरावत के वकील ने याचिका वापस ले ली। मामले की सुनवाई के दौरान सहरावत के वकील ने कहा कि उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा है और अध्यक्ष से कहा जाना चाहिए कि वे इस मामले में कोई भी आदेश पारित नहीं करें। पीठ ने कहा–आपने (सहरावत) पहले भी एक याचिका दायर की थी और इसकी वजह भी यही थी। वह याचिका खारिज हो गई थी।

इस पर वकील ने कहा कि उस समय सहरावत को अयोग्यता के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि निष्कासित विधायक की स्थिति का मसला शीर्ष अदालत में लंबित है। पीठ ने कहा–आपको निष्कासित किया गया है या नहीं, हम नहीं जानते। यहां तक कि आपको भी नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं कि आपको निष्कासित नहीं निलंबित किया गया है। इस पर वकील ने कहा कि सहरावत को पिछले चार साल से पार्टी में अलग–थलग रखा गया है और उन्हें पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता है।

बिजवासन विधानसभा सीट से विधायक सहरावत ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया था कि उन्होंने अभी तक भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है और उन्हें अयोग्य करार देने का नोटिस एकपक्षीय और गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दल–बदल कानून के तहत दो विधायकों देवेंद्र सहरावत और अनिल बाजपेयी को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर रखी है। भारद्वाज ने याचिका में कहा था कि ये दोनों सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सहरावत के अलावा आप के एक अन्य बागी विधायक अनिल बाजपेयी को भी नोटिस जारी किया था।

पारिवारिक रंजिश के कारण परिवार के पांच लोगों की हत्या

बांदा, 28 जून (भाषा)।

हमीरपुर में कथित पारिवारिक रंजिश के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई।

चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के डीआइजी एके राय ने शुक्रवार को बताया कि हमीरपुर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या में प्रथम दृष्टया पारिवारिक रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने का शक सामने आ रहा है, फिर भी पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

डीआइजी राय ने बताया कि अब तक की जांच में पाया गया कि नूरबक्स ने दो शादियां की थीं। पहली बीवी अपने बेटे–बहू के साथ कालपी रोड स्थित मकान में अलग रह रही है और नूरबक्स दूसरी बीवी व उसके बेटों–नफीस, रईश व बहुओं के साथ दूसरे मकान में रह रहा है। उन्होंने बताया कि संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। रानी लक्ष्मी बाई मुहल्ले वाले मकान (घटनास्थल) में लूटपाट जैसे कोई तथ्य सामने नहीं आए। इससे प्रथम दृष्टया लगता है कि आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया होगा।

राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए चित्रकूट और कानपुर से खोजी कुत्ते व फोरेंसिक टीमें बुलाई गई हैं। गुरुवार देर शाम रईश, उसकी पत्नी रोशनी, बेटी आलिया, दादी शकीना और भांजी रोशनी के खून से लथपथ शव उनके रानी लक्ष्मी बाई मुहल्ला स्थित मकान से मिलने पर सनसनी फैल गई थी।

दिल की धड़कन रोककर दिमाग की सर्जरी कर बचाई मरीज की जान

लखनऊ, 28 जून (भाषा)।

अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग ने एक जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाई। अपोलो मेडिक्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर रविशंकर ने शुक्रवार को बताया कि ब्रेन एन्यूरिस्म पीड़ित मरीज की ब्रेन सर्जरी के लिए उसके दिल की धड़कन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे सर्जरी के खतरे को कम किया जा सका।

उन्होंने बताया कि हमारे पास ब्रेन एन्यूरिस्म पीड़ित 35 वर्षीय बाराबंकी निवासी मनोज वर्मा बेहोशी की हालत में गंभीर स्थिति में आया था। ब्रेन एन्यूरिस्म में मरीज के खून की नली में ही खून का गुब्बारा बन जाता है। इसका इलाज क्रैनियोटोमी व क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिस्म द्वारा किया जाता है, जिसमें खून के गुब्बारे को एक क्लिप के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। इस बीमारी में सर्जरी के बाद भी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।

रविशंकर ने बताया कि हमने जांच में पाया कि मरीज के डोमिनेंट ब्रेन के हिस्से की मुख्य खून की नली से आगे जाने वाली दो नलियों के पास गुब्बारा बना हुआ था, जो नलियों से चिपका हुआ था। इस अवस्था में इसे बंद करने पर वाहिनियों में अवरोध होने व नुकसान की संभावना थी, जिससे मरीज के सोचने–समझने और बोलने की क्षमता पर काफी नकारात्मक असर आ सकता था। साथ ही मरीज के दाएं हाथ की गतिविधि भी प्रभावित हो सकती थी या जान का खतरा भी हो सकता था, इसलिए हमने पहले गुब्बारे को सिकोड़ने का निर्णय लिया।

- **ब्रेन एन्यूरिस्म में मरीज के खून की नली में ही खून का गुब्बारा बन जाता है। इसका इलाज क्रैनियोटोमी व क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिस्म द्वारा किया जाता है, जिसमें खून के गुब्बारे को एक क्लिप के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। इसमें सर्जरी के बाद भी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।**
- **डॉक्टर रविशंकर ने बताया, सात घंटे चले इस ऑपरेशन में हमने मरीज की धड़कन को करीब 45 सेकंड के लिए चार बार बंद किया फिर सर्जरी की। हमें उन 45 सेकंड में सामान्य सर्जिकल गति की सौ गुना गति से काम करना पड़ा।**

रविशंकर ने बताया कि सात घंटे चले इस ऑपरेशन में हमने मरीज की धड़कन को करीब 45 सेकंड के लिए चार बार बंद किया और फिर सर्जरी की। इस प्रक्रिया में हमें उन 45 सेकंड में सामान्य सर्जिकल गति की सौ गुना गति से काम करना पड़ा, जिसके लिए अत्यधिक कुशलता और विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ऑपरेशन के तुरंत बाद ही बातचीत करने लगा है। रविशंकर ने बताया कि ये बीमारी आनुवांशिक है। साथ ही धूम्रपान व शराब का सेवन करने से भी होती है, जिस परिवार में ये बीमारी रही हो उस परिवार के सदस्यों को धूम्रपान व शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का शुरुआती लक्षणों से पता नहीं चलता। ब्रेन एन्यूरिस्म का पता एन्यूरिस्म या गुब्बारे के फटने पर ही चलता है। मरीज बेहोश हो जाता है या कोमा में चला जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर कैविएट दाखिल की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को वैध ठहराने वाले बंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की ताकि उसका पक्ष सुने बगैर कोई एकपक्षीय आदेश नहीं हो सके।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के बारे में हाईकोर्ट के 27 जून के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर उसका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाए।

हाईकोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को इसका प्रतिशत 16 से घटाकर 12 और 13 करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कुल आरक्षण 50 फीसद की सीमा अपवादजनक परिस्थितियों में इससे ज्यादा हो सकती है।

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस तर्क को भी स्वीकार किया कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनकी प्रगति के लिए कदम उठाए।

2017–18 में 34 लाख से अधिक गोवंशीय मवेशियों का वध

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

सरकार ने शुक्रवार को बताया कि मूलभूत पशुपालन और मात्स्यिकी सांख्यिकीय 2018 के आंकड़ों के अनुसार, 2017–18 के दौरान 34 लाख से अधिक गो–पशुओं का वध किया गया। मात्स्यिकी, पशुपालन व डेरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया 'मूलभूत पशुपालन तथा मात्स्यिकी सांख्यिकीय 2018 के आंकड़ों के अनुसार, 2017–18 के दौरान 34.10 लाख गो–पशुओं का वध किया गया।' उन्होंने बताया कि गोपशु परिरक्षण पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। कई राज्यों ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून बनाए हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण) छठी मंजिल यूनिट 602–ए, टावर –2, , कोनेक्ट्स,भवभूति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली – 110 001

डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों की सूची तैयार करना. (डीएसए)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के व्यवसाय के श्रोत हेतु डाईरेक्ट सेलिंग एजेन्टों (डीएसए) की सूची तैयार करने का इच्छुक है. डीएसए से अपेक्षित होगा कि होम लोन व्यवसाय हेतु प्रचार–प्रसार करें तथा संभावित होम लोन आवेदकों के आवेदन बैंक को अग्रेषित करें. सूचीबद्ध किए गए डीएसए बैंक के कोई कर्मचारी नहीं होंगे तथा इन्हें बैंक की नीति के अनुसार, होमलोन व्यवसाय के संग्रहण के लिए, एक प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा. किसी डीएसए को सूचीबद्ध करना और उनकी सेवाएँ समाप्त करना एकमात्र बैंक के विवेकाधिकार में होगा. सूचीबद्धता की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी.

विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए तथा सूचीबद्धता हेतु आवेदन करने लिए, इच्छुक व्यक्ति/एजेंसियां निम्नलिखित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं:

यूएलपी पश्चिम विहार – बी 2/ 15 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली–110063 मो: 9818359397, 011–25289543

यूएलपी मोती बाग – मोतीबाग– पालिका भवन, ओपोजिट हयात रीजेंसी होटल, मोती बाग, नई दिल्ली –110066 मो: 9028811133, 7259036930

यूएलपी तिलक नगर– 5–बी / 3 तिलक नगर, नजफगढ़ रोड, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली –110018 मो: 8879615424, 011– 25984142

क्षेत्रीय प्रबन्धक, दिल्ली (दक्षिण)

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना मामले में:

ओ.ए. नं. 527/2018

भारतीय स्टेट बैंक – आवेदक

बनाम

श्री विकास कमल एवं अन्य – प्रतिवादीगण

डी-2. मै. आइडिया बिल्डर्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालयः सी-294, 1ला तल, विवेक विहार, दिल्ली- 110095, साथ हीं: सी-10, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, साथ हीं: खसरा नं. 998, रेड एपल रेजीडेन्सी, केडीपी सर्किल के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राजनगर एक्टें., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201003, ईमेल आईडीः contact@ideabuilders.in

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 18.07.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 31 मई 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
इलाहाबाद पीठ के सम्मुख
कम्पनी योजना आवेदन संख्या 2019 का 181
(जिला : गौतमबुद्ध नगर)
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में,
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
तथा
सनसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं डायमंड वैली टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटरों के मध्य व्यवस्था योजना के मामले में

सनसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत
निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–53, सेक्टर 37, आरजी 11, सेक्टर नोएडा–201303, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ...आवेदक कम्पनी

अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों की बैठक का नोटिस तथा नोटिस का विज्ञापन

एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के दिनांक 11 जून, 2019 के आदेश में दिए गए निर्देश में सनसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं डायमंड वैली टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके सम्बद्ध शेयरधारकों की व्यवस्था योजना में सन्निहित प्रस्तावित अभिलेख के संबंध में विचार करने तथा यदि समझी जाने पर इसमें कोई संशोधन किए बिना अथवा संशोधन (संशोधनों) को करके अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदक कम्पनी के अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों की बैठक आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

उपर्युक्त आदेश तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि आवेदक कम्पनी के अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों की बैठक का आयोजन दिनांक 2 अगस्त, 2019 को प्रातः 12.30 बजे बी–53, सेक्टर 37, आरजी 11, सेक्टर नोएडा –201303, उत्तर प्रदेश, भारत में किया जाएगा तथा आवेदक कम्पनी के अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों से तदनुसार उक्त स्थान एवं तिथि के अनुसार उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

उक्त योजना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत विवरण की प्रचार मुक्त प्रतियों की प्राप्ति आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तथा / अथवा इसके अधिवक्ताओं यथा राहुल अग्रवाल / सुमन अग्रवाल के चैम्बर नम्बर 62, उच्च न्यायालय, 74/62, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद–211001 में स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर अथवा बैठक के आयोजन से कम से कम 48 घंटे पूर्व तक आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में सही प्रॉक्सियां जमा करवाने की शर्त पर प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

प्रॉक्सी के फार्म आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों की उक्त बैठक के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा श्री बिजन कुमार सिंह, अधिवक्ता की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई है। बैठक में अनसिकयोर्ड क्रेडिटरों द्वारा अनुमोदन दिए जाने की स्थिति में उपर्युक्त योजना ट्रिब्यूनल की अनुवर्ती अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त के अध्यधीन है।

हस्ताक्षर
बिजन कुमार सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

दिनांक: जून 29, 2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन : 011-25758124, ई-मेल : iob1997@iob.in

(परिशिष्ट-IV)

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8 (1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार और गारंटरों को एक मांग सूचना दिनांकित 17–12–2018 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/बंधकदाताओं/गारंटरों मैसर्स प्रोटोन एक्सपोर्ट्स (स्वामी : श्री राजीव नरूला) (इसमें आगे 'कर्जदार' कहे गए हैं) एवं श्री एम एल नरूला निवासी ई–109, जीके–II, नई दिल्ली–110048, श्रीमती जनक दुलारी नरूला निवासी ई–109, जीके–II, नई दिल्ली–110048, तथा श्री संजय नरूला निवासी ई–109, जीके–II, नई दिल्ली–110048 से मांग सूचना में वर्णितानुसार 17–12–2018 तक बकाया राशि रू. 71,17,13,081 (रू. इकहत्तर करोड़ सत्रह लाख तेरह हजार इक्यासी मात्र) – वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज, प्रभार इत्यादि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

(1) कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 27 जून, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

(2) कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडियन ओवरसीज बैंक की 17–12–2018 तक बकाया राशि रू. 71,17,13,081 (रू. इकहत्तर करोड़ सत्रह लाख तेरह हजार इक्यासी मात्र) मांग सूचना की तिथि से आगे वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज, प्रभारों इत्यादि सहित तथा प्रतिभुगतान, यदि कोई किया गया है, घटाकर, शेष राशि का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कब्जा लेने की तिथि तक कुल राशि 17–12–2018 तक बकाया राशि रू. 71,17,13,081 (रू. इकहत्तर करोड़ सत्रह लाख तेरह हजार इक्यासी मात्र) आगे वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज, प्रभारों इत्यादि सहित बकाया है।

(3) कर्जदार का ध्यान, प्रत्यागत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1 श्रीमती जनक दुलारी नरूला एवं श्री एम एल नरूला के नाम में आवासीय मकान नंबर ई–109, जीके–II, नई दिल्ली के सभी अंश एवं खंड। चौहद्दी : उत्तर : सर्विस लेन, पूरब : प्लॉट नंबर ई–107, दक्षिण : रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर ई–111

2 श्री संजय नरूला के नाम में सेक्टर–37, ग्राम शुकरताली एवं अन्य–पारा, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित बिल्डिंग मिलेनियम प्लाजा में टावर बी में 7वें फ्लोर पर फंक्शनल यूनिट नंबर 703, सुपर बिल्ट एरिया 164.99 वर्ग मीटर, बिल्डिंग के नीचे प्लॉट में भूमि में अविभाज्य तथा अविभाजित समानुपात हिस्सा सहित, के सभी अंश एवं खंड।

तिथि : 27-06-2019
स्थान : नई दिल्ली
(प्राधिकृत अधिकारी)
इंडियन ओवरसीज बैंक

जल संरक्षण व पशुधन को बढ़ावा देने की मांग उठी लोकसभा में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

लोकसभा में शुक्रवार को कई सदस्यों ने देश में जल संकट को दूर करने व पशुधन विकास को बढ़ावा देने की मांग उठाई और कहा कि नदियों को जोड़ने की प्रकिया को तेज किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन–बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण विषय पर भाजपा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के गैर सरकारी संकल्प पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश में गंभीर जल संकट है और आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा, इसलिए इस पर तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों के बीच चल रहे विवादों को खत्म कराने का प्रयास करना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों के विकास के लिए पशुधन एक प्रमुख साधन रहा है, लेकिन अब इसमें विकास नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सदन में भाजपा सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने प्रस्ताव किया कि कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के किसान राज्य के अन्य भागों की तुलना में अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, कम उपज और जोतों में विसंगति का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह सभा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लघु और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों की दशा बहुत ही दयनीय है।

'अन्ना प्रथा' के तहत खुले छोड़े गए पशु फसल बर्बाद करते हैं। समय से सिंचाई नहीं मिलने से भी किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में पानी को समुद्र में जाने से रोकने का हमारे पास साधन नहीं है। इसके लिए नए बांध बनाए जाने की जरूरत है। बुंदेलखंड में बने पुराने बांधों में गाद जमा हो गई है, जिसे निकालने की जरूरत है। बांधों की सफाई हुई होती, तो आज जल भंडारण की समस्या नहीं होती। वर्मा ने केन–बेतवा नदियों को जोड़ने संबंधी भाजपा सांसद कुंवर पष्पेंद्र सिंह चंदेल के संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेतवा नदी के किनारे के किसानों को लाभ मिलेगा। भाजपा के जगदंबिका पाल ने बुंदेलखंड में जल संकट को लेकर कहा कि वीरों की धरती रहा यह क्षेत्र जल संकट का सामना कर रहा है, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस बारे में कारगर कदम उठाना चाहिए।

जबलपुर : स्थानीय निकायों के कर्मचारी रहे हड़ताल पर

जबलपुर, 28 जून (भाषा)।

इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम कर्मी के साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में जबलपुर नगर निगम सहित जिले के अंतर्गत आने वाली सभी नगरपालिका व नगर पंचायतों के कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। त्रेहड़ताल में सफाई, फायर बिग्रेड, जल आपूर्ति सहित अन्य कर्मचारियों के शामिल होने के कारण कामकाज प्रभावित रहा।

नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव कपिल आनंद दुबे ने इंदौर में हुई घटना की निंदा करते हुए नगरीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारी के लिए प्रदेश सरकार से सुरक्षा कानून बनाने की मांग भी की है।उन्होंने यह भी मांग की है कि शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में जो जनप्रतिनिधि 24 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहे उसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

चंद्रबाबू का बंगला अवैध, नोटिस जारी

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 28 जून (भाषा)।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी की तलहटी पर बने अवैध बंगले को 'हटाने' के लिए शुक्रवार को नोटिस जारी किया। यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पट्टे पर ले रखा था। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नोटिस बंगले की दीवार पर चिपका दिया क्योंकि इसके मालिक लिंगमनेनी रमेश वहां नहीं थे। प्राधिकरण के नोटिस में कहा गया है कि कृष्णा नदी की तलहटी पर छह एकड़ में फैले इस बंगले के निर्माण में कानूनी अनुमति नहीं ली गई और यह नियम–कानून का पूरी तरह उल्लंघन है। अधिकारियों ने बुधवार को बंगले से लगे एक सम्मेलन कक्ष 'प्रजा वेदिका' को तोड़ना शुरू किया था।

इस कक्ष को नायडू के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सरकारी सम्मेलनों के लिए 8.90 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया था क्योंकि राज्य की नई राजधानी में इसके लिए कोई अन्य सुविधा नहीं थी। इस बीच तेदेपा ने नायडू के बंगले के मालिक रमेश को जारी किए गए नोटिस को लेकर आश्चर्य जताया। तेदेपा के पोलित ब्यूरो सदस्य और आंध्र प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता यानमाला रामकृष्णुडु ने एक बयान में कहा, 'यह बदले की कार्रवाई है। भवन का निर्माण तब किया गया था जब वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे (अविभाजित आंध्र प्रदेश के)। अगर यह अवैध था, तो राजशेखर रेड्डी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। बेटे (वाईएस जगनमोहन रेड्डी) पिता (राजशेखर रेड्डी) द्वारा अनुमति प्राप्त ढांचों को नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं।'

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
(CIN: L15202DL1959PLC003786)
पंजी. कार्यालय: 100/101, थाट्ट इंड सेन्टर नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110001
ई-मेल: investor@in.nestle.com
वेबसाइट: www.nestle.in
फोन: 011-23418001, फैक्स: 011-23415130

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के 10 जून, 2019 को समाप्त होने वाले तिमाही एवं अर्धवार्षिक अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को आयोजित होने वाली प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में विचार किया जायेगा।

निवेशक वेबसाइट www.nestle.in या www.bseindia.com भी देख सकते हैं।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
की, मुहरे
स्थान: गुरुग्राम — निदेशक-कानूनी
तिथि: 26.06.2019 — एवं कम्पनी सचिव

नई दिल्ली

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

कार्य-निष्पादन
एक सुविधाजनक बैंकिंग परंपरा के साथ

31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र

(000 को छोड़कर)

पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	₹ 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	5649123	5649123
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	51354900	56177727
जमाराशियाँ	3	985576045	1017261664
उधार	4	27140000	36029845
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	20000300	21574060
जोड़		**1088820458**	**1137592423**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	49410845	62563845
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	16771391	8763081
निवेश	8	261729278	329817572
अग्रिम	9	691755333	655694469
अचल आस्तियाँ	10	12303845	10825885
अन्य आस्तियाँ	11	57849766	59927471
जोड़		**1088820458**	**1137592423**
आकस्मिक देयताएं	12	72625233	61793982
वसूली के लिए बिल		7647029	6946070
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		

(अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है।)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

		अनुसूची	₹ 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	85585703	79487533
	अन्य आय	14	8282784	5812005
	जोड़		**93868487**	**85299538**
II.	व्यय			
	ब्याज पर किया गया व्यय	15	62789690	57135566
	परिचालन व्यय	16	17111220	16716836
	प्रावधान और आकस्मिक		12303356	10885113
	जोड़		**92204266**	**82737515**
III.	लाभ/हानि			
	आस्ति के शुद्ध लाभ/हानि (-)		-5434779	-7437977
	अवनीत लाभ/हानि (-)		9869679	18572748
	सामान्य रिज़र्व से आहरण		0	0
	जोड़		**4435089**	**11134771**
IV.	मूल एवं समायोजित अर्जन प्रति शेयर		-9.62	-18.48
	विनियोजन			
	आवंटन			
	सांविधिक आरक्षित निधियाँ		0	100000
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		908633	1013826
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		173560	151067
	लाभांश निवेश		101943	0
	आस्थगित कर देयता		0	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
	प्रस्तावित लाभांश (इक्विटी)		0	0
	लाभांश वितरण कर		0	0
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		3231053	9869879
	जोड़		**4435089**	**11134771**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है।			

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 को छोड़कर)

विवरण	2018-19	2017-18
(अ) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	-5434779	-7437977
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	10187260	17991364
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास	-147207	641058
निवेशों पर मूल्यह्रास	1210087	900746
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-97594	1119
ब्याज, डीएमएफ तथा आईडीसीएफ पर प्रावधान	2580820	2530157
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	16263846	14619470
समायोजन हेतु		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	-31680610	101980051
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-8888848	-2754526
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-1400791	2431523
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	60509253	-31524251
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-40321011	-98354126
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	7449498	-12373298
प्रावधान कर्मों का भुगतान किया गया (प्रतिदान को छोड़कर)	-2321830	-2301810
परिचालन गतिविधियों (अ) से नकदी प्रवाह	-973363	10633055
(ब) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-700791	-912756
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	97594	-1119
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह(ब)	-610707	-913875
(स) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकदी के लिए इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) जारी करना	0	1845012
उक्त पर प्रीमियम शेयर प्रीमियम	0	6204987
सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-8862
जारी अधिमानी शेयरों से प्राप्त	0	10000000
गौण बॉण्ड का मोचन	-1000000	0
ब्याज, डीएमएफ तथा आईडीसीएफ पर भुगतान	-2580820	-2530157
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (स)	-3580820	15509981
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-973363	10633055
निवेश गतिविधियों से नकदी	-610707	-913875
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-3580820	15509981
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	-5164890	25428161
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	71128926	45687765
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	66163236	71128926

समितिके पद हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बन्ट मोहन सिंह सहा. महाप्रबंधक	वी.के.पेड़ीवाल सहा.महाप्रबंधक	हरभजन सिंह दोसांझ सहायक महाप्रबंधक	राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक	अमित कुमार गर्ग सहायक महाप्रबंधक	नेकसन्द बंदी सहायक महाप्रबंधक	हरविन्द्र सलवंत सहायक महाप्रबंधक	हरे बीर सिंह निदेशक	टी.आर.मेहरोत्रा निदेशक	कृते एस. गर्ग एण्ड एस. सनदी लेखाकार एफआरएन 000075 एन (सुमित गर्ग) एम.नं. 090500	कृते वासदेव कुमार एण्ड को. सनदी लेखाकार एफआरएन 015348 एन (बासदेव गर्ग) एम.नं. 092226	कृते सुरेश चन्द एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 001580 एन (मधुर गुप्ता) एम.नं. 090209	कृते राज गुप्ता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 000203 एन (संजीव गुप्ता) एम.नं. 520774
एन.एस. दादू निदेशक	एस.आर.मेहरोत्रा निदेशक	बी.पी. विजयेन्द्र निदेशक	एस.आर. नेहरा निदेशक	गोविन्द एन. डोंगे कार्यकारी निदेशक	फरीद अहमद कार्यकारी निदेशक	एस. हरिशंकर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	भवन सिंह गैर-कार्यकारी अध्यक्ष				

(000 को छोड़कर)

	₹ 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
अनुसूची 1 – पूँजी		
प्राधिकृत पूँजी :		
I. इक्विटी शेयर पूँजी 300,00,00,000 (विगत वर्ष 75,00,00,000) प्रत्येक रु. 10 का शेयर	30000000	7500000
II. अधिमान शेयर पूँजी (अभिदायी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) विगत वर्ष प्रत्येक रु. 10/- के 225,00,00,000 शेयर	0	22500000
	30000000	30000000
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I. इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10/- के 56,49,12,294 शेयर (पिछले वर्ष 56,49,12,294) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10/- के 48,33,24,032 शेयर (पिछले वर्ष 48,33,24,032) सम्मिलित है।	5649123	5649123
II. अधिमान शेयर पूँजी (अभिदायी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
कुल I+II	**5649123**	**5649123**
अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
I. सांविधिक आरक्षित निधि		
प्रारंभिक	10836906	10836906
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	100000
उप-योग – I	**10836906**	**10936906**
II. पूँजी आरक्षित निधि –		
क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
प्रारंभिक	8470420	8733062
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	864364	0
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56870	-262642
उप-योग II क	**9296144**	**8470420**
ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
प्रारंभिक	4285736	3271910
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	868633	1013826
उप-योग II ख	**5154369**	**4285736**
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	19375543	13168115
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	6206987
घटा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-8862
उप-योग – III	**19375543**	**19375543**
IV. राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
क) सामान्य आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	1089003	1089003
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
उप-योग – IV-क	**1089003**	**1089003**
ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
प्रारंभिक	368342	105700
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	56870	262642
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-262642	0
उप-योग IV-ख	**162570**	**368342**
ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत(–)		
प्रारंभिक	1745082	1594015
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	173560	151067
उप-योग IV ग	**1918642**	**1745082**
घ) आरक्षित निवेश		
प्रारंभ शेष	36817	36817
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	101843	0
उप-योग IV घ	**138660**	**36817**
V. लाभ हानि खाते में शेष	3231053	9869879
कुल योग (I-V)	**51354900**	**56177727**
अनुसूची 3 – जमा राशियाँ		
क) I) मांग जमा		
i) बैंकों से	733548	600494
ii) अन्य से	49026087	38717131
II) बचत बैंक जमा राशियाँ	214311107	201286543
III- मियादी जमा		
i) बैंकों से	10901180	19798259
ii) अन्य से	710604043	756859137
जोड़ (I+II+III)	**985576045**	**1017261664**
ख) भारत से बाहरवालों की जमाराशियाँ	985576045	1017261664
अनुसूची 4–उधार		
I-) भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	7000000
ii) अन्य बैंक	0	0
iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	1300000	2579845
iv) अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड	10000000	10000000
v) गौण ऋण	15750000	16750000
II-) भारत से बाहर उधार	0	0
जोड़ (I+II)	**27140000**	**36029845**
उपरोक्त जोड़ (i) और (ii) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	1300000	10079845

(000 को छोड़कर)

	₹ 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
अनुसूची 5–अन्य देयताएं और प्रावधान		
I- देय बिल	2243306	2039601
II- अंतरकार्यालय समायोजन (निवल)	0	542934
III- प्रोद्भूत ब्याज	10197908	10380618
IV- आस्थगित कर देयता	0	0
VI- अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	7558176	8610917
जोड़	**20000300**	**21574060**
अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष		
I- हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2060512	2679331
II- भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	43830333	39884514
ii) अन्य खातों में	3500000	20000000
जोड़ (i) तथा ii)	**49410845**	**62563845**
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
1.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	327281	309421
ख) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	5000000	5000000
ख) अन्य संस्थाओं से	10792541	1940000
उप योग– (1)	**16119822**	**7249424**
2.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	651569	1513657
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
उप-योग (2)	**651569**	**1513657**
जोड़ (1+2)	**16771391**	**8763081**
अनुसूची 8 – निवेश		
(I) भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	**206306705	240234068
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	84963	108863
iii) शेयर	1975232	2789405
iv) डिबेंचर तथा बांड्स	52465415	53535283
v) सहायक इकाईयाँ, जिनमें संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	0	6537
vi) अन्य		
क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	864567	2307629
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	33450	67799
उप-योग (i)	**261729278**	**329817572**
ii भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	**261729278**	**329817572**
कुल मूल्य	264613157	331500340
मूल्य ह्रास का प्रावधान (–)	2883879	1682768
निवल निवेश	261729278	329817572

** इनमें रु. 230.83 करोड़ की बाजारू प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु. 231.80 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 107.935 करोड़ (अंकित मूल्य रु.1077.28 करोड़) थी।

अनुसूची 9 – अग्रिम		
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4389918	3835201
ii) नकदी उधार, अधिकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	304788138	253231341
iii) मियादी ऋण	382677279	408627927
जोड़	**691755333**	**655694469**
ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें पाश्चात्य और जुड़ाव सम्मिलित हैं)	552990588	555468985
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	99006614	96518459
iii) अप्रतिभूत सहित	40758131	3707025
जोड़	**691755333**	**655694469**
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	240410834	240540521
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	142616281	124679101
iii) बैंक	10164478	23004084
iv) अन्य	298563740	277470763
जोड़	**691755333**	**655694469**
अनुसूची 10 – स्थायी आस्तियाँ		
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अन्य शेष)	1226329	1166018
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	8190459	9190459
उप-योग	**10416788**	**10356477**
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	271211	70311
पुनर्मूल्यन लागत पर	2355015	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	-7281	0
पुनर्मूल्यन लागत पर	-9190459	0
घटाए– कटौती दिनांक तक मूल्यह्रास		
वास्तविक लागत पर	-164067	-403463
पुनर्मूल्यन लागत पर	-56870	-720037
जोड़ 1	**10624347**	**9293288**
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अन्य शेष)	4839442	4427625
वर्ष के दौरान परिवर्धन	453700	447992

(000 को छोड़कर)

	₹ 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-99241	-38375
अवशेष मूल्यह्रास	-3514403	-3306749
जोड़ 2	**1679498**	**1532597**
कुल जोड़ (1+2)	**12303845**	**10825885**
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ		
I- अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	649173	0
II- प्रोद्भूत ब्याज	5327329	6882186
III अग्रिम रूप से सदत्त/स्रोत पर वसूला गया कर	44183	834753
IV- लेखन सामग्री और स्टाम्प	39393	40436
V- दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ	0	0
VI- आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	11130753	6933319
VII-अन्य $$	40658935	46230748
जोड़	**57849766**	**59927471**
$$ आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त कोष में जमा राशि रु. 2878.39 करोड़ (पिछले वर्ष यह रु. 3557.97 करोड़ थी) सम्मिलित है।		
अनुसूची– 12 – आकस्मिक देयताएं		
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	47007	68700
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	4295007	3188962
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
क) भारत में	27284544	27205455
ख) भारत के बाहर		
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1902966	1691231
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	574820	848554
जोड़	**72625233**	**61793982**

	₹ 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	₹ 31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	60297191	52315249
II. निवेशों पर आय	22977517	24598344
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	502027	1170404
IV. अन्य	1709368	1493536
जोड़	**85586703**	**79487533**
अनुसूची 14 – अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	947905	834725
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	3583587	2596223
III. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	97594	-1119
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	199618	255858
V. विविध आय	3454385	2124258
जोड़	**8282784**	**5812005**
अनुसूची 15 – अर्पित ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	59000595	54123415
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	206218	421760
III. अन्य	3582695	2590391
जोड़	**62789690**	**57135566**
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	11759113	11230044
II. किराया, कर और दरें	1335493	1379369
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	88862	95455
IV. विज्ञापन और प्रचार	30467	15740
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	-147207	641058
घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	0	0
	-147207	-641058
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	5170	2740
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल है)	110831	119808
VIII विधि प्रभार	91413	102833
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	88575	95852
X मरम्मत और अनुरक्षण	170323	154101
XI बीमा	953525	846272
XII अन्य व्यय	2617665	2142710
जोड़	**17111220**	**16716836**

अनुसूची – 17
प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य
   मूल-भूत आधार
   वित्तीय विवरणों को लेखा प्रावधान आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा और अवधारणा लागू न किया गया तो एवं सामान्यतः सत्य से संयोजित लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा लागू होने वाले लेखा मानकों (लेखा मानकों), नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग व्यवसाय में लागू और कंपनियों अधिनियमों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्कलन का उपयोग
प्रबंधन को रिपोर्ट की गई विभिन्नरूपीय आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट किए गए आय तथा व्यय और विशेष विवरणियों की तिथि के अनुसार, तैयार करने में अनुमान और कल्पना करनी पड़ती है। प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को बनाने में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन
2.1 विदेशी मुद्राओं वाली लगत मौद्रिक आस्तियाँ तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की तिथि को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक विनिमय व्यापारी लाभ (एफईडी) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इससे लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे जो सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की गणना फेमाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फेमाई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 जो कि 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को प्रारंभिक के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फेमाई द्वारा वार्षिक संतुलन की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समायोजन के लिए बिलों को प्रस्तुतीकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश
3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
3.2 समस्त निवेश वर्गीकरण को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु रखना' जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रवर्गीकरण निम्नांकित पाँच वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
III. शेयर (अंश)	IV. अंश-पत्र (डिबेंचरों) तथा बॉण्ड
V. सहायक इकाईयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा	VI. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार
I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर नैदानिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा गया, उन्हें 'व्यापार के लिए रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
IV. निवेशों को आगे उनकी लागत प्रवाह तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अंकित मूल्य/लागत से कम मूल्य/अवशिष्ट मूल्य/बाजार मूल्य पर अंकित किया गया है तथा इसे बाजार के अवलोकन पर मूल्य ह्रास का प्रावधान दृष्टिगत किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
3.4 प्रतिभूतियाँ, जिन्हें 'परिपक्वता तक रखना है' को अधिकतर लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम शेष परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में 'निवेशों पर आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। वहीं लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, वहीं बाटा लाभहानि खाता न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। संयुक्त उद्यम तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थाई गिरावट पर उनकी वसूली के लिए अपेक्षित निवेश हेतु प्रावधान-आवंटन किया गया है।
3.5 'निवेश हेतु उपलब्ध' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्कीम-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।
3.6 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग के शुद्ध मूल्यांकन को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसत लागत विधि पर आधारित है।
3.8 लेखा पद्धति – लेखा निपटान तिथि
लेखा निपटान तिथि 38 अभिमत (ii) लेखा द्वारा प्रदत्त की गई अवधि जिस दिन इसकी महत्वपूर्ण हुई और (ए) लेखा द्वारा इसके निपटान किए जाने वाले दिन तक होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना।
तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का एस.एल.आर. अथवा गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार अपनाई है।
3.9 'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य बोर्ड 'बाजार मूल्य निर्धारण हेतु स्वीय दिशानिर्देश' पर दिए गए मान दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई.) की विज्ञप्ति इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।
अपरिष्कृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है

क	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	फिमडा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुसार
ख	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू. बाण्डस पर लाभ	फिमडा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिभाषा के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिमडा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग	इक्विटी शेयर	निर्दिष्ट बाजार वाले शेयर के लिए बाजार मूल्य (सहायक तथा वीएसई से लिया गया है। तकनीकी तुलन-पत्र पर आधारित बैंक-वार मूल्य (आरक्षित पुनर्मूल्यांकन को बिना ध्यान में रखकर) अंकन कर जो कि मूल्यांकन की तारीख पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर तकनीकी तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य रु./- अंकित इकाई बनाये गया है।
घ	म्यूचुअल फंड यूनिट्स	पूर्व किए मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ङ	डेबेंचर बिल, वाणिज्यिक पत्र, अन्य ऋण-पत्र, पुनः पुनर्वित्त कंपनी, सहायक संयुक्त उद्यमों तथा प्रायोजित संस्थान	मूल लागत पर।

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:
क. अधिग्रहण के समय उनके प्रीमियम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर आय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खरीद आस्थि के प्रवाह व्यय को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में शामिल किया गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खरीद ज्यादि के व्यय को व्यय अन्य माना गया है।
3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। किंतु की, 'परिपक्वता तक रखना' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से प्राप्त पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।
3.12 कार्यरत निवेश:
गैर-निष

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर–निष्पादक अग्रिमों में किया गया है। बैंक ने गैर–निष्पादक अग्रिमों पर मानदेय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

अग्रिमों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
मानक	अग्रिम ऋणों पर 10% * गैर–आस्तियों ऋणों का 25% * गैर–आस्तियों ऋणों का 20% अपवादभूत खातों के संबंध में, जहाँ निर्देशक संकाय जैसे कि निर्णय खाते प्रावधान है
श्रेणीवार–I	जमानती ऋण पर 25% गैर–जमानती ऋण पर 100%
श्रेणीवार–II	जमानती ऋण पर 40% गैर–जमानती ऋण पर 100%
श्रेणीवार–III	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%
हानि	जहाँ बकाया का 100%

* गैर–जमानती ऋणों को ऐसी ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आकलन के ही प्रतिभूति का मूल्य ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात बकाया लोनिम।

4.2 अग्रिमों को गैर–मानक शुद्ध आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा अनुत्पादक अग्रिमों पर प्रावधान/मानदंडों बहु स्तरों के आधार पर किया गया है। डी.आर.टी./डी.आर.टी.सी. से प्राप्त राशि को अनर्क समायोजन/जमानती ऋण से वह राशि ब्याज तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खाते में अग्रिम समूहों के अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य अग्रिमों तथा प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है :–

i) जब बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियों बेचकर है तो इसका ब्योरा नीचे से दिया जाता है।

ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।

iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रावधानों का पिछले वर्षों में किये गये प्रावधान से घटाया गया है।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक के पास आस्तियों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों का अंकन से निवेश और उपचय करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आपातकालीनों हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियाँ

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों के परिकलनार्थ लागत पूर्णमूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिसमें भूमि तथा कार्यालय भवन में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, उसकी भवन के मूल्य में वृद्धि को समायोजित किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिसंपत्ति नहीं किया गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास:

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है

7.1.1 कार्यालय पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 20.33% परिसंपत्ति पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देश के अनुसार परिसंपत्ति को जो भी लिया हो।

7.1.2 अचल परिसंपत्तियों के 5% पर अवशिष्ट मूल्य को खाते में रखते हुए, परिसंपत्तियों को उपयोग की अवधि के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का स्ट्रेट लाइन पद्धति (एसएलएम) के आधार पर बनाये किया जाता है। वर्ष के दौरान इकट्ठे पूरे होने की तारीख से महत्वपूर्ण वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग की अवधि और मूल्यह्रास दर नीचे दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यह्रास दर
1	परिसर	60	1.66%
2	फर्नीचर तथा फिक्चर	10	9.50%
3	प्लांट तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

7.1.3 जहाँ कोई भवन के उपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्पत्ति का मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ–हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसरण में अनुत्पादन आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुत्पादन खातों में अग्रिमों वसूली से पहले मूल राशि तक उसकी पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

8.4 साथि बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए मामलों हेतु अर्थात उपचय में आस्तियों की वास्तविक भुगतान की अनुसूची पुनः बनाने की योजना (एम 4पी), नेशनल ऋण पुनर्संरचना, अंधी अवधि के विलंबित ऋणों की समीक्षा योजना (ए 2ए), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (सीडीआर ऋण पुनर्संरचना योजना के तहत), जहाँ ब्याज बाद बकाया अनर्जक हो जाता है, तो किसी भी वसूली पर पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। इसके बाद वसूली को खाते में बकाया मूल ऋण में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत का रहे सभी खातों में ऐसा प्रक्रिया एक समान एक ही बनी रहेगी।

8.5 गारंटियों तथा जारी साख–पत्रों के आय, लीकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन–देन से आय, मुद्रा–अंतरण शेयर, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, क्रेडिटेड फीस, सरकारी लेन–देन जिसमें बैंक के संचालन, सुव्यवस्थित मानक उपचय के सूचिबद्ध की आय तथा एटीएम परिचालन शामिल है, नये सामान्य को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों के लिया गया है।

8.7 अग्रिमों सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक पास खाते का लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.9 टीएल – II पूँजी में प्रावधान के कारण बढ़ जारी करने संबंधी लागतों को आस्थगित राजस्व मान माना गया है जिनके लिए वर्ष की अवधि में बढ़े खाते डाला जाता है।

8.10 डोमर निर्गम खर्चों को डेफर डिफेरिल खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी लेखा निधि लाभ

9.1 पेन्शनी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान डेमोग्राफिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।

9.2 दिनांक 01.04.2016 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

कार्यरत आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) का प्रतिवर्ष हानि (यदि कोई है) की पहचान कर आई सी ए आई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को लाभ की जाती है।

11. आय पर कर:

11.1 चालू आय कर को चालू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/पारमर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 एस. 22 – आस्थगित–कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर–परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर–आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन प्रचलित प्रतिफल की दरों से किया गया है।

अनुसूची– 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के दोष मिलान और उनका समाधान

1.1 ऋणेत्तर खातों में लंबित बकाया राशि के साथ नियंत्रक खाते के शेष मिलान/समाधान की प्रक्रिया चल रही है।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय खाते (आईबीआर + डीसी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट–क्रेडिट का आपस मिलान सीबीएस सिस्टम से पूर्ण किया गया है। सन्तोषजनक/प्रतिलेख बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं। वे शामिल उनको इस वर्ष की 31.03.2019 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।

1.3 ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, बैंक/बैंकर्स ड्राफ्ट/पे ऑर्डर नोट, (आरटीजीएस (ट्रेजरी) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है। दिनांक 31.03.2019 तक के नोस्ट्रो खातों का समायोजन कर दिया गया है।

उपरोक्त की एवं रि. लाभ–हानि खाते में शुल्क–पत्र पर एक पैसा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार 30.09.2018 की अवधि तक तथा 31.03.2019 को बकाया अंतर शाखा के खातों की गणना तथा उनका प्रविष्टियों को अंतरण करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुछ डेबिट या क्रेडिट शीर्षों में कुछ लाभ होते हैं। 18 महीनों से अधिक के अवधि की निरंतर नान प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्शाखा खाता में नियत लाभ है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

1.5 नोस्ट्रो खाते में 31.12.2018 तक की डेबिट प्रविष्टियाँ बकाया हैं। दिसंबर, 2018 तिमाही के समापन के दौरान सही प्रविष्टियाँ लाभांतित (अर्थात किए गए) खाते, क्लॉक किए गए नोस्ट्रो सुधी बाउंडर और क्लीयर किए गए लाभांतित (एवं अवरुद्ध खाते) में प्रिंटआउट कुल 7.93 करोड़ रुपये वीएएएफ खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। 01.01.2009–31.03.2018 की अवधि के लिए अवरुद्ध लाभांतित जमा खाते (एवं अवरुद्ध खाते) में बकाया डेबिट प्रविष्टियाँ मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान वीएएएफ खाते में स्थानांतरित की गई है। इसके अलावा विभाग संचालित प्रविष्टियों को डीईएएफ के खाते 10 वर्ष से अधिक तिमाही आधार पर स्थानांतरित कर रहा है।

29.03.2019 तक, रु 1.25 करोड़ के बिना डेबिट प्रविष्टियों के 01.04.2019 से 31.03.2018 तक की अवधि से संबंधित है और 3 साल से अधिक समय से संचालित है और इसलिए इसे डेबिट किए गए लाभांतित जमा खाते (एवं अवरुद्ध खाते) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.1 31.03.2018 तक 01.00 करोड़ की कुल लागत वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना बाकी है (पिछले वर्ष 3 करोड़ 1.13 करोड़ की लागत से)

3. पूंजी Capital

3.1 वर्ष के दौरान, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाई के प्रावधानों के अनुसार, रु 3000 करोड़ की बैंक की पीएसए अधिकृत पूंजी रु 10/– रुपये के अंकित मूल्य के 75,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक मूल्य रु 10/– का 226,00,00,000 रुपये गैर–संचयी वरीयता शेयरों का 3000 करोड़ के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयरों मूल्य रु 10/ प्रति शेयर में विभाजित है।

3.2 अंकित शेयर पूंजी पर पूंजी

	मदें	2018–19	2017–18
(i)	सी.आर.ए.आर. टियर–I पूंजी (बासल–II)	5.27%	5.67%
(ii)	सी.आर.ए.आर. टियर–II पूंजी (बासल– II)	2.44%	2.40%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल– II)	10.71%	11.27%
(iv)	लाभांश इक्विटी टियर–I पूंजी अनुपात (बासल–III)	7.82%	8.37%
(v)	अतिरिक्त टियर–I पूंजी अनुपात (बासल– III)	1.72%	1.40%
(vi)	सी.आर.ए.आर. टियर–II पूंजी अनुपात (बासल III)	2.56%	2.86%
(vii)	सी.आर.ए.आर. टियर–II पूंजी अनुपात (बासल III)	1.43%	1.40%
(viii)	कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (बासल–III)	10.93%	11.26%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की शेयरिंग	85.56%	85.56%
(x)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	750.00
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर–I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस.	शून्य	1000
	आई.पी.डी.	शून्य	शून्य
	आई.पी.डी.	शून्य	शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर–II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से कुल पूंजी लिखत	शून्य	शून्य
	अतिरिक्त हेतु पूंजी टियर–II	शून्य	शून्य
	संचित्रकी अधीनस्थ अतिरिक्त बॉण्ड (टीएसएनसीडी)/अतिरिक्त टियर संचयी अधीनस्थ बॉण्ड(एसएनसीडी)/प्रतिदेय अधीनस्थ बॉण्ड(एसएनसीडी)	शून्य	शून्य

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

	मदें	2018–19	2017–18
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(a) भारत में	28401.32	30150.04
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एम.टी.ए. प्रावधान सहित)		
	(a) भारत में	288.39	188.28
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(a) भारत में	28112.93	29961.76
	(b) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में गत–वर्ष [टा.पी.ए. की प्रावधान राशि]		
(i)	आरंभ शेष	188.28	48.17
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	136.39	119.17
(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अग्रिम किए प्रावधानों को बट्टे खाते में जमा/पुनर्मूल्यांकन	36.19	–
(iv)	शेष	288.39	168.28

4.2 एनपीएम अग्रिमों का प्रकार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र जीबीएस बैंकिंग डीपी सीपी 102 / 21.04.048 / 2017–18 दिनांक 02 अप्रैल 2018 के मुताबिक 31.2017 और मार्च 31.2018 को समाप्त तिमाही के लिए उपचय एवं एनपीए में लिए गए निवेश पर एमटीएम घाटे के प्रावधान का विवरण दिया है। तदनुसार, बैंक ने मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के अन्तर्गत, दिसंबर 2017 तिमाही में रु 38.48 करोड़ रिज़र्व मार्च 2018 रु 47.97 का उपयोग का प्रभाव उलटाया। इसलिए, दिसंबर 2017 और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही पुनर्संरचना मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पूरी करने से संबंधित किए गए हैं।

4.3 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.3.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रतिभूतियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (रुपये करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2019 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	–	288.00	42.01	–
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	–	4100.00	279.83	350.00

4.3.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रतिभूतियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अन्त शेष 31.03.2019
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	–	–	–	–

4.4 एस.जी.एल./अंतरण फर्म बाजी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की गई ब्याज की कुल राशि

	2018–19	2017–18
i. बिक्री या प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता के कारण एस.जी.एल. अंतरण फार्म बाजी की संख्या	शून्य	शून्य
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य

4.5 गैर–सांविधिक तरलता अनुपात बाबत निवेश सूची 31.03.2019 को शारीरिकतों संगठन की स्थिति

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूति–करण की सीमा	अनुत्पादित प्रतिभूतियों की सीमा	अनुत्पादित प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक उपक्रम	3000.58	270.06	300	270.07	1792.02
ii.	वित्तीय संस्थान	420.60	79.70	300	48.76	94.76
iii.	बैंक	89.07	0.00	300	26.07	0.00
iv.	निजी कॉर्पोरेट	2172.79	286.79	300.07	308.90	270.08
v.	सहायक / संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	300	0.00	0.00
vi.	अन्य	41.20	41.20	300	41.20	41.20
vii.	मूल्यांकन के लिए रखे प्रावधान (सर्वोत्तम बोलियां)	(2262.01)				
	कुल	5533.87	3056.52	382.67	3162.96	2119.24

4.6 अनुप्रयोज्य और गैर–सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार–चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018–19	2017–18
आरंभ शेष	170.01	30.85
वर्ष के दौरान परिवर्धन	211.78	140.54
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	0.48
इति शेष	382.67	170.01
केवल प्रावधान	208.46	53.22

4.7 व्युत्पन्नियाँ

वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक ने कोई भी ब्याज आधारित लेन–देन (आवधि दर समझौता/आगत दर अदला–बदली/विनिमय आधार आगे–दर आदि) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार जुटाये लेन–देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.8 वर्ष के दौरान पुनः तारीख/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश (रु. करोड़ में)

विवरण	2018–19	2017–18
मानक आस्तियों जिनकी पुनर्संरचना हुयी है	शून्य	शून्य
उपमानक आस्तियों जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
संदिग्ध आस्तियों जिनकी पुनर्संरचना हुयी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना हुयी है	शून्य	शून्य

4.9 वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 2062.95 करोड़ के अंकित मूल्य परिसमाप्त तक एकल जी.एन.पी.ए. हेतु प्रतिभूति बेची। ये प्रतिभूतियां को आवंटित किया है और रु. 1829.43 करोड़ की राशि प्रतिफल मूल्य, बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के परिसमाप्त तक खाते में प्रतिभूतियों को आवंटित किया है।

4.10.1 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एनपीएम कंपनियों–वित्तीय आस्तियों बिक्रियों और भारत सरकार द्वारा संचालित प्रतिभूतियों की पुनर्संरचना के तहत एक बार के ऋणपुनर्गठन और बिक्री को संदृष्टकरण को / से प्रतिभूतियों का आदान, वर्ष के आरंभ में एनपीएम बेची गई नये निवेशों के बही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

4.10.2 एनपीएम श्रेणियों के तहत प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि (वर्ष के खाते के बिना) को अंकित रिज़र्व खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

4.10.3 एनपीएम नहीं एनपीएम श्रेणियों में मूल्यह्रास के कारण उपयुक्त गए प्रावधान बिक्री की वर्ष के आरंभिक रकम के अंकित मात्र जाते हैं, ऐसा लाभ को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और एक बराबर राशि का निवेश रिज़र्व खाते में किया जाता है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 गैर निष्पादित आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मदें	2018–19	2017–18
(i)	कुल अग्रिमों के शुद्ध एनपीए (%)	7.22	8.03
(ii)	प्रावधान एनपीए अनुपात (पीसीआर)	53.40	54.41
(iii)	सकल एनपीए में घट–बढ़		
	(a) आरंभ शेष	7001.65	6287.59
	(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3666.37	2501.76
	(c) वर्ष के दौरान कमी	2062.15	1087.69
	(d) इति शेष	8605.87	7801.65
(iv)	निवल एनपीए में उतार–चढ़ाव		
	(a) आरंभ शेष	4607.87	4375.28
	(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3048.58	1959.11
	(c) वर्ष के दौरान कमी	2682.22	1726.32
	(d) इति शेष	4984.23	4607.87
(v)	एनपीए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(a) आरंभ शेष	3154.18	1882.93
	(b) वर्ष के दौरान प्रावधान	2593.80	1770.12
	(c) घटा: अग्रिम किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनर्मूल्यन	1784.47	498.87
	(d) इति शेष	3963.60	3154.18

5.2 डीआईसीजीसी / सीजीटीएसएमई / ईसीजीसी के अन्तर्गत दावे, अग्रिम तथा एक अग्रिम दावे जो पेश/भुगतान योग्य है, का आस्तियों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए प्रावधान में अंतर

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2018* को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	7801.65
2	दिनांक 31.03.2018 को आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया सकल एनपीए	7888.45
3	सकल एनपीए में अंतर (2–1)	86.80
4	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	–4607.87
5	दिनांक 31.03.2018 को आरबी बैंक द्वारा निर्धारित किया गया निवल एनपीए	4524.57
6	निवल एनपीए में अंतर (5–4)	–83.30
7	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	3154.18
8	दिनांक 31.03.2018 को आरबी बैंक द्वारा निर्धारित किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	3324.28
9	प्रावधान में अंतर (8–7)	170.10
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ (पीएटी)	–743.00
11	प्रावधान में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद समायोजित (अनुमानित) शुद्ध लाभ	–913.00

* 31 मार्च, 2018 तमाहियां अवधि की समाप्ति के जिसके संबंध में अंतर का निर्धारण किया गया।

5.4 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

बैंक द्वारा किए गए

31.03.2018 को पुनः संरचित खातों का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पुनः संरचना का प्रकार		एसएमई के अंतर्गत संरचना					एसएमई के अलावा अन्य पुनः संरचना					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उपमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	दिनांक–वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक शेषराशि)	अग्रिमों की सं.						1	7			8	8	2			10	9	9			18
		बकाया राशि						0.87	2.23			3.10	414.68		219.06		633.06	414.68	0.87	221.29		636.84
		प्रावधान						0.13	1.11			1.24	20.76		72.77		93.53	20.76	0.13	73.88		94.77
2	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते	अग्रिमों की सं.						1314				1314	2				2	1316				1316
		बकाया राशि						12.77				12.77	221.71				221.71	234.48				234.48
		प्रावधान						5.57				5.57	3.05				3.05	8.62				8.62
3	दिनांक–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का समाधान	अग्रिमों की सं.											1				1	1				1
		बकाया राशि											90.25				90.25	90.25				90.25
		प्रावधान											4.96				4.96	4.96				4.96
4	अग्रिम पुनः संरचित खातों का समाधान जब पीएमटी से बकाया / या दिनांक–वर्ष के अंत में आस्तियों अर्जित का नया शेष राशि प्रावधान दिनांक–वर्ष के अंत में आस्तियों पुनःसंरचित खातों की संख्या	अग्रिमों की सं.											2				2	2				2
		बकाया राशि											86.33				86.33	86.33				86.33
		प्रावधान											2.29				2.29	2.29				2.29
5	दिनांक–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का समाधान	अग्रिमों की सं. (–)											6				6	6				6
		बकाया राशि (–)											106.75				106.75	106.75				106.75
		प्रावधान (–)											11.81				11.81	11.81				11.81
6	दिनांक–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की समाप्ति	अग्रिमों की सं.								1		1	2		1		3	2		2		3
		बकाया राशि							0.87	1.43		2.30	198.92		102.57		301.49	198.92	0.87	104.00		303.79
7	31 मार्च को समाप्त तिमाही–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक शेषराशि)	अग्रिमों की सं.						1314		1		1315	4		1		5	1318		2		1320
		बकाया राशि						12.77		0.76		13.53	336.68		115.81		452.49	349.45		116.57		466.02
		प्रावधान						5.57		0.20		5.77	11.41		46.56		57.97	16.98		46.76		63.74

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

5.5 वर्तमान ऋणों की जमीनी संरचना को लागू करना

(रु. करोड़ में)

अवधि	जमीनी संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	जमीनी संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		जमीनी संरचना हेतु लिए गए ऋणों की मानित बीमा जोखिम अवधि	
		मानक एनपीए	एनपीए	जमीनी संरचना को लागू करने से पूर्व	जमीनी संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2017–18)	1	245.37	–	10.15	10.93
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19	–	–	–	–	–

5.6 अनुत्पादन ऋण पुनः संरचना योजना (खाते की वर्तमान में चलती हुई अवधि में है)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को इस्तेमाल किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना अनिवार्य है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
–	–	–	–	–	–	–

5.7 एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को इक्विटी/तिमाही इक्विटी योजनों को लागू करना अनिवार्य है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को इक्विटी/तिमाही इक्विटी योजनों को लागू कर दिया गया है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ प्रवर्तकों को इक्विटी की बिक्री का जहाँ किए गए उन योजनों से स्वामित्व में परिवर्तन अनिवार्य है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक व

10.5.6 कुल आस्थगित हानि/(लाभ) (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
मूलधनिक हानि/(लाभ) शामिल(I)	238.76	144.24	13.49	74.92	23.37	46.67
प्लान आस्तियों पर (II) मूलधनिक हानि/(लाभ)	(13.71)	35.6	(4.91)	0.15	(2.40)	(9.45)
कुल मूलधनिक हानि/(लाभ)	225.05	179.84	8.57	75.07	20.98	46.32
वर्ष के दौरान पहचानी गई हानि/(लाभ)	225.05	179.84	8.57	75.07	20.98	46.32
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूलधनिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.5.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3400.98	3200.08	209.15	208.90	148.53	138.43
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	3084.92	3153.22	202.98	224.78	148.24	103.98
तुलन पत्र में पहचान की गई शेष निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(22.33)	(47.03)	23.80	(74.12)	0.85	(35.63)
निधि पर उच्च सीमाएं	शून्य	(30.00)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिसंपत्ति उदयन	—	—	—	54.00	—	—
अमान्य सदस्यों देयता	—	—	—	—	—	—
तुलन पत्र में पहचान की गई शेष निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(22.33)	(77.03)	23.80	(20.12)	0.85	(35.63)

10.5.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
सामान्य सेवा लागत	97.08	90.74	11.88	15.09	8.85	11.55
पैंशनी मूल्य सेवा लागत	—	—	—	80.34	—	—
ब्याज लागत	221.04	215.52	20.14	15.82	9.50	5.93
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(274.96)	(244.74)	(19.17)	(16.55)	(9.65)	(10.35)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि	225.05	179.84	8.57	7.63	20.88	42.72
कुल लाभ व्यय	268.22	251.36	21.40	102.29	29.54	50.85

10.5.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियां	47.03	00.10	74.12	21.61	35.63	1.01
शुद्ध व्यय लाभ	268.22	251.36	21.40	102.29	29.54	50.85
योगदान-दिया गया लाभ	268.52	263.61	119.32	49.79	63.02	21.13
अंतिम देयता/आस्तियां	22.33	47.64	(23.80)	74.11	0.66	35.63
घोषणा- किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अंतिम देयता/आस्तियां	22.33	47.64	(23.80)	74.11	0.66	35.63

10.5.9 लाभ द्वारा वसूल किए जाने वाला निवेश प्रतिशत (प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	12.20	13.23	——	1.44	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	30.09	31.60	22.31	——	शून्य	शून्य
उच्च श्रेणीय कॉर्पोरेट बॉन्ड	35.51	30.55	30.30	20.69	100	शून्य
अन्य निवेश	20.08	24.57	41.38	71.98	शून्य	100

10.5.10 तुलन-पत्र की तिथि को मुख्य बीमांकिक मूल्यांकन (प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
बट्टा दर	7.80	7.49	7.71	7.71	7.71	7.71
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.72	8.21	8.53	7.96	9.34	9.87
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुमान दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.5.11 बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के वायदों से बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संचित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ कमाने अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे भविष्य बाजार में मान तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुमान दर	अनुमान दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित अवधि के अनुरूप से अनुमान निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु से संबंधित मुद्दों समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित हैं लेकिन इसमें अपेक्षा कारक भी सम्मिलित है।

10.5.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक) (रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		विशेषज्ञ जुबली बोनस		मेडिकल लाभ*		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-2018	2018-19	2017-18
देयता का वर्तमान मूल्य	6.18	6.949	1.03	1.01	0.003	0.016	1.34	1.40
योजनागत देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई उपचयन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान में की गई भूतपूर्वव्यय देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किया गया उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	6.18	6.949	1.03	1.01	0.003	0.016	1.34	1.40

* जैसा कि प्रमाणित मे आकलन किया

10.5.13 नवंबर, 2017 से प्रभावी मजदूरी संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली देयता को पूरी करने के लिए 31.03.2019 तक रु.170.00 करोड़ के एक अतिरिक्त प्रावधान का सृजन किया गया है। अपेक्षित जानकारी के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका और अस्थायी रूप से प्रदान किया गया।

10.6 लेखामानक – 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

(रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.19 (लेखा परीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.18 (लेखा परीक्षित)
1.खंड राजस्व		
क. राजकोष	205011	271036
ख. कार्पोरेट/थोक बैंकिंग	439024	365056
ग. फुटकर बैंकिंग	233739	195774
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	321	229
कुल	938095	832095
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	00528	76000
ख कार्पोरेट/थोक बैंकिंग	73360	57978
ग. फुटकर बैंकिंग	39050	29499
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	321	229
कुल	193261	164413
3. गैर-आवंटित व्यय	53575	49042
4. परिचालन लाभ	139686	114471
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	225563	173055
6. आयकर	–31529	14895
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	–54348	–74380
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2605885	3300200
ख कार्पोरेट/थोक बैंकिंग	5277440	5264059
ग. फुटकर बैंकिंग	2809743	2670168
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ङ. गैर-आवंटित आस्तियां	145126	81489
कुल आस्तियां	10838205	11375024
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2509519	3198599
ख कार्पोरेट/थोक बैंकिंग	5008858	5010083
ग. फुटकर बैंकिंग	2608888	2541746
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ङ. गैर-आवंटित आस्तियां	0	8429
कुल आस्तियां	10028065	10757058

नोट: बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 तथा तत्पश्चात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को पांच खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि क. राजकोष परिचालन, ख. कार्पोरेट/थोक बैंकिंग, ग. फुटकर बैंकिंग, घ. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं। कार्पोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में संबंधित राजस्व, परिणाम, आस्तियां तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए आधारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक खंड:

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.7 लेखा मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(i) श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी 20.09.2018 से
(ii) श्री. हरीश अरोरा	कार्यपालक निदेशक 17.02.2017 से
(iii) श्री मनोज एस. झेरे	कार्यपालक निदेशक 10.10.2017 से

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक (रु. लाखों में)

नाम एवं पदनाम	2018-19	2017-18
श्री जसविन्दर सिंह, प्रबंध एवं प्रबंध निदेशक	—	21.33
श्री. एस. हरिशंकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	14.29	—
श्री सुकेश जैन, कार्यपालक निदेशक	—	8.81
श्री जसविंद सिंह, उप कार्यपालक निदेशक	—	0.03
श्री हरीश अरोरा	23.99	22.44
श्री जसविंद एस. झेरे	23.64	10.00

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम – सहायक ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस-18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में जो राशि निर्धारित हमारे और अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राशि द्वारा ही निर्धारित की जाती है, के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.8 बकाया ऋण AS 20- (रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
इक्विटी शेयरधारकों हेतु ऋण के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	-543.48	-743.80
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	54.47	40.22
अंकित एवं जारी की गई प्रति शेयर आय (रु.)	–9.62	–18.49
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.9 AS-21–लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.10 लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन

10.10.1 बैंक ने आयकर लेखा–जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

नमो है बचिहु सी बो हजरि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

10.10.2 आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है: (रुपए करोड़ में)

	विवरण	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	—	शून्य	15.41	3.11
2	संदेहित सेवादारों का प्रावधान	59.24	17.30	—	शून्य
3	धारा 36 (1)(vii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	—	शून्य	67.04	66.39
4	निवेशों हेतु प्रावधान का प्रावधान	72.85	18.42	—	—
5	गैर लाभ परिचालनात्मक ऋणों हेतु प्रावधान (एनपीए)	1060.03	615.00	—	—
6	पुनर्संरचित सरकार आस्तियों के अंकित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	2.01	6.20	—	—
	कुल	1190.53	656.83	82.45	63.50

10.10.3 बैंक द्वारा आस्थगित आस्तियां और आस्थगित कर से संबंधित को सावधानी सिद्धांतों और लचीलापन स्थगित आस्तियों की दर को ध्यान में रखते हुए उचित माना गया है।

10.10.4 बैंकिंग की कर योग्य लाभ की गणनाओं की अंकित विनियमों पर बैंक द्वारा की गई समीक्षा, जिस पर कुछ और स्पष्टीकरण लाभ के प्रावधान के अनुसार समय पर कार्यान्वयन होते हैं, जिसे स्वयमुक्त किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने उपरोक्त मानक के अंतर्गत आस्थगित कर रु. 444.67 करोड़ की परिसंपत्ति को मान्यता दी है।

10.10.5 आस्थगित प्रारंभिकरियों / नाममात्र परिसंपत्तियों / कानूनी विवादों की दर के निर्णयों के अध्यधीन रु.67.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.89 करोड़) को एकत्रित करने की निश्चित मार्ग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

10.11 लेखा मानक 23– समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक मानकों के निवेश हेतु लेखांकन बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.12 लेखा मानक 20– प्रति शेयर आस्तियां

बैंक ने प्रस्तुत किया जो सेबी परिपत्र सीआईआर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निर्धारित मानकों में निर्धारित किया गया है। अतः सीआईआर की सहायता बैंक के परिचालन लाभ का आकलन दिखाता है, जैसे कि प्रतिशत आदि तथा आय-हानि खाते में संबंधित मान सीधे से लेखांकित किया गया है।

10.13 लेखा मानक 29– आस्तियों के अनार्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 29– में परिभाषित बैंक द्वारा अंकित किए आस्तियों को निम्नलिखित आस्तियां "मान गया है न कि "संबंधी निर्धारित इकाइयां" प्रावधान की शर्त के अनुसार 31.03.2019 तक आईएनआईआई द्वारा जारी एएस-29 की शर्तों के अनुसार उपयुक्त आस्तियां नहीं हैं। अतः आस्तियों के अनार्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निवेश नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.14 लेखा मानक 29 – प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

10.14.1 लेखा मानक – 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है:

(i) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभावना देयता जिसका पता बैंक परिचित होता या न होना भविष्य में होने वाले किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

(ii) वित्तीयों गारंटियों से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसका पता नहीं गया है अर्थात:

* वह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दावेदारों का निपटान किया जा सके
* देयता राशि का सटीक अनुमान लगाया नहीं जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निर्धारित किया जाता है और देयताओं के संबंध में उचित प्रावधान किसी आर्थिक लाभ का परिचालन होता है का प्रावधान किया गया है जिसका विशेष परिस्थितियों में उचित विश्लेषणात्मक अनुमानों की सहायता नहीं हो सकी।

विशेष विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती है।

10.14.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में घट-बढ़ (रु. करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्तन		वर्ष के दौरान कटौती		अंत शेष	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
जिसमें बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावे	26.44	27.22	4.46	2.92	8.35	3.70	23.55	26.44
इकाइयां बैंक गारंटी	6.63	1.53	0.79	5.30	शून्य	0.00	7.42	6.83
एनपीवी कंपनियां	शून्य	0.00	शून्य	0.00	शून्य	0.00	शून्य	0.00

10.15 अन्य महत्वपूर्ण लेखाओं को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा		
गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान	1002.25	1722.43
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	–17.41	–88.85
अंकित मूल्य में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	–6.83	–30.49
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	136.30	28.80
निवेशों के मूल्यांकन हेतु प्रावधान	121.61	90.37
अन्य प्रावधान	59.71	17.06
घटा- निर्धारण हेतु प्रावधान		
कर्मचारी लाभ	291.88	277.11
आयकर लाभ	–519.74	–570.75
स्थगित वैधानिक कर योग पश्चात–वर्तमान वर्ष	–130.76	–138.08
स्थगित वैधानिक कर योग पश्चात पश्चात संबंधित	—	297.43
पिछले वर्ष का कर लाभ	**43.53**	**83.28**
कुल	**1040.34**	**1688.53**

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़ (रु. करोड़ में)

	2018-19	2017-18
अंत शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से निरसन	शून्य	शून्य
कुटौती शेष	शून्य	शून्य

11.3 आवंटित निधि से आहरण

कुल ऋण/(लाभ वर्ष के शून्य लाभ), और शून्य राशि. जिसकी विभागीयों में पूरानी प्रविधियों के दायेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आकस्मिक निधि खाते से आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2018-19	2017-18
(a)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	46	66
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5213	5837
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5199	5877
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	60	46

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

		2018-19	2017-18
(a)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निवेदनों की संख्या	1	1
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	शून्य	शून्य
(c)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निवेदनों की संख्या	शून्य	शून्य
(d)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निवेदनों की संख्या	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, ऋणों एवं एनपीए का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	24907.28	26608.29
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	25.27%	29.16%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	19700.21	18200.94
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	27.08%	26.10%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	22708.80	18122.64
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	24.57%	20.19%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खाते पर कुल जोखिम	1402.71	1290.08

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए. (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31.03.2019			31.03.2018		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियां	9854.63	1042.37	10.70%	10562.07	917.31	8.52%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र को ऋण	3400.94	760.07	22.22%	3407.77	830.42	24.37%
3.	सेवा क्षेत्र	6639.55	967.81	14.58%	6244.64	841.5	13.48%
4.	व्यक्तिगत ऋण	5453.73	414.3	7.60%	5412.49	374.27	6.91%
	उप-योग (ख)	25408.85	3213.40	12.65%	25126.92	2963.5	11.80%
ग.	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियां	0	0	0%	0	0	0%
2	उद्योग	18898.87	3391.07	17.91%	20316.08	4107.71	20.07%
3	सेवा क्षेत्र	25312.14	1815.89	7.17%	21858.91	573.5	2.62%
4	व्यक्तिगत ऋण	3000.81	185.50	6.01%	2736.88	166.03	6.10%
	उप-योग (ग)	47209.82	5392.41	11.30%	44911.87	4806.14	11.07%
	कुल (ग)=(ख)	72747.47	8605.81	11.83%	69738.79	7861.64	11.16%

* बैंक उक्त क्षेत्रों में उन उन क्षेत्रों को जिनके कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, को प्रकट कर सकता है। तदनुसारमाने, यदि सकल क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उपरोक्त क्षेत्र को अग्रिम के अलावा उपरोक्त क्षेत्र में अलग से पृथक प्रकटन करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभ शेष)	7801.05	6367.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	3601.37	2591.73
जोड़-योग (क)	11402.02	8959.34
घटा : (i) समाधान	343.73	210.14
ii) वसूलियां (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	881.38	417.74
iii) राइट खातों में बट्टाखाते	1574.45	451.29
iv) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य घटे खाते में डाले गए	60.00	8.53
योग-योग ख.	**2862.15**	**1087.69**
31 मार्च को सकल एनपीए (इति शेष) (क–ख)	**8605.87**	**7861.65**

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 अप्रैल को तकनीकी/पुनर्संरचित खाता खातों का प्रारंभिक शेष	3205.34	1809.63
जोड़ : वर्ष के दौरान तकनीकी/पुनर्संरचित खाता खातों	1574.45	451.29
योग-योग (क)	**3830.79**	**2360.01**
घटा : वर्ष के दौरान निर्धारित तकनीकी/पुनर्संरचित खाता खातों में की गई वसूली (ख)	168.27	54.67
31 मार्च को (इति शेष) (क–ख)	**3712.52**	**2306.34**

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व (रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियां	65.18	151.30
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	3.22	4.45

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (रु. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.11 पारस्परिक लेनदेन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
		समीकृत ऋण/निवेश	शेष बकाया	समीकृत ऋण/निवेश	शेष बकाया
(क)	आस्थगित लेनदेन की कुल राशि	शून्य	शून्य	32.60	6.01
(ख)	शीर्ष 20 आस्थगितों के लेनदेन की कुल राशि	शून्य	शून्य	32.60	6.01
(ग)	ऋणियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल लेनदेन में आस्थगित लेनदेन का प्रतिशत	शून्य	शून्य	0.04%	0.01%
(घ)	आस्थगित लेनदेन पर शीर्ष माने का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) हेतु अंशदान (रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
डीईएएफ हेतु अवधि अवधि का प्रारंभिक शेष	158.82	135.05
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ हेतु अंतरित राशि	31.00	24.46
घटा : डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	2.31*	2.29*
डीईएएफ को अंतरित राशि का इति शेष	187.51	158.82

* मूल राशि

आस्थगित विदेशी मुद्रा जोखिम

11.13 वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 19.01.2016 संख्या डीबीआर.बी.बी.सी.86/21.06.200/2015-16 की शर्तों के अनुसार बैंक ने शाखाओं द्वारा दिए गए विदेशी के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा जोखिम, शेष रु. 0.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.30 करोड़) की राशि उपलब्ध करवायी है।

12. कर्मचारी लाभ अनुपात (रु. लाख में)

	30.09.2018		30.09.2018	
	कुल भारांकित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारांकित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां				
1. कुल उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां (एचक्यूएलए)		1727507.12		1763895.20
नकदी प्रवाह				
2. खुदरा जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	4011137.35	401175.22	4068893.64	406115.31
(i) स्थिर जमाएं	38773.31	1938.62	37481.06	1874.06
(ii) घटा स्थिर जमाएं	4072367.03	407236.70	4032412.58	403241.26
3. असुरक्षित थोक निधियन जिनमें	1563554.19	1000476.07	1440084.40	927343.52
(i) परिचालन जमाएं (सभी प्रतिभूतियां)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिभूतियां)	1562554.19	1000476.07	1440084.40	927343.52
(iii) असुरक्षित ऋण	0.00	0.00		
4. संरक्षित थोक निधियन		0.00	38073.91	0.00
5. अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिनमें	12744.40	859.24	27748.28	2321.38
(i) व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्वाह तथा अन्य संपार्श्विक अपेक्षाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ऋण तथा ऋण निधि सुविधाएं	12744.40	859.24	27748.28	2321.38
6. अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	1229445.81	54513.58	1207360.37	52555.38
8. कुल नकदी प्रवाह	

भोजन कक्ष विवाद पर तृणमूल सरकार ने दी सफाई

कोलकाता, 28 जून (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूलों में भोजन कक्ष बनाने के मामले में सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कहा है कि सर्कुलर की शब्दावली तकनीकी मामला है और यह परियोजना सिर्फ मुसलिम बहुल स्कूलों के लिए नहीं है।

मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक छात्रों वाले सरकारी स्कूलों में डाइनिंग हॉल का निर्माण करवाने के मामले को लेकर शुक्रवार को भारी बवाल हो गया। इस बारे में कहा गया था कि राज्य सरकार 70 फीसद से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील के लिए डाइनिंग हॉल के निर्माण करवाने जा रही है। भाजपा और दूसरे विरोधी राजनीतिक दलों ने इसे धार्मिक भेदभाव बताया। हालांकि पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुराना सर्कुलर था, जिसे बहुत पहले ही वापस ले लिया गया था। लेकिन किसी मुमराह अधिकारी के कारण ऐसा हुआ है। बाद में विधानसभा में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि तकनीकी मामला है और यह परियोजना सभी छात्रों के लिए है। उन्होंने साफ किया कि छात्रों में भेदभाव जैसी बात नहीं है।

मालूम हो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्विटर पर इस बारे में राज्य सरकार का विरोध करते हुए लिखा था कि गलत मकसद से यह किया गया है। उन्होंने कूचबिहार जिले के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी की ओर से 25 जून को जारी आदेश की कापी भी अपलोड की। इसमें कहा गया है कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जहां 70 फीसद से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं हैं, नीचे दिए फार्मेट में विवरण 28 जून तक भेज दें। इसमें अधिकारी ने लिखा कि दोपहर के भोजन के लिए यह प्रस्ताव स्कूलों से मांगा गया है। भाजपा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वोट बैंक को पक्का करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने लिखा कि धर्म के आधार पर छात्रों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या इस लोगों को बांटने के गलत मकसद से किया गया है और एक षड्यंत्र है। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम कर रही है, जिससे वोट बैंक मजबूत हो। हिंदू छात्रों ने क्या गलत किया है कि उनके लिए डाइनिंग हाल की सुविधा नहीं मिलेगी?

मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ पीसीसी के अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूपेश बघेल के स्थान पर मरकाम की नियुक्ति की है। गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, जिसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बघेल मुख्यमंत्री बने थे।

इसके बाद से वह पीसीसी अध्यक्ष की भी भूमिका निभा रहे थे। हाल ही में बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और नए पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा की थी।

चंबल के इनामी डकैत जगन ने पुलिस के सामने किया समर्पण

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 28 जून।

चंबल के बीहड़ों के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने शुक्रवार को धौलपुर जिले के एक मंदिर में पुलिस के सामने समर्पण कर दिया।

पुलिस उसे धौलपुर जिले के बाडी कस्बे के थाने में लाई और उससे एसपी अजय सिंह ने करीब चार घंटे तक पूछताछ की। जगन गुर्जर 12 जून को उस समय सुर्खियों में आया, जब एक गांव में उसने महिलाओं से मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र कर दिया।

यह मामला लोकसभा में भी उठा और सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसके एनकाउंटर तक की मांग कर डाली। राज्य पुलिस के लिए सिरदर्द बना जगन गुर्जर पहले भी तीन बार पुलिस के सामने समर्पण कर चुका है। हर बार समर्पण के बाद उसने फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखा। पुलिस ने उस पर चालीस हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। उसका आतंक राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में फैला हुआ था। जगन गुर्जर से पूछताछ के बाद पुलिस उसे मीडिया के सामने भी लाई। जब उससे पूछा गया कि उसने महिलाओं को निर्वस्त्र क्यों किया तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इलजाम तो कोई भी लगा सकता है। मैं कायर नहीं हूं, किसी को भी मार सकता हूं, पर महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं कर सकता। यह सब झूठ है। पुलिस उसे पिछले 15 दिन से गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई थीं और ईआरटी फोर्स भी लगी हुई थी। इसके अलावा धौलपुर जिले के गांवों में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई थी। पुलिस के अनुसार डकैत जगन गुर्जर से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके ऊपर सौ से ज्यादा हत्या, लूट, मारपीट, फिरौती के मुकदमे दर्ज हैं।

कांग्रेस की हार के बाद की थी इस्तीफे की पेशकश : कमलनाथ

● कमलनाथ का यह बयान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है जिसमें राहुल ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया।

भोपाल, 28 जून (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद मैंने मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी।

कमलनाथ का यह बयान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है जिसमें राहुल ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के बाद किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। लोकसभा चुनाव पर राहुल की इस टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए यहां गुरुवार को एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से कमलनाथ ने कहा, 'मैंने मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली है। मैं नहीं जानता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैंने पहले इस्तीफे की पेशकश की थी।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी सही कह रहे हैं। बाकी नेताओं के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं।' कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा, 'कमलनाथ ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा था कि वह इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं।' इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्यप्रदेश में 29 सीटों में से मात्र एक सीट मिली थी। यह प्रदेश में अब तक कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था।

पिछले साल नवंबर में मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कमलनाथ ने मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन इसे पार्टी आलाकमान ने ठुकरा दिया था। तब कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में 15 साल बाद भाजपा से सत्ता छीनी थी।

राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की संभावना नहीं: मोइली

हैदराबाद, 28 जून (भाषा)।

कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने की एक फीसद भी संभावना नहीं है। दरअसल, गांधी ने फिर से कहा है कि वह अध्यक्ष पद से इस्तीफे के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। इस संबंध में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) इस मामले पर गौर करेगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कुछ भी हो सकता है।' मोइली कांग्रस नीत पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में विधि एवं न्याय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों की जिम्मेदार संभाल चुके हैं।

उन्होंने कहा, 'आज, मुझे नहीं लगता कि उनके (गांधी के) फिर से जिम्मेदारी संभालने की एक फीसद भी (संभावना) नहीं लगती। किसी अन्य नाम पर विचार करने से पहले कार्यसमिति निश्चित रूप से बैठक करेगी। जब तक सीडब्ल्यूसी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करती, अटकलें और उनके बयान चलते रहेंगे।' मोइली ने कुछ कांग्रेसी नेताओं की उस अपील पर टिप्पणी से इनकार कर दिया जिसमें गांधी से बहन प्रियंका को अध्यक्ष बनाने का अनुरोध किया गया था।

राहुल के पक्ष में कांग्रेस में छिड़ी युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जून।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी में युवा बनाम बुजुर्ग नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी के देश भर के 50 से ज्यादा युवा पदाधिकारियों ने शुक्रवार को गांधी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। इनकी मांग है कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन युवा नेताओं ने एक प्रकार से तमाम बुजुर्ग नेताओं को अल्टीमेटम देते हुए जुलाई के पहले सप्ताह में फिर से बैठक कर आगे की कार्रवाई तय करने का फैसला किया है।

कांग्रेस के युवा नेताओं की एक बैठक शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक में पार्टी के दर्जनों युवा नेता शामिल हुए। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि वहां पहुंचे सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं वह राहुल गांधी की वजह से हैं। ऐसे में यदि राहुल ही पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे तो इनके भी पद पर बने रहने का औचित्य नहीं है। लिहाजा इन सभी नेताओं ने अपने अपने पदों से अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया। इन्होंने अपने इस्तीफे में

● 50 से ज्यादा युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने पदों से दिए इस्तीफे
● बुजुर्ग नेताओं पर बनाया जाएगा इस्तीफे का दबाव

गांधी से कहा कि यदि आप अपने इस्तीफे की पेशकश वापस नहीं लेते हैं तो हम भी पद नहीं संभालेंगे। यह भी तय किया गया कि जुलाई के पहले सप्ताह में ये युवा नेता फिर से दिल्ली में बैठक करेंगे।

दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा देने वाले राजेश लिलोठिया ने कहा कि सभी युवा नेताओं की राय है कि आज हम राहुल गांधी की वजह से संगठन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। लिहाजा, हम सभी उनके साथ हैं। इसीलिए हमने अपने अपने पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव ने कहा कि वह कांग्रेस कार्यसमिति के भी सदस्य हैं और जब राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, उसके तुरंत बाद कार्यसमिति के तमाम सदस्यों ने उनके सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सभी कह चुके हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी राहुल गांधी के समक्ष इस्तीफे की पेशकश की, सभी नेताओं ने की लेकिन 25 मई की उस बैठक से गांधी अचानक उठकर चले गए। उन्होंने इस खबर का जोरदार खंडन किया कि युवा कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि उन्हें इस बात का दुःख है कि उनके इस्तीफे की पेशकश के बावजूद पार्टी के किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुलाकात के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।

बहरहाल, सूत्रों का कहना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के युवा नेताओं की मुहिम क्या रंग लाती है। संभव है कि इस दबाव में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जल्दी बुलाकर पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाए। राहुल के पक्ष में मोर्चाबंदी करने वाले ये तमाम युवा नेता 2007 से ही राहुल से जुड़े हैं जब उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाकर उनको युवा कांग्रेस व एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया था।

गंगा में गिरने वाले गंदे नाले 2022 तक होंगे बंद : शेखावत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जून।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि 2022 तक गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह बंद हो जाएगा। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साथ ही नदियों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। एसोचैम ने शुक्रवार को दिल्ली में जल समाधान के नए तरीकों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी में देश में जल संकट से निपटने में सक्रिय सहयोग देने का वादा किया।

शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड और झारखंड में गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश पेयजल की कमी और 25 लीटर पानी नहाने में बर्बाद करने के चलन की दोहरी समस्या से एक साथ नहीं निपट सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति और बड़ी कंपनियों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में पानी के इस्तेमाल और ऐसी इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल और अन्य रसायनों को नदियों में छोड़े जाने के मामलों पर प्रभावी नीति तैयार करने के लिए वे उद्योगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ने औद्योगिक संगठन एसोचैम से यह पता लगाने के लिए कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बड़ी कंपनियां पानी से जुड़े मुद्दों पर कितना धन खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है यह राशि महज तीन फीसद है।

प्रयागराज से रायपुर व कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू

प्रयागराज (उप्र), 28 जून (भाषा)।

देश की अग्रणी विमानन कंपनी इंडिगो ने शनिवार को यहां से कोलकाता और रायपुर के लिए सीधी दैनिक उड़ानें शुरू की, जिससे संगम नगरी हवाई मार्ग पर चारों दिशाओं से जुड़ गई।

इंडिगो के विमान से कोलकाता से प्रयागराज पहुंचे यात्रियों का स्वागत करते हुए प्रदेश के नागर विमानन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि शुक्रवार की फ्लाइट शुरू होने के साथ प्रयागराज, कोलकाता और रायपुर से भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत बोली के दूसरे चरण में देश में 25 हवाई अड्डे चयनित किए गए, जिसमें से नौ उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश के मंडल मुख्यालयों को राजधानी और देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। गुरुवार को ही हमने फैजाबाद हवाई अड्डे के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय	हमारा उत्तर/प्रक्रियाएं
अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची- 9 का संदर्भ ले) अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है और गवर्नरों दिशानों तथा (आरबीआई) द्वारा निर्धारित प्रमुख नियम एवं शर्तों के अनुसार उन पर प्रावधान किया जाना है। बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के एकीकृत परिचालनों द्वारा वर्गीकरण एवं प्रावधानन किया जाता है। अग्रिमों की समीक्षा और ऐसे अग्रिमों पर प्रावधान करना, निर्धारण से संबंधित प्रबंधन के प्रमुख निर्णय, बैंक के पास उपलब्ध विवेकी रीतियों, सीमाओं और उनकी मूल्यांकन पर निर्भर है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं इसकी हमीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के कार्यालयों, शाखाओं, जिला–निदेशों, आंचलिक बैंक के जिला–निदेशों तथा बैंक के आंतरिक निदेशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण अनर्जक अग्रिमों की पहचान के लिए प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच ताकि मानकों के मानदंडों, बैंक के जिला–निदेशों की पूर्ति करते हुए अनर्जक अग्रिमों की पहचान तथा मूल्यांकन की ठोस रीतियों को अपनाया जाए। इसकी प्रोसीजरल, परिचालनों / नियंत्रणों की पुनर्समीक्षा की है और अग्रिम खातों की निगरानी, बड़े एवं संबद्धपक्ष ऋणों की टेस्ट चैकिंग के आधार पर जांच किसी अन्य खाते में अग्रिमों पर मानक आस्तियों तथा गैर–कार्यों को सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि इनका वर्गीकरण भारतीय बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार है; हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में हम प्रावधान करने में और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान अवलोकन परिवर्तनों एवं किया गया और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इसका उचित लेखाकन किया गया है। हमारे परिणाम: लेन–देनों की वास्तविकता पर विचार करते हुए, हमने लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप और संतोषजनक पाए गए।
निवेश – अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यांकन, प्रावधान और प्रकटन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची – 8 का संदर्भ ले) बैंक के निवेश संविभाग सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुषंगित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों / दिशा–निर्देशों / भारतीय बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षण के दृष्टिकोण में भारतीय बैंक के परिपत्रों / दिशानिर्देशों के संबंध में निवेशों से संबंधित मूल्यांकन / प्रावधानन, अनर्जक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता सम्मिलित है। हमारे बैंक द्वारा संबंधित भारतीय बैंक के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने हेतु स्थापित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर, इसका सत्यापन है। विशेष रूप से, हमने एनपीआई, की पहचान करने की प्रक्रिया, संबंधित आय का प्रावधानन और प्रावधान के मूल्यांकन और आकलन किया है। हमने स्थायी रूप से अवरुद्ध ऋणों वाले प्रावधान की दिशा में पर्याप्त आकलन के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं की। ऑडिट के दौरान आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और उनकी के प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। –हमारे परिणाम लेखापरीक्षण की परिधियों का ध्यान रखते हुए हमारी ऑडिट प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।
आकस्मिक कर परिदायित्वों की पहचान आकस्मिक प्रावधान का बीच अंक और लेखाकन लाभ के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है। आकस्मिक कर परिदायित्व की पहचान नहीं होती जब तक कोई पर्याप्त निश्चितता नहीं होती कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिस्थितियों से अनुसरी होगी।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं इस परिणाम में कर योग्य आय के विरुद्ध सेटऑफ के लिए कर हानि की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों पर चर्चाएं करते हैं और हमें उपलब्ध किए गए प्रबंधन के पूर्व सम्मानों और आकलनों के पुनर्मूल्यांकन और पर्याप्त का मूल्यांकन करने में कानूनी आंतरिक विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं, जो कि संबंधित भविष्य की कर योग्य आय होगी करने किए गए कर हानि के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगी।
आकस्मिक देयताएं और दावे आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जिसकी आकस्मिक रूप से घटने या नहीं घटने पर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घट सकती हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगें संबंधित इस तरह के दावे और मुकदमों अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा है जो बैंक लाभ/ जुर्माने के साथ निर्धारित मांगों का भुगतान करने के लिए जानकारी होगा, जैसा कि पहले अभिस्वीकृति द्वारा दर्ज किया जा सकता है, जिसका प्रभाव इस तरह का अभिस्वीकृत / भुगतान है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं इसके बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में कानूनी प्रबंधन नोट और अनुभवी राय की समीक्षा की है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, पर्याप्त स्थापित और दावों / मुकदमों की समाधान की संभावना करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को सम्मिलित किया है, ऑडिट संकलन में, जहां तक की लिखित तथा उपलब्ध रिपोर्टों और पहचानकर तक।

निवेश – अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यांकन, प्रावधान और प्रकटन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची – 8 का संदर्भ ले) बैंक के निवेश संविभाग सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुषंगित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों / दिशा–निर्देशों / भारतीय बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षण के दृष्टिकोण में भारतीय बैंक के परिपत्रों / दिशानिर्देशों के संबंध में निवेशों से संबंधित मूल्यांकन / प्रावधानन, अनर्जक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता सम्मिलित है। हमारे बैंक द्वारा संबंधित भारतीय बैंक के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने हेतु स्थापित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर, इसका सत्यापन है। विशेष रूप से, हमने एनपीआई, की पहचान करने की प्रक्रिया, संबंधित आय का प्रावधानन और प्रावधान के मूल्यांकन और आकलन किया है। हमने स्थायी रूप से अवरुद्ध ऋणों वाले प्रावधान की दिशा में पर्याप्त आकलन के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं की। ऑडिट के दौरान आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और उनकी के प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। –हमारे परिणाम लेखापरीक्षण की परिधियों का ध्यान रखते हुए हमारी ऑडिट प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।
आकस्मिक कर परिदायित्वों की पहचान आकस्मिक प्रावधान का बीच अंक और लेखाकन लाभ के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है। आकस्मिक कर परिदायित्व की पहचान नहीं होती जब तक कोई पर्याप्त निश्चितता नहीं होती कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिस्थितियों से अनुसरी होगी।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं इस परिणाम में कर योग्य आय के विरुद्ध सेटऑफ के लिए कर हानि की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों पर चर्चाएं करते हैं और हमें उपलब्ध किए गए प्रबंधन के पूर्व सम्मानों और आकलनों के पुनर्मूल्यांकन और पर्याप्त का मूल्यांकन करने में कानूनी आंतरिक विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं, जो कि संबंधित भविष्य की कर योग्य आय होगी करने किए गए कर हानि के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगी।
आकस्मिक देयताएं और दावे आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जिसकी आकस्मिक रूप से घटने या नहीं घटने पर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घट सकती हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगें संबंधित इस तरह के दावे और मुकदमों अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा है जो बैंक लाभ/ जुर्माने के साथ निर्धारित मांगों का भुगतान करने के लिए जानकारी होगा, जैसा कि पहले अभिस्वीकृति द्वारा दर्ज किया जा सकता है, जिसका प्रभाव इस तरह का अभिस्वीकृत / भुगतान है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं इसके बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में कानूनी प्रबंधन नोट और अनुभवी राय की समीक्षा की है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, पर्याप्त स्थापित और दावों / मुकदमों की समाधान की संभावना करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को सम्मिलित किया है, ऑडिट संकलन में, जहां तक की लिखित तथा उपलब्ध रिपोर्टों और पहचानकर तक।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2019

अपनी इंटरनेट बैंकिंग जानकारी जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड अथवा अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर/सीवीवी/ ओटीपी किसी के साथ भी फोन या ईमेल द्वारा साझा न करें। टोल फ्री नंबर : 1800 419 8300

जनसत्ता
महासमर
विश्व कप -2019
29 जून, 2019 24

दिलचस्प आंकड़े

रन	15533	सबसे ज्यादा रन	डेविड वार्नर
विकेट	465		
छक्के	265	उच्चतम स्कोर	डेविड वार्नर
अर्धशतक	83		

अफगानिस्तान के खिलाफ लय जारी रखने उतरेगा पाकिस्तान

लीड्स, 28 जून (भाषा)।

पाकिस्तानी टीम शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में आत्ममुग्धता से बचकर अपनी शानदार लय को जारी रखने की उम्मीद करेगी।

तीन हार और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद पाकिस्तानी टीम पर लीग चरण से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन, उसने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड पर जीत के साथ शानदार वापसी की और अपनी उम्मीदों को जीवित रखा।

मेजबान इंग्लैंड की दो हार से 1992 की विजेता टीम की सेमी फाइनल की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं।

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाक के लिए अब चिंता की बात यह है कि खिलाड़ी आत्ममुग्धता का शिकार हो सकते हैं। मौजूदा टीम उम्मीद करेगी कि वह वैसा ही प्रदर्शन करे जैसा 1992 में देश की टीम ने किया था और अंत में खिताब हासिल किया था। इमरान खान की उस टीम से तुलना की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि उसने भी ऐसे ही शानदार वापसी करते हुए ट्रॉफी जीती थी।

पाकिस्तान की वापसी और इंग्लैंड को मिली हार से टूर्नामेंट में टीमों के लिए मौका बढ़ गया है। लेकिन खिलाड़ी अन्य नतीजों की चिंता के बजाए अपना प्रदर्शन शानदार रखना चाहेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा देती है तो उसका अंतिम चार में पहुंचने का मौका बढ़ जाएगा। खराब फॉर्म में चल रहे शोएब मलिक की जगह हैरिस सोहेल को टीम में शामिल करने से पाकिस्तानी बल्लेबाजी में मजबूती आई है।

वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद आमिर की अगुआई वाली गेंदबाजी इकाई को मजबूती दी है। अफगानिस्तान की टीम ने शानदार जज्बे से सभी का दिल जीत लिया जो भारत के खिलाफ टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर करने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन टीम अब बेहतर खेल दिखाना चाहेगी।

पाकिस्तान पर जीत से टूर्नामेंट का अंत करना उसके लिए अच्छा तरीका होगा और राशिद खान व गुलबदीन नायब इस बात से भली भांति वाकिफ हैं।

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

सेमी फाइनल में पहुंचने की श्रीलंका की उम्मीदों को लगा झटका

दक्षिण अफ्रीका नौ विकेट से जीता

चेस्टर ली स्ट्रीट, 28 जून (भाषा)।

खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को यहां खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन कर श्रीलंका को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर विश्व कप सेमी फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को गहरा झटका दिया।

अपने तेज गेंदबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से श्रीलंका को कम स्कोर पर आउट करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला (105 गेंदों पर नाबाद 80) और कप्तान फाफ डुप्लेसिस (103 गेंदों पर नाबाद 96) की बड़ी अर्धशतकीय पारियों तथा इन दोनों के बीच 175 रन की अटूट साझेदारी की मदद से एक विकेट पर 206 रन बनाकर जीत हासिल की। श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया। उसके आठ बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे लेकिन उच्चतम स्कोर 30 रन का रहा। इस वजह से उसकी टीम 49.3 ओवर में 203 रन सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए ड्वेन प्रिटोरियस ने दस ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए। क्रिस मौरिस (46 रन देकर तीन) और कैगिसो रबादा (36 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया।

80 रन सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने बनाए

96 रन का योगदान कप्तान का फाफ डु प्लेसिस ने दिया

दक्षिण अफ्रीका ने आठवें मैच में दूसरी जीत का स्वाद चखा। उसके अब पांच अंक हो गए हैं और इस मैच की तरह वह छह जुलाई को आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी प्रतिष्ठा की खातिर मैदान पर उतरेगा। श्रीलंका की उम्मीदों को हालांकि हार से करारा झटका लगा है। उसके अब सात मैचों में छह अंक है तथा उसे आगे वेस्ट इंडीज और भारत का सामना करना है। इन मैचों में जीत दर्ज करने पर भी वह अगर मगर के भंवर में फंसा रहेगा।

अमला पहली बार अपनी असली लय में दिखे। उन्होंने लेसिथ मलिंगा के पहले ओवर में दो चौके लगाकर शुरुआत की। उन्होंने टूर्नामेंट में अपना दूसरा और कुल 39वां अर्धशतक पूरा किया। अमला और क्विंटन डिकाक (15) ने सकारात्मक शुरुआत की लेकिन उनकी साझेदारी लंबी नहीं खिंच पाई। लेसिथ मलिंगा ने बेहतरीन यार्कर पर डिकाक का विकेट थर्राने में देर नहीं लगाई।

दक्षिण अफ्रीका के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं था और ऐसे में डुप्लेसिस ने भी संभलकर बल्लेबाजी करने को ही प्राथमिकता दी। उनके आते ही तिसारा परेरा को गेंद सौंपी गई जिन्होंने उन्हें पांच बार आउट किया है लेकिन दक्षिण अफ्रीकी कप्तान पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने अपना 35वां वनडे अर्धशतक पूरा करने के बाद पारी का पहला छक्का लगाया।

आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में श्रेष्ठता की जंग

लंदन, 28 जून (भाषा)।

विश्व कप मुकाबले में शनिवार को आस्ट्रेलियाइ टीम का सामना पड़ोसी देश न्यूजीलैंड से होगा। इस मैच में दोनों ही टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करेंगी। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में पहली बार हार का स्वाद चखने वाली न्यूजीलैंड की टीम आरोन फिंच की अगुआई वाली टीम को हराकर लय हासिल करने की कोशिश करेगी। गत चैंपियन आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ मैच गंवाने के अलावा इस टूर्नामेंट में कुछ भी गलत नहीं किया है। वह सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है।

न्यूजीलैंड अपने सभी सात मैचों में एक ही टीम के साथ उतरा है। टीम के नाम 11 अंक हैं और सेमी फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें अपने बाकी दो मैचों में से कम से कम एक में जीत की जरूरत है। न्यूजीलैंड टीम अगर आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (तीन जुलाई) के खिलाफ एक मैच में जीत दर्ज करने में सफल रही तो लगातार चौथी बार विश्व कप के सेमी फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। विश्व कप में दोनों टीमें पिछली बार (2015) टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी थी और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उसकी यादें अब भी ताजा होंगी। ऐसे में शनिवार को होने वाला मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। ट्रांस - तस्मानाई प्रतिद्वंद्विता में हालांकि आस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी है। तटस्थ स्थल पर दोनों देशों के बीच खेले गए 20 एकदिवसीय में आस्ट्रेलिया की टीम 19 बार सफल रही है। न्यूजीलैंड की टीम को एकमात्र सफलता 1999 के विश्व कप में मिली जो विश्व कप में दोनों टीमें के बीच हुए सात मुकाबलों में न्यूजीलैंड की एकमात्र जीत है। सिर्फ इतिहास की दृष्टि में ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म से भी पांच बार के चैंपियन आस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी लग रहा है।

मैच का समय

शाम छह बजे से

07 मुकाबले विश्व कप में दोनों टीमों के बीच खेले गए जिसमें न्यूजीलैंड को एकमात्र जीत 1999 में विश्व कप में मिली।

20 वनडे में आस्ट्रेलिया की टीम 19 बार सफल रही है तटस्थ स्थल पर दोनों देशों के बीच खेले गए मैच में

दीप्ति शर्मा सुपर लीग में वेस्टर्न स्टॉर्म की तरफ से खेलेंगी

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

भारत की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित केआइए सुपर लीग महिला टी-20 प्रतियोगिता में वेस्टर्न स्टॉर्म टीम की ओर से खेलेंगी।

दीप्ति को यहां राष्ट्रीय टीम की उनकी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना का साथ मिलेगा जो पहले से ही इस टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेस्टर्न स्टॉर्म ने शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर इस 21 साल की दीप्ति से करार करने की घोषणा की। दीप्ति ने कहा, मैं केआइए सुपर लीग में खेलने की चुनौती का इंतजार कर रही हूं। हर खिलाड़ी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के साथ खेलना चाहता है। इससे मुझे ऐसा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, मैंने स्मृति से वेस्टर्न स्टॉर्म के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं और मैं मैदान पर टीम की सफलता में योगदान करने का इंतजार नहीं कर रहीं हूं।

विश्व कप डायरी

गलत आउट के लिए रोहित ने ट्विटर पर व्यक्त की निराशा

मैनचेस्टर, 28 जून (भाषा)।

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने आउट होने के विवादास्पद फैसले पर निराशा व्यक्त की। रोहित ने 23 गेंद में 18 रन बना लिए थे जिसके बाद वह आउट हुए। उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर आउट होने की करीब से फोटो पोस्ट की जिसमें लग रहा था कि उनके बल्ले और गेंद के बीच काफी जगह थी। रोहित द्वारा लगाई गई इस फोटो में लगता है कि गेंद उनके बल्ले के बजाए दाएं पैड पर लगी। गुरुवार को इस मैच में केमार रोच की गेंद पर विकेटकीपर शाई होप द्वारा कैच आउट दिए जाने के इस फैसले के बाद रोहित काफी निराश दिखे।

वेस्ट इंडीज की टीम ने विकेट के पीछे कैच लपकने की अपील की थी। मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिगवर्थ ने इसे नॉटआउट करार दिया जबकि वेस्ट इंडीज के कप्तान जैसन होल्डर ने इसे रिव्यू कराने का फैसला किया और तीसरे अंपायर माइकल गॉ ने इस फैसले को वेस्ट इंडीज के पक्ष में कर दिया। तीसरे अंपायर ने शायद स्निकोमीटर का सहारा लिया क्योंकि रिप्ले में दिख रहा था कि बल्ले और गेंद के बीच अंतर था।

तस्वीर रोहित शर्मा के ट्विटर वाल से

वापसी का श्रेय मैं खुद को दूंगा : शमी

मैनचेस्टर, 28 जून (भाषा)।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कहना है कि पिछले 18 महीनों में इतना कुछ झेलने के बाद अब शानदार प्रदर्शन के हकदार भी वह खुद ही हैं। शमी ने गुरुवार को विश्व कप में वेस्ट इंडीज पर 125 रन की जीत के बाद कहा कि श्रेय और किसको, बस मुझे। मैं खुद को पूरा श्रेय देता हूं।

शमी को पिछले डेढ़ वर्ष में घरेलू हिंसा के आरोपों से जूझना पड़ा। इसके बाद लंबित जांच तक उन्हें बीसीसीआइ की केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया। फिटनेस के आधार पर उन्हें एक टैस्ट मैच से भी बाहर बैठना पड़ा। लेकिन वह अब अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। उनकी तेजी और स्विंग के बारे में पूछने पर शमी ने कहा कि क्योंकि मुझे इन सब के बाद यह झेलना पड़ा। पिछले 18 महीनों में जो कुछ हुआ, वह सब मुझे ही झेलना पड़ा। इसलिए इसका श्रेय भी मुझे ही जाता है।

शमी ने एक हैट्रिक सहित दो मैचों में आठ विकेट चटकाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सबसे (पारिवारिक मुद्दों से लेकर फिटनेस तक) लड़ने की ताकत दी। अब मैं केवल देश के लिए अच्छा करने पर ध्यान लगाए हुए हूं। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बारे में शमी ने कहा कि फिटनेस पर काम करना टर्निंग प्वाइंट रहा।

धोनी भाई ने क्रीज पर समय बिताकर अच्छा किया : बुमराह

मैनचेस्टर, 28 जून (भाषा)।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ विश्व कप मैच में शानदार पारी खेली। इसके लिए क्रीज पर समय बिताकर उन्होंने सही किया। धोनी की रन बनाने की गति चर्चा का विषय बनी हुई है। गुरुवार को पूर्व कप्तान ने 61 गेंद में 56 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने अंतिम ओवर में 16 रन जुटाए।

बुमराह ने बीसीसीआइ टीवी से कहा कि उन्होंने जो पारी खेली, वह बहुत शानदार थी। कभी कभार आपको लगता है कि वह धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन कभी कभार यह अहम होता कि वह समय लें जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वह दबाव झेलते हैं। यह बेहतरीन पारी थी।

धोनी का अनुभव और सलाह मूल्यवान : कोहली

मैनचेस्टर, 28 जून (भाषा)।

महेंद्र सिंह धोनी का मध्य के ओवरों में तेजी से रन जुटाने में विफलता भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज का बचाव करते हुए उनके अनुभव और उनकी सलाह को मूल्यवान करार दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद गुरुवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम रहने के कारण धोनी की काफी आलोचना हुई। पूर्व भारतीय कप्तान को शुरुआत में काफी दिक्कत हुई लेकिन अंतिम ओवर में उन्होंने 16 रन जुटाए।

कोहली ने कहा कि धोनी को पता है कि वह क्रीज पर क्या करना चाहते हैं। जब कभी कभार उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है तो हर कोई उनके बारे में बात करना शुरू कर देता है। हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने इतने सारे मैचों में जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे खिलाड़ी के होने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको 15-20 रन की जरूरत होती है तो वह जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाए। उनका अनुभव 10 बार में से आठ बार हमारे लिए अच्छा रहा है।

कोहली ने कहा कि यह धोनी ने टीम को आश्वस्त किया कि 268 रन का स्कोर चुनौती देने के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो सहज क्रिकेट खेलते हैं और रणनीति के हिसाब से चलते हैं। उन्हें खेल की इतनी गहरी समझ है कि वह हमेशा हमे राय देते हैं जैसे उन्होंने कहा कि 260 रन का स्कोर अच्छा है। वह महान खिलाड़ी हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं।

कोहली ने इंग्लैंड को रैंकिंग में पछाड़ने के बारे में कहा कि मैं शिकायत नहीं कर सकता। हम गुरुवार को नंबर एक टीम बने और ईमानदारी से कहूं तो हम पिछले कुछ समय से ऐसा खेल रहे हैं। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ऐसा ही रहा। इस पर कोहली ने कहा कि बल्ले से देखें तो पिछले दो मैचों में चीजें हमारे मुताबिक नहीं रही, लेकिन हमने फिर भी जीत हासिल की और यह मेरे लिए प्रभावित करने वाला है। उन्होंने हार्दिक पंड्या और महेंद्र सिंह धोनी की अंत में खेली गई पारियों की भी प्रशंसा की।

गौरव गिल सातवीं बार आइएनआरसी चैंपियन बनने की दौड़ में

चेन्नई, 28 जून (भाषा)।

देश के सबसे प्रतिष्ठित रैली चालक गौरव गिल शुक्रवार को यहां शुरू हुए इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप(आइएनआरसी)-2019 का खिताब जीत कर सातवीं बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब अपना नाम करना चाहेंगे।

टूर्नामेंट का आगाज नए रंग-रूप में तैयार हुए याच क्लब-एफएमएससीआइ में हुआ जिसमें इस साल देश भर से आए पांच प्रमुख टीमों से ताल्लुक रखने वाले 51 शीर्ष चालकों (इन टीम चैंपियंस के 19 चालक शामल हैं) ने नए सत्र का आगाज किया। एमएमआरटी में इस साल पहली बार सुपर स्पेशल स्टेज का निर्माण किया गया है जिससे दर्शकों को काफी करीब से रैली का लुत्फ लेने का मौका मिलेगा।

तीन बार के एशिया पैसेफिक रैली चैंपियन और छह बार के आइएनआरसी चैंपियन गिल के लिए यह बिल्कुल नई शुरुआत होगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही वह टीम एमआरएफ छोड़कर जेके टायर टीम से जुड़े हैं। गिल ने नए कीर्तिमान स्थापित करने के मकसद से यह करार किया है। महेंद्रा एडवेंचर की सवारी करने वाले गिल के साथ उनके पुराने और भरोसेमंद साथी मुसा शरीफ होंगे और ये दोनों प्रतियोगिता में नया आयाम स्थापित करने के लिए इस बार एक्सयूवी 300 की सवारी करेंगे।

रैली शुरू होने से पहले गिल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस सत्र को लेकर मैं काफी रोमांचित हूं क्योंकि इस बार मैं न सिर्फ नई कार पर सवार रहूंगा बल्कि नए टायरों के साथ भी सफर करुंगा। मैंने कार को टेस्ट किया है और यह अपने क्लास में श्रेष्ठ है। मुझे यकीन है कि यह मेरी ड्राइविंग शैली के साथ तालमेल बनाने में सफल रहेगी। टीम महेंद्रा की दूसरी कार भी खिताब की दावेदार होगी।

हितों के टकराव के मुद्दे पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 28 जून (भाषा)।

प्रशासकों की समिति (सीओए) की शनिवार को होने वाली बैठक में हितों के टकराव के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। बीसीसीआइ नैतिक अधिकारी डीके जैन ने वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली से क्रिकेट में कई भूमिकाओं में से एक का चयन करने को कहा था। लोढ़ा सिफारिशों में 'एक व्यक्ति एक पद' काफी अहम है और जैन ने कहा कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज लक्ष्मण को तीन में से एक भूमिका को ही चुनना पड़ेगा।

लक्ष्मण क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य हैं जिसमें से उन्होंने हटने की पेशकश की है। वह आइपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर और कमेंटेटर भी हैं। वहीं गांगुली भी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे हैं। वह सीएससी के सदस्य के अलावा बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और आइपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार भी हैं।

सीओए की बैठक

सीओए के शनिवार को इस बैठक में जैन के आदेश पर विचार करने की उम्मीद है।

जैन के आदेश को बीसीसीआइ को लागू करना होगा। लेकिन उनके आदेश के हिसाब से इरफान पठान, पार्थिव पटेल और रोबिन उथप्पा जैसे मौजूदा खिलाड़ियों को भी कमेंट्री से रोका जा सकता है। ये तीनों विश्व कप विशेषज्ञ के तौर पर विभिन्न मंचों से जुड़े हुए हैं। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि हितों के टकराव पर और अधिक स्पष्टता चाहिए। इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसका अंत कहां है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता कि सक्रिय खिलाड़ी जो भी भारत के लिए नहीं खेल रहे, वे कमेंट्री कर रहे हैं जबकि वे घरेलू क्रिकेट में भी व्यस्त नहीं हैं।

जैन ने कहा था, 'इस आदेश के आधार पर सक्रिय खिलाड़ियों के खिलाफ भी शिकायतें आ सकती हैं। उन्हें अब अपने दिमाग से काम लेना होगा और इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मैं किसी को कमेंट्री करने से नहीं रोक रहा हूं। संविधान का नियम 38 एक समय में कई पद पर काबिज होने से रोकता है। मैंने यह फैसला किया है कि बीसीसीआइ संविधान के तहत हितों का टकराव क्या है।

बैठक में एक अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी, वो राज्य संघों में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होगी जिसकी अंतिम समयसीमा एक जुलाई को समाप्त हो रही है। बीसीसीआइ के चुनाव 22 अक्तूबर को होने हैं और राज्य इकाइयों में चुनाव 14 सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए।

चेन्नई सिटी को आइ-लीग खिताब जीतने की पुरस्कार राशि मिली

चेन्नई, 28 जून (भाषा)।

आइ-लीग टीम चेन्नई सिटी एफसी ने घोषणा की कि उन्हें 2018-19 सत्र में चैंपियनशिप जीतने के लिए उनकी पुरस्कार राशि मिल गई है।

फुटबॉल

क्लब ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को ईमेल लिखने के दो दिन बाद यह घोषणा की। क्लब ने एआइएफएफ को आइ-लीग चैंपियन बनने की पुरस्कार राशि नहीं मिलने के बारे में ईमेल लिखा था। क्लब ने एआइएफएफ महासचिव कुशल दास को लिखे पत्र में लिखा, 'हम पुष्टि करना चाहते हैं कि हमें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से आइ-लीग 2018-19 सत्र की विजेता को मिलने वाली इनामी राशि मिल गई है।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 223, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।